लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 13, मंगलवार, 15 मार्च, 1983/24 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 225 और 228 से 230	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—240
तारांकित प्रश्न संख्या : 224, 226, 227 और 231 से 244	18—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2548 से 2554, 2556 से 2572, 2574, 2576 से 2701 और 2703 से 2779	32—240
सभा पटल पर रखे गए पत्र	240—250
नियम 377 के अधीन मामले	250—255
(एक) कोटा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	250
(दो) केरल के किसानों के लाभार्थ काजू के लिए विदेशों में बाजार उपलब्ध कराने की मांग	
प्रो० पी० जे० कुरियन	251
(तीन) पत्रकारों पर हमले	
श्री हरिकेश बहादुर	251
(चार) गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयां	
प्रो० अजित कुमार मेहता	252
(पांच) झरिया कोयला क्षेत्रों में भूमि के धंसने को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	252

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छः) गन्ना उत्पादकों की बकाया राशियों के भुगतान तथा इकबालपुर चीनी मिल के कार्यकरण को सुधारने के लिए कदम उठाना	
श्री जगपाल सिंह	255
(सात) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को भुगतान	
प्रो० एन० जी० रंगा	255
बजट (सामान्य) 1983-84—सामान्य चर्चा	256 – 324
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	256
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	261
श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू	266
श्री थाझाई एम० करुणानिधि	269
श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर बरार	272
श्री डी० पी० यादव	280
श्री जैनुल बशर	285
श्री बाजूबन आर० खारलुखी	289
श्री मनोरंजन भक्त	290
श्री मूलचन्द डागा	294
श्री सुन्दर सिंह	297
श्री भेरावदन के० गधावी	301
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	305
श्री संतोषमोहन देव	309
श्री सतीश प्रसाद सिंह	313
श्री ओस्कर फर्नान्डीस	317
श्री पीयूष तिरकी	321—324
कार्य-मंत्रणा समिति	
41वां प्रतिवेदन	324

लोक सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1983/24 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं नियम 388 के अन्तर्गत खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे हैं, खड़े नहीं हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मनीराम बागड़ी जी की कमी खल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : लगता तो कुछ ऐसा ही है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उनको वापस कर दिया जाए ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तालचेर ताप परियोजना में उत्पादन

+

***225. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के तालचेर ताप विद्युत केन्द्र में बिजली का उत्पादन घट गया है;

(ख) क्या उपरोक्त ताप विद्युत केन्द्र के कुछ एकक बन्द हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एककों के बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) बिजली के उत्पादन में कमी आने के अन्य कारण क्या हैं; और

(ङ) तालचेर ताप विद्युत केन्द्र में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं । तालचेर ताप विद्युत केन्द्र में अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक ऊर्जा उत्पादन 838 मेगावाट आवर था । इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 627 मेगावाट आवर था ।

(ख) और (ग) तकनीकी कारणों तथा नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्दी के कारण वहां पर कभी-कभी अनियमित बन्दियां हुई हैं परन्तु कोई भी यूनिट स्थायी तौर पर बन्द नहीं की गई है।

(घ) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण केन्द्र के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहा है। कठिनाई वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया है और उपचारी उपायों को सोपानबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, अब मुझे पता चला कि मौके पर जाकर देखने और यहां बैठे-बैठे उत्तर प्राप्त करने में कितना अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वास्तव में आपको अन्तर पता लगा ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : परसों मैं तालचेर में था और मैंने देखा कि शायद पिछले 10 दिनों से चारों एकक पूरी तरह से बन्द हैं। ताप बिजली एकक की कुल क्षमता 250 मैगावाट है किन्तु तालचेर ताप बिजली एकक अब केवल 70 मैगावाट उत्पादन कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां उत्तर क्या होता है और वहां वस्तुस्थिति क्या है। अतः मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इन चार एककों में से जो पिछले 10 दिनों से बन्द हैं, पहले एकक में सभी मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया था किन्तु यह उत्पादन आरम्भ नहीं कर सका क्योंकि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स ने इसकी जांच करनी थी और इसे चलाने की अनुमति देनी थी किन्तु जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरे एकक की भी यही स्थिति रही क्योंकि इकोनोमाइजर ट्यूब में रिसाव है। दूसरा एकक पहले चालू हुआ था किन्तु उसके बाद बिजली उत्पादन नहीं कर सका। उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र सहित सभी 10 प्रमुख उद्योगों की बिजली में 54% कटौती की गई है।

ये तथ्य हैं। क्या मंत्री महोदय कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इन तथ्यों की जांच करेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मुझे यह कहते हुए खेद है कि तालचेर स्थित एककों के कार्यचालन के बारे में कुछ भ्रम है। वहां 62.5 मैगावाट के चार आयातित एकक हैं और 110 मैगावाट का पांचवां एकक है।

माननीय सदस्य द्वारा बताई गई स्थिति कुछ सीमा तक कुछ एककों के बारे में सही है। वस्तुतः ट्यूब रिसाव को ठीक किया जा रहा है किन्तु वे आवश्यक रूप से सामान्य से ज्यादा समय ले रहे हैं। बी० एच० ई० एल० द्वारा कुछ कमियों की ओर पर्याप्त ध्यान न देने जैसी कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं। उन्हें ठीक किया जा रहा है किन्तु सभी कमियां अभी दूर नहीं हुई हैं।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान तालचेर बिजली संयंत्र के कार्य में कुछ सुधार दिखाई दिया है। इससे पहले भी वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा

था। अब भी यह अत्यधिक संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। किन्तु सुधार के कुछ संकेत हैं और हमें आशा है कि आगामी महीनों में स्थिति बेहतर होने की आशा है, विशेषकर जुलाई, 1983 के बाद बिजली उत्पादन में सुधार की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : सेठी जी, आप किसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष महोदय का।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है वह संवाददाताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय का वर्तमान उत्तर मूल उत्तर में बताई गई स्थिति से थोड़ा बेहतर है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि तालचेर ताप बिजली एकक संयंत्र के एककों की मरम्मत में असाधारण विलम्ब हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि उस सारे समय में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या करता रहा है। उसने यह जानने की कोई कोशिश नहीं की यह विलम्ब न हो। इसके फलस्वरूप विद्युत सम्पूर्ण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि 110 मेगावाट उत्पादन करने वाला एकक भी जब तक अमरीका से उपकरण नहीं आ जाते बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता है।

क्या मंत्री महोदय सभा को तालचेर ताप बिजली संयंत्र के इन चार एककों और विस्तारित पांचवें एकक की अद्यतन स्थिति के बारे में बताएंगे ? मैं परसों ही तालचेर से लौटा हूं। मैंने देखा है कि वे एकक अभी बंद पड़े हैं और ताप बिजली संयंत्र में इकट्ठा हुआ 30,000 मीटरी टन कोयला अप्रयुक्त पड़ा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की लापरवाही से पूरा राज्य प्रभावित है। प्राधिकरण कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सभी एकक बन्द पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 250 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है।

अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं माननीय सदस्य की चिंता में भागीदार हूं कि हमें तालचेर बिजली संयंत्र के कार्यचालन में कुछ सुधार करने चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता...

अध्यक्ष महोदय : बिजली के उत्पादन की कोशिश कीजिए। अन्यथा आप भागीदार नहीं हो सकेंगे।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और साथ ही स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के विस्तार में भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सुझाए गए सुधारों पर लगातार निगरानी रखने की कोशिश करता रहा है। वस्तुत: कुछ सुधार हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया था हम ऐसी स्थिति में पहुंचने

वाले हैं जिसमें हम आगामी महीनों में अधिक बिजली पैदा कर-सकेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 62.5 मैगावाट का केवल चौथा एकक मरम्मत के लिए बन्द किया गया है। 62.5 मै० वा० के अन्य तीन एकक कार्य कर रहे हैं और 13-3-1983 तक 122 मै० वा० बिजली पैदा कर रहे थे। चौथा एकक 6 दिन के अन्दर वापस आ जाएगा और 110 मैगावाट बी०एच०ई०एल० एकक के दो या तीन दिनों में वापस आने की आशा है। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि आगामी महीनों में स्थिति के सुधरने की आशा है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : उत्तर अभी भी अधूरे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह दो या तीन दिन में तालचेर का दौरा करें।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यदि माननीय सदस्य मुझे वहां जाने का निमंत्रण देते हैं तो मैं जाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक निर्णायक भी होना चाहिए। आपको मुझे भी निमंत्रित करना चाहिए।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं आपको भी निमंत्रित कर रहा हूं।

श्री सुनील मैत्रा : राज्य विद्युत बोर्ड की इस शिकायत को देखते हुए कि ट्यूब रिसाव राख की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण होता है क्या सरकार यह निश्चित करेगी कि राज्य बिजली बोर्ड को ऐसा कोयला सप्लाई किया जाए जिसमें राख की मात्रा सह्य सीमा के भीतर हो?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र का जिक्र किया है। ऊर्जा के उत्पादन में समग्र विकास के लिए सही किस्म के कोयले की सप्लाई एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है, जिसे हम अपना सकते हैं। हम कोयला विभाग के साथ इसे सम्बद्ध करने, इस पर विचार विमर्श करने तथा बैठकें करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों से कुछेक अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा बेहतर समन्वय के लिए हमारा निरन्तर प्रयास रहा है और हम कोयला विभाग को इसके लिए राजी कर रहे हैं कि वह कोयला सम्बन्धी संयंत्र एवं कुछ अन्य मशीनरी लगाएं ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके।

डा० कृपा सिन्धु भोई : ऊर्जा विभाग द्वारा माननीय मंत्री को जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, वह तकनीकी रूप से गलत है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपातकालीन स्थिति में इसकी क्षमता का उपयोग 56 प्रतिशत था। जनता शासन में यह कम होकर 40 प्रतिशत हो गया। इस समय औसत क्षमता उपयोग 47 प्रतिशत है, ऐसा मुझे पता चला है। **(व्यवधान)**

यह एक तकनीकी मामला है न कि आर्थिक। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में तालचेर थर्मल पावर स्टेशन में कितनी क्षमता का उपयोग हुआ तथा

क्या यह सच है कि मेल द्वारा सप्लाई की गई पुरानी मशीनें, जो अभी हाल ही में तालचेर में लगाई गई थीं बिजली के उत्पादन में कमी का कारण रहीं और यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय ने इसकी तुलना की है कि विभिन्न मशीनों के लिए बनाए गए मेल के डिजाइन पैरामीटर क्या मानक स्तर के हैं, क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समान हैं। अन्य कमी जो माननीय सदस्य श्री सुनील मैत्रा ने बताई है वह है कोयले में राख की मात्रा तथा कंकड़ का मिश्रण। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इसकी जांच करेगा कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर राख की मात्रा अधिक है अथवा कंकड़ की मात्रा अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न रखिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई : ...और एक बाशरी बनाएं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : *तालचेर पावर स्टेशन को सही रूप से कार्य न करने अथवा अपर्याप्त कार्य करने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक है—डिजाइन संबंधी कमियां और दूसरा है तालचेर को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की अत्यन्त आकर्षक किस्म।*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : *क्या हाल होगा बाइलर का।*

श्री चन्द्र शेखर सिंह : रेत की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह पंखे सहित समस्त बाइलर को खराब कर देता है और इसीलिए यह कठिनाई हुई है। हमने विशेषज्ञों के परामर्श से इन कमियों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं तथा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। कोयले के बारे में भी ये कदम उठाए गए हैं कि धीमी गति के कनवेयर बेल्ट के द्वारा तथा हाथ से उठाकर इसकी किस्म में सुधार लाया जाए। ये उपाय शुरू किए गए हैं तथा इन्हें लागू किया जा रहा है।

जहां तक प्लांट के लोड का बाह्य संबंध है, अर्थात् तालचेर में क्षमता उपयोग की बात है, मैं तीन साल के स्थान पर पिछले 6 साल के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं—1977-78—31 प्रतिशत, 1978-79—33 प्रतिशत, 1979-80—32 प्रतिशत, 1980-81—34 प्रतिशत, 1981-82—36 प्रतिशत और 1982-83 (जनवरी, 83 तक) 36 प्रतिशत इस प्रकार इससे यह पता चलता है कि इसमें धीरे-धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है तथा कमियों को दूर किए जाने से...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री क्यों नहीं बदलते—यह मैं जानना चाहता हूं—जिससे कि कुछ सुधार हो?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, डिजाइन संबंधी कमियों के दूर करने के हो जाने से तथा बेहतर किस्म के कोयले का इन्तजाम करने से हमें यह आशा है कि आगे के महीनों में प्लांट लोड में सुधार होगा...

(व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या आप भेल से इसमें सुधार करने के लिए नहीं कहेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हमने कहा है और वे इस बारे में कुछ कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्रीमती माधुरी सिंह, श्री निहाल सिंह, डा॰ श्री विलास मुत्तेमवार ।

गैस उपभोक्ताओं की प्रति एजेंट संख्या

*228. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों के अनुसार किसी एजेंट को कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी संख्या में गैस उपभोक्ता आबंटित किए जाने होते हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि जिन दुकानदारों/एजेंटों को बड़ी संख्या में उपभोक्ता आबंटित किए जाते हैं उनकी कार्य कुशकता घट जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रब्यूटर के व्यापार पर अधिकतम सीमा प्रतिमाह बेचे गए रिफिल सिलेंडरों से सम्बन्धित है जिसमें उसके द्वारा सर्विस प्रदान की जा सकने वाले ग्राहकों की संख्या का हिसाब लगाया गया है । देश में विभिन्न स्थानों के लिए अधिकतम सीमाएं निम्नलिखित रूप में हैं :—

बाजार	प्रतिमाह रिफिलों की संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
10 लाख से अधिक संख्या वाले शहर	3,500
2 लाख तथा 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	3,000
अन्य स्थान	2,500

इन अधिकतम सीमाओं से सहकारी समितियों को छूट दी गई है ।

(ख) किसी डिश्ट्रीब्यूटर की कुशलता मुख्य रूप से उसकी प्रबन्धकीय कुशलता तथा जो सुविधाएं वह प्रदान करता है जैसे डिलीवरी गाड़ियों, डिलीवरी कर्मचारी, मैकेनिकों आदि की पर्याप्त संख्या आदि पर निर्भर करती है जिनकी उसे अपने ग्राहकों की संतोषजनक रूप से देखभाल करने के लिए आवश्यकता होती है ।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि बम्बई में 6,000 गैस कनैक्शन एजेंट्स को देते हैं, दिल्ली में 4,000 और दस लाख से अधिक

संख्या वाले शहरों में 3,500 और कई जगहों की फीगर्स उन्होंने दी है। जिनको 6,000 गैस कनैक्शन दिए हैं, उनका भी यह कहना है कि उनको यह इकोनॉमिक नहीं होता और जिनको तीन हजार कनैक्शन दिए हैं, उनका भी यही कहना है कि इससे हमारा खर्चा नहीं निकलता। इसके लिए कमीशन का क्या क्राइटेरिया है और उनकी जो कम्पलेंट हैं, वे कहां तक सही है ? मेरे पहले प्रश्न का "ब" भाग यह है कि गैस की एजेंसी देते वक्त जब एडवरटाइज किया जाता है तो हरिजन, अपंग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई तरह के क्राइटेरिया रखे जाते हैं। लेकिन उनकी जो शर्तें रहती हैं जैसे कि गोडाउन, खुली जगह, एक्सप्लोसिव सर्टिफिकेट और डिपाजिट, ये इतने ज्यादा हैं कि हरिजन, अपंग और भूतपूर्व सैनिक इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें फिर किसी को पार्टनर बनाना पड़ता है या बेनामी लोगों को लेकर एजेंसियां लेनी पड़ती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि प्रति सिलेंडर 3.60 पैसे कमीशन मिलता है और यह इतना है कि गैस एजेंसी के लिए बड़ी लम्बी संख्या में लोगों की कतार लग गई है। यदि यह घाटे वाला धंधा होता तो शायद इतने ज्यादा लोग इस धंधे में नहीं आते।

दूसरे उन्होंने यह कहा कि अपंग या इकोनामिकली बेक्वर्ड लोगों को जो एजेंसी देते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि बैंक लोन की भी व्यवस्था है और उन सब चीजों के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पैसा जमा कराना तो उतना ही उनको होता है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 3.60 पैसे कमीशन मिलता है जो 6,000 कनैक्शन पर 20,000 रु० होतां है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि 6 हजार गैस कनैक्शन की एजेंसी जिसको दी गई है वह ज्यादा नहीं है, और 3 हजार कनैक्शन वाली एजेंसी कम नहीं है ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि नया गैस कनैक्शन जब दिया जाता है तो उपभोक्ताओं को ऐसी चीजें लेने के लिए बाध्य किया जाता है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, और इससे उपभोक्ता को करीब-करीब 1,500 रु० से 2,000 रु० तक देना पड़ता है। क्या यह उचित है ? और गैस कनैक्शन के लिए उपभोक्ताओं से करीबन 1,000 रु० की डिपाजिट ली जाती है और 4, 6 महीने तक उनको गैस कनैक्शन नहीं दिया जाता है। यह बड़ी जरूरत की चीज है। इससे कई जगह बेनामी एजेंसीज ने पैसे इकट्ठे किए और पैसाउपभोक्ताओं को वापस नहीं मिला। इसके लिए मंत्रालय क्या कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तो एक पूरी डिबेट चाहिए।

श्री जगदीश टाईटलर : इसमें बहुत भ्रष्टाचार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आधे घन्टे के चर्चे की अनुमति दूंगा।

विद्युत उपयोगिता पर सेमिनार

*229. †डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत उपयोगिता परिषद् ने हाल में कोई सेमिनार आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सेमिनार में उन्होंने एक ऐसी उप-समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था जो इस प्रणाली की तथा तकनीकी कमियों की जांच करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय विद्युत युटीलिटीज परिषद् द्वारा नई दिल्ली में 8 और 9 नवम्बर, 1982 को "विद्युत सैक्टर में परियोजना प्रबन्ध" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

(ख) और (ग) इस सेमिनार में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा राज्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विद्युत युटीलिटीज परिषद् को विद्युत सैक्टर में तकनीकी और प्रबन्ध संबंधी कमियों का पता लगाने और इन कमियों को दूर करने के उपाय के बारे में राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत युटीलिटीज को सलाह देने के दायित्व वाले कृतिक बलों के गठन के बारे में विचार करना चाहिए जिसमें विख्यात विद्युत इंजीनियर और प्रबन्ध विशेषज्ञ शामिल हों।

उपर्युक्त सुझाव पर कार्यवाही राष्ट्रीय विद्युत युटीलिटीज परिषद् द्वारा की जानी अपेक्षित है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहूंगा। इस सरकार के कारण ही देश में बिजली की स्थिति अत्यन्त खराब हुई है (व्यवधान) इसकी जिम्मेदार यह सरकार है।

उदाहरण के लिए, लागत में 80 प्रतिशत से 600 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है 80 महीनों से 96 महीने का समय अधिक लग रहा है। इस सम्मेलन में वरिष्ठ मंत्री श्री पी० शिवशंकर ने यह कहा है कि बढ़ने वाली अतिरिक्त विद्युत क्षमता बहुत कम है।

उन्होंने इस कमी को स्वीकार किया है। अतः मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि इस 'सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ? यह सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय है।' यह अखिल भारतीय संगठन अथवा कुछ भी हो सकता है। लेकिन, इसके अध्यक्ष श्री टाटा राव हैं, जो कि राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह एक नया निकाय बनाया गया है और इस प्रकार इसका कुछ नैतिक दायित्व है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं, और चूंकि यह सम्मेलन नवम्बर में हुआ था, इसकी कितनी सिफारिशों को लागू किया गया।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वर्तमान स्थिति के लिए तीन वर्ष की अवधि में आपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां तक सेमिनार का संबंध है, यह सरकारी सेमिनार नहीं था। यह एक गैर-सरकारी निकाय था जिसने इस सेमिनार का आयोजन किया लेकिन, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस सेमिनार में की गई सिफारिशों को अपेक्षित महत्व न दिया जाए। इस सेमिनार में की गई सिफारिशें हमारे पास, औपचारिक रूप से अब तक नहीं पहुंची हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह सम्मेलन नवम्बर में हुआ था।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : लेकिन, इस सेमिनार में एक उप-समिति का गठन किया गया था जिसमें डा० एन० टाटा राव, श्री ए० के० साहू और श्री श्रीवास्तव शामिल थे और इन्हें इस सेमिनार में की गई सिफारिशों को अन्तिम रूप देना था। हमें सिफारिशों के लिए शायद पहले ही उन्होंने कार्यवाही की है लेकिन, इस प्रश्न के जवाब के संदर्भ में हमने उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश की। हमें इस सेमिनार में की गई प्रमुख सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जो कि परियोजना प्रबन्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में दी गई कुछ सिफारिशों से संबंधित हैं। हम इससे सहमत हैं कि यह एक कमजोर क्षेत्र है तथा हम कहीं से भी सुझाव प्राप्त करना पसन्द करेंगे। लेकिन, उनके उल्लेखनीय योगदान की पृष्ठभूमि में मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से सुझाव मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। इससे सम्बद्ध किसी भी प्रकार की विशेषज्ञ सलाह और अनुभव का हम लाभ उठाना चाहेंगे। विद्युत क्षेत्र के परियोजना प्रबन्ध के बारे में की गई कुछ सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा रहा है क्योंकि ये सुझाव पहले ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की नजर में हैं। कुछ सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा, कुछ पर राज्य सरकारें और कुछ पर भारत सरकार विचार करेगी। हम इन सुझावों के सम्बद्ध भागों पर विचार कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, नवम्बर में हुए एक सम्मेलन, जिसमें मंत्री जी ने भी भाग लिया था, में की गई सिफारिशें सरकार के पास मेरे द्वारा मार्च में प्रश्न पूछने के बाद पहुंची, इसे ध्यान में रखते हुए मेरा यह ख्याल है कि मंत्री महोदय को इस सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि ये सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाएंगी।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, ये सिफारिशें मेरे पास हैं। ये प्रमुख सिफारिशें हैं तथा अगर माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हों तो मैं उन्हें इनकी एक प्रति दे दूंगा। मैं इन्हें पढ़ सकता हूं। नेशनल काउन्सिल आफ पावर यूटीलिटीज द्वारा कार्यवाही के लिए प्रमुख सिफारिशें :—

1. नेशनल काउन्सिल आफ पावर यूटीलिटीज को ताप परियोजनाओं के बारे में तथा यथासम्भव सीमा तक पन-बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में समय और लागत के अनुमान के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करनी चाहिए ताकि देशभर में एकरूपता बनाई रखी जाए।

2. नेशनल काउन्सिल आफ पावर यूटीलिटीज को पावर यूटीलिटीज द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी के स्तर-संवर्द्धन, किस्म नियंत्रण विकासशील परियोजना प्रबन्ध प्रणाली आदि के लिए किए गए अलग-अलग प्रयासों का प्रभावकारी ढंग से समन्वय करना चाहिए।

3. एन०सी०पी०यू०, निर्माण स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करे ताकि विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उन्हें अपेक्षित प्रोत्साहन मिले।

4. एन०सी०पी०यू० उपकरण सप्लायरों, ठेकेदारों के कार्यनिष्पादन, कार्यनिष्पादन समस्याओं, कार्यनिष्पादन अवधि, इंजीनियरी जानकारी, परियोजना लागत आदि के बारे में डाटा बैंक स्थापित करें तथा जानकारी संग्रहण प्रणाली विकसित करें।

5. भारतीय सप्लायरों द्वारा उपकरण, सामग्री की सही सप्लाई न करने के कारण बिजली के उपयोग में आने वाली समस्याओं के संबंध में एन०सी०पी०यू० आवश्यक कार्यवाही करे तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए रचनात्मक समाधान निकाले।

इसके अलावा पावर यूटीलिटीज, राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा भी कुछ कार्यवाही की जाएगी। यह सूची काफी बड़ी है तथा आपके लाभ के लिए, मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इन सिफारिशों की एक प्रति माननीय सदस्य को भेज दें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यद्यपि मैं इस सरकार को बहुत ही अयोग्य मानता हूं लेकिन, मंत्री महोदय काफी योग्य हैं। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य है कि एन०सी०पी०यू० के चेयरमैन श्री टाटा राव ने, माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में, देश में विद्युत के ढांचे के बारे में कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने यूनाइटिड किंगडम के इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई एकक की अंधाधुन्ध नकल की है, विद्युत को समवर्ती सूची में रखना हमारे देश के लिए उचित नहीं है। उन्होंने स्वीकारोक्ति की थी जिस पर मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण देश में समान टैरिफ दरें होनी चाहिएं। और बिजली पारेषण डी०सी० लाइनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सत्य है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : इस प्रश्न के दो पहलू हैं : एक तो यह कि विद्युत समवर्ती सूची में है और इसे यह संघ सूची में होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा था किन्तु मैं यह नहीं जानता कि क्या अब उन्होंने अपने विचारों को बदल लिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके द्वारा निष्कासन की धमकी दिए जाने के बाद…

श्री पी० शिवशंकर : जी नहीं, जी नहीं। निष्कासन का प्रश्न ही कहां है? शायद आप उनकी सेवावधि अथवा उनके कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं जानते। जब अज्ञानता वरदान हो तो बुद्धिमान होना मूर्खता है। यह तो इसका एक पहलू है। उन्होंने ऐसा अवश्य कहा था कि विद्युत को समवर्ती सूची में से निकाल दिया जाना चाहिए तथा उसे संघ सूची में शामिल किया जाना चाहिए। किन्तु, महोदय कुछ समय पहले जब मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय विद्युत मंत्रियों की बैठक कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उसमें मुश्किल से ही इसके समर्थन में कोई बोला था। किन्तु यह एक मुख्य मुद्दा था। ऐसी महत्वपूर्ण बातों को केवल इसी आधार पर नहीं निपटाया जा सकता कि उपयोगिता समिति के चेयरमैन ने अपनी राय ऐसी दी थी।

प्रश्न का दूसरा मुद्दा टैरिफ का है। यद्यपि यह कहा गया था कि टैरिफ दर समान होनी चाहिए—मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि ऐसा होना चाहिए विशेषकर जब यह अन्य राज्यों को वितरित की जाती हो—किन्तु जब व्यवहार का प्रश्न आता है, जो अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं, किन्तु जब यह उनके सामने आता है तो इसका उल्लंघन करते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसे केन्द्रीय सरकार के रूप में क्यों नहीं लागू करते ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : मंत्री महोदय ने सिफारिशों की काफी लम्बी सूची पढ़ी है। उन्हें इसे सभा पटल पर रख देना चाहिए था ताकि हम उन्हें पढ़कर प्रश्न पूछ सकते।

तथापि औद्योगिक और कृषि विकास हेतु ऊर्जा के महत्व को देखते हुए क्या सरकार इन सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित कराने के लिए उत्सुक नहीं है ? दूसरे क्या यह सच है कि परिषद् के चेयरमैन ने यह कहा था कि राज्य सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण पर राज्य बिजली बोर्ड को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए ? इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सरकार सदन के माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत है और विद्युत की स्थिति में यथासम्भव सुधार लाएगी तथा इस विशेष सेमिनार की सिफारिशों के अनुसार सुधार के उपाय अपनाएगी, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दूंगा कि इन पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। इन सभी सिफारिशों पर उनके गुणदोषों अनुसार विचार किया जाएगा। वास्तव में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ऐसा कार्य स्वयं ही करता है और क्योंकि यह निकाय इस विशिष्ट मामले के लिए उत्तरदायी है इसलिए इसे यह कार्य करना ही होगा और यह उसी का कार्य है। यह अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है।

इस सेमिनार की सिफारिशों पर—अन्य संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनारों की तरह ही—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तथा मंत्रालय द्वारा भी विचार किया जा रहा है और हम तत्संगत सिफारिशों को अवश्य ही अपनाएंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रतिपूर्ति के बारे में क्या हुआ ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : जहां तक प्रतिपूर्ति का प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें राज्य सरकार को विश्वास में लेना पड़ता है। हम निश्चय ही ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। किन्तु, इसमें कुछ हानियां होती हैं जो बिजली बोर्ड वहन करता है और एक सुझाव यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप हुई हानि की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह एक ऐसी सिफारिश है जिस पर हम स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें राज्य सरकार के विचारों पर भी विचार करना पड़ेगा और भविष्य में हम इस विशेष मुद्दे पर राज्य सरकार की राय भी लेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप ऐसा कब करेंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हम निश्चय ही इस पर यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं मंत्री महोदय का ध्यान प्रणाली तथा तकनीकी त्रुटियों की जांच करने के लिए नियुक्त उप-समिति के बारे में प्रश्न के भाग (ख) की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विभिन्न ताप बिजली घरों में तकनीकी त्रुटियों का अध्ययन करने हेतु कोई उप-समिति गठित की गई है तथा विभिन्न ताप बिजली घरों में बार-बार बिजली फेल हो जाने के क्या कारण हैं ? क्या ऐसा 'भेल' द्वारा संथालडीही बांदल और तालचेर तथा अन्य बिजली घरों को दोषपूर्ण मशीनें सप्लाई करने के फलस्वरूप नहीं होता ? सेमिनार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए गए हैं और विभिन्न ताप बिजली घरों में बार-बार बिजली चले जाने को रोकने हेतु आप क्या उपचारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रश्न में जिस उप-समिति का उल्लेख किया गया है वह एक अन्य उप-समिति है। जैसा कि मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा था, यह उप-समिति सेमिनार की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए बनाई गई है। किन्तु हम डिजाइन की कमियों को तथा इन बिजली घरों की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। हम 'भेल' को भी पूर्णतया दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें इन उपस्करों का उत्पादन शुरू करना पड़ा। प्रारम्भ के चरणों में कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। किन्तु वे अथक प्रयास कर रहे हैं और वे इन कठिनाइयों को दूर करने में सफल भी रहे हैं। जैसे-जैसे समय गुजरेगा, 'भेल' यूनिटों के कार्यनिष्पादन में निश्चय ही सुधार होगा। अब मैं संथालडीही, बांदल और तालचेर तथा अन्य बिजली घरों के प्रश्न पर आता हूं। इन कमियों का पता लगा लिया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भेल' के बिजली घरों में निरन्तर अन्योन्यक्रिया रही तथा 'भेल' डिजाइन संबंधी कमियों को दूर करने तथा कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के सुझावों को क्रियान्वित कर अन्य कारण भी हैं जिन्हें मैं इस अवसर पर दोहराना नहीं चाहता। किन्तु माननीय सदस्य ने डिजाइन संबंधी जिन कमियों का हवाला दिया है, हम उन्हें पूर्णतः जानते हैं तथा हम उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में बिजली की कमी चल रही है। खास कर गुजरात में बिजली की कमी की वजह से उद्योगों और खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि गुजरात में मुख्यतः थर्मल पावर स्टेशन्स हैं। थर्मल पावर स्टेशन्स में भेल के यंत्रों की कमी की वजह से बिजली की कमी है। सरकार ने बारबार कहा है कि कमेटी के सुझाव आने पर विचार किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसकी राह देखने के बजाय, जो बात हुई है, उस पर विचार करना चाहिए। सरकारी प्रवक्ता ने भी बताया है कि दस सालों में बिजली की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जब तक भेल के अन्दर यंत्र सामग्री बदली नहीं जाएगी, गुजरात सरकार और दूसरी राज्य सरकारों को भी यह महसूस हुआ है कि भेल की यन्त्र सामग्री में कमी है, और बाहर से यन्त्र सामग्री मंगवाने के लिए मांग की गई है। क्या जल्द से जल्द वह इसको दी जाएगी जिससे तुरन्त बिजली की कमी से देश छुटकारा पा सके ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत बे-बुनियाद नहीं है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक भेल के प्लान्ट्स के बारे में उनकी राय है, हमें यह महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा कि भेल ने पिछले अनेक वर्षों में देश के अन्दर बिजली पैदा करने के प्लान्ट्स लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जो माननीय सदस्य कहते हैं

कि हम बाहर से आयात करके प्लान्ट्स मंगवा लें, वह उतना आसान नहीं है, उसके लिए फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर सिन्हा : यह सम्बद्ध पार्टी द्वारा प्रेरक प्रचार है। आप ऐसा क्यों नहीं कहते ?

एक माननीय सदस्य : दूसरी मशीनरी खराब है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारी राष्ट्रीय नीति रही है कि हम सैल्फ रिलायेंस, आत्म-निर्भरता की तरफ जाना चाहते हैं और उसमें कुछ तकलीफ हमें उठानी पड़ती है तो हम खुद अपने पैरों से चलना छोड़कर दूसरे के सहारे से चलें, यह ठीक नहीं है। इसलिए हम भेल को उचित प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कमी है, उनको सहन करते रहें, उसमें तरक्की लाने की कोशिश न करें। जैसा मैंने कहा कि पिछले वर्षों में लगातार तरक्की हुई है और उसका अच्छा अनुकूल प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ा है और उसमें सुधार हुआ है।

उर्वरक उद्योग को राज-सहायता

*230. **श्री भीम सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग को सरकार राज-सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इस उद्योग को कितनी राज-सहायता दी गई है; और

(ग) क्या इस उद्योग को सरकार द्वारा राज-सहायता देना बन्द कर देने की स्थिति में उर्वरकों की दरें बढ़ जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार ने उन उर्वरकों के संबंध में एक प्रतिधारण मूल्य की योजना चलाई है जिनके बिक्री मूल्य कानूनी नियंत्रण में हैं। यदि इन उर्वरकों की बिक्री से कुल वसूली सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रतिधारण मूल्य से कम हो जाती है, तो अन्तर की राशि का सरकार द्वारा उत्पादकों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है।

(ख) स्वदेशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार है :

1980-81	—	170 करोड़ रुपये
1981-82	—	275 करोड़ रुपये
1982-83 (प्रत्याशित)	—	550 करोड़ रुपये

(ग) वर्तमान स्तर पर मूल्यों को नियंत्रित रखने से आर्थिक सहायता को बन्द करने के फलस्वरूप उत्पादकों को बड़ा घाटा होगा।

श्री भीम सिंह : जैसा सरकार ने उत्तर दिया कि फर्टिलाइजर की प्राइस रिटेन करने के लिए हम सबसीडी देते जा रहे हैं। सबसीडी का फिगर हर साल बढ़ता गया है। 1980-81 में यह 170 करोड़ रुपये था, 1981-82 में 275 करोड़ हो गया और 1982-83 में यह 550 करोड़ हो गया। इस सबसीडी के साथ ही साथ यूरिया की प्राइस 72 से 125 रुपये हो गई और सिंगिल सुपर फास्फेट की 35 रुपये से 50 रुपये हो गई। इस तरह से मैन्युफैक्चरर सरकार के खजाने से भी रुपया खींच रहा है और काश्तकार की पाकेट से भी खींच रहा है।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस सबसीडी के लिए यह भी दृष्टिकोण अपनाएंगे कि काश्तकार को भी सरकार की सबसीडी से कुछ राहत मिले और फर्टिलाइजर की कीमतें नीचे आयें? क्या सरकार मैन्युफैक्चरर को ही फायदा पहुंचाना चाहती है या काश्तकार को भी कुछ लाभ देना चाहती है?

श्री वसन्त साठे : मैं माननीय सदन को और सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकारी मूल्य नीति का उद्देश्य यह है कि किसान को भी कुछ स्थिर कीमतें मिलें, और उत्पादन भी देश में फर्टिलाइजर्स का बढ़ता रहे। फर्टिलाइजर्स, जिसमें यूरिया का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, उसकी कीमत 8-6-80 के पहले 1450 रुपये प्रति टन थी जो कि 11-7-81 से 2350 रुपये प्रति टन हो गई यानी यह तकरीबन ...

एक माननीय सदस्य : डबल हो गई।

श्री वसन्त साठे : चलो, डबल ही समझ लो यानी 100 परसेन्ट बढ़ी। अब उत्पादन का खर्चा है, जिसमें जो मूल चीज है और जो बहुत आवश्यक है, वह नैप्था है। उसकी कीमत 756 रुपये प्रति टन थी, जो बढ़कर 1931 रुपये हो गई।...(व्यवधान)...यह गणित है आपका। 756 रुपये से 1931 रुपये हो गई, तो यह भी डबल हो गई।

यूरिया में सबसे ज्यादा उपयोग गैस का होता है और गैस की कीमत 133 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर से बढ़कर 1566 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर हो गई है यानी यह करीबन 10 गुणा बढ़ गई।...(व्यवधान)...जरा सुन लीजिए। हम यह चाहते हैं कि किसानों के लिए यूरिया महंगा न हो। आप भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। सवाल का जवाब देने दीजिए। वह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : क्वेश्चन सीधा है कि जिस परसेन्टेज से आप कारखानों को सबसीडी देते हैं क्या उसी परसेन्टेज से आप किसानों को खाद में सबसीडी देंगे या नहीं?

श्री वसन्त साठे : सबसीडी कैसे मिलती है, यह आपको मालूम नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : खाद सस्ता करके देंगे या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सुनना चाहते हैं या नहीं। आप चिल्लाएंगे, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : आप उत्तर दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

श्री वसन्त साठे : तो फिर चुपचाप रहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये चुपचाप रहेंगे और आप उत्तर देंगे, तो फिर ये क्या करेंगे।

श्री वसंत साठे : सब्सीडी का प्रिंसपिल क्या है। प्रक्टिस क्या है, यह मैं बता रहा हूं। पहले एक दाम तय करते हैं कि इससे ज्यादा महंगा यूरिया किसानों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उससे किसानों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय कर लेती है कि किसानों को इस प्राइस से ज्यादा यूरिया नहीं मिलना चाहिए। यह एक बार तय हुआ। उसके बाद कास्ट आफ प्रोडक्शन पर आते हैं। अब कोई धंधा करने वाला या कोई कारखाना दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि अगर कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उससे सस्ते में वह अपना माल बेचे। वह बेच नहीं सकता। कास्ट आफ प्रोडक्शन यदि 3500 प्रति टन है और यह दाम एक बार तय हो गया और मिनीमम पोस्ट टैक्स प्रोफिट किसी भी उद्योग में तय कर लेते हैं कि 12 परसेन्ट मिले, तो इसे कहते हैं तय मूल्य, जो कि निर्माता को राज-सहायता है। इसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा भी रहे, तो उसको उससे ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिए सही माइनों में यह सब्सीडी जिस दिन आप बन्द कर देंगे, तो फिर यह कहा जाएगा कि ला आफ डिमांड एण्ड सप्लाई के मुताबिक दाम फिक्स कीजिए। तो किसानों के लिए यूरिया बहुत महंगा हो जाएगा, चार हजार रुपये टन से भी दाम ऊपर चला जाएगा जिसको कि किसान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इससे अन्न का उत्पादन भी घट जाएगा। इसलिए यह सब्सीडी जरूरी है। इस सब्सीडी से अल्टीमेटली लाभ किसान का ही होता है। अब मैन्युफैक्चरर को भी आपको चलाए रखना है या नहीं। इसलिए दोनों में बेलेंस रखना है। जिससे उत्पादन भी बढ़े और किसान को भी नुकसान न हो। यह सब्सीडी की बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्या कर रहे हैं ?

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा है—

> "यदि इन उर्वरकों की बिक्री से कुल वसूली सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रतिधारण मूल्य से कम हो जाती है, तो अन्तर की राशि का सरकार द्वारा उत्पादकों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है।"

आपने यह 550 करोड़ रुपये और घटा दिया और मैन्युफैक्चरर को इसकी पूर्ति कर दी। जब उसकी पूर्ति हो गई तो फिर भी क्या यह वाजिब है कि मैन्युफैक्चरर 72 रुपये से 175 रुपये तक यूरिया के दाम बढ़ाता ही रहे ? जब आपने उसकी पूर्ति कर दी तो फिर भी जो प्राइस बढ़ रही

है या मैन्युफैक्चरर बढ़ा रहा है, उसको तो आप रोकिए। क्या आप सब्सीडी दे करके यह व्यवस्था करेंगे कि काश्तकार के लिए भी कीमत नीचे ले आएं जिससे कि उसे कुछ राहत दे सकें ? दोनों हाथों से मत लुटाइए।

श्री वसंत साठे : मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिटेन्शन प्राइस से पूरे घाटे की पूर्ति नहीं होती है, उससे तो केवल 12 परसेंट की पूर्ति होती है। 12 परसेंट आफ पोस्ट टैक्स प्राफिट की ही गारन्टी होती है। बाकी का जो नुकसान होता है वह मैन्युफैक्चरर का पूरा नहीं होता है। इसलिए जो सब्सीडी दी जाती है, उसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक बार तय किया जाता है कि किसी सूरत में भी किसान को इस दाम से ज्यादा में नहीं मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन-सा पैमाना तय किया है कि इससे ज्यादा पर किसान को नहीं मिलेगा ? **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : मैंने बताया कि यूरिया के दाम 2,350 रुपये पर टन 11 मार्च, 1981 के बाद से स्टेबल हैं। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें भी सुधार करना हो तो वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगी, वह मैन्युफैक्चरर नहीं करेगा। इस कीमत को तय करने के बाद फिर वर्क बेक में सब्सीडी तय की जाती है। सब्सीडी इस तरह से दी जाती है जिससे कि उत्पादन भी बना रहे और सब्सीडी देने से नुकसान भी न हो। सब्सीडी का यह उद्देश्य होता है कि मैन्युफैक्चरर का उत्पादन भी बना रहे और किसान का नुकसान भी न हो।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने यूरिया का भाव 108 रुपये बोरा से घटाकर 70 रुपये टन किया था। 38 रुपये दाम घटाये थे। आपकी सरकार जो कि किसानों के लिए खून देने वाली सरकार है, जब से वह आयी है तब से भाव बढ़ करके 125 रुपये बोरा पर चला गया है। आप सब्सीडी देते हैं या नहीं देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि किसान को सस्ती दर पर खाद मिले, 70 रुपये की दर से किसान को खाद मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जनता पार्टी की जब सरकार थी तो खाद का दाम घटाया था और खाद का उत्पादन भी घटाया था। गन्ने के दाम··· **(व्यवधान)** जनता पार्टी के राज में गन्ने जैसी चीज···। **(व्यवधान)** गन्ना जलाया गया। उससे शायद ये खाद बनाने की कोशिश कर रहे थे।

श्री मधु दण्डवते : 23 प्रतिशत कंजम्शन बढ़ गया था खाद का। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : खाद के लिए काम में आने वाले इनपुट्स की कीमत बढ़ गई है। **(व्यवधान)**

चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। **(व्यवधान)**

आप ताने लगाते हैं, नोक-झोंक करते हैं, लेकिन जब उल्टा पड़ता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं। इस तरह से कैसे काम होगा ? (व्यवधान) 1000 क्यूबिक मीटर गैस की कीमत 133 रुपये जनता पार्टी के राज में थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। उनको जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यूरिया के उत्पादन के लिए गैस मेन इनपुट है। जब इनको यह चीज मालूम ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको जवाब देने दीजिए। इस तरह से तो आप बीच में सब गड़बड़ किए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सत्यसाधन जी पहले उनके सवाल का जवाब तो आने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं ? उनका जवाब आने दीजिए। उनको कुछ बोलने तो दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब गैस का मूल्य 133 रु० प्रति हजार क्यूबिक मीटर था जो 1982 में बढ़कर 1566 रु० प्रति हजार क्यूबिक मीटर हो गया—निवेश मूल्य में दस गुणा वृद्धि।

अध्यक्ष महोदय : उनको जवाब तो देने दीजिए। जब इनपुट्स की कीमत बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा ही। पहले जवाब तो देने दीजिए। गलत है तो देखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलत-सही कोई जवाब तो आने दीजिए, बाकी बात तो बाद में देखेंगे। समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने 70 से बढ़ाकर 125 कर दिया***।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें गलत ही होने दो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते तो मैं क्या करूं ? वह कारण बता रहे हैं। आप निरन्तर व्यवधान डाल रहे हैं।

आप जवाब ही नहीं आने देते। आप ही बोलते रहिए, उनको जवाब मत देने दीजिए। बड़े शर्म की बात है।

श्री वसंत साठे : जो भी सरकार होगी लागत अवश्य ही निर्धारित करेगी। आपको या तो किसान को राजसहायता देनी होगी या उत्पादन पर राजसहायता देनी होगी या गैस के उत्पादन पर राजसहायता देनी होगी। एक स्तर पर तो आपको राजसहायता देनी ही होगी। राजसहायता को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है ताकि खाद्यानों के उत्पादक प्रभावित न हों और उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि होती रहे। इसी सन्तुलन पर राजसहायता के सिद्धान्त का प्रयास किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बम्बई हाई के लिए वर्क ओवर रिगों की खरीद का प्रस्ताव

*224. **श्री जी० वाई० कृष्ण** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई हाई के कुओं की मरम्मत करने के लिए दो "वर्क ओवर रिग" खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय बाजार में शिथिलता है;

(ग) यदि हां, तो इनकी लागत और उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बम्बई हाई के तथा अन्य स्थानों के उन कुओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है और ये कुएं कब से रुग्ण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। बम्बई हाई में मरम्मत कार्य संचालनों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का दो आत्मदीय जैक-अप रिगों की खरीद के लिए प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक वर्क-ओवर जैक-अप रिग की खरीद के लिए 34 मिलियन अमरीकी डालर से 67 मिलियन अमरीकी डालर की श्रेणी में वर्तमान मूल्य बताए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खरीदे जाने वाले प्रस्तावित जैक-अप मुख्य रूप से मरम्मत कार्य संचालनों के लिए हैं परन्तु उनका उपयोग विकास कूपों की खुदाई के लिए किया जा सकता है।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा फरवरी, 1983 तक बम्बई हाई तथा रत्ना क्षेत्र में खोदे गए कुल 107 तेल उत्पादक कूपों में से, 21 कूप ऐसे हैं कि उनमें मरम्मत कार्य संचालनों की आवश्यकता है।

पाकिस्तानी फिल्मों का आयात

***226. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पाकिस्तानी फिल्मों का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर लगी रोक हटाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच फिल्मों और फिल्मी कलाकारों के आदान-प्रदान का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) यद्यपि पाकिस्तानी फिल्मों के आयात के संबंध में कोई संकोच नहीं है, इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पाकिस्तान के साथ फिल्मों का व्यापार शुरू करने के लिए इच्छुक है। अप्रैल, 1982 में कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे थे कि पाकिस्तान भारत सरकार के साथ फीचर फिल्मों के बारे में वाणिज्यिक आधार पर आदान-प्रदान व्यवस्था शुरू करने के लिए इच्छुक है। इसको देखते हुए, भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इस प्रकार के व्यापार के बारे में बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लिखा था। तथापि, न तो उस पत्र का कोई उत्तर मिला है और न ही पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर मौजूदा प्रतिबन्ध को हटाया गया है।

तथापि, 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1983 तक नई दिल्ली में हुए भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तीन सदस्यीय फिल्म प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया था। समारोह के सूचना और बाजार विभाग में पाकिस्तान की तीन फिल्में भी शामिल हुई थीं।

मथुरा-दिल्ली, दिल्ली-अम्बाला और अम्बाला-जालंधर पाइपलाइनों को पूरा करना

*227. श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा-दिल्ली, दिल्ली-अम्बाला और अम्बाला-जालंधर डिवीजन पाइपलाइनों का कार्य पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक डिवीजन पाइपलाइन बिछाने पर कितना खर्च आया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) मथुरा-दिल्ली-अम्बाला-जालंधर उत्पाद पाइपलाइन पहले ही चालू हो गयी है। प्रत्येक खण्ड में पाईपलाईन को बिछाने में अभी तक हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

	रुपये/करोड़
(1) मथुरा—दिल्ली खण्ड	13.76
(2) दिल्ली—अम्बाला खण्ड	16.39
(3) अम्बाला—जालंधर खण्ड	13.28
योग :	43.43

धूलिया में टेलीफोन कारखाना

*231. श्री रेशमा मोतीराम भोये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के धूलिया जिले में एक टेलीफोन कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कारखाना कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) स्विच बोर्ड प्लग और स्विच बोर्ड कार्डेज के विनिर्माण के लिए धूलिया में डाक तार बोर्ड के अधीन दूरसंचार फैक्टरियों की एक नई छोटी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी यह प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है और तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार किया जा रहा है; अतः इस फैक्टरी के चालू होने के बारे में अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(घ) इस समय इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्पनी की समापन-कार्यवाही में श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना

*232. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऋणदाता और अंशदाता कम्पनी को समापन कार्यवाही में सुनवाई के हकदार हैं और श्रमिकों की सुनवाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उत्पादन में श्रमिकों के भारी योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मौजूदा कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जबकि कम्पनी अधिनियम में, न्यायालय के समक्ष परिसमापन कार्यवाहियों में श्रमिकों की सुनवाई के अधिकार प्रदान करते हुए कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है, तथापि, 'कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 34 में साथ-साथ प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो परिसमापन याचिका में सहायता अथवा इसका विरोध प्रकट करने का विचार रखता हो, उसमें विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऐसा कर सकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय किए गए मामले में धारित किया है कि ऊपर कथित नियम में उपधारित है कि ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं के आलावा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो परिसमापन कार्यवाहियों की सुनवाई में उपस्थित होने के अधिकारी होते हैं, इस प्रकार से श्रमिक इस प्रकार की कार्यवाहियों में सुनवाई किये जाने के अधिकारी हैं ।

(ख) तथा (ग) : नहीं, श्रीमान् जी, क्योंकि ऊपर (क) की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

उड़ीसा में नए रेडियो स्टेशन

*233. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से, छठी योजना के दौरान राज्य में नए रेडियो स्टेशन खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच की है और सरकार के आश्वासन से राज्य को अवगत करा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य में छठी योजना की समाप्ति से पूर्व नए रेडियो स्टेशन खोलने के लिए किन किन स्थानों का चयन किया गया है और इस दिशा में अब तक उनके मंत्रालय द्वारा पहले ही क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि 5 नए केन्द्र खोले जाने चाहिए।

(ग) जी, हां

(घ) क्योंझर में नया केन्द्र स्थापित करने संबंधी स्कीम को छटी योजना में शामिल करना सम्भव पाया गया था। इस स्कीम को मंजूर कर दिया गया है। नए केन्द्र के चालू योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

ताप बिजली घर, कोटा

*234. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ताप बिजली घर, कोटा (राजस्थान) को कब तक पूरा हो जाना चाहिए था और उसे बिजली पैदा करना आरम्भ कर देना चाहिए था; और

(ख) मूलतः प्राक्कलित लागत की तुलना में उस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) परियोजना की स्वीकृति देते समय कोटा ताप विद्युत केन्द्र की दो यूनिटों को चालू करने की निर्धारित तारीखें मार्च, 1981 और सितम्बर, 1981 थी जब छठी योजना तैयार की गई थी, उस समय इन तारीखों को संशोधित करके सितम्बर, 1981 और अप्रैल, 1982 कर दिया था। पहली यूनिट जनवरी, 1983 में चालू की गई, और दूसरी यूनिट जुलाई, 1983 में चालू किए जाने की आशा है।

(ख) परियोजना की मूल अनुमानित लागत लगभग 81.60 रुपये थी और राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अद्यतन संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 143.04 करोड़ रुपये है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग, रायबरेली

*235. **श्री रशीद मसूद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग, रायबरेली में अनिश्चित काल के लिए तालाबन्दी घोषित कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को उत्पादन में कितनी हानि हो रही है तथा मजूरी-खर्च आदि पर कितना खर्च हो रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रायबरेली एकक में 10-2-1983 से श्रमिक असंतोष, शहर की एक दुकान से चोरी के आरोप में, दिनांक 7-2-1983 को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एक श्रमिक की पत्नी सहित 3 महिलाओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप शुरू हुआ। रायबरेली और उसके आसपास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही जनवरी, 1983 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर रखी थी और यह धारा तब लागू थी। दिनांक 11-2-1983 को कुछ कर्मचारियों ने शहर में लगी धारा 144 का उल्लंघन किया और वे हिंसा पर उतारू हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोली चलाई। कुछ कर्मचारी गोली लगने से जख्मी हुए और एक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अन्य कई कर्मचारियों को चोटें आईं। लगभग 70 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कम्पनी की दो बसों, अधिकारियों की दो निजी कारों को नुकसान पहुंचा। इमारत की खिड़कियों के शीशों को तोड़ा गया।

यह जानकारी भी मिली है कि कर्मचारियों के एक वर्ग ने कारखाने के प्रशासनिक कार्यालय में कोष कक्ष की रक्षा के लिए तैनात एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड पर हमला किया। कर्मचारियों ने सुरक्षा गार्ड से बन्दूक छीन ली और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस पर हमला किया जिससे उसे कई चोटें आईं। यह भी सूचित किया कि सुरक्षा गार्ड की बन्दूक के दो कारतूस गुम हैं।

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रबन्धकों ने 12-2-1983 को 6.00 बजे सुबह से तालाबन्दी की घोषणा कर दी। तालाबन्दी दिनांक 17-2-1983 को 6.00 बजे सुबह से समाप्त कर दी गई। स्थिति अब सामान्य बताई जाती है।

तालाबन्दी के कारण उत्पादन की दृष्टि से लगभग 50 लाख रुपयों की हानि हुई। कर्मचारियों को तालाबन्दी की अवधि का वेतन प्राप्त करने का हक नहीं है।

उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम मजूरी की अदायगी के बारे में निर्णय

***236. श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने विगत 18 सितम्बर को निर्णय दिया था कि न्यूनतम मजूरी से कम अदायगी पर काम लेना अथवा सेवाएं प्राप्त करना संविधान में गारंटीकृत मूल अधिकारों का उल्लंघन है;

(ख) इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या श्रम अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है कि उनके क्षेत्रों में श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजूरी से कम मजूरी की अदायगी न हो, यदि हां, तो किस स्तर तक कहा गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देश संबंधित प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाए जाएं कि श्रम कानूनों के उपबंधों को कड़ाई से लागू किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ दाण्डिक उपबंधों को और कड़ा बनाया जा सके।

बीरभूम, पश्चिम बंगाल में कोयले के भण्डार

*237. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले के भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की मात्रा कितनी है और वे कहां मिले हैं;

(ग) क्या वहां एक सुपर ताप संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या तत्संबंधी कार्य शुरू हो गया है; और

(ङ) उक्त संयंत्र कब तक पूरा हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) आरम्भिक जांच से बीरभूम जिले के करता, जयदेव-खागरा और देवनगंज-हरिसिंह क्षेत्रों में 840 मिलियन टन के सम्भावित भण्डारों का पता चला है। भण्डारों की विश्वसनीय मात्रा के निर्धारण के लिए अभी और विस्तृत समन्वेषण किया जाना है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक ताप बिजली घर स्थापित किया जाए। परियोजना की साध्यता अभी स्थापित नहीं की गई है।

कच्चे तेल का आयात

*238. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 फरवरी, 1983 के कलकत्ता के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित

मैक्सिको नगर से प्राप्त इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बैंक रिपोर्ट एजेंसियों के अनुसार भारत सहित तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को आगामी तीन वर्षों में ऊर्जा के मूल्यों में भारी वृद्धि का सामना करना होगा;

(ख) क्या खाड़ी के कुछ देशों ने निर्यातकर्ता समूह के अन्य सदस्यों द्वारा दी जाने वाली रियायत से प्रतियोगिता करने के लिए ओ० पी० ई० सी० के घोषित मूल्यों से कम मूल्य पर तेल बेचना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत किस प्रकार अपने तेल का भंडार बनायेगा और "स्पाट" खरीद करेगा तथा इस प्रकार निर्यात से होने वाली अपनी आय को बचायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी प्रेस रिपोर्ट आयी हैं कि हाल ही में खाड़ी के कुछ राज्यों ने स्थल बाजार में कुछ छूटें दी हैं।

सरकार की यह नीति रही है कि अपरिष्कृत तेल के आयात की व्यवस्था तेल निर्यातक देशों की राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सरकारी मूल्यों पर मियादी ठेकों के जिरये की जाए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चाहे विश्व बाजार में अपरिष्कृत तेल की कमी भी क्यों न हो जाए जैसी कि कई अवसरों पर स्थिति रही फिर भी तेल की सप्लाई उचित रूप से सुरक्षित रूप से होती रहे। कुल मिलाकर यह व्यवस्था लाभकर भी सिद्ध हुई है क्योंकि कई बार स्थल बाजार मूल्य सरकारी बिक्री मूल्यों से अधिक रहे हैं।

अपरिष्कृत तेल के देश में भण्डारण की क्षमता भीं बढ़ायी जा रही है।

कम हो रही प्राकृतिक ऊर्जा

*239. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधनों के निरन्तर कम होते जाने से उत्पन्न चुनौती का सामना करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किये गये निर्णयों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा संबंधी निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं :—

1. पारम्परिक ऊर्जा के घरेलू स्रोतों को अधिक काम में लाना।
2. तेल की मांग पर नियंत्रण करना।
3. ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करना।
4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना।

पारम्परिक ऊर्जा के घटते हुए स्रोतों से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने में उपर्युक्त (2), (3) और (4) कार्यक्रम सहायता करते हैं। इस संबंध में किए गए निर्णय और कार्रवाइयों का सारांश इस प्रकार है :

(1) तेल की मांग पर नियंत्रण करना।

(2) तेल की बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) रेल संकर्षण में डीजल की खपत को कम करने के लिए रेलवे बिजलीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना।

(ख) लम्बी दूरी के यातायात के लिए सड़क परिवहन की बजाए रेलवे पर अधिक बल देना।

(ग) नए प्रयोज्यता विद्युत स्टेशनों में प्राथमिक ईंधन के रूप में तेल और गैस का इस्तेमाल करना।

(घ) पेट्रोल में बने पदार्थों के लिए विवेकपूर्ण मूल्यनीति अपनाना।

(ङ) भोजन बनाने के लिए उच्च कार्य क्षमता वाले स्टोवों का विकास करना और इनका विपणन।

(च) उद्योग में काम में लाए जा रहे अक्षम बायलरों को बदलने की योजना बनाना।

(छ) ईंधन की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए परिवहन मंत्रालय, मल्टी-एक्सेलड हैवी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां बढ़ाने, टूबो चार्ज में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

2-ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करना

तेल संरक्षण के लिए उठाए गए उपर्युक्त उपायों के अलावा ऊर्जा की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो और उपाय किए गए हैं वह इस प्रकार हैं :—

(क) बिजली तथा तापीय प्रोसेस एक साथ उत्पन्न करना सम्भव है। इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) कई राज्यों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पम्प सैटों की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) लकड़ी जलाकर काम में लाने वाले घरेलू स्टोवों के परिरूप में सुधार लाया जा रहा है।

(घ) बिजली के उत्पादन और वितरण में प्रयोग में आने वाली ऊर्जा के अनुपात में कमी लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) बिजली का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों, क्षेत्रीय ग्रिडज को सुदृढ़ करने और संयुक्त क्षेत्रों के लिए हाई वोल्टेज ट्रासमिसन लाईन बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(च) ऊर्जा बचत युक्तियों को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(छ) उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर विचार करने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा एक अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल गठित किया गया है।

(ज) शक्ति विभाग द्वारा विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए एक स्थायी दल स्थापित किया गया है।

3-ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

छठीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा वन खण्ड और जैव गैस के कार्यक्रमों को व्यापक रूप से शुरू किया गया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का एक आयोग और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का एक विभाग सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन तेज किए जा रहे हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में भी अनुसंधान और विकास के कार्य तेज किए जा रहे हैं।

4-ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड

ऊर्जा पर एक सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो प्रधान मंत्री को इस संबंध में किए गए कार्यों की रिपोर्ट देगा और ऊर्जा की स्थिति की समीक्षा करेगा और एकीकृत और समन्वित आधार पर भावी ऊर्जा सम्बन्धी नीति बनाने के लिए यह बोर्ड सुझाव देगा।

धानेज में तेल की चोरी

*240. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 जनवरी, 1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में "डेयरिंग आयल थेफ्ट विद इन गुजरात" शीर्षक से प्रकाशित धानेज में चोरी हुए तेल के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) तेल की चोरी के लिए अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या तेल की चोरी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ व्यक्तियों का भी हाथ है; और

(ङ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.12.1982 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात राज्य में दानेज गांव के एक भू-स्वामी से सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी भूमि से गुजरने वाली पाइपलाइन में से तेल रिस रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अहमदाबाद प्रायोजना के प्राधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे तथा पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच के पश्चात् उन्होंने छिद्रित पाइपलाइन की मरम्मत कर दी, तथा 1-1-1983 तक इसे पुनः शुरू कर दिया गया। घटनास्थल पर कई औजार बरामद हुए थे। तद्नुसार, दिनांक 1-1-1983 को कालोल पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज की गयी थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) अभी तक कालोल पुलिस स्टेशन से इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है।

(घ) इस मामले में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के किसी कर्मचारी के शामिल होने की सम्भावना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली घरों में हो रही कोयले के स्टाक की कमी

*241. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति विद्युत विभाग के लिए चिंताजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सारे देश में विद्युत यूनिटों के पास दिसम्बर, 1982 के अन्त तक का कोयला भंडार एक दिन से लेकर अधिकतम 14 दिनों तक ही था;

(ग) कोयले के भंडार में तेजी से कमी होने के क्या मुख्य कारण थे;

(घ) इस स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(ङ) क्या 1983 में स्थिति में और सुधार होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) अप्रैल से दिसम्बर, 1982 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की प्राप्ति तथा खपत की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निम्नानुसार है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

	अप्रैल, 81— दिसम्बर 81	अप्रैल, 82 दिसम्बर, 82	वृद्धि
प्राप्ति	32.47	36.63	12.80%
खपत	31.69	36.60	15.5%

दिसम्बर, 1982 के अन्त तक सारे देश में विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डार एक दिन से लेकर 55 दिन तक अलग-अलग थे। यद्यपि कुछ विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डार की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि अन्य विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डारों में कमी हुई है। भण्डारों में कमी मुख्य रूप से ताप विद्युत केन्द्रों/की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की ढुलाई में आने वाली बाधाओं के कारण हुई है।

विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की रेलवे और अन्य संबंधितो के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। फरवरी, 1983 में विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डारों की समग्र स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। आगामी महीनों के दौरान स्थिति में और सुधार होने की सम्भावना है।

स्वदेशी पोलिटेक्स लि० के विरुद्ध शिकायतें

*242. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वदेशी पोलिटेक्स लि० विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी अधिनियम की विभिन्न व्यतिक्रमों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कंपनी, इसके निदेशक तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) से (घ) कम्पनी अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन के आरोपों और उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख करता हुआ, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आरोप	की गई कार्यवाही का ब्यौरा
1. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बगैर मै० स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड में जयपुरियाओं द्वारा शेयरों का अर्जन 2. उत्पादन और बिक्री की अप्राप्ति को छिपाना 3. कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के व्यक्तिगत यात्रा के व्ययों को लेना	मामले की परीक्षा की जा रही है और जो भी कार्यवाही जरूरी हुई, की जाएगी।

आरोप	की गई कार्यवाही का ब्यौरा
4. कम्पनी के शेयरों को खरीद के लिए कतिपय न्यासों में अग्रिम निधियों को देना	यह आरोप कम्पनी विधि बोर्ड जो अर्धन्यायिक संस्था है, के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाहियों का भाग बना और यह विचार मान्य किया कि इससे कम्पनी अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन नहीं माना गया।
5. प्रबन्ध निदेशक को कतिपय अधिक परिलब्धियों का प्रावधान	यह आरोप भी उपरोक्त धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाहियों का भाग बना और कम्पनी विधि बोर्ड को सूचना में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं आया।

सागर विकास में लगी आग की जांच

*243. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सागर विकास" के तेल के कुएं में 30 जुलाई को लगी आग की जांच करने के लिए कोई जांच निकाय नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं जो इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं;

(ग) सागर विकास परियोजना का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ,तथा (जी० आई० सी० सामान्य बीमा निगम) की सहायक कम्पनियों में कुल कितनी राशि का बीमा कराया गया था और क्या इस "पैकेज" में आग पर काबू पाने तथा कूएं का मुंह बन्द करने की लागत शामिल थी; इसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बीमा की जोखिम का अन्य विदेशी बीमा कम्पनियों में पुन: बीमा कराया गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :—

1. श्री एस० एन० तालुकदार, एम० ए० (भूगर्भ विज्ञान)/एम० एस० सी०) आनर्स, सदस्य) अन्वेषण)।

2. श्री जी० सी० रघुवीर, एम० ए०, समूह महाप्रबन्धक (वित्त तथा लेखे)

3. श्री आर० के० धीर, बी० एस० सी० (यांत्रिक इंजीनियर), महाप्रबन्धक (जनशक्ति विकास)

4. श्री एस० एन० सरीन, बी० एस०सी०, बी० इ० (यांत्रिक), निदेशक, व्यधन प्रौद्योगिक संस्थान

5. श्री जे० एस० मिश्र, एम०एस० सी० (भूगर्भ विज्ञान)/एम० एस० सी० (भूभौतिकीय) संयुक्त सलाहकार (पेट्रोलियम), योजना आयोग

6. श्री बी० बी० शर्मा, बी० एस० सी०/बी० इ० (यांत्रिक), उप—मुख्य व्यधन इंजीनियर, आयल लिमिटेड

समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय थे :—

(क) धमाके से पूर्व जबकि कूप का व्यधन किया जा रहा था, की परिस्थितियों की जांच करना तथा उन परिस्थितियों तथा कारणों की जांच करना जिनके कारण वास्तव में धमाका हुआ था;

(ख) क्या इस कूप के सम्बन्ध में आवश्यक एहतियाती उपाय किये गये थे, जो कि ऐसे व्यधन कार्य संचायनों में सामान्यत: लेने आवश्यक होते हैं;

(ग) धमाके के तुरन्त बाद तथा इसके पश्चात की गयी कार्यवाही किस सीमा तक धमाके से उत्पन्न स्थिति का सामने के लिए पर्याप्त थी;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निरोधक/दोष निवारक कार्यवाही के लिए समिति की अनुसंशाएं तथा इसमें 10 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना को ध्यान में रखते हुए ऐसी आकस्मिकताओं का सामना करने के लिये आवश्यक सुविधाओं/उपकरणों की व्यवस्था भी शामिल है।

(ग) और (घ) : सागर विकास का बीमा मैसर्स यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कराया गया था जिसने लन्दन के बाजार में इसका पुनः बीमा अनेक लायड्स बीमाकर्ताओं तथा बीमा कम्पनियों द्वारा कराया था। इस पैकेज बीमा पालिसी में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) सागर विकास रिग की हानि।

(क) कुल हानि/कुल रचनात्मक हानि के मामले में—50 मिलियन अमरीकी डालर जिसमें से 0.25 मिलियन अमरीकी डालर कम किया गया हो।

(ख) आंशिक हानि के मामले में—40 मिलियन अमरीकी डालर जिसमें से 0.25 मिलियन अमरीकी डालर को कम किया गया हो।

(2) एस० जे० प्लेटफार्म की हानि—कुल हानि के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर, आंशिक हानि के लिए 11.2 मिलियन अमरीकी डालर

(3) नियंत्रण करने की लागत (धमाका होने तथा कूप को बंद करने सहित)—15 मिलियन अमरीकी डालर

(4) एक एवजी कूप के व्यधन की लागत तथा किसी अन्य कूप की हुई हानि—5 मिलियन अमरीकी डालर

(5) निस्पन्दन, प्रदूषण तथा साफ करने के व्यय—10 मिलियन अमरीकी डालर

(6) बिना किसी सीमा सहित वास्तविक रूप में मलबा हटाने की लागत बशर्ते कि बीमाकृत ऐसी लागतें वहन करेगा।

घमाके को नियन्त्रण करने तथा कूप को बंद करने की लागत उपर्युक्त (3) में शामिल हैं।

बम्बई हाई की सुरक्षा

*244. डा० ए० यू० आजमी :

श्री आर० एन० राकेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई की सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है क्योंकि सागर विकास से कुछ ही मील की दूरी पर तस्कर डम्प स्थानों का निरन्तर उपयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई हाई की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) बम्बई हाई में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिष्ठानों की देखभाल तटरक्षक और रक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही है। (इस सम्बन्ध में उठाए गए विस्तृत उपायों को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा)।

दरभंगा प्रसारण केन्द्र की क्षमता में वृद्धि

2548. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दरभंगा प्रसारण केन्द्र की क्षमता में वृद्धि के बारे में 19-10-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दरभंगा प्रसारण केन्द्र का उद्घाटन करते समय तत्कालीन मंत्री ने इस सदन में यह उत्तर दिया था कि बाद में प्रसारण क्षमता बढ़ाकर 100 कि० वा० कर दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तब से कितनी क्षमता और कितने ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और भेदभाव करने के लिए मिथिला (दरभंगा) केन्द्र को ही इससे क्यों वंचित रखा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 7 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के पूरक प्रश्न के उत्तर में, सदन को यह सूचित किया गया था कि दरभंगा के ट्रांसमीटर की क्षमता 10 किलोवाट मीडियम वेव है और यह कि जब और अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तब इस ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इससे सदन को 25 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के लिखित उत्तर में भी सूचित कर दिया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन स्थानों के नाम दिए गए हैं, जहां पर 2 फरवरी, 1976 के बाद ट्रांसमीटर लगाए गए हैं।

यह कहना सही नहीं है कि दरभंगा केन्द्र के बारे में भेदभाव किया गया है। बिहार राज्य में 85 प्रतिशत क्षेत्र और 91 प्रतिशत जनसंख्या को आकाशवाणी की सेवा उपलब्ध है। ये आंकड़े कुछ अन्य राज्य के आंकड़ों और राष्ट्रीय आंकड़ों से भी अधिक हैं।

इसके अलावा, ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने या नए केन्द्र खोलने के मामले में मानदण्ड यह है कि इस समय जिन क्षेत्रों में आकाशवाणी की सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें यह सेवा उपलब्ध की जाए। इसलिए इस प्रकार की स्कीमों को अनिवार्य रूप से परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में कार्यान्वित किया जाना होगा।

पटना के ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करने का प्रस्ताव है और यह दरभंगा क्षेत्र को भी कवर करेगा।

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर की क्षमता	चालू होने की तारीख
1.	रोहतक	20 किलोवाट मीडियम वेव	8-5-1976
2.	नागपुर	100 किलोवाट मीडियम वेव	6-6-1976
3.	इन्दौर	100 किलोवाट मीडियम वेव	6-6-1976
4.	छतरपुर	20 किलोवाट मीडियम वेव	7-8-1976
5.	विशाखापत्तनम	100 किलोवाट मीडियम वेव	29-8-1976
6.	औरंगाबाद	1 किलोवाट मीडियम वेव	19-9-1976
7.	बड़ौदा	1 किलोवाट मीडियम वेव	13-11-1976
8.	मंगलौर/उदीपी	1 किलोवाट मीडियम वेव	11-12-1976
9.	अम्बिकापुर	20 किलोवाट मीडियम वेव	26-12-1976
10.	जलगांव	20 किलोवाट मीडियम वेव	16-10-1976
11.	रत्नगिरि	20 किलोवाट मीडियम वेव	30-1-1977

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर की क्षमता	चालू होने की तारीख
12.	जगदलपुर	20 किलोवाट मीडियम वेव	22-1-1977
13.	रीवा	20 किलोवाट मीडियम वेव	2-10-1977
14.	नजीबाबाद	100 किलोवाट मीडियम वेव	27-1-1976
15.	ऐजवाल	20 किलोवाट मीडियम वेव	30-9-1979
16.	सूरतगढ़	10 किलोवाट मीडियम वेव	22-2-1981
17.	श्रीनगर	2×100 किलोवाट मीडियम वेव	6-10-1981
18.	गंगतोक	10 किलोवाट मीडियम वेव	1-10-1982

सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2549. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कम्पनियों के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त करते समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की स्थानीय फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) बिहार से बाहरी उन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार की सरकारी कम्पनियों के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया, उन कम्पनियों के भी क्या नाम हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनी के लेखा-परीक्षक को भारत के नियंत्रक एवं लेखा-परीक्षक के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। अनुभव की उपलब्धता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्मों की विशेषज्ञता और जनशक्ति तथा सरकारी कम्पनी के आकार, जिनकी लेखा-परीक्षा की जानी है, पर निर्भर करते हुए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की स्थानीय फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1980, 1981 और 1982 की अवधि में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की फर्मों, जिनको सरकारी कम्पनियों के लिए बिहार के बाहर लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार में थे, के नामों को संलग्न विवरण में दिया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6089/83]

देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एडवोकेटों की संख्या

2550. **श्री राम विलास पासवान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न न्यायालयों में एडवोकेटों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एडवोकेटों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं की कुल संख्या 2,38,471 है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

दिल्ली में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा खानों में सुरक्षा नियमों का लागू न किया जाना

2551. **श्री पियूष तिरकी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के नियंत्रण में आने वाली खानों में अपनी खानों में कार्य के लिए सुरक्षा नियम लागू नहीं किए हैं; और

(ख) वर्ष 1982 में खानों की दुर्घटनाओं में माह-वार कितने श्रमिक मरे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) इस सम्बन्ध में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 1983 को लोक सभा में दिए गए स्वप्रेरणा वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान जिन महीनों में दुर्घटनाएं हुईं उनके बारे में तथा मारे गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

फरवरी	—	1
मई	—	4
जुलाई	—	1
अक्तूबर	—	1

शीरा का निर्यात

2552. **श्री जैनुल बशर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा लगभग एक करोड़ क्विंटल शीरे का उत्पादन किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से 25 लाख क्विंटल शीरे तथा 50 लाख टन अल्कोहल का निर्यात करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसका विचार उक्त निर्यात व्यापार को किस प्रकार करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) 19-1-1983 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में यह अनुमान लगाया गया था कि चालू अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर, 1982 से नवम्बर, 1983) के दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में शीरे का उत्पादन एक करोड़ क्विंटल होगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 लाख क्विंटल शीरे और 67 लाख लिटर अल्कोहल के निर्यात की अनुमति मांगी थी ।

(ग) उत्पादन और मांग की स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2.8 लाख टन शीरे के क्रमिक ढंग से और 50 लाख लिटर अल्कोहल के, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है ।

नक्शानवीसों के तदर्थ पदों को नियमित करना

2553. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान नक्शानवीस के पद के लिए भर्ती नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन निदेशालय में गत तीन वर्षों के दौरान नक्शानवीस, प्रधान नक्शानवीस के पदों पर कितनी तदर्थ पदोन्नति की गई है; और

(घ) इन मामलों में अभी भी नियमित पदोन्नतियां न करने का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आकाशवाणी में इस ग्रेड में कोई पद नहीं है । दूरदर्शन में, 1 पद मौजूद है जिसके लिए भर्ती नियम अभी नहीं बनाए गए हैं । उस पद को सबसे वरिष्ठ विभागीय ड्राफ्टमैन ग्रेड-1 की नियुक्ति करके भरा गया है ।

(ग) 1981 में इस प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं की गई थी, 1 पदोन्नति 1980 में और 4 पदोन्नतियां 1982 में की गई थीं । ये सभी ड्राफ्ट्समैन ग्रेड में की गई थीं ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित 5 पदोन्नतियों में से, 1980 वाले मामले को नियमित कर दिया गया है । शेष पदोन्नतियां केवल अल्प अवधि वाले अस्थायी पदों पर ही की गई हैं, उनका नियमन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस प्रकार के पद जारी रहेंगे ।

1982-83 के दौरान कम्पनियों का पंजीकरण

2554. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत एक वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1983 तक कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत की गईं; गत पांच वर्षों के लिए पंजीकृत के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी कम्पनियों को राज्य-वार आशय-पत्र प्राप्त हुए और गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1-4-1982 से 31-1-1983 तक के गत दस महीनों तथा साथ ही गत पांच वर्षों, यथा, 1977-78 से 1981-82 के मध्य पंजीकृत हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की वर्ष-अनुसार तथा राज्य-अनुसार संख्या संलग्न विवरण-1 में प्रदर्शित है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6090/83]

(ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजी गई, गत पांच वर्षों, यथा 1978 से 1982 तथा साथ ही जनवरी, 1983 तक के दौरान प्रेषित आशय-पत्रों की बाबत वर्ष-अनुसार तथा राज्य-अनुसार, सूचना, संलग्न विवरण-2 में प्रदर्शित है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6090/83]

स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही

2556. श्री नाथूराम मिर्धा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हाल में किए गए निरीक्षण में पाए गए कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के विविध उल्लंघनों के लिए स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट से प्राप्त उपलब्धियां कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन हैं, एवं इन पर यथा आवश्यक समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

बिहार में राजमहल में कोयला

2557. श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र को कोयले का भारी गुप्त खजाना प्रदान करके बिहार के राजमहल ने भारत के कोयले के नक्शे में अपना स्थान बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अनुमानतः कितना कोयला है; और

(ग) क्या कोयला निकालने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राजमहल कोयला क्षेत्र में कोयले का कुल भण्डार 4284 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) कोयला खनन हुरा कोलफील्ड के लालमटिया और चापरभीटा कोलफील्ड में सिमलोंग क्षेत्र में चल रहा है। हुरा कोलफील्ड में एक बड़ी ओपेनकास्ट खान खोलने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

2558. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1982 के दौरान गुजरात में कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी दी, उनके लिए कितनी निधियों का नियतन दिया गया और उन योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांव आए;

(ख) गुजरात के शेष गांवों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाने हेतु वर्ष 1983 के दौरान कितनी योजनाओं को मंजूरी देने का विचार है;

(ग) वर्ष 1983 के अन्त तक गुजरात में कितने गांव विद्युतीकरण हीन रह जाएंगे; और

(घ) शत प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण करने हेतु शेष गांव के लिए विद्युतीकरण का क्या कार्यक्रम है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1982-83 के दौरान (जनवरी, 1983 तक) गुजरात में 8.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 36 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 481 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

(ख) जैसा कि ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पता लगाया गया है, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड का वर्ष 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति के लिए 480 लाख रुपये की ऋण राशि की 10 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, इन स्कीमों में 328 गांव शामिल होंगे।

(ग) जनगणना के अनुसार कुल 18,275 आबाद गांवों में से जनवरी, 1983 के अन्त तक 13,761 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं तथा शेष 4514 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

(घ) गुजरात में 1987-88 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाने की आशा है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य

2559. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में गांवों के विद्युतीकरण का सरकार का लक्ष्य क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया हैं; और

(ग) क्या पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हुई है; यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980—86) में अखिल भारतीय आधार पर एक लाख गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। प्रत्येक राज्य में साधनों की उपलब्धता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की विद्युत संगठनात्मक क्षमता की उपलब्धता, विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने की प्राथमिकता आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यवार लक्ष्य, वार्षिक योजना के विचार-विमर्शों के दौरान हर वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धि तथा वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कमी की मात्रा दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6091/83]

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक हैं :—

(1) निर्माण सामग्री की कम सप्लाई।

(2) राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों की विकास एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।

(3) समुचित संगठन की कमी।

(4) विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई।

(5) अपर्याप्त उप पारेषण प्रणाली।

(6) लागत में वृद्धि।

(7) पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दुर्गम तराइयां।

कच्छ में कोयले का पता चलना

2560. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कोयले की एक बहुत बड़ी परत का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उस क्षेत्र में कोयला निकालने का कार्य कब तक शुरू करने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुजरात के कच्छ इलाके में कोयले की सीम मिली है। परन्तु, हाल ही में कच्छ के लखपत इलाके में लिग्नाइट मिला है जहां राज्य का भूविज्ञान और खनन विभाग ड्रिलिंग कर रहा है।

आयल इंडिया द्वारा तेल के लिए उड़ीसा में सर्वेक्षण

2561. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया ने उड़ीसा के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य कर लिया है;

(ख) क्या इन जिलों में भूमिगत सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आयल इण्डिया ने उन जिलों के कौन से स्थानों का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1980 में उड़ीसा राज्य के कटक, पुरी बालासोर जिलों में तेल और गैस के अन्वेषण कार्य के लिए 6500 वर्ग कि० मी० तटीय क्षेत्र सौंपा गया था।

मार्च/अप्रैल, 1978 में वायुयान द्वारा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया था। इस समय भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रगति पर है और लगभग 2400 लाइन किलोमीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका। आंकड़े प्रक्रियाधीन हैं और भूकम्पीय सर्वेक्षण के अन्तिम परिणामों की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा में बंधुआ मजदूर—उनके पुनर्वास के लिए धनराशि दिया जाना

2562. **श्री के० प्रधानी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार के दावे के बावजूद कि राज्य में बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई है, यह अब भी वहां विद्यमान है तथा पश्चिमी उड़ीसा के अनेक भागों में व्यापक रूप से व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में सूचना एकत्रित कर ली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने राज्य के 13 जिलों अर्थात कोरापुत, कालाहन्दी, फुलबनी, गंजम, मयूरगंज, सुन्दरगढ़, कटक, सम्बलपुर, बोलगिर, धनेकनाल, बालसोर कियोभर में बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में सूचित किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के मुताबिक राज्य में पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ की संख्या 21,726 थी, जिसमें से 12,878 को फिर से बसाया जा चुका है।

(ग) राज्य सरकारों (उड़ीसा सरकार सहित) से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे तुरन्त और प्रभावी कदम उठाएं, जिसमें बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता की दृष्टि से सवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण प्रारम्भ करना भी शामिल है, ताकि बन्धुआ श्रकिकों को, जहां कहीं वे विद्यमान हैं, शीघ्र मुक्त कराया जा सके तथा उन्हें फिर से बसाया जा सके। राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरक बनाने उद्देश्य से 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50 : 50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 4000 रुपये के अनुदान की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्र के भाग के रूप में दी जाती है। अब तक उड़ीसा सरकार को 1978-79 से 1982-83 के दौरान बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत केन्द्र की हिस्से की सहायता के रूप में 1.77,55,500 रुपये की राशि दी गई है।

लगाए गए पम्प सेटों की राज्यवार संख्या

2563. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में राज्यवार कितने पम्प सेट लगाए गए और वर्ष 1982-83 में राज्यवार कितने पम्प सेट लगाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश पम्प सेट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे पम्प सेटों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) पम्प सेटों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सूखे की चपेट में आये राज्यों को और अधिक पम्प सेट सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के सम्बन्ध में उपलब्धि तथा वर्ष 1982-83 के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) शैक्षणिक तथा संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए सेम्पल अध्ययनों से पता चलता है कि सिचाई पम्पसेटों/ट्यूबबैलों के कई प्रतिष्ठानों में अनेक कमियां हैं जैसे कि पम्पसेटों का अनुचित चयन, पम्पों/मोटरों/डीजल इंजनों का मैच सही न होना, सैक्सनों/डिलीवरी पाइपों फूट वाल्वों के गलत साइजों का उपयोग, खपत के प्वाइंट वोल्टेज में घट बढ़, अनुपयुक्त अनुरक्षण आदि। इन कारणों की वजह से पम्पसेट कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सका और परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा तथा डीजल तेल की अधिक खपत होती है। इस समस्या पर कई बार विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया है ताकि पम्पसेटों के सुधार और बेहतर उपयोग के लिए समुचित उपाय तैयार किये जा सकें। चूंकि पम्पसेटों के प्रचलनात्मक कार्य कुशलता में सुधार लाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया हैं। अतः भारत सरकार ने कृषि पम्पसेटों की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

विवरण

वर्ष 1980-81, 1781-82 के दौरान पम्पसेटों/ट्यूबबैलों के ऊर्जन के संबंध में उपलब्धि तथा वर्ष 1982-83 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण

		1980-81	1981-82		1982-83
क्रम सं०	राज्य का नाम	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	31-1-83 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	39,657	50,182	56,000	33,060
2.	असम	210	24	1,030	21
3.	बिहार	5,213	4,180	50,000	6,082
4.	गुजरात	28,373	20,390	25,000	7,451
5.	हरियाणा	22,094	11,575	20,000	12,457
6.	हिमाचल प्रदेश	92	204	730	169
7.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	14	67	60
8.	कर्नाटक	18,455	23,697	20,000	13,507
9.	केरल	13,526	12,758	12,000	5,496
10.	मध्य प्रदेश	37,557	37,657	32,000	20,772
11.	महाराष्ट्र	70,584	51,225	60,000	26,795
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	100	शून्य

1	2	3	4	5	6
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	120	शून्य
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	3,236	2,929	9,000	2,045
16.	पंजाब	20,979	24,146	20,000	12,157
17.	राजस्थान	24,570	25,501	25,000	3,269
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	31,935	26,358	30,000	18,972
20.	त्रिपुरा	120	305	300	142
21.	उत्तर प्रदेश	41,115	31,487	58,010	12,757
22.	पश्चिम बंगाल	818	764	3,000	779
	जोड़ (राज्य)	3,58,534	3,23,396	4,22,357	2,05,991
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	1,582	1,312	677	368
	जोड़ (अखिल भारत)	3,60,116	3,24,708	4,23,034	2,96,359

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी न किए जाने संबंधी मामले

2564. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में पंजीकृत कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने संबंधी मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है जो अब तक निपटाये जा चुके हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, 31-3-1982 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत माने वाले छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 1,08,090 थी, जिनमें से 1981-82 में 6630 और 1982-83 (सितम्बर, 1982 तक) 6867 प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान नहीं किया था।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान राजस्व वसूली मामलों की संख्या और चलाये गये तथा निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6092/83]

केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड

2565. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड अभी भी चल रहा है, यदि हां, तो बोर्ड के ब्योरेवार तथ्य क्या हैं, उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और 1981 तथा 1982 में इसकी बैठकें कब-कब हुई;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने इस बोर्ड की अनेक सिफारिशें स्वीकार नहीं की है; यदि हां, तो गत पांच वर्षों के लिए कोयले, इस्पात और रेलवे के लिए की गई ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उन सिफारिशों को स्वीकार किया जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं। 1981 में बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी लेकिन 13 जनवरी, 1982 को बोर्ड की एक बैठक हुई।

(ख) और (ग) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ने 30 अगस्त, 1978 को नई दिल्ली में हुई अपनी 10वीं बैठक में यह सिफारिश की कि लोहा अयस्क खानों में निम्नलिखित संक्रियाओं में ठेका श्रम पद्धति को प्रतिषिद्ध किया जाए :—

(1) अधिभार हटाना;

(2) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग,

(3) खनिजों को निकालना, जिनमें उन्हें तोड़ना, उन्हें आकार देना तथा छांटना शामिल है;

(4) फ्लोट अयस्क संक्रियाएं; और

(5) कूड़ा-करकट साफ करना तथा समतल करना।

बोर्ड में मतैक्य यह था कि उपर्युक्त संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया जाए। तदनुसार, निम्नलिखित संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के रोजगार की समाप्ति को अधिसूचित किया गया है :—

(1) अधिभार हटाना;

(2) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग;

(3) फ्लोट अयस्क संक्रियाएं;

(4) क्रशिंग प्लाटों स्क्रीनिंग प्लाटों और/या कन्वेयर बैल्टों में कूड़ा-करकट साफ करने की संक्रियाएं; और

(5) वैगन लैवलिंग संक्रियाएं ।

2. बोर्ड ने 1978 से 1982 वर्षों के दौरान कोयला और रेलों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की । तथापि 13 जनवरी, 1982 को नई दिल्ली में हुई बैठक में, इस बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों के गठन की सिफारिश की :—

(1) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कार्यान्वयन में कोयला कम्पनियों द्वारा महसुस की जा रही कठिनाइयों पर विचार करने के लिए समिति;

(2) मुख्य पत्तन ट्रस्टों में ठेका श्रम पद्धति सम्बन्धी समिति;

(3) भारतीय रेलों के लोको शेडों में कोयला और राख उठाने में ठेका श्रम पद्धति संबंधी समिति;

(4) भारतीय रेलों में नीचे निर्दिष्ट कार्य की श्रेणियों में ठेका श्रम पद्धति सम्बन्धी समिति :—

(क) रेलवे क्वार्टरों, कार्यालयों और स्टेशन भवनों, आदि की सफेदी तथा रंग रोगन करना;

(ख) सिगनलों, रेलवे पुलों, आदि का रंग रोगन करना; और

(ग) रेलवे स्टेशनों तथा ट्रान्सशिपमेंट शैडों में पार्सलों तथा गुड्स ट्रैफिक संचालन करना ।

तदनुसार, चार समितियां गठित की गई और वे कार्य कर रही हैं । उपर्युक्त सिफारिशों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई आपत्ति नहीं थी ।

विवरण

केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की सूची

1. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली ।

2. श्री ए० के० रामाय्या, निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।

3. निदेशक, ट्रैफिक (वाणिज्य), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।

4. श्री आर० के० गुप्ता, निदेशक (कार्मिक),
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर।

5. श्री ओ० डी० शर्मा, प्रबन्धक (औद्योगिक संबंध),
नेशनल मिनरल डिवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड,
मुकारामजाही रोड, पोस्ट बाक्स सं० 195, हैदराबाद।

6. श्री हजारी लाल मरवाह, प्रेजीडैंट,
सेन्ट्रल बिल्डर्स एसोसिएशन, 44, रीगल बिल्डिंग,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

7. श्री टी० आर० गोयनका मिनरल्स (प्रा०) लि०,
"शील निवास" पोस्ट बाक्स सं० 271,
1062, वेस्ट हाई कोर्ट रोड, नागपुर-440010.

8. श्री जी० आर० हिंगोरनी, मुख्य अभियन्ता (उत्तरी क्षेत्र),
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
ईस्ट ब्लाक, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110022.

9. श्री एस० सी० धवन, प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०,
44, रिंग रोड, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024.

10. श्री चौधरी शशि भूषण राव, महा सचिव,
साउथ ईस्टर्न रेलवे मैन्स कांग्रेस, गोरखा लाइन्स,
साउथ जैन रोड, विशाखापत्तनम।

11. श्री एस० दास गुप्ता, महा सचिव,
इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, राजेन्द्र पथ,
धनबाद।

12. श्री बी० सी० घोष, वरिष्ठ एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय
और प्रेजीडैंट, एन० एफ० रेलवे मजदूर यूनियन,
रामा कृष्णा एवेन्यू, पटना।

13. श्री यू० एन० प्रसाद, महा सचिव, टाटा वर्क्स यूनियन,
17-के रोड, जमशेदपुर।

14. श्री एस० के० सनयाल, कार्यकारी प्रेजीडैंट, इण्डियन माइन्स वर्कर्स फेडरेशन,
बोरनाला, नागपुर-13.

15. श्री पी० आर० सुभाषचन्द्रन, महा सचिव, फेडरेशन आफ आल इण्डिया
हिन्दुस्तान कन्सट्क्शन वर्कर्स यूनियन मार्फत,
हिन्दुस्तान कन्सट्क्शन कं० लि०, पी० वी० डैम वर्कर्स,
तिरूमाला-517504.

16. श्री वी० आर० शिवानकर,
कमरा नं० 36, तीसरी मंजिल, जवेरी हाउस,
डा० बाटलीवाला परेल, बम्बई-400012.

परिवार न्यायालय

2566. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार-न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसे न्यायालय विश्व के किसी भाग में काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या-क्या हैं और ये न्यायालय किस प्रकार काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने से पहले मार्ग-दर्शन हेतु उन न्यायालयों के काम-काज पर ध्यान देने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कुछ महिला एसोसिएशनें और संगठन तथा व्यक्ति परिवार न्यायालयों की स्थापना का अनुरोध करते रहे हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि ऐसे न्यायालय पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए अधिक उपयुक्त होंगे।

(ख), (ग) और (घ) सरकार को पता चला है कि जापान और आस्ट्रेलिया में परिवार न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर विचार करते समय इन न्यायालयों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा।

विजय नगरम टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन

2567. **श्री ए० नीला लोहिथा दसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजय नगरम टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) विजय नगरम एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में डाक तार विभाग को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि छठी योजना में मौजूदा एक्सचेंज क्षमता को 600 लाइनों में बढ़ाने का प्रस्ताव है।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2568. **श्री रामलाल राही** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चार उर्वरक कारखाने स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा उनमें से कितने कारखाने केन्द्र सरकार के अधीन होंगे; और

(ख) यदि इनमें से कोई भी कारखाना केन्द्र सरकार के अधीन नहीं होगा तो उसके क्या कारण हैं जबकि सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कुछ कारखाने केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है, बदाउं, बरेली, शाहजहांपुर और सुल्तानपुरी जिलों में एक-एक।

इन संयंत्रों के स्वामित्व के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजस्थान के लिए संचार सुविधाएं

2569. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान को संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रारूप योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में राजस्थान के 27 जिलों में प्रत्येक में, क्रियान्वयन के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) **दूरसंचार**

राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1983-84 के दौरान मौजूदा नेटवर्क में लगभग 80 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा 25 टेलीफोन एक्सचेंजों की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

बाड़मेर जिले में नवीन तकनीकी नियोजित कर सम्पूर्ण अंकीय नेटवर्क आरम्भ किए जाने का भी प्रस्ताव है।

डाक :

राजस्थान में 1983-84 के लिए ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने तथा वितरण

कर्मचारियों की वृद्धि करने की अस्थायी योजना मंडलवार तैयार की गई है तथा ये सुविधायें प्रदान कर दी जाएंगी बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

दिल्ली दूरदर्शन पर दक्षिण भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्मों का प्रदर्शन

2570. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से 1982 में कितनी हिन्दी फिल्में प्रदर्शित की गई;

(ख) 1982 के दौरान दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ की कितनी फीचर फिल्में प्रदर्शित की गई; और

(ग) दिल्ली में हर शनिवार/एक छोड़कर दूसरे शनिवार को दक्षिण भारत की भाषा की एक फीचर फिल्म प्रदर्शित करने में क्या कठिनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 51

(ख) 6

(ग) अखिल भारतीय मांग को देखते हुए, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली सहित, सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा हिन्दी फीचर फिल्में सप्ताह में एक बार दिखाई जाती है दूरदर्शन ने सभी प्रादेशिक केन्द्र भी अपने अपने सेवा क्षेत्रों में दर्शकों की भाषायी संरचना, दर्शकों की मांगों और अन्य कार्यक्रम आवश्कताओं पर निर्भर करते हुए प्रादेशिक भाषाओं में फीचर फिल्में टेलीकास्ट करते हैं अतः दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली उपरोक्त नीति के अनुसार हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं, जिनमें दक्षिण भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं,में फीचर फिल्में टेलीकाट करता है ।

बस्तर को सूक्ष्म तरंग संचार प्रणाली द्वारा जोड़ना

2571. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बस्तर को सूक्ष्म तरंग संचार प्रणाली से जोड़ने पर सहमति हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है तथा कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह सच है कि बस्तर के वन तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां टेलीफोन संपर्क आमतौर पर खराब रहते है; और

(घ) इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) :(क) जी, हां ।

(ख) अभी तक इस प्रयोजन के लिए 1.72 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है । यह कार्य चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते उपस्कर उपलब्ध रहें ।

(ग) वनों और पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली ऊपरी लाइनों में खराबियां अवश्य आती हैं; परन्तु सेवा बहाल करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) इस त्रेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

कोयला खानों के फियूनुमोनोकोनियोसिस रोगियों का उपचार तथा उन्हें मुआवजे की अदायगी

2572. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कुछ मामलों की जानकारी मिली है जिनमें कोयला खानों के श्रमिकों का गत तीन वर्षों के दौरान फियूनुमोनोकोनियोसिस रोग के लिए उपचार किया गया था उन्हें मुआवजा अदा किया गया;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में खानवार ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितनी राशि अदा की गई; और

(ग) ऐसे श्रमिकों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिनका रोग दूर हो गया और उन्हें काम के लिए योग्य ठहराया गया और क्या उनमें से कुछ श्रमिक स्थायी रूप से अथवा आंशिक रूप से अपंग हो गए तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में फियूनुमोनोकोनिओसिस मामलों के बारे में कम्पनी-वार नवीनतम उपलब्ध सूचना निम्न सारणी में दी गई है :—

	1980	1981	1982* (मई तक)
बी०सी०सी०एल०	शून्य	शून्य	22
सी०सी०एल०	शून्य	शून्य	शून्य
ई०सी०एल०	शून्य	शून्य	शून्य
डब्ल्यू०सी०एल०	3	37	13
एन०ई०सी०एल०	शून्य	शून्य	शून्य
सी०एम०पी०डी०आई०	शून्य	शून्य	शून्य
सिंगरेनी कोल कम्पनी	5	1	शून्य
इस्को	शून्य	शून्य	शून्य
टिस्को	शून्य	शून्य	शून्य

एक मामले के सिवाय बाकी सभी मामलों में चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवजे की अदायगी पर प्रतिकर आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा। यह अधिनियम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

नोट :—*1982 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

देश में गोबर गैस संयंत्र लगाने के प्रयास

2574. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु राज्य-वार क्या प्रयास किए हैं; और

(ख) सरकार ने वर्ष 1983-84 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार राज्य सरकारों और खादी और ग्राम उद्योग आयोग केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यों में जैव गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन०पी०बी०डी०) को कार्यान्वित कर रही है। जैव गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन०पी०बी०डी०) केन्द्रीय राजसहायता, स्टाफ सम्बन्धी सहायता, टर्न-की जाब फीस, संवर्धन के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता आदि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को लेवी का सीमेंट भी केन्द्रीय कोटे से आबंटित किया जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह अनुदेश दिया गया है कि वे जैव गैस यंत्रों के निर्माण के लिए तथा प्रयोगकर्त्ताओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराएं।

(ख) 1983-84 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों/खादी एवं ग्राम आयोग से परामर्श किया जा रहा है।

राज्य बिजली बोर्डों को गैस टर्बाइन्स का आयात करने की अनुमति

2576. श्री ईरा अनबारासु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य बिजली बोर्डों को गत तीन वर्षों के दौरान गैस टर्बाइन्स का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है और उनमें से कितनों ने उनका आयात कर लिया है, साथ ही साथ इस प्रकार आयात की गई गैस टर्बाइन्स का मूल्य क्या है; और

(ख) राज्यों से मिले कितने अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस टर्बाइनों की प्रतिष्ठापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों, किए गए आयात और उनकी कीमत संलग्न विवरण में है।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, गैस, जहाँ तक व्यवहार्य है, का प्रयोग उर्वरकों पैट्रो-कैमिकल्ज आदि के उत्पादन के लिए फीड बैक रूप में किया जाना है। जहां तक इन कार्यों के लिए गैस का प्रयोग तत्काल नहीं किया जा सकता, जब तक उर्वरक और पैट्रो कैमिकल्ज संयंत्र इसे पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक अस्थायी आधार पर सहारे के रूप में विद्युत उत्पादन जैसे अन्य कार्यों के लिए इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ईंधन तेल की अत्याधिक लागतों को ध्यान में रखते हुए जिसमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा खर्च

करनी पड़ती है सरकार ने गैस टर्बाइनों के संयंत्रों का आयात न करने का निर्णय लिया है। सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, गैस टर्बाइनों की प्रतिष्ठापना के लिए कुछ राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया है। राज्य सरकारें इनकी प्रतिष्ठापना के लिए लगातार अनुरोध कर रही हैं।

विवरण

अनुमोदित प्रस्तावों, किए गए आयात तथा उनकी लागत दिखाने वाला विवरण

स्कीम का नाम तथा क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृति की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु० में)	आयातित उपस्करों का मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. मोबाइल गैस टर्बाइन आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड (4 × 3 मेगावाट)	23-5-80	764	6.31 करोड़	
2. लकवा गैस टर्बाइन टी०पी०एस० (आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड) विस्तार-1 × 15 मेगावाट	18-3-82	621	—	आयात करने के प्रस्ताव पर कारंवाई की जा रही है।
3. बारामूरा गैस टर्बाइन, जी०टी० (त्रिपुरा)-2 × 5 मेगावाट	20-1-83	463	—	आयात का प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

कावेरी बेसिन में तेल

2577. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में तट्दूर, 17 कूपों में से एक कूप में तेल होने के तथा तीन अन्य कूपों में गैस होने के संकेत मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां काम कर रही वर्तमान एक ही रिग के साथ और रिग बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) वहाँ किए गए भूकम्पीय सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कावेरी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में अभी तक खुदाई किए गए 17 कूपों में से दो कूपों में तेल और 7 कूपों में गैस की विद्यमानता के संकेत मिले हैं।

(ख) दोनों तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में एकत्र किए गए सम्पूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में आगे और अन्वेषण किया जा सके। रिगों की संख्या में कोई भी वृद्धि आंकड़ों के अध्ययन के परिणामों पर निर्भर होगी।

(ग) कावेरी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में कुल 15,588 लाइन किलोमीटर भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं, और इन सर्वेक्षणों के आधार पर 9 संरचनाएं चित्रित की गई हैं। कावेरी बेसिन के तटीय क्षेत्र में कुल 17235 लाइन किलोमीटर तक भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं। अक्तूबर, 1983 तक करीब 2240 लाइन किलोमीटर का गुरुत्व चुम्बकीय चित्रण और 4830 लाइन किलोमीटर का चुम्बकीय चित्रण भी किया गया है।

रेलवे डाक सेवा को सरल बनाने के बारे में महाडाकपालों का सम्मेलन

2578. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे डाक सेवा (आर० एम० एस०) को सरल बनाने के बारे में महाडाकपालों के सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पोस्टमास्टर जनरलों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि रेल डाक सेवा के पुनर्गठन के मामले पर डाक में तेजी लाने तथा किफायत को ध्यान में रखकर विचार किया जाए। अनेक डाक कार्यालयों और सैक्शनों के जरिए डाक निपटाने की अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। जो छंटाई सैक्शन अनावश्यक हों उन्हें बन्द कर दिया जाए।

(ख) विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति ने इस सिफारिश की पहले ही विस्तृत जांच की है। उनके निर्णय के आधार पर ही कुछ सीमा तक सर्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्शनों में अन्तरित किया गया है। देश में कुल 88 सर्टिंग सैक्शनों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है या ट्रांजिट सैक्शन में अन्तरित कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग की नई पुनर्गठन योजना का ब्यौरा तथा राज्यों को इक्विटी शेयर देना

2579. श्री के० राममूर्ति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उद्योग की उस नई पुनर्गठन योजना का ब्यौरा क्या है जिसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना है; और

(ख) क्या क्षेत्रीय उर्वरक एककों में राज्यों को इक्विटी शेयर देने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार कम्पनियों के पुनर्गठन सहित, बहुत से प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

डाक-तार विभाग में समयबद्ध पदोन्नति योजना

2580. **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार कर्मचारियों को दो समयबद्ध पदोन्नति देने की कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उसे किसी प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

2581. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े भारतीय उद्योगपतियों ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं जिन्होंने आवेदन पत्र दिए हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) निम्नलिखित गैर-सरकारी कम्पनियों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की अभिरुचि प्रकट की है :—

1. मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स (बिड़ला ग्रुप)

2. मैसर्स टाटा कैमिकल्स (टाटा ग्रुप)

3. मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोजिव्स (आई०सी०आई० ग्रुप)

4. श्रीराम कैमिकल्स (डी०सी०एम० ग्रुप)

(ग) गैस पर आधारित इन उर्वरक संयंत्रों के क्षेत्रवार स्वामित्व के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

बन्द कपड़ा मिलों को दूसरे स्थान पर ले जाना

2582. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : *क्या बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के परिणामस्वरूप, बन्द कपड़ा मिलों में से कुछ को कुछ अन्य राज्यों में ले जाने अथवा ले जाने की अनुमति देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?*

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बम्बई की दो सूती कपड़ा मिलों अर्थात् ब्रादबुरी मिल्स तथा कमला मिल्स ने अपनी मिलों को बम्बई से बाहर ले जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति मांगी है और राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

तमिलनाडु में बिजली की कमी के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार

2583. **श्री एस० सिंगारावाडीवेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कतिपय जिम्मेदार व्यक्तियों के इस आरोप के बारे में जानकारी है कि तमिलनाडु में वर्तमान बिजली संकट के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार है;

(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में ताप संयंत्रों को चलाने के लिए भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में कोयला आबंटित नहीं करती;

(ग) तमिलनाडु में बिजली संकट के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार को नवेली लिग्नाईट निगम को बिजली सप्लाई की बकाया राशि अदा करनी है; यदि हां, तो कितनी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि तमिलनाडु में विद्युत की वर्तमान कमी का मुख्य कारण भारत सरकार के निर्णय और नीतियां हैं । वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण यह है कि तमिलनाडु मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर है जो कि मानसून के निरन्तर फेल हो जाने से कुप्रभावित हुआ है । ताप विद्युत केन्द्रों के कम कार्य-निष्पादन तथा पांचवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में कम निवेश होने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई । जहां तक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है या तो व्यवहार्यता रिपोर्टें हाल ही में प्रस्तुत की गई हैं

या राज्य प्राधिकारियों से आवश्यक ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी आर्थिक मंजूरी रुकी हुई है।

तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तथापि, तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए बाया हल्दिया पोर्ट से कोयले के लदान और उतारने दोनों स्थानों पर कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में कुछेक कठिनाइयां रही हैं। तमिलनाडु के विद्युत केन्द्रों सहित विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की सप्लाई की सरकार द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है तथा जब कभी किसी विद्युत केन्द्र से कोयले की असंतोषजनक सप्लाई की जानकारी सरकार को प्राप्त होती हैं तो सभी सम्बन्धितों द्वारा सुधार करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के अद्यतन भण्डारों की स्थिति इस प्रकार है :—

एन्नोर	—	9 दिन का भण्डार	—	5-3-83 की स्थिति के अनुसार
बेसिन ब्रिज	—	39 दिन का भण्डार	—	5-3-83 की स्थिति के अनुसार
तूतीकोरिन	—	5 दिन का भण्डार	—	5-3-83 की स्थिति के अनुसार

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने सूचित किया है कि तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड पर विद्युत सप्लाई के लिए अद्यतन बकाया राशि लगभग 46.03 करोड़ रुपये है।

सरकारी अलाटियों द्वारा प्रतिभूति जमा करना

2584. श्री आर० पी० अहिरवार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी को यदि निगम के अधीन किसी बस्ती में सरकारी मकान आबंटित हो तो उसे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बिजली का मोटर लगवाने से पहले दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में प्रतिभूति के रूप में धनराशि जमा करनी पड़ती है;

(ख) क्या एक अन्य सरकारी कर्मचारी को यदि नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में सरकारी मकान आबंटित हो तो उसे बिजली का मोटर लगवाने के लिए अपने कार्यालय से केवल सुरक्षा बन्ध-पत्र प्रस्तुत करना होता है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस असमानता को दूर करने का है ताकि यदि किसी कर्मचारी को निगम की बस्ती में भी मकान आबंटित होता है तो उसे मोटर लगवाने के लिए नकद प्रतिभूति जमा करने के लिए बाध्य न किया जाये; यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह : (क) जी, हां। सिक्यूरिटी विद्युत की खपत प्रभारों के लिए है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) 1-2-76 से पूर्व, दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को विद्युत कनेक्शन के लिए सिक्यूरिटी जमा करने की छूट थी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आबंटियों से क्वार्टर छोड़कर जाने पर उनसे बकाया राशि वसूल करने में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 1-2-76 से यह निर्णय लागू किया गया कि सरकारी आवास के आबंटियों को भी उनसे नकद सिक्यूरिटी प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य उपभोक्ताओं के समान माना जाए 1 सितम्बर, 1976 को गृह मंत्रालय/वित्त मंत्रालय और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रतिनिधियों की आवास एवं निर्माण मंत्रालय में हुई बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, सरकारी आवास के आबंटियों से सिक्यूरिटी जमा लेने के अपने निर्णय पर मोरेटोरियम लागू करने को सहमत हो गया तथा इसकी अवधि भी दो बार बढ़ाई गई सरकारी आवासों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों की बकाया राशि की वसूली के प्रति विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिकूल रवैये को देखते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सरकारी कर्मचारियों से सिक्यूरिटी जमा लेने का निर्णय फिर से लागू करना पड़ा। तदनुसार, जुलाई, 1977 में यह आदेश दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली के अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के समान समझा जाए तथा उनसे नकद सिक्यूरिटी जमा कराई जाए। यह निर्णय अभी भी लागू है तथा इसको संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं है।

कैमरामैनों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति

2585. **श्री वादेसुब अचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैमरामैनों के लिए अभी तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके कब तक किए जाने की संभावना हैं;

(ग) इसके पात्र कौन हैं;

(घ) दूरदर्शन के कैमरामैनों को लगभग 10 वर्ष तक कार्य करने के बाद भी पदोन्नतियां न मिलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या चयन ग्रेड की व्यवस्था है जैसा सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होता है (7वां, 10वां और 14वां वर्ष) ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कैमरामैन ग्रेड-2 की कैमरामैन ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के बारे में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पीछे 9 मार्च, 1983 को हुई थी।

(ग) 3 वर्ष की सेवा वाले दूरदर्शन के कैमरामैन ग्रेड-2 कैमरामैन ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं।

(घ) पदोन्नतियां कैमरामैन ग्रेड-1 की श्रेणी में रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

(ङ) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला और कोक के समान मूल्य

2586. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पंजाब को, कोयला खदान क्षेत्रों से अत्यन्त दूर एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में विद्यमान एककों की तुलना में प्रायः कोयले की दुगनी कीमत का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब को उसी पद्धति पर जिस पर कि ढलवा लोहे, लोहे और इस्पात की सप्लाई की जाती है, कोयला और कोक उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन का ध्यान किए बिना रेल तक निःशुल्क भार (एफ० ओ० आर०) समान मूल्य अपनाने के औचित्य पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह सच है कि कोलियरियों से दूर स्थित राज्यों में कोयले की कीमत कोलियरियों के निकट स्थित राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। यह अतिरिक्त भाड़े पर अतिरिक्त खर्च होने के कारण है।

(ख) और (ग) कोयले की कीमतें एफ० ओ० आर० खान-मुहाना नियत की जाती हैं। कोयले के लिए एकरूप गंतव्य कीमतें तय करना साध्य नहीं है जिसके कारण हैं सप्लाई के अनेक स्रोत और कोयले की विभिन्न किस्में फिलहाल, एक रूप गंतव्य कीमतें शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सेंसर प्रमाण-पत्र से पूर्व सिनेमा हालों की अग्रिम बुकिंग

2587. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानून दोहरे प्रिंट बनाने और फिल्म को सेंसर प्रमाण-पत्र मिलने से पूर्व सिनेमा हालों की अग्रिम बुकिंग की अनुमति नहीं देता है, परन्तु अधिकांश मामलों में, एक विशिष्ट शुक्रवार को फिल्म जारी करने के लिए हालों और प्रयोगशालाओं की अग्रिम बुकिंग करके इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कैसे होता है कि लगातार फिल्म जारी करने के लिए हालों को अग्रिम बुक कर दिया जाता है जबकि फिल्म को सेंसर प्रमाण-पत्र नहीं मिला होता है; और प्रिंट तैयार होने से पूर्व सिनेमा हालों पर बहुत पहले ही अग्रिम बुकिंग शुरू हो जाती है; और

(ग) फिल्म निर्माताओं द्वारा सेंसरशिप के नियमों को घोर उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चल चित्र अधिनियम, 1952 या चल चित्र (सेंसरशिप) निगम, 1958 में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है कि किसी फिल्म को सेंसर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने से पहले उसकी दोहरी प्रिन्ट बनाने की अनुमति नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि किसी प्रयोगशाला को सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पहले दूसरी प्रिन्ट लेने की मनाही हो।

चल चित्र अधिनियम, 1952 या इसके अन्तर्गत बनाए गए निगमों में ऐसा भी कोई उपबन्ध नहीं है जिससे सेंसर प्रमाण-पत्र मिलने तक सिनेमाघरों में फिल्म की अग्रिम बुकिंग करने की अनुमति न हो।

(ग) इस सम्बन्ध में सेंसरशिप सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन का प्रश्न उक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में स्पष्ट किए गए कारणों से नहीं उठता तथापि, फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं के संगठनों को बार बार यह सलाह दी है कि वे सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पहले फिल्मों को रिलीज करना तय न करें।

"फेस्टिवल ईव टसल सेंग्स क्रेज फार फिल्म्स" शीर्षक समाचार

2588. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस" में "फेस्टिवल ईव टसल सेंग्स क्रेज फार फिल्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या फिल्म समारोह कार्यक्रम के अधीन प्रदर्शित फिल्मों के प्रति प्रदर्शकों में उत्साह नहीं था; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रदर्शकों द्वारा दिखाये कम उत्साह के लिये यदि कोई स्पष्ट कारण बताये गए तो वे क्या थे; और

(ग) क्या प्रदर्शकों ने फिल्म समारोह की फिल्मों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में कोई मांगें रखी थीं तथा क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई आश्वासन दिया गया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए सिनेमाघरों को किराये पर लेने के करार की शर्तों को सिनेमाघरों के प्रबन्धकों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया था। फिल्मों का आबंटन लाटरी निकाल कर किया गया था। सिनेमाघरों के प्रबन्धकों

के साथ बातचीत सद्भावनापूर्ण थी और उन्होंने समारोह प्रबन्धकों को अपना पूरा सहयोग दिया।

कर्मचारी परिवार पेंशन निधि योजना और कर्मचारी सम्बद्ध बीमा निधि योजना में सरकार का अंशदान

2589. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जो एक बड़ी नियोजक है, कर्मचारी परिवार पेंशन निधि योजना और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि योजना में अंशदान का अपना भाग अदा करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में उद्योग-वार कितनी राशि अदा नहीं की गई है; और

(ग) सरकार का इन देय राशियों को कब जमा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं। सरकार परिवार पेंशन योजना, 1971 तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के लेखों की लेखा-परीक्षा के लम्बित रहते हुए दोनों योजनाओं के अंशदानों में अपने हिस्से का अन्तिम आधार पर भुगतान करती है। दोनों योजनाओं के 1981-82 तक के लेखों की लेखा परीक्षा की जा चुकी है और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सरकार द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए दावे प्रस्तुत कर दिए हैं।

(ख) देय अंशदान का उद्योगवार या प्रतिष्ठानवार पता नहीं लगाया जा सकता। तथापि, 1981-82 तक सरकार द्वारा देय शेष राशि इस प्रकार है :—

(1) परिवार पेंशन योजना—50.28 करोड़ रुपये

(2) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना—4.98 करोड़ रुपये

(ग) अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1983-84 से शेष राशि का भुगतान उपयुक्त किस्तों में करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली मंखान दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतें

2590. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भट्टी, फतेहपुर बेरी, महीपालपुर, जौनपुर, सोला, मंडी और रंगपुर खानों में अब तक 1977 के दौरान और उसके बाद खान दुर्घटनाओं, धमाकों और धंसने के कारण प्रतिवर्ष प्रति खान में कितने श्रमिक मारे गये; और

(ख) मृतकों के परिवारों और अंगहीन अंधे अथवा अक्षम हो गए व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और क्या मुआवजा पर्याप्त है और यदि नहीं, तो संतप्त परिवारों का भलीभांति पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 1980 से 23 घातक मामलों में से 20 मामलों में 5,000/- रुपये की अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान किया है । इसके अतिरिक्त, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन घायल व्यक्तियों और मृतकों के वारिसों को मुआवजा भी देय है ।

घायल व्यक्तियों को, यदि कोई हो, दी गई अनुग्रहपूर्वक राशि की अदायगी के बारे में सूचना दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

विवरण

1977 से मारे गए श्रमिकों के ब्यौरे

वर्ष	भट्टी (फतेहपुरी बेरी)	महिपालपुर	जौनपुर	असोला	मंडी	रंगपुरी
1977	1	1	×	×	×	×
1978	2	2	×	×	×	×
1979	1	×	×	×	×	×
1980	8	×	×	×	×	1
1981	4	×	×	×	2	1
1982	3	×	×	×	×	×
1983	9	×	×	×	×	×

हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी पुणे

2591. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी पुणे में उत्पादित की जा रही

औषधियों की गलत मूल्य निर्धारण नीति के कारण यह कारखाना घाटे में चल रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) को हुई हानियों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी हैं :—

1. इसके उत्पादन मिश्रण में प्रपुंज औषधों की अधिकता।

2. इसके फार्मूलेशनों की सरकारी संस्थाओं को अधिकतम बिक्री। प्रतियोगी टैण्डरों के आधार पर संस्थागत बिक्री से बहुत कम लाभ हुआ तथा वर्ष के दौरान असमान आर्डर और भुगतान में अत्यधिक विलम्ब से लागत उच्चतर हो गई।

3. इसके उत्पाद मिश्रण में श्रेणी-I और II के फार्मूलेशनों की अधिकता, जिससे बहुत कम बचत हुई।

4. पहले हुई नकद हानि को पूरा करने के लिए सरकार से प्राप्त किए गए ऋणों पर ब्याज।

5. निवेशों की लागत में वृद्धि।

6. प्रौद्योगिकी समस्याएं।

हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) फार्मूलेशन कार्यकलाप बढ़ाने, व्यापारिक बिक्री को बढ़ाने, विपणन क्षेत्र को सुदृढ़ करने, उत्पादिता बढ़ाने, लागत को कम करने आदि के लिए कम्पनी ने विभिन्न उपाय किए हैं।

(2) ब्याज के भार को कम करने के लिए पूंजी का पुनर्गठन।

विस्ताप्ति तथा नए संयंत्रों के चालू हो जाने से तथा स्वीकृत किए गए मूल्य पुनरीक्षण से चालू वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा बेहतर निष्पादन दर्शाने की आशा है।

जिला सहारनपुर में पनियाली कासीमपुर डाकघर में गबन

2592. श्री जगपाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जिला सहारनपुर की देवबन्द तहसील में पनियाली कासिमपुर डाकघर के कर्मचारीयों और अधिकारियों द्वारा 1970 से 1978 की अवधि के दौरान बचत बैंक खाते में जमा कराए गए लाखों रुपये के गबन की घटना की ओर दिलाया गया है जिसके लिये पनियाली डाकपाल को सजा दी गई थी और जुर्माना किया गया था;

(ख) जमाकर्ताओं द्वारा बचत बैंक खाते में जमा कराई राशि को वापस मांगने के बावजूद उस राशि की अदायगी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) पनियाली कासिमपुर डाकघर के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अब तक बचत बैंक खाते के कितने पासबुक एकत्र किये गये हैं और जमाकर्ताओं को अभी कितनी राशि की अदायगी की जानी है; और

(घ) जमाकर्ताओं के हितों की कितनी अवधि के सम्बन्ध में उपेक्षा की जायेगी और सरकार द्वारा उनकी देय राशियों की अदायगी कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1974-78 के दौरान सहारनपुर जिले में पनियाली कासीमपुर डाकघर के अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर श्री हरी राज द्वारा डाकघर बचत बैंक में की गई 2,35,334. 90 रुपये की धोखाधड़ी का पता चला था। श्री हरी राज के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और न्यायलय द्वारा उसे दोषी पाया गया।

(ख) से (घ) विभागीय जांच के दौरान 46 पासबुकों को इकट्ठा किया गया था। 15 दावों का निपटान कर दिया गया है। शेष दावों की अभी छानबीन की जा रही है।

भारत में सालिसिटर फर्मों का कार्यकरण

2593. **श्री उत्तम राठौर :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में कुछ सालिसिटर फर्में काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या वर्तमान विधि में सालिसिटर प्रणाली की अनुज्ञा है;

(घ) यदि हां, तो सालिसिटर-फर्मों के कार्यकरण का औचित्य क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सालिसिटर प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में, अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 107) द्वारा, संशोधन किए जाने के पश्चात् 1-1-1977 से कोई भी सालिस्टर देश के न्यायलयों में विधि व्यवसाय करने के लिए विधित: हकदार नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 के अधीन व्यक्तियों का केवल एक वर्ग, अर्थात् अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय करने का हकदार

हैं फिर भी भारतीय विधिज्ञ परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ भूतपूर्व सालिस्टर अधिवक्ता बन जाने पर अपने को सालिस्टर और अधिवक्ता के रूप में प्रगट करते हैं ।

(ख) ऐसे भूतपूर्व सालिस्टारों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका है जो अपने को सालिसिटरों और अधिवक्ताओं के रूप में प्रगट करते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 और 36 में परिकल्पित है, यह कार्य राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय विधिज्ञ परिषद का है, जो निगमित निकाय हैं, कि वे इस प्रकार के वृत्तिक अवचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करें ।

सोलर सैल की कीमत में गिरावट

2594. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डा० रीनहार्ड ढालबर्ग सहित कतिपय प्रजनन वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि 1985 तक 'सोलर सैल' की कीमत घटकर 5 डालर रह जाएगी और क्या यह सच है कि वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व सोलर सैलों के माध्यम से यह सौर ऊर्जा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु तत्काल कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1985 तक सौर सैलों का मूल्य प्रति पीक वट 5यू. एस. डालर तक आ जाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों और संगठनों द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, सरकार को उसके बारे में जानकारी है । ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर सैलों का प्रयोग कहां तक किया जा सकेगा यह प्रोद्योगिकी के विकास और बड़े पैमाने पर इनके उत्पादन से आने वाली वास्तविक लागत पर निर्भर करेगा । सौर ऊर्जा के प्रयोग के कई और भी तरीके हैं विशेष रूप से तापीय और शुष्की-करण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने पहले ही कई उपाय किए हैं 1985 तक एक मैगावाट प्रति वर्ष क्षमता वाले सैल और माड्यूलज का निर्माण करने के लिये सरकार एक कार्यक्रम चला रही है । जल पम्पन, प्रकाश, टी० वी० और रेडियो के लिए सौर सैलों का इस्तेमाल अभी क्षेत्रीय परीक्षण के रूप में किया जा रहा हैं । सौर जल तापन, सौर ऊर्जा के शुष्कन और खाना पकाने जैसे अन्य तापीय साधनों का विकास किया जा रहा है ।

वीसा तथा रोजगारों सम्बन्धी घोटाला

2595. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री सुभाष यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक एजेंसियां/व्यक्ति हैं जो विदेशों में वीसा और रोजगार प्राप्त करने में गिरोह चला रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी एजेंसियों/कार्मिकों ने विदेशों में रोजगार दिलवाने में अनेक गरीब व्यक्तियों को धोखा दिया है;

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने गिरोह वालों/कार्मिकों का पता लगाया; और

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक मामले में कोई कार्यवाही की है?

~~श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर)~~ : (क) तथा (ख) कुछ रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

सभी समुदायों और धर्मों के लिए एक-समान सिविल संहिता

2596. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने सभी समुदायों और धर्मों के लोगों के लिए एक-समान सिविल संहिता बनाए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विधान कब तक बनाने का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) एक-समान सिविल संहिता अधिनियमित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधि में परिवर्तन करना होगा। सरकार की नीति अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में तब तक कोई परिवर्तन न करने की रही है जब तक कि उसके लिए स्वयं वही समुदाय पहल न करे।

विद्युत उत्पादन के लिए परिव्यय

2597. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए परिव्यय में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है; और

(ग) विद्युत उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में देश में तापीय और पन-बिजली परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए 19,265 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया था। 1979-80 में योजना पर विचार-विमर्श के दौरान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए लागत अनुमानों और अपेक्षित निधियों के आधार पर इस परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान में अन्य चल रही स्कीमें और कुछ नई परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जिनसे छठी योजना के बाद लाभ प्राप्त होगा। छठी योजना को अन्तिम रूप देने के बाद विद्युत परियोजनाओं की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, योजना निधियों में इसके अनुरूप प्रावधान रखना सम्भव नहीं हो सका है। छठी योजना के पहले चार वर्षों में विद्युत सैक्टर में परिव्यय और उनका विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	कुल विद्युत आबंटन	विद्युत उत्पादन के लिए योजना आबंटन (करोड़ रु०)
1980—85	19265.00	11852.00
1980-81	2800.88	1640.61
1981-82	3322.09	2034.12
1982-83	3894.60	2501.46
1983-84	4645.05	3099.22
4 वर्षों का जोड़	14662.66	9275.41

छठी योजना अवधि के दौरान 19666 मेगावाट क्षमता की बढ़ोतरी करने की परिकल्पना की गई है। छठी योजना के दौरान उत्पादन क्षमता में 14,000 मेगावाट की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

उद्योगों में हड़तालों की लगातार वृद्धि

2598. **श्री मोती भाई० आर० चौधरी :**
श्री बापू साहिब पारूलेकर :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उद्योगों में हड़ताल की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान हड़तालों की संख्या में निम्नानुसार वर्षानुवर्ष कमी हुई है :—

वर्ष	हड़तालों की संख्या
1980	2,501
1981	2,245
1982*	1,751

*श्रम ब्यूरो में 18-2-83 तक प्राप्त सूचना पर आधारित।

(ग) सरकार देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर निरन्तर नजर रख रही है। केन्द्र तथा राज्यों दोनों में औद्योगिक संबंध तंत्र निवारक मध्यस्थता, संराधन न्यायनिर्णयन तथा विवाचन के माध्यम से, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों तथा स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनिवार्य है, कामबन्दियों तथा नष्ट हुए श्रम दिनों में कमी करने के लिए प्रयास करते रहते हैं।

न्यायालय शुल्क खत्म करने के लिए राज्यों को निदेश

2599. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए न्यायालय शुल्क खत्म करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 3 के अनुसार न्यायालय फीस (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) राज्य का विषय है और वह राज्य सरकार की अधिकारिता में आता है। संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायालय फीस साधारणतया पड़ोसी राज्यों में प्रचलित दर संरचना के समान होती है।

जुलाई, 1981 में इस मंत्रालय से सम्बद्ध संसद् सदस्य परामर्श समिति ने अपनी उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यायालय फीस को पूर्णतया समाप्त करने की सिफारिश की थी। वह सिफारिश जनवरी, 1982 में आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज

दी गई। इसके पश्चात् इस पर जून, 1982 में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन का विचार था कि वित्तीय मजबूरी के कारण न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के लिए, न कि इसको समाप्त करने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। सम्मेलन ने न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करने और विधि मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पांच राज्यों, अर्थात्, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री इस समय समिति के संयोजक हैं।

यह विषय समिति के विचाराधीन है।

राज्यों में बेरोजगार व्यक्ति

2600. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने देश से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों से बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार प्रतिशतता क्या है; और

(ग) बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म बीर): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना विवरण-एक में दी गई है।

(ग) छठी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धनता और बेरोजगारी के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी लाना है। योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे कई कार्यक्रमों में रोजगार की बहुत बड़ी संभाव्यता है। इनमें से कुछ विवरण-दो में सूचीबद्ध किए गए हैं।

विवरण-एक

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण-32वां दौर (1977-78) द्वारा प्रकट 5 वर्ष और इससे ऊपर की जनसंख्या की तुलना में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार प्रतिशतताएं

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	5 वर्ष और इससे ऊपर की जनसंख्या की तुलना में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की प्रतिशतता
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.42
2.	असम	0.84

1	2
3. बिहार	1.21
4. गुजरात	0.96
5. हरियाणा	2.76
6. हिमाचल प्रदेश	0.94
7. जम्मू व कश्मीर	1.17
8. कर्नाटक	1.84
9. केरल	8.48
10. मध्य प्रदेश	0.52
11. महाराष्ट्र	1.71
12. मणिपुर	0.47
13. मेघालय	0.30
14. नागालैण्ड	—
15. उड़ीसा	1.41
16. पंजाब	1.54
17. राजस्थान	0.89
18. तमिलनाडु	3.04
19. त्रिपुरा	1.87
20. उत्तर प्रदेश	0.95
21. पश्चिम बंगाल	3.40
22. अरुणाचल प्रदेश	**
23. चंडीगढ़	2.54
24. दिल्ली	4.05
25. गोआ, दमन व दीव	3.12
26. पांडिचेरी	6.75
अखिल भारत	1.94

नोट :—अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली और चण्डीगढ़, मिजोरम तथा नागालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ अन्य क्षेत्रों को सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं लाया गया था।

**नगण्य

विवरण-दो

छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए अपनाए जा रहे कार्यक्रम तथा नीतियां

1. कृषि तथा सम्बध्द क्षेत्रों में विशाल सिंचाई कार्यक्रमों (लघु सिंचाई के उच्च संघटकों सहित) सुधार किए हुए कृषि संबंधी इन्पुट्स आदि को विशेषकर छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन।

2. देश में सभी ब्लाकों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार। यह पहले किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा।

3. छठी योजना अवधि के दौरान आपरेशनफ्लड-II डेरी विकास परियोजना से लगभग 80 लाख मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है। अन्य डेरी विकास योजनाओं से 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा।

4. मत्स्य-पालन का विकास।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) देश के सभी ब्लाकों में लागू होता है तथा इससे विशेषकर मन्दे कृषि मौसम में मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 30 से 40 करोड़ व्यक्ति-दिनों का सृजन होगा।

6. लघु उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग वाले क्षेत्रों जो कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य उपलब्ध कराते हैं, वाले क्षेत्रों के लिए योजना विनियोजन को बढ़ाया गया है। योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 90 लाख व्यक्तियों को हैंडलूम, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर आदि सहित खादी और ग्राम लघु उद्योगों के विकास संबंधी सहायता कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की संभावना है।

7. न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों के निर्माण उद्योगों में काफी रोजगार सृजित होने की संभावना है और इस कार्यक्रम द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा समाज सेवाओं के विस्तार से भी पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सके तथा इन व्यक्तिओं को अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रोजगार स्कीमों को और सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाएगा।

9. पर्यावरण स्वच्छन्दता, गंदी बस्तिओं का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए

मकान बनाने आदि जैसे कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनशक्ति आयोजन तथा रोजगार सृजन के बारे में अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है । देश के अधिकांश जिलों में स्थापित किए गए जिला जनशक्ति आयोजन तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में स्थानीय स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित रोजगार सृजन के नीतियां तथा योजनाएं बनाएगी । परिषदों को उपयुक्त व्यवसायिक समर्थन दिया जा रहा है और जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों द्वारा उनके कार्य में सक्रिय रूप से सहायता दी जाएगी ।

11. स्वः नियोजितों के लिए नया व्यवहार छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है । यह नीति संबंधी उपायों का एक "पैकेज" हैं जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों के स्वः रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं ।

बन्धुआ श्रमिक

2601. **श्री ओ० नरसिहम्हा रेड्डी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है जिन्होंने राज्यों में बंधुआ मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है; और

(ख) क्या सरकार के प्रयासों में बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए कानून में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार बंधित श्रम पद्धित (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के आधीन बंधुआ श्रमिक रखने वालों के विरुद्ध 5254 मामले पंजीकृत किए गए हैं । अब तक 631 मामलों में सजा हुई और 158? मामलों में व्यक्तिओं को बरी किया गया तथा शेष मामले न्यायलयों में या तो सुनवाई हेतु लंबित पड़े हैं या उनकी जांच-पड़ताल अभी चल रही है । दोषी पक्षकारों से जुर्माने के रूप में 1,07,455 रुपये की राशि वसूल की गई है ।

(ख) बंधित श्रम पद्धित (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

2602. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे इस समय जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है और कितने रोजगार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1980 के प्रारम्भ में जन शक्ति जो आर्थिक रूप से सक्रिय और बेरोजगार थी, के स्टाक के अनुमान ।

(हजारों में)

विवरण	जनशक्ति का स्टाक	आर्थिक रूप से सक्रिय जन संख्या (अर्थात् श्रमिकबल)	बेरोजगार व्यक्ति
1	2	3	4
मैट्रिकुलेट्स/हायर सेकण्डरी पास	26650.5	16256.8	2462.9
स्नातक और इससे ऊपर जिनमें डिप्लोमा धारी शामिल हैं।	8110.3	6402.7	1009.1
कुल शिक्षित :	34760.8	22659.5	3472.0

नोट :—1. स्रोत: छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज का अनुबन्ध 13.9.

2. कालम 3 में दिए आंकड़ों में रोजगार में लगे और बेरोजगार व्यक्ति शामिल हैं।

फ्रांस की फर्म के साथ सहयोग से कृमिनाशी औषधियों का निर्माण

2603. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डेसिस" जो एक अत्यधिक प्रभावशाली कृमिनाशी औषधि है, के

निर्माण के लिए फ्रांस की एक फर्म द्वारा अपनी प्राद्योगिकी और जानकारी निःशुल्क अन्तरित करने की पेशकश को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किसी स्थान का चयन किया गया है;

(ग) क्या इसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में की जाएगी; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत, निर्माण की मात्रा और चालू करने की तिथि क्या होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) से (घ) सरकार को डेकामेथ्रिन (डेसिस) के निर्माण के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की दो फर्मों से औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके लिए फ्रांस की एक फर्म द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी । लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

डाक जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस की दर बढ़ाना

2604. **श्री अनादिचरण दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से और डाक जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस किस दर से बढ़ाने का है; और

(ग) इस मामले में दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जैसा कि 21-1-83 को बताया गया था, इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया था जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1981 की अवधि के लिए डाकघर बीमा निधि की देयताओं का वास्तविक मूल्यांकन करने के परिणाम स्वरूप डाक जीवन बीमा पालिसीधारियों को डाक तार बोर्ड के दिनांक 21-1-1983 की अधिसूचना संख्या 29-1-82 एल० आई० में निम्न दरों पर बोनस दिया गया था :

एक : आजीवन बीमा पालिसियां—प्रतिवर्ष बीमित राशि पर

44/- रु० प्रति हजार ।

दो : बंदोबस्त बीमा पालिसियां—प्रतिवर्ष बीमित राशि पर
35/- रु० प्रति हजार।

31 मार्च, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक की तीन वर्ष की अवधि के मूल्यांकन पर दिनांक 20-12-1979 की अधिसूचना संख्या 29-1-79—एल० आई० में घोषित बोनस की दरों से उपर्युक्त दरें अधिक हैं। ये दरें इस प्रकार हैं :—

एक : आजीवन बीमा पालिसियां—बीमित राशि पर प्रतिवर्ष
40/- रु० प्रति हजार।

दो : बंदोबस्त बीमा पालिसियां—बीमित राशि पर प्रतिवर्ष
31/- रु० प्रति हजार।

चीनी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

2605. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिए तृतीय मजूरी बोर्ड के गठन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की द्विपक्षीय चीनी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) तृतीय मजूरी बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे और इसके निदेश पद क्या होंगे तथा इस बोर्ड का कब तक गठन किए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने फिलहाल चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिए तृतीय मजूरी बोर्ड गठित न करने का निर्णय लिया है।

भाखड़ा और देहार बिजली घरों से हरियाणा का हिस्सा

2606. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने अधिक विद्युत और भाखड़ा और देहार बिजली घरों द्वारा उत्पादित विद्युत में इसका हिस्सा बढ़ाने की मांग की है ताकि वह राज्य में बिजली की कमी पर काबू पाने में सफल हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हिस्से अब एक तदर्थ फार्मूले के आधार पर विनियमित किए जा रहे हैं। हरियाणा यह महसूस करता है कि उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सकता है, हरियाणा को उनके वर्तमान हिस्सों से अधिक सहायता दी जा रही है ताकि वह विद्युत की कमी को पूरा कर सके।

थिएन बांध परियोजना

2607. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी नदी पर थिएन बांध का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो उसकी कुल कितनी लागत है और इसकी जलसंग्रह क्षमता क्या होगी तथा कितने क्षेत्रफल की भूमि सिंचित की जानी है और उससे पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा का कितना क्षेत्र सिंचित किया जाना है; और

(ग) इसके निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और इसके निर्माण के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि दी जानी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, 1982 में योजना आयोग द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार अपर बारी दोआब नहर सहित थीन बांध की स्कीम की लागत 263.16 करोड़ रुपये है (1977 के मूल्यों के स्तर पर आधारित) । इस बांध में 1.90 मिलियन एकड़ फुट (2343.61 मि० क्यूबिक मीटर) की जल संग्रह क्षमता की व्यवस्था है । इस परियोजना से 3.49 लाख हेक्टेयर तक भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

(ग) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के सात वर्षों की अवधि में चालू होने की आशा है । परियोजना का निर्माण और वित्त पोषण पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है तथापि, यह कार्य योजना आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन में रखी गई शर्तों के अनुसार इस परियोजना से विद्युत के भाग के बारे में संबंधित राज्यों के अधिकारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जा रहा है ।

डाक और तार विभाग के सेविंग बैंक के कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

2608. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के सेविंग बैंक सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और सरकार इस विभाग को वाणिज्यिक संगठन मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के वाणिज्यिक संगठन के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं इस विभाग के कर्मचारियों को भी दी जाएंगी;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग को विचार आवासीय सुविधाएं कम से कम उन कर्मचारियों को देने का है जिनकी प्राथमिकता तिथि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में पहले से ही आ चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) डाक-तार विभाग में बचत बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। परन्तु इसे एक अलग वाणिज्यिक संगठन नहीं माना जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस उद्देश्य के लिए बचत बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों को डाक-तार विभाग के सभी अन्य कर्मचारियों के समान समझा जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभागों का विभाजन

2609. श्री नारायण चौबे :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरीन समिति ने डाक व तार सेवा की क्षमता में सुधार लाने हेतु डाक व तार विभाग को अलग-अलग विभागों में तीन शाखाओं में बांटने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य सिफारिशों के साथ यह सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

खानों में कोयले का भण्डार

2610. श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परूलेकर :

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1982 में कोयला खानों में कोयले का पर्याप्त भण्डार जमा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में विभिन्न कोयला खानों में कोयले का कुल कितना भण्डार जमा हो गया था; और

(ग) क्या कोयले के भण्डार का जमा होने का कारण रेल वैगन उपलब्ध न होना था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1982 के अन्त में कोल इण्डिया लि० में कोयले का खान-मुहाना स्टाक 18.9 मि०ट० और पूरे भारत में 19.7 मि० टन था।

(ग) स्टाक जमा होने के अनेक कारण थे, जैसे—उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ना जहां विकास कार्य चल रहा है और उपभोक्ताओं की मांग बाद में आएगी, भौतिकीकरण की वास्तविक मांग अपर्याप्त होना और कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त वैगन उपलब्ध न होना। अतः यह कहना सही नहीं है कि कोयले का स्टाक जमा होने का एकमात्र कारण रेलवे वैगन उपलब्ध न होना था।

मुंगेर जिले में लक्खी सराय स्थान पर डाकघर भवन का निर्माण

2611. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर जिले में लक्खी सराय सब-डिवीजन का डाकघर भवन 50 वर्ष पुराना है और बड़ी ही क्षत-विक्षत स्थिति में है;

(ख) क्या डाक-तार विभाग के पास वहां टेलीफोन एक्सचेंज एवम् अपने कर्मचारियों के लिए अपना कोई भवन नहीं है;

(ग) क्या डाक-भवन में कमरों की कमी के कारण वहां तार भेजने हेतु टेलीप्रिंटर प्रणाली स्थापित नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान डाकघर प्रांगण में एक संयुक्त-भवन का निर्माण करके लोगों को आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) लक्खी सराय डाकघर की इमारत 50 वर्ष से अधिक पुरानी है। पुरानी इमारत होने के कारण, इसकी हालत ठीक नहीं है। फिर भी, इस इमारत का मरम्मत कार्य समय-समय पर किया जाता रहा है तथा पिछला मरम्मत कार्य 1980-81 में किया गया।

(ख) जी हां। लक्खी सराय टेलीफोन एक्सचेंज तथा इसके कर्मचारियों के लिए विभागीय इमारत नहीं है।

(ग) जी नहीं। विभागीय मानकों के अनुसार टेलीप्रिंटर सर्किट का औचित्य नहीं पाया गया।

(घ) साधनों की कमी तथा मौजूदा प्रतिबद्धताओं के कारण वर्तमान इमारत के तत्काल पुनः निर्माण की सम्भावनाएं नहीं हैं। तदुपरान्त, डाकघर के लिए भूमि होने के कारण टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत उस भूमि पर बनाने की उम्मीद नहीं है।

फालतू पुर्जों की कमी के कारण बिजली पैदा न करने वाले ताप बिजली संयंत्र

2612. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1982 के हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स में छपे समाचार के अनुसार, फालतू पुर्जों की कमी के कारण ताप बिजली संयंत्र अधिक बिजली पैदा करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सामान्य टूट-फूट के कारण अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों द्वारा रखी गई सामान सूची पर्याप्त है। तथापि जबरन बन्दियों के मामले में उपस्कर के अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विशिष्ट अतिरिक्त पुर्जे या संघटक की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप यूनिट को शीघ्रतापूर्वक विद्युत उत्पादन के लिए पुन: चालू करने में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) और (ग) प्रयोग में लाए जा रहे आयातित सेटों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के सम्बन्ध में 15 करोड़ रुपये के इन्शुरेन्स फालतू पुर्जों के भण्डार न हेतु एक स्कीम चालू है। स्वदेशी सेटों के लिए 40 करोड़ रुपये के इन्शुरेन्स फालतू पुर्जों के भण्डारन हेतु इसी प्रकार की एक स्कीम बनाने के लिए भी विचार किया जा रहा है जिसके लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहमति मांगी गई है।

अतिरिक्त पुर्जों के लिए समुचित सामान-सूची नियंत्रण प्रणाली और अग्रिम आयोजना/बजट व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य बिजली बोर्डों/यूटिलिटीज को समुचित मार्गदर्शी सिद्धान्त दे दिए गए हैं। बोर्ड अपने विद्युत केन्द्रों में सामान-सूची नियंत्रण स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

लघु क्षेत्र की सोडा ऐश की मांग

2613. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए लघु क्षेत्र की सोडा ऐश की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) लघु क्षेत्र की कुल मांग में से सोडियम सिलिकेट, डिटरजेंट, धोबियों, गृह, सहकारी समितियों आदि की कितनी मांग है; और

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान लघु क्षेत्र की सोडा ऐश की मांग में वृद्धि होगी, यदि हां, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ख) अकार्बोनिक रसायनों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 1982-83 के लिए 7.30 लाख टन सोडा ऐश की मांग का अनुमान लगाया है। इस मांग के लघु क्षेत्र के उद्योगों तथा लघु उपभोगताओं सहित सभी प्रकार के उपभोगताओं की आवश्यकताएं शामिल हैं। सोडियम सिलिकेट, अपमार्जकों, धोबियों, घरेलू सहकारी समितियों आदि के लिए कोई अलग अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) 1981-82 में सोडा ऐश की कुल अनुमानित मांग 6.80 लाख टन थी। औसत 7 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर 1982-83 के लिए 7.30 लाख टन की मांग का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय रसायन उद्योग में लागत प्रतिस्पर्धा पर विचार-गोष्ठी

2614. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रसायन निर्माता एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई "भारतीय रसायन उद्योग में लागत प्रतिस्पर्धा" पर विचार गोष्ठी में औषध और भेषज संहिता उद्योग पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया था;

(ख) क्या विचार गोष्ठी में पढ़े गए उस पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि भारत ने मुश्किल से अपनी कोई नई औषधि बनाई है, उसका महत्व उनसे कम था जबकि यूनिटों ने उच्च लागत के कच्चे माल का उपयोग किया; और

(ग) यदि हां, तो औषध उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने, वर्तमान उच्च उत्पादन लागत कम रखने तथा इस उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। सरकार ने भारतीय रसायन उद्योग में लागत प्रतियोगितात्मकता के बारे में भारतीय रसायन निर्माता संघ को कथित गोष्ठी के लिए भेजे गए कागजात देखे हैं।

(ख) उक्त कागजात में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप भी लगाया गया है कि भारत पिछले दो अथवा तीन दशकों में विश्व बाजार में एक भी नया उत्पाद सफलतापूर्वक प्रचलित नहीं कर सका है, जब कि कुछ मूलभूत अविष्कार हुए थे जैसे हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का हेमाइसिन। यह भी उल्लेख किया गया है कि औषध उद्योग में बहुत कम मूल्य वृद्धि हुई है जबकि औषधों के उत्पादन में लगी हुई इकाइयां अधिक लागत वाले कच्चे माल का प्रयोग करती हैं।

(ग) 1. **लाभ प्रदता :**

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट बल्क औषधों की लागत पर 1? प्रतिशत और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट बल्क औषधों की लागत पर 14 प्रतिशत के लाभ की व्यवस्था की गई है। जहां तक फार्मूलेशनों का सम्बन्ध है, कारखाने के बाहर की लागत पर 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के मार्कअप की व्यवस्था की गई है।

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा लागतों की जांच पर आधारित हैं और उनमें आमतौर पर तीन वर्ष के बाद संशोधन किया जाता है। जो इकाईयां उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं और लागत प्रभावी उपाय अपना सकती हैं, वे इस अवधि के दौरान लाभ उठा सकती हैं।

असाधारण रूप से मूल्य परिवर्तन की स्थिति में सरकार ने इन तीन वर्षों की अवधि के दौरान मूल्यों में संशोधन भी किया है, उदाहरणार्थ पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य।

कम्पनी की लाभप्रदता उसके सम्पूर्ण कार्यकलापों पर निर्भर करती है, जिनमें मूल्य नियंत्रित औषधों और फार्मूलेशनों से गैर-सम्बद्ध कार्यकलाप भी शामिल हैं।

2. लागत को कम करने के लिए किए गए उपाय

(क) महत्वपूर्ण औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित 23 आयातित औषध मध्यवर्तियों पर केवल 25 प्रतिशत सीमा शुल्क की रियायती दर लागू है। अतः सम्बन्धित बल्क औषधों के मूल्य कम रखे गए हैं।

(ख) उद्योग को लागत के बारे में सचेत रखने की दृष्टि से औषध उद्योग का लागत लेखा परीक्षण किया जाता है।

3. क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

(क) नए औषधों के निर्माण के लिए अथवा नए एककों को वर्तमान औषधों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देते समय संचालन की मितव्यता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) सरकार द्वारा क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में घोषित नीति के अनुसार बल्क औषधों की क्षमता पृष्ठांकित करने के अलावा बल्क औषधों के निर्माण के लिए क्षमता में विस्तार की अनुमति भी दी जाती है।

(ग) निर्माताओं को कुशल और लागत प्रभावित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

फार्म-श्रमिकों के सेवाओं को नियमित करने हेतु विधान

2615. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतिम रूप से यह निर्णय कर लिया है कि राज्यों को फार्म-श्रमिकों की कार्य शर्तों के नियमित करने हेतु विधान बनाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या एक समानता रखने हेतु केन्द्रीय कृषि श्रम कानून बनाने का पहला प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच भी है कि केन्द्रीय विधान के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या प्रस्तावित विधान का तदर्थ मसौदा राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों को, उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी टिप्पणियां क्या हैं और उक्त विधान के बारे में कोई अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) खेतिहार श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और विधान के अंतिरम मसौदे को राज्य सरकारों तथा विभिन्न संबंधित पक्षों को परिचालित किया गया। बाद में, इस मामले पर श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया, परन्तु भिन्न-भिन्न राज्यों में व्याप्त दशाओं की विविधता तथा राज्य श्रम मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों के कारण एक-समान विधान के कार्यान्वयन के बारे में व्यक्त की गई विभिन्न कठिनाइयों के कारण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहूंच सके। इस प्रस्ताव का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल भी गठित किया गया और कार्यकारी दल में कोई मतैक्य नहीं हो सका। अतः अन्त में यह निर्णय किया गया है कि खेतिहर श्रमिकों की कार्य-दशाओं को नियमित करने तथा उनके कल्याण की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त विधान राज्य सरकारों द्वारा स्वयं बनाये जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का पुनः पुनर्गठन

2616. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के पुनर्गठन की सरकार को कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अल्प अवधि में इनको दूसरी बार पुनर्गठन करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से सरकार कम्पनियों के पुनर्गठन सहित अनेक प्रस्तावों की जांच कर रही है।

20 लाख रुपये तक की फिल्मों की सीधी बिक्री और खरीद

2617. **श्री तारिक अनवर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 20 लाख रुपए तक की फिल्मों की सीधी बिक्री और खरीद की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, क्या तो सरकार इस स्थिति को स्वीकार करती है कि 20 लाख रुपए से अधिक की फिल्मों के सोदों के मामले में 20 लाख रुपए का भुगतान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा और शेष राशि के भुगतान का हिसाब रखा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फिल्मों की बिक्री और खरीद के सभी सौदों का काम निगम को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गैर सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा 20 लाख रुपये तक की फीचर फिल्मों का सीमित संख्या में आयात किए जाने के लिए 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1983 तक हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान एक सीमित मुक्त बाजार लगाया गया था।

(ख) क्योंकि रायल्टी और प्रिन्ट/प्रिन्टों की सहित, किन्तु सीमाशुल्क को छोड़कर, आयात का समग्र मूल्य 20 लाख रुपये तक सीमित होगा, इसलिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कोई भुगतान किए जाने का प्रश्न नहीं है।

(ग) और (घ) आयात नीति के अनुसार, भारत में फीचर फिल्मों का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत सरकार द्वारा रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर केवल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ही किया जाता है। तथापि, मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका और सोवेक्सपोर्ट फिल्मस को विशेष प्रबन्धों के आधार पर भारत में फीचर फिल्मों का आयात करने की अनुमति है। नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान गैर-सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा फिल्मों का सीमित आयात किए जाने की अनुमति भी "आयात नीति" को शिथिल करके प्रयोगात्मक आधार पर दी गई थी।

कुकिंग गैस की नई एजेंसियों का आवंटन

2618. श्री नरसिंह मकवाना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, कुकिंग गैस की कितनी नई एजेंसियां दी गई और प्रत्येक एजेंसी के पास कितने कनेक्शनों के लिए नाम रजिस्टर्ड हुए;

(ख) कुकिंग गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है, जहां कुकिंग गैस के सिलिण्डरों की नियमित सप्लाई नहीं की जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की योजनाओं के प्रति, 31.12.1982 की यथा स्थिति के अनुसार कुल 388 एजेंसियां चालू की गईं। इन चालू की गई एजेंसियों तथा विद्यमान एजेंसियों द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 10 लाख गैस कनेक्शन दर्ज किये गये थे। नए गैस कनेक्शनों के लिए एजेंसिवार पंजीयन का रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध विद्यमान हैं :—

(1) सिलेंडरों के पूरी तरह से समाप्त हो जाने से बचने के लिए तेल कंपनियां दिन-प्रतिदिन के आधार पर डीलरों को की गई सिलेंडरों की सप्लाई को बड़े ध्यान पूर्वक देखभाल करती हैं;

(2) डीलरों के अपनी डिलीवरी प्रणाली में वृद्धि/सुधार करने के लिए तैयार करना;

(3) डीलरों को सिलेंडरों की पर्याप्त स्टाक की व्यवस्था प्रदान करना;

(4) डीलों को सिलेंडर का पर्याप्त भंडार दिलवाना; और

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की ढील तथा कदाचार प्रवेश तो न कर जाएं, ग्राहक सेवा कक्ष समग्र वितरण प्रणाली की निगरानी भी करता है।

(ग) कभी कभी कमियों को दूर करने के लिए जो कार्य-संचालनात्मक कारण जैसे कि परिवहन समस्याएं, औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं, बिजली कटौती आदि के कारण होती हैं, तेल कंपनियों द्वारा वैकल्पिक साधनों से उपभोक्ताओं को रिफिलों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धों की देखभाल की गई है। संभार-तन्त्र समस्यायों के कारण उन क्षेत्रों में जहां रिफिल की सप्लाई में अनावश्यक समय लगता है, यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान ग्राहकों को, जो इसके इच्छुक हैं, एक अतिरिक्त सिलेंडर की सप्लाई किया जाए।

राज्यों में विद्युत की वितरण के दौरान क्षति तथा उसे कम करने के उपाय

2619. श्री गुलशेर अहमद :
श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विद्युत की वितरण के दौरान होने वाली क्षति क्या है;

(ख) इस क्षति को कम करने के उद्देश्य से कमियां दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन वितरण के दौरान होने वाली क्षति के कारणों की जांच करने, कमियां दूर करने तथा प्रगति की निगरानी रखने के लिए शिखर-स्तरीय समितियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान विद्युत प्रणालियों की समग्र हानियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) (एक) राज्यों को निम्नलिखित सलाह दी गई है :

(1) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर सभी प्रमुख शहरों के लिए वितरण प्रणालियों के विकास को कारगार बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करें क्योंकि ये प्रमुख भार केन्द्र हैं जिनमें प्रणाली हानियों को कम करने की काफी गुंजाइश है।

(2) माडल अध्ययनों के आधार पर प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करें।

(3) शंट केपेस्टरों के उपयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाएं और इन्हें शीघ्रता-पूर्वक प्रतिष्ठापित करें ताकि विद्युत फैक्टरी में सुधार हो सके और परिणामस्वरूप हानियों की कमी हो सके।

(4) ऊर्जा की चोरी को समाप्त करने के लिए आकस्मिक जांच सहित प्रशासनिक उपायों और नियंत्रणों को सशक्त करें।

दो—पारेषण और वितरण हानियों को कम करना 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसकी घनिष्ठ मानीटरिंग की जा रही है।

(ग) फिलहाल शीर्ष स्तरीय समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रणाली की समग्र हानियों की प्रतिशतता दिखाने वाला विवरण

क्षेत्र	राज्य/राज्य बिजली बोर्ड	वर्ष 1979-80 के दौरान विद्युत प्रणाली की समग्र हानियां
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	28.14
	2. हिमाचल प्रदेश	18.04
	3. जम्मू व कश्मीर	46.02
	4. पंजाब	19.82
	5. राजस्थान	24.70
	6. उत्तर प्रदेश	19.04

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	16.93
	2. मध्य प्रदेश	22.49
	3. महाराष्ट्र	16.97
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	18.13
	2. उड़ीसा	18.33
	3. सिक्किम	20.81
	4. पश्चिम बंगाल	14.32
दक्षिण क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	22.85
	2. कर्नाटक	21.07
	3. केरल	16.45
	4. तमिलनाडु	19.29
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. असम	19.23
	2. मणिपुर	47.24
	3. मेघालय	4.32
	4. नागालैंड	32.42
	5. त्रिपुरा	31.95
अखिल भारतीय (यूटीलिटीज)		20.44

सागर विकास रिग का निपटान

2620. श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में क्षतिग्रस्त हुए जैक-रिग सागर विकास के निपटान के लिए क्या प्रयत्न किए गए थे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई टेंडर आमन्त्रित किए गए थे;

(ग) क्या सागर विकास को खरीदने में किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ने रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके निपटान के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सागर विकास की बिक्री के लिए "जैसा है जहां है" आधार पर बोलियां आमंत्रित करने के लिए खुला टेंडर जारी किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मामला बीमा कम्पनी के साथ विचाराधीन है।

रुग्ण कुओं से तेल का उत्पादन करने के लिए विदेशी सहयोग

2621. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अधिकारियों ने देश में रुग्ण और विशेष कुओं से तेल का उत्पादन करने के क्षेत्र में सहयोग के सम्बन्ध में के प्लाइनर एण्ड एसोसिएट्स के तेल विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केपलाइनर एण्ड एसोसिएट्स के तेल विशेषज्ञों को रुग्ण और निःशेष कुओं से तेल का उत्पादन करने का कार्य सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो 1984 में तेल की खोज की तेज गति को ध्यान में रखते हुए देश के किस हद तक तेल खोजने में सफल होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) विशेष जलाशयों से अधिक तेल वसूली के सम्बन्ध में अहमदाबाद में फरवरी, 1983 को मैसर्स केपलिगर एण्ड एसोसिएट्स द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी के दौरान रुग्ण कूपों को दोबारा चालू करने के लिए सहायता के बारे में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उनके साथ सामान्य विचार-विमर्श किए गए थे। तथापि इस सम्बन्ध में मैसर्स केपलिगर एण्ड एसोसिएट्स द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी और ठेका मजदूरी को बंधुआ मजदूरी के रूप में मानना

2622. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1982 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि बंधुआ मजदूरी की परिभाषा में समुचित संशोधन करके इसमें प्रवासी और ठेका मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) सम्मेलन ने अन्य क्या सिफारिशें की थीं और उन पर कहां तक अमल किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) सितम्बर, 1982 में हुए श्री मंत्री सम्मेलन में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बंधुआ श्रमिकों से संबंधित सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । इन सिफारिशों को नोट कर लिया गया है । इन्हें समुचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है ।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम की एक मद के रूप बंधुआ श्रम पद्धति के उन्मूलन पर व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको शीघ्र मुक्त कराने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए ।

2. राज्यों को निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :—

(1) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए नए प्रयास जारी रखना;

(2) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उन्हें फिर से बसाने के सम्बन्ध में समय पर मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना;

(3) उन निधियों का उपयोग हो चुकने के समर्थन में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की तुरन्त प्रस्तुति सुनिश्चित करना, जो कि राज्य सरकारों को केन्द्र के हिस्से की बाबत दी गई सहायता का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

(4) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति ।

(5) (1) समेकित ग्रामीण विकास परियोजना, (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना, (3) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना, (4) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आदिवासी उप-योजना, जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले साधनों की पूलिंग करके तथा इन्हें कौशल पूर्ण तरीके से समकलित करके बेहतर और स्थायी पुनर्वास कराने के लिए वास्तविक प्रयास करना और इस विषय के सम्बन्ध में उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाना, जो हाल ही में सभी राज्य सरकारों को भेजे गए हैं ।

3. ईंट-भट्टों तथा पत्थर खदानों में दासता की सीमा का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण राज्यों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किए जाने चाहिए ।

4. उन मामलों में, जिनमें श्रम मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र पहले से ही भेजे जा चुके हैं और अनुदान शीघ्र दिया जाना चाहिए ।

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए बिजली घर

2623. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए बिजली घर स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-1 (1260 मेगावाट) को, उत्तर प्रदेश में रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-1 (1000 मेगावाट) को तथा बिहार में कोयल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) को चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है । चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

बिहार में कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र (4 × 200 मेगावाट) तथा उत्तर प्रदेश में टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है । इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व वित्त पोषण सहित अनेक निवेशों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त श्रेणीवार कर्मचारी

2624. **श्री अमल दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने टेलीफोन सेटों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने के 30 वर्ष बाद सामान्य टेलीफोन के बेहतर माडल के लिए नए प्रोडक्शन लाइनों की स्थापना करने के लिए समझौता किया है; और

(ख) सरकार द्वारा अपने दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में बेहतर माडल का विकास न कर सकने के क्या कारण हैं, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कोई समझौता नहीं किया गया है परन्तु मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० बंगलूर ने डाक-तार विभाग के परामर्श से समसामयिक डिजाइन के टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन के लिए सहयोग के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं । सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परन्तु अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाना बाकी है ।

(ख) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० के सहयोग से अपने पुराने माडल का आधुनिकीकरण किया है तथा माडल "टाइप 677" का उत्पादन किया जा

रहा है। प्रस्तावित समझौता मुख्यतः नवीनतम उत्पादन तकनीक पर जानकारी प्राप्त करने के लिए है।

सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है जिसमें दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में श्रेणीवार कर्मचारी दर्शाए गए हैं।

विवरण

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में श्रेणीवार कर्मचारी दर्शाने वाली विवरणी :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
निदेशक	1
अतिरिक्त निदेशक	7
उप-निदेशक	24
सहायक निदेशक	120
वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी ग्रेड-I	193
वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी ग्रेड-II	92

चन्द्रपुर तापीय बिजली परियोजना के लिए ठेका

2625. श्री पी० के० कोडियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रपुर में 500 मेगावाट की तापीय बिजली परियोजना का 1000 करोड़ रुपये का ठेका एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देने के क्या कारण हैं, जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) की संविदा दर कम थी;

(ख) क्या यह सच है कि 500 मेगावाट के ऐसे उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास विशेषज्ञ, क्षमता और प्रमाणित अनुभव है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए द्विपक्षीय संयुक्त समिति में प्रबन्ध समिति और श्रमिकों ने सरकार की कार्यवाही के संयुक्त रूप से अस्वीकार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना के लिए उपस्करों की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) "भेल" ने 4500 मेगावाट की यूनिटों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया है किन्तु उनके द्वारा निर्मित कोई यूनिट अभी तक चालू नहीं की गई है।

(ग) "भेल" की संयुक्त द्विपक्षीय समिति ने देश में उपलब्ध स्वदेशी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। सरकार के कार्य को अनुमोदित न करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में टी० वी० रिले केन्द्र

2626. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसन सोल (पश्चिम बंगाल) का टी० वी० रिले केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) रिले केन्द्र के कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) कार्य पूरा करने की योजना क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आसन सोल में अन्तरिम दूरदर्शन सेवा के 1983-84 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए 150 मीटर ऊंचे टावर की सप्लाई और उसके लगने तक कम ऊंचे अस्थायी टावर की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) ट्रांसमीटर प्राप्त हो गया है। भवन निर्माण कार्य मुकम्मल होने की अन्तिम अवस्था में है। अस्थायी टावर के लिए आर्डर दे दिया गया है। आपूर्ति और निपटान महा-निदेशालय पर नियमित स्टील टावर की सप्लाई शीघ्र करने के लिए जोर डाला जा रहा है।

"पोलैण्ड आफर्स हेल्पट् उड़ीसा पावर प्लान्स" शीर्षक समाचार

2627. **श्री अरविन्द नैताम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 दिसम्बर, 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "पोलैण्ड आफर्स हैल्पट् उड़ीसा पावर प्लान्स" शीर्ष समाचार के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ताप और जल विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने हेतु उड़ीसा के मुख्य मंत्री और पोलेण्ड के काउन्सिल के बीच हुई बातचीत का ब्योरा क्या है;

(ग) इस बारे में पोलेण्ड के काउन्सिल द्वारा सुनिश्चित की गई आर्थिक और अन्य टेक्निकल सहायता का ब्योरा क्या है और क्या कोई समझौता करने के लिए वहां का कोई प्रतिनिधिमंडल भी भारत का दौरा कर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे संयंत्रों के रखरखाव और समुचित कार्यकरण हेतु पोलेण्ड की सरकार भारतीयों को प्रशिक्षण भी देगी और क्या यदि अतिरिक्त कलपुर्जों की आवश्यकता हुई तो उन्हें भी सप्लाई करेगी; और

(ङ) सरकार ऐसे संयंत्रों को बन्द होने से रोकने हेतु जैसा कि कुछ संयंत्रों के मामले में किया गया है क्या प्रयास कर रही है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अधिष्ठापित क्षमता और विद्युत उत्पादन

2628. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) इसमें से जल, ताप और आणविक विद्युत उत्पादन की पृथक-पृथक क्षमता क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन के इन तीन संसाधनों में से ऐसा कौन सा संसाधन है, जिस पर भविष्य में सरकार का अधिक बल देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31.1.1983 को कुल स्थापित क्षमता 33875 मेगावाट है ।

(ख) ताप विद्युत	20530 मेगावाट
जल विद्युत	12485 मेगावाट
न्यूक्लीय विद्युत	860 मेगावाट
	33875

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत विकास के लिए 15 वर्षीय विस्तृत भावी योजना तैयार की जा रही है । इस प्रक्रिया से देश में आर्थिक विकास की वांछिक भावी योजना के अनुरूप विद्युत विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अनुमोदित पनबिजली परियोजनाएं

2629. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में अनुमोदित पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई 7 जल विद्युत स्कीमें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं और निर्माण के विभिन्न चरणों में है । राज्य सरकार द्वारा मांगे गए इनके ब्यौरे और राशि विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि (लाख रुपये)		
			1980-81	1981-82	1982-83
1.	रोगटोंग	(4 × 0.5 मेगावाट)	60	42	70
2.	बिनवा	(2 × 3 मेगावाट)	137	209	165
3.	भाबा	(3 × 40 मेगावाट)	700	613	700
4.	गान्घ्रा	(3 × 5 मेगावाट)	197	210	220
5.	बेनर	(2 × 3 मेगावाट)	—		=
6.	थीरोट	(3 × 1 मेगावाट)	—	210*	150
7.	गाज	(3 × 3.5 मेगावाट)	—		(एल०एस०)

* थीरोट, गाज, होली, नियोगल, खोली तथा नाथपा-झाकरी परियोजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान।

= नाथपा-झाकरी, होली, नियोगल, खोली, बस्सी चरण-3, किल्लार और साल चरण-1 और 2 तथा चम्बा विस्तार इसमें शामिल हैं।

इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के साथ विलय किया जाना

2630. श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही किए गए इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी को मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, के साथ 'विलय' की शर्तों को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि 'इन्डाल' के शेयर धारकों को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के 4 शेयरों के बदले 9 शेयरों के विनिमय की आशा है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुपात का निर्णय किसने किया है;

(घ) क्या कोई निष्पक्ष मूल्यांकन नियुक्त किया गया था;

(ङ) क्या वित्त संस्थानों ने सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् अनुपात के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी हैं; और

(च) छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (ग्राई०ए०सी०एल०) के मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के साथ सूचित विलय के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि; इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस बाबत कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है।

(ख) से (च) उत्पन्न नहीं होता।

इन्डेन खाना पकाने की गैस-एजेन्सियों की संख्या

2631. श्री आर० पी० यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 15-2-1983 के अनुसार कितनी इन्डेन खाना पकाने की गैस एजेन्सियां काम कर रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी एजेन्सियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं आदि, स्वतन्त्रता सेनानियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को आबंटित किए गए;

(ग) क्या उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल मिलाकर उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पिछला बकाया पूरा करने और बहुत अपेक्षित और अपेक्षित अनुसूचित जनजातियों के जनसमुदायों के लोगों को उनका देय हिस्सा देने उनके पक्ष में अपनी नीति में संशोधन करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) देश में 1-3-83 को 690 इण्डेन वितरक काम कर रहे हैं।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

1. अनुसूचित जाति	—	67
2. अनुसूचित जनजाति	—	12
3. शारीरिक रूप से अपंग/युद्ध में विकलांग हुए व्यक्ति, युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक	—	218
4. स्वतन्त्रता सेनानी/सामाजिक कार्यकर्त्ता	—	8

पिछड़ी जातियों के लिए कोई अलग कोटा नहीं है, अतः तेल कम्पनियों द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) आई०ओ०सी० द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियां देने की आरक्षण नीति 1-1-1974 को आरम्भ की गई। इस तिथि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का कुल मिलाकर 25% आरक्षण कोटा प्राप्त हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बारासात टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार

2632. **श्री चित्त बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बारासात, टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण को सुधारने के बारे में अनेक अवसरों पर अनेक प्रत्यावेदन पेश किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं ने वर्तमान एक्सचेंज के कार्यकरण में अनियमितताओं को दूर करने के लिए और इसे सीधे कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए डाक-तार विभाग द्वारा खरीदी गई भूमि पर नया एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो बारासात टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) बारासात टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कुछेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए है।

(ख) उपभोक्ताओं ने डाक-तार विभाग द्वारा खरीदी गई भूमि के प्लाट पर एक नया एक्सचेंज स्थापित करने और उसे कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के एक्सचेंजों से सीधे जोड़ने की मांग की है।

(ग) बारासात टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) एक्सचेंज उपस्कर की अच्छी तरह से मरम्मत की गई है।

(2) जंक्शनों में पाए गए दोषों के परीक्षण और निपटान कार्य में तेजी लाई गई है।

(3) एक स्टैंडबाइ इंजिन आल्टरनेटर की व्यवस्था की जा रही है ताकि बिजली फेल होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से निपटा जा सके।

(4) एक नए टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण करने के लिए भूमि खरीदी गई है। ऐसी योजना है कि मौजूदा एक्सचेंज को नए एक्सचेंज में बदल दिया जाए।

बिहार में ईस्ट चम्पारन जिले में मोतीहारी में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना

2633. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है, इनकी स्थापना कब तक हो जाएगी तथा किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में ईस्ट चम्पारन जिले में मोतीहारी में ऐसे ही एक एक्सचेंज की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में निम्नलिखित इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है :—

एक्सचेंज की किस्म	संख्या
(एक) एम० ए० एक्स०-I	41
(दो) मध्य आकार के कंटेन्राइज्ड एक्सचेंज	25
(तीन) छोटे आकार के कंटेन्राइज्ड एक्सचेंज	80
(चार) मेटाकोंटा ग्रामीण इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज	दो एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा दो और संस्थापित किए जा रहे हैं।
(पांच) 9 लाइनों के ग्रामीण इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज	100

क्रम संख्या (एक) से (चार) में दिए एक्सचेंज आयात किए जा रहे हैं और क्रम संख्या (पांच) में उल्लिखित एक्सचेंजों को स्वदेशी उत्पादन से ही प्राप्त करने के आदेश दिए गए हैं।

(ख) कृपया विवरण में दिए गए ब्यौरों का अवलोकन करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) छोटे आकार के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को मौजूदा मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण करने और छोटे स्वचल एक्सचेंजों (100 लाइनों से कम) को बदलने के लिए, देश में जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर संस्थापित किया जा रहा है। चूंकि पूर्वी चम्पारन जिले

में स्थित मोतीहारी में पहले से ही 400 लाइनों का स्वचल एक्सचेंज है, इसलिए यह उसी आकार के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की संस्थापना करने के दायरे में नहीं आता।

विवरण

(1) ऐसे इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची जिनके खोले जाने की सम्भावना है

(ए) एम० ए० एक्स०-1 (41)

क्रम सं०		एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित एफओबी लागत (दस लाख रु० में)
1		2	3
1.	बम्बई	कूपरेज-IV	39.2
2.	दिल्ली	तीस हजारी-IV	
3.	कलकत्ता	टेलीफोन भवन-III	
4.	दिल्ली	ईदगाह-IV	17.9
5.		करोल बाग-IV	17.4
6.		नेहरू प्लेस-III	19.1
7.		सेना भवन	19.6
8.		किदवई भवन	18.9
9.		राजौरी गार्डन-III	17.6
10.		तीस हजारी-IV विस्तार	14.7
11.		नेहरू प्लेस-III विस्तार	13.6
12.		करोल बाग टेंडम	19.1
13.		रजौरी गार्डन-V	25.0
14.		शक्ति नगर-III	19.6
15.		ओखला-II	21.9
16.		शाहदरा दक्षिण	28.2
17.	बम्बई	बांद्रा-I	17.5
18.		मजगांव-III	19.0
19.		प्रभादेवी-II	20.6
20.		बांद्रा-I विस्तार	14.4

1		2	3
21.		कूमरेज-IV विस्तार	16.5
22.		वार्ली-III	41.7
23.		घाटकोपर	35.2
24.		वडाला-II	24.5
25.		मरोल-III	22.2
26.		मरोल टेंडम	20.2
27.		कूरेज-V	23.2
28.		खार-III	12.7
29.	कलकत्ता	साल्टलेक	14.3
30.		कोसीपोर टेंडम	10.4
31.		टेलीफोन भवन-II	28.2
32.		सेंट्रल-I	28.5
33.		सेंट्रल-II	26.8
34.	मद्रास	नुंगाम्बकम	18.0
35.		टी०ए०एक्स० बिल्डिंग	26.4
36.		अन्ना रोड टेंडम	10.3
37.	हैदराबाद	सैफाबाद	46.2
38.	अहमदाबाद	रेलवेपुरा-IV	19.7
39.	कानपुर	लाजपत नगर	29.7
40.	पठानकोट		9.8
41.	श्रीगंगानगर		9.8

(दो) मध्यम आकार के इलैक्ट्रानिक कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज

सर्किल	स्थान	एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित एफओबी लागत
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	1.5 करोड़ रु०
बिहार	गया	2.3 ,,

1	2	3
गुजरात	पोरबंदर	2.3 करोड़ रु०
	मेडसाणा	—वही—
	गांधीधाम	1.5 "
	गांधी नगर	2.3 "
	वेरावल	1.5 "
जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर	2.3 "
कर्नाटक	गुलबर्गा	1.5 "
	उडीपी	1.5 "
केरल	चंगानाचेरी	1.5 "
महाराष्ट्र	मारगाओ	2.3 "
	पनवेल	1.5 "
उत्तर-पूर्व	डिब्रूगढ़ सिल्चर तिनसुकिया जोरहाट	1.5 " प्रत्येक
उत्तर पश्चिम	सिरसा	1.5 "
	गुड़गांव	2.3 "
	अबोहर	1.5 "
	खन्ना	—वही—
राजस्थान	अलवर	2.3 "
	पालीमारवाड़	—वही—
	ब्योवर	1.5 "
तमिलनाडु	करूर	2.3 "

(तीन) छोटे आकार के कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज (80)

क्रम सं०	सर्किल	एक्सचेंजों की सं०	एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित एफओबी लागत
1.	बिहार	8	अभी जानकारी नहीं है।
2.	गुजरात	1	
3.	जम्मू व कश्मीर	1	
4.	मध्य प्रदेश	17	
5.	उत्तर-पूर्व	1	
6.	उड़ीसा	8	
7.	उत्तर प्रदेश	10	
8.	उत्तर पश्चिम	6	
9.	राजस्थान	10	
10.	केरल	4	
11.	आन्ध्र प्रदेश	12	
12.	महाराष्ट्र	2	

(चार) सेटाकोंटा ग्रामीण इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

स्थान का नाम	एक्सचेंज उपस्कर की अनुमानित एफओबी लागत
(क) अल्मोड़ा	22 लाख रु०
(ख) उन्नानी	—वही—

(पांच) 9 लाइनों का ग्रामीण इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

निम्नानुसार इन एक्सचेंजों को विभिन्न फील्ड यूनिटों में आवंटित किया गया है :

1.	केरल	20	24,000 रु० प्रत्येक
2.	महाराष्ट्र	20	
3.	राजस्थान	19	
4.	उत्तर-पूर्व	20	
5.	उत्तर प्रदेश	20	
6.	उ०स्त०दू०सं० प्रशि० केन्द्र गाजियाबाद	1	
		100	

(2) चालू किए जाने वाले एक्सचेंज

उपर्युक्त मद (एक) से (पांच) में दिए गए एक्सचेंज छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 1983 से उत्तरोत्तर चालू कर दिए जाने की सम्भावना है।

तट पर तथा तटदूर तेल की खोज का कार्यक्रम

2634. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तट पर तथा तट दूर तेल की खोज का क्या कार्यक्रम है और उसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को बुलाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में तेल का कितना उत्पादन होता है और 1990 तक उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि, 1980-85 के दौरान 1176 हजार मीटरों की अन्वेषी व्यधन मीटरेज के साथ कुल 412 कूपों को पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। इसके प्रति योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (जनवरी 1983 तक) कुल 179 कूप जमा 6 आंशिक कूप तथा 451.5 हजार मीटरों की अन्वेषी मीटरेज प्राप्त की गई थी।

(ख) सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक 11 अमरीका की एक तेल कम्पनी चवरान को दिया गया है। जिसने ठेके के अनुसार लगभग 5000 लाइन किलो मीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। आंकड़ों का संसाधन प्रगति पर है।

(ग) आशा है कि वर्ष 1982-83 के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन लगभग 21 मिलियन मी० टन की संख्या तक पहुंच जायेगा। इसके वर्ष 1984-85 तक लगभग 29 मिलियन मी० टन तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए 10 वर्ष अर्थात 1980-90 के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनायी गई हैं ये संभावित इन्पुट-आउटपुट माडल पर आधारित हैं और सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष 1990 में होने वाला उत्पादन भंडारों की स्थापना तथा खोजे गए क्षेत्रों आदि के उत्पादन की संभावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए, वर्ष 1990 तक होने वाली संभावित उत्पादन के सम्बन्ध में इस समय कोई अनुमान देने का प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया का उत्पादन करने वाले गैस पर आधारित दस उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2635. **श्री के० ए० राजन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैस पर आधारित दस उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है जिसमें प्रत्येक की क्षमता प्रतिवर्ष 750,000 टन यूरिया उत्पादित करने की होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन एककों में कुल कितनी राशि का निवेश करने का विचार है; और

(ग) इन नये संयंत्रों में यूरिया के उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आयेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पश्चिमी तट की गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्र, महाराष्ट्र में थाल तथा गुजरात में हजीरा में दो-दो संयंत्र पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। थाल में स्थिति दो संयंत्रों की कुल वार्षिक क्षमता 14, 85, 000 टन यूरिया होगी। और अब इन की लागत के लगभग 890 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हजीरा के दो संयंत्रों की कुल वार्षिक क्षमता 14, 52, 000 टन है। और उनकी वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 980 करोड़ रुपये है।

पश्चिमी तट की गैस पर आधारित छः और उर्वरक संयंत्र चरणावद्ध रूप से स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और चार उत्तर प्रदेश में होंगे। प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक क्षमता 7, 42, 500 के बराबर होगी।

मध्य प्रदेश संयंत्र की अनुमानित लागत अस्थायी रूप से 690 करोड़ रु० लगाई गई है। शेष संयंत्रों की लागत के अनुमान निश्चित नहीं किए गए हैं।

(ग) जब तक संयंत्र उत्पादन करना आरम्भ नहीं करते उत्पादन की निश्चित लागत दर्शाना कठिन है।

ओ० एन० जी० सी० को विदेशी मुद्रा का आबंटन

2636. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का आबंटन किया गया था;

(ख) क्या जिन परियोजाओं के लिए विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी, उनके क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) परियोजनाओं के मन्दगति से क्रियान्वयन करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) ओ० एन० जी० सी० के मामले के विदेशी मुद्रा कोई विशेष वार्षिक आबंटन नहीं किया गया है। ओ० एन० जी० सी० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पृथक-पृथक प्रत्येक मामले के आधार पर पूरी/अनुमोदित की जाती हैं उपर्युक्त आधार पर ओ० एन० जी० सी० को अनुमोदित विदेशी मुद्रा वर्ष 1981-82 में 714,24 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1982-83 में, जनवरी 1983-84 तक अस्थायी आंकड़े 782,08 करोड़ रुपये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1982-83 के लिए पन बिजली उत्पादन का लक्ष्य और प्राप्ति

2637. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 के लिए पन बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : वर्ष 1982-83 के दौरान जल विद्युत उत्पादन का 48000 मिलियन यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसकी तुलना में फरवरी, 1983 तक की वास्तविक उपलब्धि 44,777 मिलियन यूनिट है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्र वृति

2638. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कितनी वार्षिक सहायता दी जा रही है; और

(ख) क्या जीवन यापन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता में समुचित वृद्धि करने का कोई विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अ० जा०/अ० ज० जा० से सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को पहले छात्रवृत्ति के रूप में 45/- रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी दिए जाते थे । इसे बढ़ाकर 60/- रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी कर दिया गया है और बढ़ोत्तरी को अधिकांश राज्यों में पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है ।

(ख) छात्रवृत्ति की दरें केवल कुछ वर्ष पहले ही बढ़ाई गई थीं; इसलिए इस समय इसमें और अधिक बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में घटिया टेलीफोन और ट्रंककाल सेवा

2639. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में टेलीफोन और ट्रंक काल सेवा पिछले छह महीनों के दौरान बहुत घटिया स्तर की रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) (1) विदिशा-भोपाल, (2) विदिशा-रायसेन, (3) विदिशा-कुरवाई, (4) विदिशा-सिरोंज, (5) भोपाल-बुधनी, (6) भोपाल-नसरूल्लाहगंज, (7) विदिशा-गुलाबगंज, (8) विदिशा-उदयपुरा और विदिशा-बेगमगंज लाइनें पिछले तीन महीनों के दौरान कितनी बार खराब रहीं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। विदिशा और रायसेन जिले के लिए स्थानीय और ट्रंक काल सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत तीन माह के दौरान हुई खराबियां नीचे दी गई हैं :—

	लाइन का नाम	खराबियों की संख्या
(एक)	विदिशा-भोपाल	8
(दो)	विदिशा-रायसेन	12
(तीन)	विदिशा-कुरवाई	37
(चार)	विदिशा-सिरंज	कोई सीधी लाइन नहीं है
(पांच)	भोपाल-बुदनी	—वही—
(छ:)	भोपाल-नसरुल्लाहगंज	—वही—
(सात)	विदिशा-गुलाबगंज	—वही—
(आठ)	विदिशा-उदयपुरा	—वही—
(नौ)	विदिशा-बेगमगंज	—वही—

जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

2640. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यहां केन्द्रों की स्थापना पर गम्भीरता से विचार करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवाओं को उपलब्ध करने का काम संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, चरणबद्ध ढंग से हाथ में लिया जा रहा है। अनुमोदित छठी योजना में जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक के उत्पादन में बाधाओं को समाप्त करने के उपाय

2641. **श्री पी० एस० सईद** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरक उत्पादन के मार्ग की अड़चनों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक के उत्पादन में बाधा पहुँचाने वाली समस्या का पता लगा लिया गया है और उसे हल कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरक हानि 600/- करोड़ रुपये से अधिक हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार के लिए यह भारी चिन्ता का विषय है; और

(च) यदि हां, तो उर्वरक हानि किस हद तक कम हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) बारम्बार बिजली की समस्याओं तथा उपस्करों की कमियों के कारण कुछ उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन समस्याओं से बचने के लिए कैप्टिव पावर सुविधाओं की स्थापना और खराब उपस्करों के नवीकरण प्रतिस्थापन, जैसे उपाय किए गए हैं या करने की योजना बनाई जा रही है :

(घ) से (च) यह प्रकल्पित किया जाता कि कुछ सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों की हानि की ओर संकेत किया गया है। ये हानियां पूर्णतः असन्तोषजनक उत्पादन निष्पादन के कारण हुई हैं। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर में बताया गया है सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के उत्पादन-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपचारी उपाय पहले ही आरम्भ किए गए हैं। यह आशा है कि ये कार्यवाहियों पूर्ण हो जाने पर, इन संयंत्रों के वित्तीय निष्पादन में सुधार लाएंगी।

प्रतीक्षा सूची में खाना बनाने के गैस कनैक्शनों हेतु आवेदनों की संख्या

2642. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खाना बनाने के गैस के कनैक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) खाना बनाने की गैस की कमी कब तक समाप्त होने की संभावना है और प्रत्येक राज्य में प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी आवेदकों को कब गैस कनैक्शन दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस की उपलब्धता जो वर्ष 1981-82 में 495,000 मी० टन से बढ़कर 1982-83 में 677,000 मी० टन (अनुमानित) और 1983-84 में यह 840,000 मी० टन (अनुमानित) हो गई, इसके पश्चात वर्ष 1986-87 में इसे उत्तरोत्तर 1.8 मि० मी० टन बढ़ जाने की आशा है। शोधनशालाओं के विस्तार से जो कार्यान्वियनाधीन है से उपलब्ध एल० पी० जी० और प्राकृतिक गैस जिसमें एल० पी० जी० की पर्याप्त मात्राएं होती हैं से एल० पी० जी निकालने के हर प्रयास किये जा रहे हैं।

एल० पी० जी० टैंक, गाड़ियां और टैंकलारियों की प्राप्ति, बाटलिंग संयंत्र, सिलेन्डरों और प्रेशर रेगयूलेटरों और सहायक सुविधाओं के साथ उपर्युक्त एल० पी० जी की उपलब्धता हो जाने से प्रतीक्षा सूचियां यथा शीघ्र समाप्त हो जायेंगी।

विवरण

31.12.1982 को देश में घरेलू गैस कनैक्शन देने के लिए प्रतीक्षा सुची राज्यवार निम्न प्रकार है।

राज्य	एच०पी०सी०	बी०पी०सी०	आई०ओ०सी०	योग
1	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	73,389	47,155	1,45,790	2,66,334
2. असम	—	—	4,691	4,691
3. बिहार	—	—	73,635	73,635
4. गुजरात	1,34,946	1,39,307	2,15,514	4,89,767
5. हरियाणा	3.435	24,375	1,31,945	1,59,755
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	14,037	14,037
7. जम्मू और काश्मीर	11,701	—	—	11,701
8. करनाटका	72,297	37,548	36,300	1,46,145
9. केरल	—	5,524	40,950	46,474
10. मध्य प्रदेश	1,07,790	30,036	80,360	2,27,186
11. महाराष्ट्र	7,67,460	4,03,175	—	11,70,635
12. मणीपुर	—	—	639	639
13. मेघालय	—	—	154	154
14. नागालैंड	—	—	1,114	1,114
15. उड़िसा	12,950	—	17,276	30,226

1	2	3	4	5
16. पंजाब	8,819	44,076	1,31,429	1,84,324
17. राजस्थान	2,815	14,318	64,034	81,167
18. सिक्कम	—	—	211	211
19. तमिल नाडू	1,860	11,095	2,90,120	3,03,075
20. त्रिपुरा	—	—	211	211
21. उत्तर प्रदेश	—	8,985	4,22,816	4,31,801
22. पश्चिम बंगाल	—	—	84,429	84,429
संघ शासित प्रदेश				
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
2. अन्डमान निक्कोबार आईस्लैंड	—	—	—	—
3. चण्डीगढ़	—	—	55,512	55,512
4. दादर एण्ड नगर हवेली	2,400	—	—	2,400
5. दिल्ली	30,498	79,998	3,24,810	4,35,306
6. गोआ, दम्मद एण्ड देयू	25,330	12,558	—	37,888
7. मिज़ोरम	—	—	507	507
8. पांडीचेरी	—	—	2,710	2,710
9. लक्काद्वीप	—	—	—	—
योग :	12,55,690	8,67,150	21,39,083	42,61,923

बंधुआ श्रम पद्धति के उन्मूलन में सरकार की असफलता

2643. **श्री भीखा भाई :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1975 में बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन अधिनियम) अधिनियम बनाकर बंधुआ श्रम पद्धति की बुराई को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि बंधुआ श्रम अब भी समूचे देश में है और विशेषकर पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में; और

(ग) क्या राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इसके उन्मूलन और बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाने में असफल रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। बन्धित श्रम पद्धति, बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्तूबर, 1975 से सम्पूर्ण देश में कानूनी तौर पर समाप्त हो गई है।

(ख) बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में 11 राज्यों अर्थात आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के मुताबिक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए। बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 1,52,338 थी। अधिकांश बन्धुआ श्रमिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के है।

(ग) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा फिर से बसाना एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे तुरन्त और प्रभावी कदम उठाए, जिसमें बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण प्रारम्भ करना भी शामिल है, ताकि बन्धुआ श्रमिकों को, जहाँ कही वे विद्यमान है, शीघ्र मुक्त कराया जा सके तथा फिर से बसाया जा सके। राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरक बनाने के उद्देश्य से 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 4000/ रु० के अनुदान की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्र के भाग के रूप में दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बन्धुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाए, राज्य सरकारों को (सितम्बर, 1982 में) यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना का वैसी ही अन्य योजनाओं, अर्थात् आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कम्पोनेंड प्लान और आदिवासियों संबंधी "सब प्लान" और राज्य सरकार की अन्य वर्तमान योजनाओं के साथ समाकलन करे/सामंजस्य स्थापित करे, ताकि मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों के प्रभावी तथा स्थायी पुनर्वास के प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सहायता को एकत्र (पूल) किया जा सके। मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों का गुणात्मक और अर्थपूर्ण पुनर्वास कराने के लिए ऐसा समाकलन करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक ब्लूप्रिंट भी राज्य सरकारों को उनके मार्ग-दर्शन हेतु भेज दिया गया है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थान

2644. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है जैसा कि समाचारपत्रों और आकाशवाणी द्वारा घोषित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों की स्थापना के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि आई० एफ० एफ० सी० ओ०, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित स्थान, शाहजहांपुर में यह कारखाना स्थापित करेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। एक मध्य प्रदेश में (गुना जिला), एक राजस्नान में (सवाई माधोपुर जिला) और चार उत्तर प्रदेश में (बदाऊं, बरेली, शाहजहांपुर और सुल्तानपुर जिले)

मध्य प्रदेश संयंत्र के लिए निवेश-अनुमोदन प्राप्त करने तथा अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है जिसे सरकारी क्षेत्र में मैसर्स नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

जहां तक राजस्थान संयंत्र तथा शाहजहांपुर संयंत्र सहित उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित चार संयंत्रों का सम्बन्ध है, उनके स्वामित्व का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

नवादा जिले में एस० टी० डी० संयंत्र का चालू किया जाना

2645. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवादा जिले में अब तक एस० टी० डी० संयंत्र चालू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि एस० टी० डी० प्रणाली के लिए अपेक्षित मशीनरी और संयंत्र गत अनेक वर्षों से नवादा जिले में बेकार पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) नवादा में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) सुविधा प्रारम्भ करना, नवादा स्थित स्थानीय मैनुअल एक्सचेंज के स्वचलीकरण और ननादा को एक विश्वसनीय संचारण माध्यम द्वारा जोड़ने पर निर्भर करता है। इन कार्यों के लिए अपेक्षित उपस्कर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली उत्पादन के लिए कम लागत पर नवीनतम प्रोद्योगिकी देने की फिनलैंड की पेशकश

2646. **श्री भीकू राम जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिनलैंड ने बिजली उत्पादन के लिए भारत को कम लागत पर नवीनतम प्रोद्योगिक उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तेल के प्रयोग परिचालनात्मक कार्य कुशलता और उसके परिणाम स्वरूप बिजली उत्पादन की लागत में कमी का अध्ययन किया है, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में फिनलैंड ने विद्युत विकास के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की थी। चर्चा सामान्य प्रकार की थी और किसी भी विशिष्ट परियोजना पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए ठेके दिये जाना

2647, **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अगले कुछ वर्षों में गैस पर आधारित 1350 टन प्रति यूनिट की क्षमता वाले आधे दर्जन से अधिक उर्वरक यूनिट स्थापित किए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रत्येक यूनिट को बनाने के लिए ठेके किन्हें दिए गए हैं;

(ग) उनमें से कितने बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार के एक उपक्रम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०, सिन्दरी के पास 1983-84 में अपनी पूरी क्षमता के उपयोग के लिए सम्भवतः पर्याप्त काम नहीं होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) गैस पर आधारित छः नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1350 टन अमोनिया प्रति दिन होगी। एक संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित होगा, तथा एक संयंत्र राजस्थान में और चार उत्तर प्रदेश में।

मध्य प्रदेश संयंत्र, भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया जाएगा।

राजस्थान में एक संयंत्र और उत्तर प्रदेश में चार संयंत्रों के स्वामित्व का अभी निर्णय नहीं हुआ है। अतः इन संयंत्रों के लिए ठेकेदारों के चयन पर विचार करना अभी संभव नहीं होगा।

(घ) इसका अभी मूल्यांकन किया जा रहा है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा रेलवे को नया नांगल में भूमि ा कब्जा दिया जाना।

2648. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्य अभियन्ता निर्माण ने पेट्रोलियम और अभियन्ता रसायन मंत्रालय तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० से क्या नांगल में करीबन 28 एकड़ भूमि सौंपने का अनुरोध किया है ताकि नांगल तलवाडा रेल पथ का शीघ्र निर्माण किया जा सके, जिसके लिए मई, 1982 में रेलवे बोर्ड ने शीघ्रता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय/नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० ने क्या कार्यवाही की है तथा रेलवे प्राधिकारियों को किस तारीख को कब्जा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो रेल मंत्रालय से वास्तविक वही मूल्य क्या वसूल किया गया है तथा कब्जा देते समय भूमि का मूल्य क्या था, और

(घ) यदि नहीं तो कब्जा कब तक दे दिया जाएगा तथा नेशनलफर्टिलाइजर्स लि० और मंत्रालय को पहली बार किस तारीख को अनुरोध प्राप्त हुआ था ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) उत्तर रेलवे प्राधिकारियों ने 1982 के मध्य में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० से अनुरोध किया था कि उन्हें नया नांगल में 19.373 एकड़ भूमि दी जाए और उनके अनुरोध पर कम्पनी ने नांगल-तलवाडा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा अपेक्षित क्षेत्र की घेराबन्दी और निशान देही की अनुमति दे दी थी।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने बाद में भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श किया था। रेलवे प्राधिकरण को उक्त भूमि का कब्जा अभी नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) मूल्य आदि से संबंधित शर्तें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हैं। इन मामलों पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

उड़ीसा में कोयले के भंडार की संभावना

2649. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में कोयले के भारी भंडार की संभावना और राज्य के चहुंमुखि विकास के लिए इसके उचित दोहन की आवश्कता के बारे में अवगत है;

(ख) क्या सरकार उड़ीसा के कोयले का उचित रूप से परिष्करण करने के उपरांत इसके निर्यात की संभावना के बारे में भी अवगत है बशर्ते पत्तनों से विशेष रेल संपर्क हो और हैंडलिंग सुविधाएं हों, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा में दो कोयला क्षेत्र हैं अर्थात तालचेर और इब घाटी। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा किए गए क्षेत्रीय समन्वेषण के परिणामस्वरूप 2992 मिलियन टन भंडार का इब घाटी कोयला क्षेत्र में और 3654 मिलियन टन भंडार का तालचेर कोयला क्षेत्र में अनुमान लगाया गया है। तालचेर कोयला क्षेत्र में अगले 12 वर्षों में उत्पादन 2 मिलियन टन से बढ़ाकर 20 मिलियन टन करने की योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग) परिष्करण के बाद भी कोयला निर्यात बाजार में स्वीकार्य स्तर का नहीं होगा। फिर किसी भी हालत में, देश की आंतरिक आवश्कताएं पूरी करने के बाद, निर्यात के कोई बेशी कोयला होने की संभावना नहीं है।

औद्योगिक घरानों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों का संग्रह

2650. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते***: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री औद्योगिक घरानों द्वारा सार्वजनिक जमा राशियों के संग्रह के बारे में 19 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने 1982 के दौरान सार्वजनिक जमा राशियों के माध्यम से बहुत बड़ी धनराशि एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक घराना-वार उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा लोगों से जमा राशियां एकत्र किए जाने पर कोई सीमा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पब्लिक/प्राइवेट कम्पनियों में से किसी कम्पनी ने सीमा का उल्लंघन किया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) दिनांक 19 अक्तूबर, 1982 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 2570 के उत्तर में निर्देशित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत दस शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों के ब्यौरेयुक्त एक विवरण संलग्न है। संलग्न ब्यौरे, कम्पनियों द्वारा "कम्पनी (जमाराशियों का अधिग्रहण) नियम, 1975 के उपबन्धों के अनुसरण में कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास प्रस्तुत की गई 31-3-1982 तक की जमा राशियों की विवरणियों में भेजी गई सूचना पर आधारित हैं।

(ग) हां, श्रीमान् जी। जमा राशि नियम, जो गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियों के आमंत्रण एवं स्वीकारोक्ति को विनियमित करते हैं, में, इनके नियम 3(2)(i)

तथा 3(2)(ii) के अनुसार हिस्सेधारियों तथा जनता से जमा राशियों की स्वीकारोक्ति के लिए, उनके शुद्ध मूल्य (अर्थात्, हानि, आस्थगित राजस्व, व्यय तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों के संचित सन्तुलन को घटाकर कुल परिसम्पत्तियां तथा मुक्त आरक्षित धन) के क्रमश: 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमाओं का प्रावधान है।

(घ) हां, श्रीमान् जी।

(ङ) निम्नांकित कम्पनियों ने, उनमें से प्रत्येक के सामने यथा वर्णनानुसार नियमों में विहित अधिकतम सीमाओं से अधिक का जमा धन स्वीकार किया था :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	समूह	स्वीकार की गई जमा धन की राशि 31-3-82 तक अधिकतम सीमाओं से अधिक नवीकृत की गई	
			नियम 3(2)(i) के अन्तर्गत	नियम 3(2)(ii) के अन्तर्गत
				(लाख रुपयों में)
1.	मै० न्यू सावन शुगर एण्ड गुड़ रिफाइनिंग कम्पनी लिमिटेड	थापर	कुछ नहीं	1.00
2.	मै० ओरियन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड	थापर	10.74	7.69
3.	मै० अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	आई०सी०आई०	कुछ नहीं	54.26

विवरण

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	नियम 3(2)(i) के अन्तर्गत स्वीकार की गई जमा राशियां (लाख रुपयों में)	नियम 3(2)(ii) के अन्तर्गत स्वीकार की गई जमा राशियां (लाख रुपयों में)	योग (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	टाटा	1356.69	4203.62	5560.31
2.	बिड़ला	54.36	1636.19	1690.55

1	2	3	4	5
3.	मफतलाल	493.11	1156.78	1649.89
4.	जे० के० सिंहानियां	580.34	1043.25	1623.59
5.	थापर	118.50	634.98	753.48
6.	साराभाई	239.84	379.88	619.72
7.	बांगुर	28.35	401.13	429.48
8.	ए० सी० सी०	249.21	706.03	955.24
9.	आई० सी० आई०	256.50	750.82	1007.32
10.	श्रीराम	253.47	506.89	760.36
	योग	3630.37	11415.57	15049.94

उत्तर प्रदेश में तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना

2651. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिटेल पेट्रोल तेल केन्द्र स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लेहघाट और बागेश्वर में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां खुदरा तेल बिक्री केन्द्र खोलने वाली आयल कम्पनी के नाम क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के कौन से महीने तक ये खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल उद्योग द्वारा लोहाघाट और बागेश्वर दोनों में 5 वर्ष में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इन स्थानों पर प्रत्येक में वर्ष 1983-84 के दौरान एक-एक फुटकर बिक्री केन्द्र का विकास करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) और (ग) चूंकि वर्ष 1983-84 के लिए योजना को तेल उद्योग द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस समय इनके ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पुष्टीकरण और स्थानान्तरण

2652. श्री जेवियर अराकल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पुष्टीकरण और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) अभी तक कितने न्यायाधीशों का किन-किन न्यायालयों में पुष्टीकरण किया गया है, वे अपर न्यायाधीशों के पद पर कब से हैं; और

(ग) क्या किसी न्यायाधीश ने अपने अधिकारों की अनदेखी किए जाने के कारण पद त्याग दिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्च न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के लिए की जाती है और उनकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उन्हें आगे की अवधि तक बनाए रखा जाता है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करके (स्थायी न्यायाधीश के रिक्त पद उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए) स्थायी न्यायाधीश बना दिया जाता है ।

सरकार ने 28-1-1983 को अपनी इस नीति की घोषणा की है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से लिए जाएंगे । इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) 1-3-1983 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

उच्च न्यायालय	अपर न्यायाधीशों की संख्या	वह तारीख जिससे कार्य कर रहे हैं
दिल्ली	6	19-10-1979
		19-10-1979
		19-10-1979
		19-10-1979
		20-11-1979
		6-01-1981
गोहाटी	1	6-12-1982
पंजाब और हरियाणा	2	3-01-1983
		2-02-1983
गुजरात	1	28-01-1983
	10	

(ग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अपर न्यायाधीश ने 30-12-1982 को 2-1-1983 से प्रभावी अपना त्यागपत्र दे दिया । अपर न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की

अवधि 1-1-1983 को समाप्त हो गई। वह 2-1-1983 को उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नहीं रहे।

विवरण

जिम्मेदार निकायों से बार-बार मांग किए जाने पर सरकार ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके यह नीति अपनाने का विनिश्चय किया है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से लिए जाएंगे और इस नीति को क्रियान्वित करते समय कुछ व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा ये मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(1) मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में उन्नत किए जाने के प्रयोजन के लिए अवर न्यायाधीशों की परस्पर ज्येष्ठता की गणना उनके स्वयं के उच्च न्यायालय में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी और उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, उनकी अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब विचार किया जाएगा जब उनके अपने उच्च न्यायालय में ऐसी नियुक्ति के लिए सामान्य रूप से उनकी बारी आ जाती।

(2) किसी मुख्य न्यायमूर्ति को, जिसे केवल एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी उच्च न्यायालय में किसी ऐसे अवर न्यायाधीश के बारे में जिसे, उस समय जब मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में उन्नत किए जाने के लिए उसकी बारी आती है, एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यदि उस अवधि के दौरान उस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो जाता है तो, उसके स्वयं के न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

2. उपर्युक्त नीति को क्रियान्वित करते समय, नियुक्तियां/स्थानान्तरण, यथास्थिति, संविधान के अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 222 के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी/किए जाएंगे।

राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों का विद्युतीकरण

2653. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी अनुसूचित जातियों की कालोनियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, और ऐसी कितनी कालोनियों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी जिला वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुकन्दगढ़ राजस्थान में डीजल/पेट्रोल पम्प का बन्द होना

2654. **श्री दौलत राम सारण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्मा शैल, जिसका इण्डियन पेट्रोलियम कारपोरेशन में समेकन हो गया है, के मुकन्दगढ़, जिला झुंझनूं (राजस्थान) स्थित डीजल और पेट्रोल पम्प बहुत वर्षों से बन्द पड़े हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित करके बिना किसी विलम्ब के यह डीजल पम्प आरम्भ करवाने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

राजस्थान में बिजली की स्थिति

2655. **श्री अनवर अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में बिजली की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) भारी उद्योग और कृषि पर बिजली की, की गई कटौती का प्रतिशत क्या है; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु बिजली की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) (क) राजस्थान में वर्तमान ऊर्जा उपलब्धता 15.3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जबकि आवश्यकता 18.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की है ।

(ख) 9-3-1983 से कृषि उपभोक्ताओं को 15 घंटे प्रतिदिन की विद्युत सप्लाई की जा रही है। सीमेन्ट तथा प्राथमिकता प्राप्त उच्च वोल्टता उद्योगों पर 33% विद्युत कटौती तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त उच्च वोल्टता उद्योगों पर 50% बिजली कटौती लागू की गई ।

(ग) बदरपुर और सिंगरौली के केन्द्रीय पूल में से अधिकतम सम्भव सहायता प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भागलपुर (बिहार) के लिए सीधी डायलिंग की सुविधा

2656. **श्री समीनुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम क्या है जिनके लिए सरकार का विचार वर्ष 1983-84 के दौरान बिहार में भागपुर से सीधी डायलिंग की सेवा अनुदान करने का है; और

(ख) यह सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1983-84 में भागलपुर से सीधी डायलिंग सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

(ख) 1985 में यह सुविधा प्रदान कराए जाने की संभावना है।

जिला कच्छ (गुजरात) में दूरसंचार सेवा का सुधार

2657. **डा० महिपत राय एम० मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला कच्छ (गुजरात) में दूरसंचार के विद्यमान साधन न होने के बराबर है; और

(ख) उनके सुधार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। जिला कच्छ (गुजरात) में दूरसंचार प्रणाली का कार्यकरण सामान्यतः संतोषजनक है। कभी-कभी टेलीफोन तारों की चोरी के कारण इन सेवाओं पर प्रभाव पड़ जाता है।

(ख) कच्छ क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(एक) राजकोट-जामनगर माइक्रोवेव प्रणाली को स्थायी चौड़ी पट्टी प्रणाली में बदलना।

(दो) गांधीधाम और भुज टेलीफोन एक्सचेजों को स्वचल करना।

(तीन) अहमदाबाद-गांधीधाम सेक्शन में तांबे की तारों के स्थान पर ए० सी० एस० आर० तार लगाना

(चार) महत्वपूर्ण टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शनों की प्रतिदिन जांच की जा रही है।

(पांच) अनुरक्षण कार्य और निरीक्षण में तेजी लाई गई है।

सेण्ट्रल प्रेस ऐक्रीडिटेशन कमेटी का गठन

2658. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सेन्ट्रल प्रेस एक्रीडिटेशन कमेटी कब गठित करने का है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके गठन के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है यदि हां, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के गठन के समूचे प्रश्न की जाँच की जा रही है।

"पोस्टल सर्विसेज अंडर ज्योपार्डी" शीर्षक समाचार"

2659. (श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या संचार मंत्री दिनांक 10 फरवरी, 1983 के महाराष्ट्र टाइम्ज में "पोस्टज सर्विसेज अंडर ज्योपार्डी" शीर्षक समाचार के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में डाक सेवाओं में विभिन्न कारणों से बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) रेल डाक सेवा "एल" डिवीजन के कुछ कर्मचारियों द्वारा 3-2-83 से 10-2-1983 तक हड़ताल किए जाने के कारण महाराष्ट्र सर्किल के कुछ क्षेत्रों की डाक सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा था।

(ख) कुछ ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, जिन्होंने धीरे काम करो, नियमानुसार काम करो आदि तरीकों का सहारा लेकर सामान्य कार्यकरण में अवरोध उत्पन्न किया था, की गई अनुशासनिक कार्रवाई के विरोध में ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे।

(ग) स्थिति अब सामान्य है।

क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरण-स्वरूप तथा कृत्य

2660. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राज्याध्यक्ष समिति ने एक क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरण स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्राधिकरण का स्वरूप तथा इसके कृत्य क्या होंगे;

(ग) क्या हाल ही में हुए बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में प्रायः सभी राज्यों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया था क्योंकि इससे अलग-अलग राज्यों के बिजली बनाने तथा वितरण के प्राधिकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्राधिकरण की स्थापना के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) विद्युत समिति ने वर्तमान क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के स्थान पर देश के पांच क्षेत्रों में सांविधिक निकायों के रूप में पूर्णकालिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का गठन करने की सिफारिश की है। समिति ने सिफारिश

की है कि क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों को अधिक व्यापक दायित्व सौंपा जाना चाहिए और उन्हें क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों संबंधित राज्य तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण क्षेत्र के सभी विद्युत केन्द्रों से विद्युत की बल्क सप्लाई की खरीद और बिक्री का कार्य लाइनों और उनसे सम्बद्ध उपकेन्द्रों का स्वामित्व अपने हाथ में लेना चाहिए और उनका प्रचालन करना चाहिए ताकि वे क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन और लाने ले जाने पर कारगर नियंत्रण रख सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रशासनिक और कार्यकरण की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होने चाहिएं और उन्हें समस्त क्षेत्र के लिए विद्युत की आयोजना का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

(ग) और (घ) अगस्त, 1982 में हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में, विद्युत समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सांविधिक निकायों के रूप में क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के गठन पर कई राज्यों ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। इसमें निहित नीति संबंधी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय समझा गया है कि इस सिफारिश पर आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व मतैक्य बनाने के लिए राज्यों के साथ परामर्श जारी रखा जाय।

जिन बस्तियों में गैस एजेंसियां नहीं हैं वहां गैस के कनेक्शन देना

2661. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोग केवल उन्हीं नगरों में कुकिंग गैस-कनैक्शन प्राप्त कर सकेंगे जहां गैस की एजेंसियां हैं;

(ख) क्या कारण है उस नगर के निवासी को गैस कनैक्शन नहीं दिया जाता जहां गैस एजेंसी तो नहीं है परन्तु उसी जिले में हैं 20 कि० मी० स्थित तक अन्य नगर में गैस एजेंसी है तथा वह व्यक्ति गैस सिलेंडर ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि जिले के हर व्यक्ति को गैस कनैक्शन दिए जायें चाहे वह गैस एजेन्सी वाले नगर से 20 किलोमीटर दूर भी क्यों न रहता हो?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वितरकों की नियुक्ति करते समय, उसके कार्य संचालन का क्षेत्र में एल० पी० जी० सिलेन्डरों के घरों पर पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट सीमांकन किया गया है। सुरक्षा के कारणों से वितरक के विपणन क्षेत्र के बाहर एल० पी० जी० कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं।

(ग) यथा सम्भव अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तेल उद्योग ने जिन बाजारों में डीलर शिपें नहीं हैं, नई डीलर शिपों के खोलने के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई हैं जिनको चर्णबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्विचिंग साज-सामान का आयात

2662. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मांगने पर टेलीफोन उपलब्ध करा देने हेतु बड़े पैमाने पर स्विचिंग सामान का आयात करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के टेलीफोन उद्योग का क्या होगा, जिसका कि पहले ही कम उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) देश के टेलीफोन उद्योग को पूरी क्षमता का उपयोग कब से किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) देश में टेलीफोन उद्योग की क्षमता न केवल पूरी तरह से उपयोग किया गया है बल्कि मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

टेलीफोन सम्बन्धी साज-सामान का आयात

2663. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार के दूर संचार विभाग ने देश के बाहर से साज-सामान का आयात कर सके अथवा इस दिशा में आत्मनिर्भरता की योजना बना कर, नये कनेक्शनों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि पहली कार्यवाही की जानी है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की यदि कोई योजना बनाई जायेगी तो उसका ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस मांग को अंशतः आरम्भ में आयात द्वारा तथा अंशतः टेलीफोन उपस्कर की देशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) इस दशक के दौरान प्रतिवर्ष कुल 10 लाख लाइनों के स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए दो फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। अति आवश्यक मांग को पूरा करने लिए उपस्करों एवं केबिलों की कुछ मात्रा छठी योजना के दौरान आयात की जाएगी। सातवीं योजना के प्रारम्भ में 30 लाख कंडक्टर किलोमीटर क्षमता की एक केबिल फैक्टरी भी स्थापित की जाएगी।

वर्ष 1982 के दौरान फिल्मों का उत्पादन

2664. श्री रामस्वरूप राम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान देश में कितनी फिल्में बनाई गई;

(ख) उनके निर्माण में कितनी पूंजी लगाई गई;

(ग) उसमें फिल्म वित्त निगम द्वारा कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) फिल्मों के लिए वित्त-पोषण के लिए निगम किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1982 के दौरान देश में बनाई गई फिल्मों की संख्या उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने वर्ष 1982 के दौरान 763 भारतीय फीचर फिल्में प्रमाणीकृत कीं।

(ख) देश में फिल्मों के निर्माण में लगाई गई कुल पूंजी के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान फिल्मों के निर्माण में 41.91 लाख रुपए की पूंजी लगाई।

(घ) निगम फिल्मों का वित्तपोषण करने के लिए ऋण, ऐसी स्क्रिप्ट जो चलचित्रिक मूल्यों के साथ सामाजिक विषयों से युक्त हो, के गुणदोष के आधार पर तथा वाणिज्यिक रूप से उनकी आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए देता है। 35 मिलीमीटर की फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण साम्पार्विश्क जमानत पर दिए जाते हैं, जबकि 16 मिलीमीटर की फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का निदेशक मंडल पात्र मामलों में साम्पार्विश्क जमानत को हटा सकता है। आधे घंटे से एक घंटे तक की अवधि की छोटी फिल्मों के निर्माण के लिए युवा फिल्म निर्माताओं को ऋण दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग के सहयोग के बिना साम्पार्विश्क जमानत दी जा सकती है। ऋण बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित उपरि सीमा के अधीन रहते हुए सामान्यतया निर्माण लागत के 75 प्रतिशत तक दिए जाते हैं। 100 प्रतिशत वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत निगम का फिल्मों पर पूरा अधिकार होता है और वह पात्रों और कार्मिकों को अनुबन्ध आधार पर लगाता है।

विभिन्न नगरों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना

2665. श्री आर० प्रभु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार विभिन्न महानगरों में उच्चतम न्यायालय की प्रादेशिक न्यायपीठें स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।" इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

सूरत में विदेश सेवा डाकघर खोलना

2666. **श्री छीतुभाई गामित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सूरत शहर में एक विदेश सेवा डाकघर खोलने की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूरत में विदेश सेवा डाकघर खोलने का निर्णय कब तक किया जाएगा; और

(ग) इस विदेश सेवा डाकघर से किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे कब तक उपलब्ध होंगी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने सूरत में ऐसा एक कार्यालय खोलने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

(ख) और (ग) उस कार्यालय द्वारा निपटाए जाने वाले अपेक्षित कार्य की मात्रा के संदर्भ में मामले की जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद उस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की किस्म निर्धारित की जाएगी।

संगठन बनाने और सौदेबाजी करने की स्वतंत्रा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णयों को अनुमोदित करना

2667. **श्री चित्त महाटा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठन बनाने और सामूहिक तौर पर सौदेबाजी करने के अपने अधिकारों की सुरक्षा करने की स्वतन्त्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णयों को अनुमोदित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) तथा (ख) कुछ प्रशासनिक तथा तकनीकी कठिनाइयों के कारण भारत प्रश्नगत दो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों अर्थात् संख्या 87 तथा 98 का अनुसमर्थन नहीं कर सका है। तथापि, इन अभिसमयों में समाविष्ट मूल सिद्धान्तों का वास्तव में अनुपालन किया जा रहा है।

वर्ष 1982 से हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण जन-दिवसों की हानि

2668. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए जन-दिवसों के प्रारम्भिक अनुमान क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1983 में उक्त स्थिति के सुधारने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) श्रम ब्यूरो में 18-2-1983 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1982 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या अनुमानतः 433.8 लाख है। ये आंकड़े महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करते, जो दिसम्बर, 1982 के अन्त तक अनुमानतः 620 7 लाख थी।

(ख) और (ग) सरकार देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। औद्योगिक संबंध तन्त्र आवश्यकतानुसार वर्तमान सांविधिक प्रावधानों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निवारक मध्यस्थता संसाधन न्याय-निर्णयन और पंच फैसलों के माध्यम से काम-बन्दियों और श्रम दिवसों की हानि को कम करने के लिए प्रयास करता रहता है। केन्द्र तथा राज्यों में संसाधन और न्याय-निर्णय तंत्रों को और सुदृढ़ किया जा रहा है। अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने अतिरिक्त पदों का सृजन करने और मामलों के निपटान के स्तर पर उचित ध्यान देते हुए मामलों की संख्या के निपटान में तेजी करने हेतु मानदंडों को निर्धारित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

लघुतर पन-बिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन का आकलन

2669. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी तथा लघुतर पन बिजली परियोजनाओं से विद्युत-उत्पादन की संभावनाओं का कोई आकलन किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि लघु ताप बिजली परियोजनाएं देश की चौड़ी नहरों पर निष्पादित की जा सकती थी और उनकी लागत अन्य परम्परागत स्रोतों से उत्पन्न विद्युत को लागत की तुलना में कम होती; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कोई योजना तैयार की गई यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) यद्यपि माइक्रो, मिनी तथा लघु जल विद्युत स्कीमों की जल विद्युत शक्यता का कोई क्रमबद्ध मूल्यांकन नहीं किया गया है, ऐसा समझा गया है कि ऐसी स्कीमें लगभग 25000 मिलि० यूनिट का अतिरिक्त वार्षिक ऊर्जा उत्पादन कर सकती हैं।

(ख) और (ग) केनाल ड्राप स्कीमों के लिए प्रतिष्ठापित प्रति किलोवाट विशिष्ट लागतें सामान्यतः बृहत् जल विद्युत स्कीमों की लागतों से अधिक होती हैं। दो ऐसी स्कीमें नामशः

राजस्थान में अनूपगढ़ शाखा नहर (6×1.5 मेगा०) तथा गुजरात में उकई बायां तट नहर (2×2.5 मेगा०) इस समय निर्माणाधीन है। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार इन परियोजनाओं की अनुमानित लागतें क्रमश: 9.35 करोड़ रुपए तथा 3.20 करोड़ रुपए है। नहर प्रपातों तथा नहरों के मुख्य रेगुलेटरों पर माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे, में जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम रिपोर्टें प्राप्त हुई है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नहर प्रपातों पर माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमें जिनके लिए स्कीम रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो गई हैं।

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3
राजस्थान		
मंगरोल में दायां मुख्य नहर ज० वि०	3×2	611.15
सूरतगढ़	2×2	526.57
चारनांवली	1×2	219.50
दायां मुख्य नहर (माही)	2×0.4	110.20
पुगल	2×1.5+1×0.75	303.19
हरियाणा		
दोदुपुर	4×1.5	741.00
खेरी ब-रोता	5×1.3	946.00
पंजाब		
दौकर	3×0.57	169.8
मध्य प्रदेश		
चम्बल नहर	4×0.3	211.42
मोराड	2×0.5	162.86
थानवर	2×0.3	105.63
तवा बायां तट	4×3	1115.00
बरना	1×1+1×0.75 +1×0.25	298.5

1	2	3
गुजरात		
पानम	2×1.25	390.00
आन्ध्र प्रदेश		
ककातिया नहर पी० एच०	3×5	1064.00
ककातिया नहर फीडर नहर माइक्रो ज० वि०	4×0.5	198.00
कर्नाटक		
विश्वेश्वर नहर की मद्दूर शाखा पर मिनी ज० वि० स्कीम	1×2	250.00
मल्लापुर ज० वि० स्कीम	2×4.5	1081.00
सिरवार	1×1	222.60
बिहार		
सोन नहर (पश्चिमी)	4×1	589.00
सोन नहर (पूर्वी)	4×1	560.00
उड़ीसा		
पोत्तेरु	2×3	616.50
असम		
घनसारी ज० वि०	15×1.3 (पांच विद्युत गृहों पर)	1053.30

दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या

2670. (श्री एडुआर्दो फेलीरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने दूरदर्शन केन्द्र काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से कितने केन्द्र अपने ही कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्सारित कर रहे हैं और कितने मात्र रिले-केन्द्र हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मौजूदा 41 दूरदर्शन केन्द्रों में से, 7 में पूर्णरूपेण दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल 3 बेस प्रोडक्शन केन्द्र हैं, जबकि 31 केन्द्र केवल रिले केन्द्र हैं।

तालाबंदियों तथा जबरन छुट्टियों के कारण नष्ट हुए जन-दिवस

2671. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान तालाबंदियों तथा जबरन छुट्टियों के कारण राज्यवार, कितने जन-दिवसों को हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) हानि हुए श्रम दिनों संबंधी सूचना को कैलेंडर वर्ष के अनुसार रखा जा रहा है। जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संबंधी आंकड़ो को अप्रैल, 1981 से एकत्र किया जा रहा है :—

निम्नलिखित विवरण संलग्न है :—

(1) विवरण-एक, जिसमें वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान तालाबंदियों के कारण हानि हुई श्रम दिनों की संख्या दर्शाई गई है।

(2) विवरण-दो, जिसमें 1981 (अप्रैल-दिसम्बर) और 1982 के दौरान जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाई गई है।

विवरण-एक

1980—82 के दौरान तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की राज्य-वार संख्या सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान हानि हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)		
		1980	1981 (अ)	1982 (अ)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	511	533
2.	असम	—	15	—
3.	बिहार	619	240	701
4.	गुजरात	352	320	479
5.	हरियाणा	101	38	17
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	...
7.	जम्मू और काश्मीर	8	—	...
8.	कर्नाटक	183	1,315	22
9.	केरल	294	1,160	1,025

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	404	12	43
11.	महाराष्ट्र	1,830	1,194	520
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	4	6
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	102	42	65
16.	पंजाब	105	16	1
17.	राजस्थान	246	169	119
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	923	1,160	453
20.	त्रिपुरा	—	10	...
21.	उत्तर प्रदेश	239	652	268
22.	पश्चिम बंगाल	4,427	8,505	13,416
23.	अण्डमान और निकोबार	6	2	9
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	...
24.	चण्डीगढ़	—	—	...
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	18	13	56
28.	गोवा, दमन और दीव	35	—	—
29.	लक्षदीव	—	—	...
30.	मिजोरम	—	—	...
31.	पांडिचेरी	—	—	—
	जोड़	9,907	15,375	17,733

(अ) = अनन्तिम   (—) = शून्य

(...) = उपलब्ध नहीं

नोट = चूंकि आंकड़ों को पूर्णांकों के रूप में दिया गया है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि उनका जोड़ सही मेल खाएं।

विवरण-दो

1981 और 1982 के दौरान जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की राज्य-वार संख्या सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान हानि हुए श्रम दिनों की संख्या	
		1981 (अप्रैल-दिसम्बर) (अ)	1982 (अ)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,626	952
2.	असम	—	405
3.	बिहार	7,437	31,382
4.	गुजरात	49,512	146,989
5.	हरियाणा	148,720	29,881
6.	हिमाचल प्रदेश	650	2,067
7.	जम्मू और काश्मीर	—	...
8.	कर्नाटक	2,128	1,543
9.	केरल	6,544	38,225
10.	मध्य प्रदेश	11,681	409,753
11.	महाराष्ट्र	40,239	31,575
12.	मणिपुर	—	650
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	....	...
15.	उड़ीसा	13,848	57,799
16.	पंजाब	66,110	77,422
17.	राजस्थान	192,020	120,388
18.	सिक्किम	...	...
19.	तमिलनाडु	23,852	502,101
20.	त्रिपुरा	...	—
21.	उत्तर प्रदेश	75,250	711,985
22.	पश्चिम बंगाल	43,883	30,723

1	2	3	4
23.	अण्डमान और निकोबार	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	....	...
25.	चण्डीगढ़	1,249	...
26.	दादरा और नागर हवेली	...	—
27.	दिल्ली	2,229	3,597
28.	गोवा, दमन और दीव	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	...
30.	मिजोरम	...	—
31.	पांडिचेरी	2,711	37,000
	जोड़	692,689	2,234,437

(अ) अनन्तिम और 24-2-1983 तक श्रम ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित।

(—) शून्य (...) उपलब्ध नहीं।

पटसन इकाइयों द्वारा त्रिपक्षीय पंचाट फैसले को कार्यान्वित न किया जाना

2672. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन इकाइयों ने चार वर्ष पहले किया गया त्रिपक्षीय पंचाट फैसला अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) पश्चिम. बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोई त्रिपक्षीय पंचाट नहीं दिया गया, फिर भी, जूट उद्योग में 22-2-1979 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जो 31-12-1981 तक वैद्य था। इस समझोते के अनुसरण में, राज्य सरकार ने जूट उद्योग में (1) श्रेणियों और वेतनमानों और (2) कार्य-भार तथा कार्य ढांचे के बारे में विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए दो समतियां गठित की इन समितियों की रिपोर्टों पर त्रिपक्षीय स्तर पर विचार किया गया था और बाद में, जैसे कि त्रिपीक्षय समझौते में व्यवस्था थी, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने (सम्बन्धित) पक्षों को कार्यान्वयन के लिए समिति की सिफारिशों पर अपना फैसला दिया। इस बीच, भारतीय जूट मिल एसोसिएशन और कुछ अन्य जूट मिलों के प्रबंधतंत्रों ने श्रेणियों और वेतनमानों से संबंधित श्रम मंत्री के निर्णय को कलकत्ता उच्च न्यायलय में चुनौती दी और वहां

से एक आदेश (रूल) प्राप्त किया गया उच्चतम न्यायलय ने निषेधाज्ञा हेतु एसोसिएशन की याचिका अस्वीकृत कर दी। यद्यपि श्रम मंत्री के कार्य-भार और कार्य ढांचे से सम्बन्धित निर्णय की उसी तरह की रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई थी, भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने मंत्री जी के निर्णय के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार से औपचारिक रूप से विरोध प्रकट किया।

पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार, जूट मिलों ने श्रम मंत्री के फैसलों को अभी कार्यान्वित करना है। फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1979 के त्रिपक्षीय समझौते की समाप्ति पर विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश किए गए नये मांग पत्रों में इन निर्णयों को कार्यान्वित करने की मांग की गई है। इस मामले को संराधन में ले लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

2573. श्री के० ए० स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को लगातार खराब और त्रुटिपूर्ण सेवा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम जैसे क्षेत्रों में सेवा में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उस आदिवासी क्षेत्र में पोलावरम बांध-निर्माण कार्य आदि के शुरू होने को ध्यान में रखते हुए पोलावरम क्षेत्र में टेलीफोन सेवा में सुधार करने की क्या योजनाएं हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जून 1982 में पोलावरम क्षेत्र में खराब टेलीफोन सेवा के बारे में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) पोलावरम क्षेत्र में टेलीफोन सेवा सामान्यतः संतोषजनक है, तारों की चोरी हो जाने के कारण कभी-कभी टेलीफोन सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी चोरी की घटनाएं होती हैं इस मामले को पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

(ग) पोलावरम क्षेत्र की टेलीफोन सेवा में आगे विस्तार करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि वहां प्रतीक्षा सूची में कोई नाम दर्ज नहीं हैं और वहां टेलीफोन सुविधाएं पर्याप्त हैं। पोलावरम बेरेज के लिए टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विभिन्न राज्यों में बिजली के प्रभारों में अन्तर

2674. श्री एम० रामन्ना राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पादन की लागत में औचित्य के बिना बिजली के प्रभार एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) क्या सरकार राज्यों को बिजली के शुल्क के बारे में मार्ग-निर्देश देगी; और

(ग) किन-किन राज्यों में बिजली के प्रभार कम हैं और किन राज्यों में वे अधिक हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केन्द्र सरकार को मालूम है कि बिजली प्रभार राज्यों में भिन्न-भिन्न है। उत्पादन की लागत, विद्युत की खरीद की लागत, यदि कोई हो, पारेषण और वितरण की लागत, प्रचालन तथा अन्य खर्चे और सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिजली के टैरिफ राज्य सरकारों/ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 49 और 59 में दिए गए मुख्य सिद्धान्तों को तथा उक्त अधिनियम की धारा 78क के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो नीति सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए हों, उन्हें ध्यान में रखते हुए बिजली (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अनुसार बिजली के टैरिफ राज्य बिजली बोर्डों को निर्धारित करने पड़ते हैं।

राज्य बिजली बोर्डों को एक युक्तिसंगत टैरिफ का ढांचा तैयार करने की सलाह दी गई है जिसमें विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लागत तथा लाभ की उचित दर की व्यवस्था करने को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई 1-2-83 की सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम बिजली की औसत दरों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी जाती है :—

	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	दर प्रति यूनिट	
		न्यूनतम	अधिकतम
घरेलू रोशनी तथा पंखे	सिक्किम	30.75	—
(30 यूनिट प्रति माह)	नागालैंड	—	64.00
वाणिज्यिक रोशनी तथा पंखे	सिक्किम	27.50	—
(200 यूनिट प्रति माह)	आन्ध्र प्रदेश	—	95.00
कृषि—5 हार्स पावर, 10%	कर्नाटक	8.66	—
एल०एफ० (272 यूनिट प्रतिमाह)	नागालैंड	—	50.00
लघु उद्योग 5 एच०पी०, 10%	सिक्किम	22.50	—
एल०एफ० (272 यूनिट प्रतिमाह	मेघालय	—	68.00
मध्यम उद्योग 50 के० डब्ल्यू०	सिक्किम	17.07	—
30% एल० एफ०) 10950 यूनिट प्रति माह	मेघालय	—	65.28
वृहत् उद्योग 1000 के डब्ल्यू०	कर्नाटक	20.40	—
50% एल० एफ० (365000 यूनिट प्रति माह)	उत्तर प्रदेश	—	72.73

आन्ध्र प्रदेश में "इन्डायलिंग" केन्द्र

2675. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में "इन्डायलिंग" केन्द्र स्थापित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आन्ध्र दूरसंचार सर्किल में 31-12-1982 को इन डायलिंग सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

1.	अचन्ता	2.	अकेपडू
3.	अलाथुर	4.	अलीनगरम्
5.	अम्मानाबरोलु	6.	अनकापल्ली
7.	अनन्तापुर	8.	अरागोन्डा
9.	अरिखियोडा	10.	बैरिसिंगापुरम्
11.	बालाजीपेटा	12.	बान्दी अतमाकुर
13.	बंगारूपलेम	14.	बैथापुडी
15.	भीमावरम	16.	बीक्कावोलु
17.	बोबिली	18.	बोम्मासामुदरम
19.	बोडाडा	20.	ब्रह्मानापल्ली
21.	बुचिन्ताइडुकांडरिका	22.	बुग्गा अग्रहारम
23.	चक्राप्पानायुनिपेटा	24.	चेन्नूर (कुड्डापाव)*
25.	चेन्नूर (मचिलीपट्टनम)*	26.	चेय्यूरू प्रोजेक्ट
27.	चिन्नागंजम	28.	चिन्नागिरम
29.	चिराला	30.	चित्तूर
31.	चितवेल	32.	चोपडांडी
33.	कुड्डापा	34.	दामलचेरुवु

* अपने मूल एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं।

35. दिचपल्ली
36. डोड्डीपटला
37. डोकीनावलासा
38. दुब्बूर
39. इदुलूर
40. इलामनचिली
41. इरूवूपलेम
42. इयामुक्काला
43. गंगाधारा
44. गंगाधारा नेल्लोरे
45. गंभीपल्ली
46. गारलाडीन्ने
47. गोल्लालमअमीडाडा
48. गोल्लावनीटिप्पा
49. गुडूर
50. गुडूरू
51. गुम्मूलुरू
52. गुराजानापल्ली
53. हयातनगर
54. इंदलूर
55. जगन्नाथगिरी
56. जीदिमेतला
57. काडिवेडू
58. कजलूरू
59. काकीनाडा
60. कणिपाक्कम
61. कारमचेडू
62. करापा
63. करावडी
64. करीमनगर
65. करवेटीनगर
66. कट्टांगुर
67. केसवपटनम
68. खम्माम
69. कोलामुरू
70. कोमिचिक्काला
71. कोनेटीवडा
72. कोठापल्ली
73. कोथापटनम
74. कोवूर
75. कोयाचिसाका
76. कुसमानची
77. लिंगमपल्ली
78. एल.एम.डी. कोलोनी (करीमनगर)
79. मचिलीपटनम
80. माडिलेडू
81. माड्डीपडू
82. माड्डीरालापडू
83. महबूबनगर
84. महादेवापटनम्
85. मानाकोडुरू
86. मांडूवनीपलम्
87. मंगलामपेट
88. मनुबोलू
89. मारलापडू
90. मियापुर
91. मुचिबोलू
92. मुनागापाका
93. मुंगोडे
94. मेडकूर

95. नागुलावानचा
96. नागुलूप्पालापाडू
97. नावकालाडिन्ने
98. नाकरेकाल
99. नालगोंडा
100. नांडलूर
101. नांडयाल
102. नरहरिपेट
103. नरसिंघारागुनिपेट
104. नरकेटपल्ली
105. नेलाकोन्डापल्ली
106. निम्माकुरू
107. ओंगोले
108. पकाला
109. पलाकोले
110. पलामानगलम
111. पारलापल्ली
112. पाटनचेरू
113. पेडागापेंथी
114. पेडाना
115. पेड्डापुरम
116. पिलेर
117. पिनापैकी
118. पोड्डरू
119. पोलावरम
120. प्रोड्डातुर
121. पुडी
122. पुल्लामपेट
123. पुट्टूर
124. राजामपेट
125. रामाभद्रापुरम
126. रामादुगु
127. रायाकुडुरू
128. रेनिकुटा
129. संदापुरम
130. सन्थानुथालापडू
131. सीथानगरम
132. सिंगनामाला
133. श्रीकाकुलम
134. श्रीकालाहास्थी
135. स्वर्णा
136. तल्लापलेम
137. तल्लारेवू
138. तंगुलूर
139. तेकायाथोपु
140. थिम्मापुर (नांडयाल)
141. थिम्मापुरम (काकीनाडा)
142. थिप्परथी
143. थुंमुनड्रम
144. तिरुपालायापलेम
145. थुरकानमजल
146. उजरानमपल्ली
147. उंडी
148. उत्तरावल्ली
149. वडाचीपुरुपल्ली
150. वडारेवू
151. वीरावसरम्
152. वेलांगी
153. वेंदरा
154. येदालांकी
155. यंरगिंटला

राज्यों को विद्युत की कमी

2676. श्री रासबिहारी बहेरा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कुछ राज्यों में विद्युत की सप्लाई में भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में विद्युत की कमी हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निबटने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा उसका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । 1979-80 में 16.1% 1980-81 में 12.6% और 1981-82 में 10.9% की कमी थी जो अप्रैल 1982-जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान 8.6% रह गई । तथापि, कमी एक समान नहीं है कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इस समय अधिक कमी है ।

(ग) और (घ) आवश्यकता और सप्लाई के बीच की कमी को पूरा करने के लिए निम्न-लिखित कदम उठाये जा रहे हैं ।

(1) छठी योजना के दौरान 14,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ जाने की सम्भावना है । नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करने के लिए सभी कदम उठाये जा रहे हैं ।

(2) संयंत्र सुधार स्कीमों आदि के जरिये विद्यमान ताप विद्युत परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादन ।

(3) विद्युत की अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में विद्युत का अन्तरण इसके अतिरिक्त राज्यों से आमतौर पर सहयोग प्राप्त होता है ।

श्रमिक मुआवजा अधिनियम में संशोधन

2677. श्री ई० बालानन्द : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 में संशोधन करके श्रमिकों को, उनकी मृत्यु होने अथवा उनके स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में इस समय प्रचालन मुआ-बजा देने की प्रणाली में परिवर्तन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

वर्ष 1985 तक विद्युत उत्पादन की संभावना

2678. **श्री सुशील मैत्रा :**

श्री टी० एस० नेगी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने 3 जनवरी, 1983 को बंगलौर में यह दावा किया था कि भारत में वर्ष 1985 तक विद्युत उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दावे का आधार क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 1982 के दौरान विद्युत उत्पादन में नोट किए गए सुधार को देखते हुए तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि 1985 तक देश में विद्युत उत्पादन स्थिति अच्छी हो जाएंगी । नीचे दिए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि देश में विद्युत की कमी में गिरावट आ रही है ।

वर्ष	कमी (%)
1979-80	16.1
1980-81	12.6
1981-82	10.8
1982-83 (जनवरी, 83 तक)	8.6

बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजूरी तथा मंहगाई भत्ता

2679. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी मजदूरों की राज्यवार, न्यूनतम मजूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता कितना है;

(ख) कितने राज्यों में बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजूरी लागू है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी पर सम्बन्धित उच्च न्यायालयों ने रोका देश दिए हैं, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में बीड़ी मजदूरों के लिए मजूरी की एक समान दर लागू करने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है, और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर): (क) और (ख) बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों तथा महंगाई भत्ते से संबंधित उपलब्ध सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार में सितम्बर, 1981 में पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरों को उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन स्थगित कर दिया गया है।

(घ) बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों में व्यापक अन्तर की समस्या पर विचार करने के लिए कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों की सितम्बर, 1981 में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में यह सहमति हुई कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 415 के सन्दर्भ में बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें सात और आठ रुपए प्रति दिन के बीच में निर्धारित की जानी चाहिए। यह सिफारिश उन सभी राज्यों को भेजी गई जहां बीड़ी का उत्पादन होता है और उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकांश राज्यों ने मजदूरी—दरें तदनुसार पुनरीक्षित कर दी हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1000 बीड़ी लपेटने के लिए मजदूरी की दरें	प्रभावी तिथि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश	7.05 से 7.70 रुपये तक बीड़ियों के आकार और किस्म तथा क्षेत्रों के अनुसार)	1-8-82	
2.	असम	5.00 रुपये	1-8-77	न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं।
3.	बिहार	8.00 रुपये	24-9-81	
4.	गुजरात	7.20 से 7.45 रुपये तक बीड़ियों की किस्म और क्षेत्रों के अनुसार।	15-7-81	
5.	कर्नाटक	7.40 रुपये	11-1-82	

1	2	3	4	5
6.	केरल	9.15 रुपये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1950 से ऊपर प्रत्येक प्वाइंट के लिए 3 पैसे की दर से महंगाई भत्ता।	20-10-80	न्यूनतम मजदूरी दरें पुनरीक्षित करने के लिए 16-5-81 को एक समिति गठित की गई है।
7.	मध्य प्रदेश	7.50 रुपये।	1-1-82	कुछ शर्तों के अध्यधीन 42/- रुपये प्रति सप्ताह की दर से प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरी।
8.	महाराष्ट्र	7.50 से 10.00 रुपये तक क्षेत्रों के अनुसार	15-1-82	कुछ शर्तों के अध्यधीन 46.25 रुपये प्रतिदिन की प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरी
9.	उड़ीसा	7.45 रुपये	31-3-82	
10.	राजस्थान	7.10 रुपये (सादा बीड़ी) 8.75 रुपये (स्पेशल बीड़ी)	1-4-82	
11.	तमिलनाडु	7.20 रुपये (जादी बीड़ी) 7.00 रुपये (सादा बीड़ी)	12-3-82	
12.	त्रिपुरा	6.35 रुपये	18-5-82	
13.	उत्तर प्रदेश	7.50 रुपये	1-4-82	कुछ शर्तों के अध्यधीन 42 रुपये प्रति सप्ताह की प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरी।
14.	पश्चिम बंगाल	13.35 रुपये से 16.74 रुपये तक+महंगाई भत्ता	3-7-82	

अनपारा बिजली घर के लिए ठेका

2680. श्री राम जेठमलानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2×500 मेगावाट वाले अनपारा बिजली घर के संबंध में ठेके की शर्तें और मूल्य क्या है;

(ख) यह ठेका कब किया गया था और किसके साथ किया गया था और पार्टी निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व व्यापी टेंडर या अन्य टेंडर आमंत्रित किए गए थे; यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने टेंडर प्रस्तुत किए थे, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के पूरा होने की निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) यद्यपि जापान सरकार अनपारा "ख" विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए सहमत हो गई थी और प्रारम्भ में 24.1 बिलियन येन की राशि के लिए वचन दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए किसी भी पार्टी को ठेका नहीं दिया है। परियोजना के कार्यान्वयन को हाथ में लेने से पूर्व परियोजना के लिए पर्याप्त वित्त पोषण सहित कई निवेशों की व्यवस्था सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

अधिक क्षमता का उपयोग

2681. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कम्पनियां कौन सी है, जो विशेष नियंत्रित उद्योगों के अधीन अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से दुगना उत्पादन कर रही हैं;

(ख) इन कम्पनियों के मामले में अधिक क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या इस अधिक क्षमता का उपयोग कानूनी तौर पर किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या अब उसे कानून सम्मत बना दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन में घाटा

2682. **श्री आर० आर० भोले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन बहुत अधिक घाटे में चल रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 तथा 1982 में अब तक कितना घाटा हुआ है, क्या पिछले वर्ष वसूल न होने वाले ऋण के तौर पर कोई धन राशि बही खाते में डाली गई है; यदि हां, तो कितनी;

(ख) यदि वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982 में अब तक इसे निर्यात से कोई आमदनी हुई है तो वह कितनी है; और

(ग) क्या समाचार पत्रों की यह खबर सच है कि कारपोरेशन विभागों के संचालक पदों पर नये और गैर-अनुभवी लोगों को नियुक्त करके अनोखी व्यक्तिगत नीति अपना रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान निगम ने 4.58 लाख रुपये का लाभ कमाया। वर्ष 1981-82 के दौरान इसे 1.22 लाख रुपये की हानि हुई थी। वर्ष 1982-83 के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि लेखे अभी बन्द नहीं किए गए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान वसूल न होने वाले ऋणों के रूप में कोई धन राशि बट्टेखाते मे नहीं डाली गई थी।

(ख) निगम का कुल निर्यात राजस्व इस प्रकार है :—

1980-81	—44 01 लाख रुपए
1981-82	—39.46 लाख रुपए
1982-83 (जनवरी, 1983 तक)	—32.02 लाख रुपए

(ग) जी, नहीं। विभिन्न पदों पर भर्तियां निगम के भर्ती नियमों के अनुसार की जा रही हैं।

जनवरी, 1982 की हड़ताल के बारे में आई.एल.ओ. की टिप्पणी पर सरकार की प्रतिक्रिया

2683. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों, जिन्होंने जनवरी, 1982 की हड़ताल में भाग लिया था, के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए आई.एल.ओ की टिप्पणी पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) भारत सरकार का यह दृढ़ विचार है कि कोई अनुचित कठोर कार्यवाही नहीं की गई और सामान्य ट्रेड यूनियन कार्य-कलापों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का निर्देश नहीं दिया गया।

फोनिक्स टैक्सटाईल मिल्स, बम्बई की कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशियां

2684. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोनिक्स टैक्सटाईल मिल्स, बम्बई में मासिक तथा दैनिक मजदूरी पर कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और गत वर्षों के दौरान इस फर्म ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कुल कितनी राशि जमा कराई और कितनी राशि ओर शेष है;

(ख) क्या उक्त मिल ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि बचाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को स्थाई न करके कम्पनी कानूनों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार इस मिल में मासिक मजदूरी पर 579 कर्मचारी और दैनिक मजदूरी पर 80 कर्मचारी काम कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों द्वारा सूचित अंशदानों को जमा करने के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

31-12-1982 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठान ने 119.53 लाख रुपये की राशि जमा करा दी और 52.11 लाख रुपये की राशि बकाया थी। बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रतिष्ठान के विरूद्ध आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशि

इस प्रतिष्ठान ने 36.43 लाख रुपए की राशि जमा कर दी और 41.20 लाख रुपए की राशि उसकी ओर अभी बकाया थी। इस प्रतिष्ठान की तरफ हर्जानों के रूप में 1,79,875,00 रुपए की और राशि अभी बकाया है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए मिल के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही पहले ही शुरू की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बसई दारापुर स्थित ई.एस.आई. अस्पताल के भीतर तथा बाहर गन्दगी होना

2685. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बसई दारापुर स्थित ई.एस.आई. अस्पताल के भीतर तथा बाहर स्वच्छता का अभाव होने की ओर दिलाया गया है और क्या अस्पताल की चारदीवारी के भीतर अक्तूबर तथा नवम्बर मास के दौरान लम्बी-लम्बी घास उगी हुई थी और रोगी आराम नहीं कर सकते थे;

(ख) क्या यह सच है कि एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण अक्तूबर, 1982 में 15 तक टूटी टांग का एक्स-रे नहीं किया जा सका था और कुछ वार्डों में बिजली पानी का कोई प्रबन्ध नहीं था; और

(ग) उक्त अस्पताल में जनवरी, 1982 से 31 अक्तूबर, 1982 तक की अवधि में प्रतिमास कितने रोगी भर्ती किए गए और विशेष मामले के रूप में कितनी मात्रा में औषधियां मंगाई गई तथा रोगियों को वितरित की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अस्पताल में सफाई की उचित व्यवस्था है और अस्पताल के बरामदे में गन्दगी इकट्ठी नहीं होने दी जाती। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी प्रभाग द्वारा समय-समय पर घास को सुव्यवस्थित किया जाता है और रोगियों को कोई असुविधा नहीं होती है।

(ख) जी, नहीं। अस्पताल के पास 5-एक्सरे मशीनें हैं और यदि इन मशीनों में से कोई मशीन खराब हो जाती है तो अन्य मशीनों से अतिरिक्त कार्य लिया जाता है। अस्पताल प्राधिकारियों की एक्सरे लेने में 15 दिनों की देरी के किसी मामले की जानकारी नहीं है। अक्तूबर, 1982 के दौरान बिजली/जल पूर्ति में कभी भी खराबी नहीं हुई। अस्पताल में जेनरेटर और जब कभी पावर शेडिंग के कारण बिजली की सप्लाई में रूकावट होती है, तो जेनरेटर का प्रयोग किया जाता है।

(ग) भर्ती किए गए रोगियों की संख्या निम्नानुसार थी :—

मास	भर्ती किए गए रोगियों की संख्या
जनवरी	1486
फरवरी	1388
मार्च	1489
अप्रैल,	1406
मई	1530
जून	1639
जुलाई	1968
अगस्त	2095
सितम्बर	2159
अक्तूबर	1871

इस अवधि के दौरान अस्पताल के प्रयोग के लिए केन्द्रीय चिकित्सा भंडार द्वारा 27.65 लाख रुपये की दवाईयां खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त, अस्पताल द्वारा लगभग 18,266,00 रुपये की स्थानीय खरीद की गई।

दूरदर्शन में ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर्स के रिक्त पद

2686. श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन निदेशालय में ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर्स के कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे किन-किन तारीखों से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के खाली पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ड्राफ्ट्समैन के 2 ग्रेडों के आकाशवाणी में 6 पद और दूरदर्शन में 2 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें से, 6 पद 1982 में और 2 पद 1981 में रिक्त हुए थे। दूरदर्शन में ट्रेसर का कोई पद नहीं है। आकाशवाणी में 5 पद रिक्त हैं जिनमें से 4 पद 1982 में और 1 पद 1981 में रिक्त हुआ था।

(ख) और (ग) रिक्तियों को, जिन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार, उनके द्वारा विभागीय उम्मीदवारों में से पदोन्नति द्वारा या रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती भरा जाना होता है, को भरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। विभागीय उमीदवारों में से पदोन्नति के लिए, विभागीय पदोन्नति समितियों को बैठकें या तो हो चुकी हैं या करनी तय कर ली गई हैं, और सीधी भर्ती के लिए, संबंधित स्थानीय रोजगार कार्यालयों को मांग-पत्र भेज दिए गए हैं। आशा है कि पदों को अति शीघ्र भर लिया जाएगा।

पश्चिमी बंगाल में तेल तथा गैस के लिए भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण

2687. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा सोवियत संघ के तेल-विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पश्चिमी बंगाल के 540000 किलोमीटर क्षेत्र तेल और गैस प्राप्त होने के बहुत अच्छे आसार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में खोज के लिए तथा वहां इनकी वाणिज्यिक प्रचुरता का अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। पश्चिमी बंगाल में किए गए मूल्यांकन के अनुसार केवल 11000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अत्यधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है।

(ख) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्वेषण जारी है।

प्राइवेट कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवा-निवृत्त अधिकारी

2688. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या ऊर्जा मंत्री प्राइवेट कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवा-निवृत्त अधिकारियों के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित मामले की जांच का क्या परिणाम निकला है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भ्रष्टाचार का समूल उन्मूलन करने के लिए प्रधान मंत्री के नवीनतम निदेश के संदर्भ में उनका विचार ऐसे सभी व्यक्तियों का जिनका औद्योगिक गृहों से उनके संपर्क अधिकारियों के माध्यमसे विशेषकर जो एक समय उनके सहयोगी रहे थे, काम पड़ता है, बारी-बारी से एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए उनका क्या निवारक उपाय अपनाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जहां तक संभव होता है उपयुक्त अन्तरालों से स्थानान्तरण किए जाते हैं, निर्देश कर दिए गए हैं कि केवल अवर सचिव के समकक्ष और इससे ऊपर के पद के अधिकारी पूर्व अनुमति देकर ही आगन्तुकों से मिल सकते हैं।

रेमण्ड वूलन मिल्स लि०

2689. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेमण्ड वूलन मिल्स लि० बम्बई पर प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रक्रियाएं अपनाने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कम्पनी के विरुद्ध दो जांचें संस्थित की, जिनके ब्यौरे नीचे वर्णित हैं :—

(1) प्रथम जांच, जो आयोग द्वारा कम्पनी के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10(क)(4) तथा धारा 37 के अन्तर्गत 6 दिसम्बर, 1974 को संस्थापित की गई थी, निम्नांकित आरोपोंयुक्त अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के विरुद्ध निर्देशित की गई थी :—

(1) मूल्यों में छल साधन,

(2) पूर्ति, मूल्य वसूल करने, बट्टा देने, न्यापारावर्त लाभांश देने तथा आकलन पत्र जारी करने, में भेदभाव;

(3) संव्यवहार से निषेध तथा कुछ ही वितरकों की पूर्ति करना; एवं

(4) व्यापारावर्त आधार पर बट्टा/लाभांश देना।

उपरोक्त जांच आयोग द्वारा इसके 20 दिसम्बर, 1982 के आदेशानुसार बन्द कर दी गई थी, जिसके अन्तर्गत आयोग ने निर्णय किया था कि मामले के दीर्घ सनयावसान की दृष्टि से तथा कम्पनी द्वारा इस आशय के आवशोषित आश्वासन कि यह किन्हीं भी भी अवरोधक व्यापारों में लिप्त नहीं होगी, को देखते हुए, नियमित जांच करना लाभ प्रद नहीं था।

(2) आयोग द्वारा कम्पनी के विरुद्ध द्वितीय जांच, अधिनियम की धारा 10(क)(3) तथा धारा 37 के अन्तर्गत 6 सितम्बर, 1982 को, भेदभाव पूर्ण मूल्य वसूल करने के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में लिप्त रहने के आरोप के संबंध में संस्थापित की गई है। इस जांच की कार्यवाहियां आयोग के समक्ष सुनवाई के प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

स्वदेशी औषधियों के उत्पादन में कमी

2690. **श्री नवीन रवाणी : क्या रासायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औषधि और भेषज उपयोग संबंधी रिपोर्ट के अनुसार औषधियों की मांग की तुलना में उसका स्वदेशी उत्पादन कम है तथा देश को बल्क औषधियों का आयात करना पड़ा था...

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान प्रत्येक वर्ष औषधियों के आयात के लिए कितनी-कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी है...

(ग) कौन-कौन सी औषधियों का आयात किया जा रहा हैं... और

(घ) विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए देश में ऐसी औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : पैंसिलिन, आई.एन.एच., थीयासेटाजोन, पेरासिटामोल, कई सल्फा औषधों, ट्राइमेथोप्रिम, डाईआएडो हाईड्रोक्सीक्विनोलीन, टोलबुटामाइड, आइफे-क्लोरो-हाईड्रोक्सीक्विनोलीन आदि की तरह के प्रपुंज औषधों का स्वदेशी उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तथापि, मिथाइल डोपा, डेप्सोन, पिपराजाइन हेक्साहाड्रेट, विटामिन बी 2, विटामिन "ए" आदि की तरह की अन्य ऐसी प्रपुंज औषधियां हैं जिनका स्वदेशी उत्पादन देश की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। एवं प्रत्याशित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरणीबद्ध आयात किए गए हैं।

रिफेमपिसिन, विटामिन बी 6, थियोफीलीन आदि की तरह की कुछ अन्य औषधियां हैं जिनका देश में उत्पादन नहीं किया जाता और इस प्रकार आयात एवं निर्यात नीति के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रपुंज औषधों के आयातों का सी.आई.एफ. मूल्य निम्न प्रकार है ;—

वर्ष	आयातों का सी.आई.एफ मूल्य
1979-80	95.27
1980-81	87.24
1981-82	105.06
1982-83	उपलब्ध नहीं।

वर्ष 1981-82 के दौरान, डेप्सोन, स्ट्रैप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लीन, क्लोरोक्विन इथमबुटोल, मिथाइल डोपा विटामिन-बी 1, विटामिन-बी 2 आदि की तरह की औषधियों का सरणीबद्ध आयात किया गया। तथापि, गैरसरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के आयात, आयात और निर्यात नीति के संबंधित उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होते थे।

(घ) आवश्यक औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उत्पादन विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं;

(2) भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों को बड़ी संख्या में डी.जी.टी.डी. के साथ पंजीकरण स्वीकृत किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रपुंज औषधी तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन करने के लिए सभी सेक्टरों को कई लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किए गए हैं;

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राज्यों में संयुक्त क्षेत्र फार्मूलेशन एकक स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिए गए हैं;

(4) औद्योगिक लाइसंसों तथा आशय-पत्रों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है और ऐसे एककों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हों, की जांच की जाती है;

(5) पांच वर्ष की अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि, स्थापित क्षमता को मान्यता देने और पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम वार्षिक क्षमता को पुनर्पृष्ठांकित करने और चालू वर्ष के दौरान उत्पादन से सम्बन्धित योजनाएं कुछ शर्तों के अध्यधीन औषध उपयोग पर भी विस्तारित की गई हैं

बरौनी में गैस सिलेंडरों के मूल्य

2691. श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैस सिलेंडर का मूल्य 44 रु० 50 पैसे है जबकि बिहार के बरौनी नगर में, जहां कि तेल शोधक कारखाने में गैस तैयार होती है, उसका मूल्य 48 रुपये से भी अधिक है; और

(ख) गैस की उत्पादन लागत कितनी है और गैस के मूल्य देश भर में एक समान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र (क) दिल्ली तथा बरौनी में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों के मूल्य निम्नलिखित रूप में हैं :

दिल्ली	बरौनी
14,2 किलो ग्राम के प्रति सिलेण्डर के लिए	
44.58 रुपये	45.69 रुपये
15 किलो ग्राम के प्रति सिलेंडर के लिए	
47.09 रुपये	48.26 रुपये

(ख) शोधनशाला पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मूल्य प्रति मी० टन 2736,95 रुपये है जो प्रति 15 किलो ग्राम के सिलेंडर के लिए 41.05 रुपये निकलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ कर जहां एक सामान परिवहन अधिशुल्क योजना संचालन में है, दिनांक 1-9-82 से देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (घरेलू) के मूल्य शोधनशाला से बाटलिंग संयंत्र तक पूरा रेल का भाड़ा तथा बाटलिंग संयंत्र से सम्बन्धित बाजार तक पैक की गई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए वैचारिक रेल के भाड़े का 50 प्रतिशत तक वसूल करने के सिद्धांत को अपनाकर पुनर्गठन किया गया है।

तथापि उपभोक्ताओं को इनके मूल्य प्रत्येक राज्य में लागू बिक्री कर की दर पर तथा विभिन्न कार्यों में भुगतान किए जाने वाले स्थानीय शुल्कों पर निर्भर करते हैं। दिल्ली में लागू 5 प्रतिशत बिक्री कर की तुलना में बरौनी में लागू बिक्री कर की दर है ? प्रतिशत + 1.1 प्रतिशत अतिरिक्त कर।

खान दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों के लिए दी गई सहायता

2692 श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद के गत सत्र के बाद देश के बहुत से भागों में गंभीर खान दुर्घनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं;

(घ) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं में अंतर्गस्त व्यक्तियों के परिवारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लेखा-परीक्षक दलों के मुख्यालयों को दिल्ली से कलकत्ता/मद्रास स्थानान्तरित करना

2693. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा परीक्षक दलों के मुख्यालयों को दिल्ली से कलकत्ता/मद्रास स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्यालयों में परिवर्तन हो जाने के बाद भी इन दलों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, छुट्टी की मंजूरी आदि सहित सभी प्रशासनिक कार्य कलकत्ता/मद्रास की बजाय नई दिल्ली स्थिति केन्द्रीय कार्यालय से दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से बाहर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भारी परेशानियां हो रही हैं और उन्हें अपने वेतन आदि समय पर नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या केन्द्र सरकार का विचार इन मुख्यालयों को कलकत्ता/मद्रास से पुनः दिल्ली स्थानान्तरित करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार बताया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों को क्षेत्र अर्थात उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के आधार पर संगठित किया गया है। इनके मुख्यालय क्रमशः दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में हैं। इनके मुख्यालयों को स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) आन्तरिक लेखा-परीक्षा दल के लिए कार्मिकों का चयन, छुट्टी की मंजूरी, वेतन, पेशगी और यात्रा भत्ते बिलों का भुगतान तथा कार्यक्रम तैयार करने का काम केन्द्रीय कार्यालय में वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा सीधे रूप से नियंत्रित किया जाता है। ऐसा आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों के गठित होने के

समय से ही किया जा रहा है। वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी केन्द्रीय रूप से आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करता है।

(ग) इन आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों में से किसी भी दल के मुख्यालय में परिवर्तन नहीं किया गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा दलों का स्टाफ किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं कर रहा है। प्रशासनिक रूप से स्टाफ की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करने में कोई समस्या नहीं है।

(घ) मुख्यालयों को कलकत्ता/मद्रास से दिल्ली में स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से कार्य अच्छी तरह चल रहा है और यह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है।

बिहार में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने वाली सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

2694. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) बिहार में ऐसी सरकारी कम्पनियां कौन-कौन सी थीं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 220 के अनुसार लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने तथा धारा 159 के अनुसार वार्षिक विवरणयां प्रस्तुत न करने के लिए दोषी रही है; और

(ख) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अन्य गैर सरकारों कम्पनियों के मामले में इस प्रकार के दोष के लिए कानूनी मामले दर्ज किए जा चुके हैं इन सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों को अवधि में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अन्तंगत तुलन पत्र और धारा 159 के अन्तंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में बिहार में स्थित जिन सरकारी कम्पनियों ने दोष किये हैं, उनके नामों को दर्शाता हुआ विवरण संलग्न किया जाता है।

(ख) चूंकि सरकारी कम्पनियों के निदेशक केवल बगैर किसी व्यक्तिगत हित के नामित होते हैं और कम्पनी तथा लोकहित के हित को चौकसी करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं अतः सामान्यतः जानबूझ कर कोई दोष नहीं किया गया है। यतः इन दोषों का सम्बन्धित विभागों के माध्यम द्वारा प्रशासनिक रूप से उपचार कर दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	पिछले तीन वर्षों की अवधि में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 220 के अन्तर्गत दोष
1	2	3
1.	बिहार स्टेट डेरी कारपोरेशन लि०	1979-80, 1980-81 और 1981-82
2.	बिहार स्टेट मिनरल डिवलपमेंट कारपोशन लिमिटेड	—यथोपरि—
3.	बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
4.	बिहार स्टेट वाटर डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
5.	बिहार स्टेट लैदर डिव्लपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
6.	बिहार स्टेट हैण्डलूम पावरलूम एण्ड हैण्डी-क्राफ्ट्स डिवपलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
7.	बिहार पुलिस बिल्डिंग कस्ट्रक्शन लिमिटेड	—यथोपरि—
8.	बिहार पंचायती राज फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
9.	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
10.	बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
11.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
12.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	—यथोपरि—
13.	बिहार टेलीविजन एण्ड अलायड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—यथोपरि—
14.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	—यथोपरि—
15.	बिहार स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०	—यथोपरि—
16.	बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल्स एण्ड कैमिकल्स डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—

1	2	3
17.	बिहार स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
18.	बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०	—यथोपरि—
19.	बिहार राज्य मत्स्य बीज विकास निगम लि०	—यथोपरि—
20.	बिहार फ्रूट एण्ड वेजिटेबल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
21.	बिहार स्टेट इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
22.	बिहार स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	—यथोपरि—
23.	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
24.	बिहार स्टेट टैक्सटा बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड	—यथोपरि—
25.	बिहार स्टेट टूरिज्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०	1981-82
26.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	—यथोपरि—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	पिछले तीन वर्ष की अवधि में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत दोष
1	2	3
1.	बिहार स्टेट वाटर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1979-80, 1980-81 और 1981-82
2.	बिहार टेलीविजन एण्ड अलायड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—यथोपरि—
3.	बिहार स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन लि०,	—यथोपरि—
4.	बिहार स्टेट फ्रूट एण्ड वेजीटेबल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	—यथोपरि—
5.	बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड	1980-81 से 1981-82
6.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1981-82

सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2695. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) गैस पर आधारित छ: नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, इनमें से एक-एक मध्य प्रदेश व राजस्थान में तथा चार उत्तर प्रदेश व राजस्थान में तथा चार उत्तर प्रदेश में होंगे। मध्य प्रदेश—संयंत्र भारत सरकार के एक उपक्रम मै० नैशनल फर्टिलाइजरस लि० द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया जाएगा।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयंत्रों के स्वामित्व के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

फिल्म सेंसर बोर्ड को नए मार्गदर्शी निदेश

2696. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म सेंसर बोर्ड को कोई नए मार्गदर्शी निदेश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) मार्गदर्शी सिद्धान्तों में फिल्मों में भारतीय महिलाओं के पुरुष की अधम दासी के रूप में चित्रण को निरुत्साहित करने सम्बन्धी उपबन्ध शामिल करने के केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रसायनिक एककों के पास सोडा-ऐश का जमा होना

2697. श्री मोहन लाल पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रसायनिक एककों के पास सोडा-ऐश बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1982 को कितना स्टाक जमा था;

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिए सोडा-ऐश पर आयात शुल्क बढ़ाने या सोडा-ऐश पर आयात रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ख) निर्माताओं द्वारा दी गई सूचनानुसार उनके पास 31-12-82 को सोडा-ऐश का उपलब्ध भण्डार 64,459 टन था।

(ग) आयात आंकड़े महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यकी, कलकत्ता द्वारा एकत्र व प्रकाशित किए जाते हैं। जुलाई, 1981 के पश्चात् के आंकड़े अभी प्रकाशित होने हैं। जब ये आंकड़े एकत्र हो जाएंगे तो उन्हें "मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" (वाल्यूम-II) में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।

(घ) और (ङ) सोडा-ऐश पर 1-3-1983 से प्रभावी आयात शुल्क इस प्रकार है। 70 प्रतिशत मूल शुल्क मूल्यानुसार, 35 प्रतिशत अनुषंगी शुल्क मूल्यानुसार और 15.75 प्रतिशत समतुल्य शुल्क मूल्यानुसार। सोडा-ऐश पर फिलहाल आयात कर में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोडा-ऐश के निर्माताओं से आयात पर पाबंदी लगाने के लिए और उपभोक्ता संघों से वर्तमान आयात नीति को जारी रखने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और भविष्य की नीति पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को कोयले की सप्लाई में वृद्धि

2698. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के स्टाक में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने केन्द्र से कोकिंग कोयले की दैनिक सप्लाई को बढ़ाने की मांग की है जिससे कि न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को इस समय प्रतिदिन कितने कोयले की सप्लाई की जा रही है; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा कितना न्यूनतम स्टाक रखा जाना अपेक्षित है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) देशी कोक्कर कोयले का स्टाक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के इस्पात संयंत्रों के पास 1982 के

मध्य में रेकार्ड स्तर पर पहुंच गया था। वर्ष 1982 के अन्त में, स्टाक कुछ हद तक कम हुए थे। उसके बाद स्टाक जमा हो गए हैं और को० इं० लि० तथा सरकार दोनों ही इस्पात संयंत्रों में कोक्कर कोयले के स्टाक का लगातार पता रखती हैं।

मार्च, 1983 में 8-3-1983 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के इस्पात संयंत्रों में कोक्कर कोयले की प्रतिदिन की प्राप्ति 36.4 (हजार टन) रही है जब कि इसकी तुलना में प्रतिदिन की खपत 34.5 (हजार टन) रही। इस तरह से यह स्पष्ट है कि खपत से अधिक प्राप्ति में वृद्धि के कारण स्टाक जमा हो रहे हैं। इस्पात और कोयला क्षेत्रों के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि इस्पात संयंत्रों पर किस स्तर तक स्टाक जमा किए जाएं। यद्यपि भा० इ० प्रा० लि० ने पहले संकेत दिया था कि वह न्यूनतम 4.25 लाख टन का स्टाक रखना चाहते हैं फिर भी संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि स्टाक शीघ्र ही क्रमश: 5 लाख टन से ऊपर जमा किए जाएंगे।

सेंट्रल फ्यूअल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कोयले को तेल में बदलने का कार्यक्रम

2699. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल फ्यूअल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वाणिज्यिक स्तर पर कोयले को तेल में बदलने हेतु व्यावहारिक प्रक्रिया तैयार करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक प्रक्रिया तैयार करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण पद्धति का प्रयोग करने वाले आधा टन प्रतिदिन की क्षमता के एक पायलट संयंत्र पर केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में काम किया गया है। इस पायलट संयंत्र में बहुत कम मात्रा में डीजल तेल का उत्पादन किया गया था। उन्होंने रु० 12.6 करोड़ की अनुमानित लागत पर 25 टन (कोयला) प्रतिदिन की क्षमता वाला हाइड्रोजनीकरण संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की छठी योजना के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया के व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होने के बारे में अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्त पोषित फिल्मों की संख्या

2700. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1982-83 में वित्त पोषित फिल्मों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन फिल्मों का निर्माण पूरा हो गया है;

(ग) इनमें से प्रत्येक फिल्म को दिया गया ऋण कितना है;

(घ) क्या वाणिज्यिक ग्रुप से लाभकारी फिल्मों के वित्त पोषण को प्राथमिकता दी गई है; और

(ङ) इस निगम द्वारा उक्त वर्ष में वित्त पोषित हिन्दी तथा प्रादेशिक फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ग) और (ङ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1982-83 में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की जिन फिल्मों के लिए ऋण मंजूर किए गए उनके नाम तथा प्रत्येक फिल्म के लिए मंजूर किए गए ऋण की राशि इस प्रकार है :—

ऋण योजना के अन्तर्गत

क्रम संख्या	फिल्म का नाम और भाषा	ऋण की राशि
		रुपये
1.	फूड अडल्ट्रेशन (डाकुमेंट्री फिल्म—अंग्रेजी)	52,955
2.	महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट (डाकुमेंट्री फिल्म—तेलुगु)	25,000
3.	अर्ध सत्य (हिन्दी)	6,00,000
4.	अनटाइटल्ड (मराठी)	3,92,865
5.	ओम-दर-ब-दर (हिन्दी)	5,00,000
6.	महानन्दा (हिन्दी)	5,00,000
7.	मि० जोशी गोज टू कोर्ट फार जस्टिस (हिन्दी)	8,00,000

100 प्रतिशत वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत

1.	पार्टी (हिन्दी)	9,55,000
2.	घरे बाइरे (बंगला)	17,87,250
3.	गुदाम (हिन्दी)	7,02,000

(ख) एक डाकुमेंट्री फिल्म मुक्कमल हो चुकी है।

(घ) जी, हां। निगम प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को न केवल वित्तीय आत्म-निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ही अपितु स्क्रिप्ट के गुणों के आधार पर भी फिल्म का वित्त-पोषण करता है ताकि चलचित्रिक मूल्य और सामाजिक विषयों दोनों से युक्त फिल्मों का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

भवन निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए विधान

2701. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लाखों भवन निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के प्रयोजन से एक विधान लाने में किसी प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है, यदि हां, उक्त विधान के कब तक आने की आशा है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उन राज्यों में जाने हेतु जहां प्रवासी श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है उनकी कार्य तथा जीवन दशाओं की जांच करने हेतु कुछ अन्तर्राज्जीय अध्ययन दलों का गठन किया है; और

(ग) उन दलों ने किन-किन राज्यों का दौरा किया तथा उनके निष्कर्ष क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) जी, हां। भवन निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधान बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) दो अन्तर राज्य संयुक्त अध्ययन दल गठित किए गए हैं, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये अध्ययन दल कार्य स्थल पर प्रवासी श्रमिकों के काम-काज और रहन-सहन की दशाओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करेंगे, उनकी विशिष्ट शिकायतों को दूर करेंगे और अन्तर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम के उपबन्धों के तुरन्त और प्रभावी कार्यान्वय के लिए उपाय सुझायेंगे। ये अध्ययन दल हाल ही में गठित किए गए हैं। उन्होंने चन्डीगढ़ में 16-2-83 को और बम्बई में 5-3-83 को बैठकें आयोजित की है, जिनमें उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उन कार्यस्थलों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया है जहां प्रवासी श्रमिक नियोजित हैं।

कर्नाटक को बिजली देने में आन्ध्र प्रदेश की असमर्थता

2703. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने कर्नाटक को बिजली देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में फालतू बिजली नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश द्वारा कर्नाटक को बिजली देने से इन्कार करने के कारण कर्नाटक राज्य में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार बिजली प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश ने कर्नाटक को 20-2-83 से विद्युत सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणिज्यिक कार्यक्रमों के लिए पृथक चैनल

2704. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि दूरदर्शन वाणिज्यक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक पृथक चैनल की व्यवस्था करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और दूरदर्शन की अन्य चैनल की लागत कितनी होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी दल को इस प्रश्न पर भी विचार करना है और अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस दल की सिफारिशों पर निर्णय सापेक्ष प्राथमिताओं और वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यथा समय लिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

गोहाटी में टेलीवीजन केन्द्र

2705. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री संतोष मोहन देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोहाटी में शीघ्र ही पूर्ण टेलीविजन केन्द्र बनायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसकी रेंज कितनी होंगी और यह कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार सिक्किम, नेपाल और उत्तर बंगाल को टेलीविजन रेंज के अन्तर्गत लाने के लिए उत्तर बंगाल में टेलीबिजन केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 10 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर और कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन केन्द्र के गोहाटी में 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है । इसकी सेवा परिधि लगभग 70 किलोमीटर होगी ।

(ग) से (ङ) सिक्किम और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए क्रमशः गंगतोक और माजदा में हाल ही में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धतियां स्थापित की गई हैं छठी योजना के दौरान उत्तरी बंगाल में और कोई दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ओपियम फैक्टरी, शकलेनाबाद, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के श्रमिकों द्वारा श्रम न्यायधिकरण के स्थाई आदेश क्रियान्वित किए जाने की मांग

2706. **श्री पियूष तिरकी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपियम फैक्टरी, शकेलेनाबाद, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के श्रमिक श्रम न्यायाधिकरण के स्थाई आदेशों को कार्यान्वित करने की मांग चिरकाल से कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ओपियम फैक्टरी, शेकलेनाबाद, गाजीपुव के प्रबंध मंडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिसने अनुग्रह राशि को अदायगी, और फैक्टरी के कुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतनमानों को संशोधित करने से सम्बन्धित श्रम न्यायाधिकरण के आदेशों को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) स्थायी आदेशों के बारे में श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश के आदेश को लागू करने करने की श्रमिक मांग कर रहे हैं।

(ख) 1975 के प्रकीर्ण मामला संख्या 43 में श्रम न्यायलय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के आदेश का संबंध अनुग्रहपूर्वक राशि की अदायगी और कारखाने के कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के वेतनमानों में पुनरीक्षण नहीं हैं और यह मामला केन्द्रीय सरकार औद्योगिक, नई दिल्ली को न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया है और उसके पंचाट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इन्डेन गैस कनेक्शन

2707. **श्री राम विलास पासवान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1982 से जनवरी 1983 तक की अवधि के दौरान राज्यवार, इन्डेन गैस के कितने-कितने नए कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में गैस कनेक्शन कम दिए गए है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण तथा भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में नैमितिक श्रमिकों की सुरक्षा हेतु विधान

2708. **श्री एम० ई० होरो :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में भवन निर्माण श्रमिकों तथा नैमितिक श्रमिकों (विशेषतः भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में कार्यरत) के कल्याण तथा सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित विधान में उन श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा, मजूरी की अदायगी, दुर्घटना, स्वास्थ्य और आवास की बातें शामिल रहेंगी जो इस समय भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान का ब्यौरा क्या है और इसे संभवतः कब संसद के समक्ष लाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) भवन और निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए विधान सरकार के विचाराधीन है । तथापि, इस समय नैमितिक श्रमिकों की सेवा-शर्तों आदि को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

2709. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निर्वाचक नामावलियों अद्यतन पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद् के निर्वाचनों के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने बताया है कि देश में सभी निर्वाचन क्षेत्रों की, उनको छोड़कर जो असम राज्य में हैं, निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-1983 के प्रति निर्देश से किया गया गया था। अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-1983 के प्रति निर्देश से निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है।

जहां तक असम राज्य का संबंध है, असम राज्य में (114-जौनाई (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर) सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-79 के प्रति निर्देश से 1979 में किया गया था। किन्तु 114 जोनाई (अ०ज०जा०) का संक्षेपतः पुनरीक्षण किया गया था। क्योंकि क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण गहन पुनरीक्षण नहीं कराया जा सका। निर्वाचन आयोग का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के अधीन दिया गया तारीख 7 जनवरी, 1983 का आदेश सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें 1979 के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6093/83]

(ग) से (ङ) निर्वाचन आयोग ने, जो दिल्ली महानगर परिषद् के निर्वाचन कराता है, बताया है कि निर्वाचक नामावलियों में कुछ अनियमितताओं के संबंध में आयोग को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आयोग प्राप्त एक विवरण संलग्न है जिसमें शिकायतों का सारांश दिया गया है. [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6093/83 जहां आवश्यक था, आयोग ने शिकायतें मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को उसकी रिपोर्ट/टिप्पणी के लिए प्रेषित कर दी गई थीं और यह कार्य आयोग का है कि वह मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली से रिपोर्ट/टिप्पणी प्राप्त होने पर ऐसे उपाए/कार्यवाई करें, जो वह आवश्यक समझें।

जहां तक दिल्ली नगर निगम के निर्वाचनों का संबंध है, मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम के निर्वाचन कराने के लिए कोई प्रथक् निर्वाचक नमावली तैयार नहीं कराई जाती है और न रखी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आयुक्त के कार्यालय में हैड क्लर्क के पद पर पदोन्नति

2710. **श्री एन० ई० होरो :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ने सितम्बर, 1982 में भविष्य निधि निरीक्षक के पद पर एक हैड क्लर्क को नियुक्त किया था और यदि हां, तो क्या हैड क्लर्क का पद नियमित था;

(ख) क्या यह भी सच है कि हैड क्लर्क के पद की पदोन्नति द्वारा भरी गई थी और यदि हां, तो इस पद पर किस श्रेणी के कर्मचारी को पदोन्नत किया गया था;

(ग) सितम्बर, 1982 के बाद उपरोक्त पदोन्न के अलावा कितने व्यक्ति को हैड-क्लर्क के रूप में पदोन्नति किया गया है और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, आदिवासियों और सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि सितम्बर, 1982 के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति हैड क्लर्क के रूप में पदोन्नति नहीं किया गया है, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार बताया है :—

(क) से (घ) कर्मचारी भविनिधि संगठन में कई कार्यालय हैं। जबकि भविष्य निधि निरीक्षक के पद पर पदोन्नतियां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से की जाती हैं, हैड क्लर्कों के पदों पर पदोन्नतियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा की जाती हैं। इस प्रश्न में उस विशेष कार्यालय का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह संबंधित है। अतः तथ्यों की जांच करना सम्भव नहीं हुआ है।

तस्करी के लिए सागर शक्ति रिंग का इस्तेमाल

2711. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1982 में साऊथ अफ्रीका फ्लेगशिप "जोन रोस" द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सिंगापुर के रोबिन शिपयार्ड से "सागर शक्ति" रिग को बम्बई बन्दरगाह की सीमा तक ले जाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या बम्बई के सीमा शुल्क विभाग ने ऐसे अनेक पैकेजों को जब्त किया था जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के शीर्षस्थ अधिकारियों के नाम से थे और जिनमें वीडियों, कैसेट रिकार्डर, टी०वी० सेट, इलैक्ट्रोनिक गैजिट आदि जैसी निषिध वस्तुएं थीं;

(ग) यदि हां, तो उन पैकेजों का ब्योरा क्या है; उनके ऊपर जिन व्यक्तियों के नाम का लेबल लगा था, उनका ब्योरा क्या है; सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए पैकजों का अनुमानित मूल्य क्या है जिसने 15 अक्तूबर, 1982 को अथवा उस तारीख के आस-पास यूरान में लंगर लगे रिंग पर छापा मारने वाले कर्मचारियों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या रिंग पर ले जाने वाले सामान की घोषणा करने वाला "लैंडिग" प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया था; यदि नहीं तो; इसके क्या कारण है;

(ङ) यदि हां, तो क्या घोषणा सुची में 3/4 अन्य पैकेज शामिल नहीं थे; और

(च) सारी घटना के प्रति तथा सागर शक्ति को तस्करी के लिए प्रयोग करने में जिन लोगों का हाथ हैं और जो इसके लिए उत्तरदायी हैं; उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) करीब 3.19 लाख रुपये के मूल्य के 47 पैकेजों को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा "सागर शक्ति" रिग से जब्त किया गया था। इन पैकजों में से 34 पर विभिन्न तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के नाम संक्षेप में दिए हुए थे। पैकेजों में विभिन्न इलैक्ट्रोनिक मदें, टैक्साइल, पहनने के कपड़े, घरेलु सामान आदि था। एक पैकेज जिसके लिए अवतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था को शुल्क की अदायगी पर छोड़ दिया गया था।

चूंकि सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा मामले की जांच की जा रही है, इस समय नाम बताना जन-हित में ठीक नहीं हैं।

(च) मामले पर सीमा शुल्क प्राधिकरण जांच कर रहा हैं और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभागीय जांच भी की जा रही है।

मैसर्स बैलटेक टेलिविजन इंडस्ट्री, नारायणा, दिल्ली पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया धनराशि

2712. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बेलटेक टेलीविजन, ए-80, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110002 में इस समय दैनिक मजदूरी तथा मासिक वेतन के आधार पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस फर्म द्बारा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कितनी धनराशि जमा कराई तथा कितनी उन पर बकाया है तथा उसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) क्या सरकार को इस फर्म द्वारा कम्पनी कानून का उल्लंघन करने के बारे में शिकायतें मिली हैं, और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स बेलटेक इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्टरी ए-80 नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में है। 31-1-1983 को, इस प्रतिष्ठान में मासिक वेतन के आधार पर 600 श्रमिक काम कर रहे थे और दैनिक मजदूरी पर कोई भी श्रमिक नियोजित नहीं था।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों द्वारा बताई गई स्थिति निम्न प्रकार से है :—

कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियां

जनवरी, 1983 तक की अवधि के लिए इस फर्म ने 10,72,224.25 रुपये की राशि जमा की और कोई राशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियां

इस फर्म ने 3,11,031.30 रुपये की राशि जमा की है और इस फर्म की ओर अंशदान तथा ब्याज की 19,301.35 रुपयों की राशि बकाया है। इन पर हर्जानों के कारण 41,163.00 रुपये की अतिरिक्त राशि भी बकाया है। बकाया राशियों को वसूल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

सेंसरशिप नियमों की असफलता/बुराई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाने का हतोत्साहित करना

2713. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औसत हिन्दी फिल्मों में व्याप्त नारी का यौन सामग्री के रूप में चित्रण और अश्लीलता के प्रति सामान्य दृष्टिकोण जैसी बुराई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाने को हतोत्साहित करने में सेंसरशिप नियम/मार्गदर्शी सिद्धान्त असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बुराई पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या सलाहकार पैनल के सदस्यों में से बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार 16 व्यक्तियों में से बारी-बारी से गठित की जाने वाली जांच समिति के सदस्यों ने पिछले कुछ वर्षों में सेन्सर का प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन करने वाली अधिकांश फिल्मों को देखा है; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि बुराई तथा नारी का यौन सामग्री और अश्लीलता के रूप में चित्रण को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाये जाने को हतोत्साहित करने में सेन्सरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त असफल रहे हैं लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत किया जाता है, और बोर्ड मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, अश्लीलता, अपराध, सेक्स, हिंसा आदि के बारे में उचित पाबन्दियां लगाता है। यदि बोर्ड यह समझता है कि काट-छांट करने पर भी फिल्म के आपत्तिजनक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता तो फिल्म को प्रमाण पत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है। यदि फिल्म को काट छांट के साथ या उसके बिना अल्पवयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है तो उसको केवल वयस्क दर्शकों के लिए प्रमाणीकृत किया जाता है। 1982 के दौरान फिल्मों को प्रमाणीकृत करने से पहले उनमें से 29755 मीटर की कुल लम्बाई की कांट छांट की गई थी। इसके अलावा, 1982 के दौरान प्रमाणीकृत की गई 763 भारतीय फीचर फिल्मों में से 257 फिल्मों को "ए" प्रमाण पत्र (33.68 प्रतिशतता) प्रदान किए गए थे, जबकि 1976 में प्रमाणीकृत की गई 507 भारतीय

फीचर फिल्मों में से 27 फीचर फिल्मों को "ए" प्रमाणपत्र (5.3 प्रतिशत) प्रदान किए गए थे। इस प्रकार सेन्सरशिप उपबन्धों का और कड़ा कार्यान्वयन रहा है।

(ग) ऐसा कोई नियम नहीं है जिनमें यह शर्त हो कि सलाहकार पेनल के सदस्यों को जांच समिति में बारी-बारी से नियुक्त किया जायेगा। तथ्यात्मक रूप से यह भी सही नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में सेन्सर प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदन करने वाली अधिकांश फिल्मों को केवल 16 सदस्यों ने ही देखा था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक व तार विभाग के विकास और कल्याण के लिए 1983-84 हेतु वित्तीय परिव्यय

2714. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में वर्ष 1983-84 के लिए विकास और कल्याण के लिए कुल कितनी वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है;

(ख) उक्त धनराशि में से 1983-84 में विभिन्न राज्यों में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के डाक व तार विभागों में क्या मुख्य विकास कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरसंचार तथा डाक सुविधाओं के विकास के लिए योजना आयोग ने डाक-तार विभाग की 1983-84 की वार्षिक योजना में 551 करोड़ रुपये की पूंजी, जिसमें दूरसंचार के लिए 515 करोड़ रुपये तथा डाक सेवाओं के लिए 36 करोड़ रुपये हैं, की मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त डाक-तार कल्याण निधि में 1983-84 के लिए एक करोड़ बावन लाख रुपये की मंजूरी अनुदान सहायता के रूप में दी है।

(ख) और (ग) दूरसंचार विकास, डाक विकास तथा डाक-तार विभाग के कल्याण से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) दूरसंचार विकास :

1983-84 के लिए दूरसंचार विकास योजना सम्पूर्ण देश के लिए सम्मिलित विकास योजना है जिसमें सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। दूरसंचार की वार्षिक योजना 1983-84 के प्रमुख पहलू 3.40 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करना, 700 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना, स्विचिंग उपस्कर क्षमता के 3.80 लाख लाइनों का संस्थापन तथा 1500 तार घर संस्था इतने ही लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना है। विकास

कार्यक्रम में लम्बी दूरी की स्विचिंग सुविधाएं तथा माइक्रोवेव रेडियो रिले प्रणाली यू० एच० एफ० प्रणाली तथा सहध्रुवीय प्रणाली की संस्थापना कर लम्बी दूरी के पारेषण माध्यम का विस्तार करना भी शामिल है।

(ख) डाक विकास :

डाक पक्ष में निधि का आबंटन सर्किलवार किया गया है राज्यवार नहीं कुल मिलाकर, डाक सर्किल राज्यों के साथ सहकेन्द्रित हैं, जबकि कुछ मामलों में एक से अधिक राज्य/संघ शासित क्षेत्र एक सर्किल में शामिल है। 1983-84 की प्लान योजनाओं के लिए सर्किलवार निधि की आवश्यकता की जांच की जा रही है। विभाग की बजट योजना की संसद द्वारा मंजूरी की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

1983-84 के दौरान विभिन्न सर्किलों में डाक पक्ष के विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्न प्रकार है :—

	कार्यक्रम	वित्तीय पूंजी (लाख रुपयों में)
1.	डाक जालकार्य का विस्तार जैसे, ग्रामीण डाकघर खोलना, अतिरिक्त वितरण एजेंट आदि	362.00
2.	डाक भवनों, तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	2600.00
3.	ग्रामीण पोस्टमास्टरों बचत बैंक कर्मचारियों आदि का प्रशिक्षण	300.00
4.	डाक सेवाओं का मशीनीकरण तथा आधुनिकीकरण	118.00
5.	अतिरिक्त डाक मोटर सेवा वाहनों की व्यवस्था	130.00
6.	द्रुतगति से डाक ढोने के लिए रेल डाक सेवा वाहन तैयार करना	90.00
	योग :	3600.00

(ग) डाक-तार विभाग का कल्याण :

डाक-तार विभाग द्वारा मंजूर विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों पर व्यय के लिए डाक-तार सर्किल कल्याण निधि समितियों तथा अन्य डाक-तार यूनिटों में अनुदान सहायता का वितरण किया जाता है। 1983-84 के लिए निधि का आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

हड़ताली कोयला खान मजदूरों की मांगें

2715. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हड़ताली कोयला खान खनिजों की मांगें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है और क्या सरकार ने इसके प्रभाव का अनुमान लगाया है; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ मांगें इन बातों से सम्बन्धित थीं—विभिन्न अनिर्णीत पड़े मुद्दों का निपटान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान, सरकारी उपक्रमों में मजदूरी की बातचीत पर सरकारी उद्यम कार्यालय के दिशा-निर्देश समाप्त करना और विभिन्न ट्रेड यूनियनों का "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" में उचित प्रतिनिधित्व।

(ख) और (ग) "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" की बैठकें कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। यह बैठकें समिति के सामने रखे गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और उन पर राय कायम करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं।

विदेशों में बसे भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया जाना

2716. **श्री उत्तम राठोड़ :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों की कुल संख्या कितनी है जो विभिन्न देशों में बस गए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता बनाए रखी है;

(ख) क्या ऐसे भारतीयों को भारत में राज्य विधान मण्डलों और संसदीय निर्वाचनों के लिए समय-समय पर होने वाले निर्वाचनों में मतदान करने दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों द्वारा अपना मत दिए जाने के लिए क्या व्यवस्था है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग "ख" का उत्तर "नकारात्मक" है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) श्री एन० डेनिस द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8004, तारीख 14 अप्रैल, 1982 के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए विभिन्न देशों में (1 अप्रैल, 1982 को) जो स्थिति थी उसके अनुसार निवास करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण 9 अगस्त, 1982 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अधीन आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को छोड़कर, विदेश में रहने वाले अन्य भारतीय राष्ट्रिक राज्य विधान सभा/लोक सभा के लिए निर्वाचनों में मतदान करने के हकदार नहीं हैं। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि विदेशों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं।

बैधान तापीय बिजली परियोजना के लिए रूस से सहायता

2717. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बैधान तापीय बिजली परियोजना के लिए रूस 300 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत का दौरा करने वाले रूस के प्रतिनिधि मण्डल तथा उसके साथ हुई बातचीत और वित्तीय भागीदारी का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) परियोजना की कब तक चालू होने की सम्भावना है और इसकी क्षमता क्या है तथा इससे मध्य प्रदेश की बिजली की कितनी आवश्यकता पूरी होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1980 में भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में हुए अन्त:सरकारी समझौते की अनुपालना में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1260 मेगावाट) की स्थापना के लिए जून, 1982 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सोवियत संघ के मैसर्ज टैकनोप्रोम-एक्सपोर्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का आंशिक रूप से वित्त पोषण सोवियत ऋण से किया जा रहा है। मैसर्ज टैकनोप्रोम-एक्सपोर्ट के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते में निहित कुल राशि लगभग 321.3 करोड़ रुपये है (एक रूबल—10.13 रुपये में परिवर्तन के आधार पर)। समझौते में आवश्यक आनुषंगिकों तथा अतिरिक्त पुर्जों सहित उपस्करों की सप्लाई, सामग्री इस्पात संरचना, परियोजना इंजीनियरी तथा विशेषज्ञता. सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है, परन्तु कोयले की सप्लाई, पलवराइजर तथा आनुषंगिक प्रणालियों जैसे कोयला हैण्डलिंग उपस्कर; ट्रांसफार्मर आदि की सप्लाई इसमें शामिल नहीं है।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 (1260 मेगावाट) के 210 मेगावाट के प्रथम यूनिट के 1987 में चालू होने की सम्भावना है। इस परियोजना से पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। विभिन्न राज्यों को इस केन्द्र से विद्युत के आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

9 से 14 दिसम्बर, 1982 तक नई दिल्ली में हुई विद्युत पर भारत-सोवियत कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में जिस सोवियत दल ने भाग लिया था, उसका संगठन निम्नानुसार है :—

सोवियत दल

1.	मि० एन० ए० लोपाटीन	सोवियत रूस के विद्युत तथा नेता विद्युतीकरण उपमंत्री

2.	मि० ए० एफ० शोकिन	मुख्य इंजीनियर, वी०/ओ० "जगरनेनेरगोस्त-रोमांताझ"
3.	मि० एल० वी० शेरमेतोव	उपाध्यक्ष, वी०/ओ० "टैकनोप्रोमएक्सपोर्ट"
4.	मि० बी० ए० कचोगिन	उप-विभाग के उपाध्यक्ष, सोवियत रूस की राज्य योजना समिति
5.	मि० ई० वाई० डेमेटिव	वरिष्ठ विशेषज्ञ, विदेशी आर्थिक सम्बन्धों के लिए सोवियत रूस की राज्य समिति
6.	मि० आई ए० निझनिक	निदेशक, संस्थान "टेपलोकेकट्रोप्रोक्त", एल० वी० ओ० वी०
7.	मि० ए० वी० ब्रिजगालोव	वी०/ओ० विभाग के चीफ "ग्लावाजाग्रानेनेगो"
8.	मि० ई० ए० लाटकिन	विशेषज्ञ, वी०/ओ० "टेक्नोप्रोमएक्सपोर्ट"

सोवियत रूस दूतावास

1.	मि० एन० डी० रोडिओनोव	आर्थिक कार्यों के सलाहकार
3.	मि० जी० वी० दमितरेंको	आर्थिक कार्यों के उप-सलाहकार
3.	मि० एन० एन० मामारोंको	विभागाध्यक्ष
4.	मि० वी० एन० वोरोनोव	वरिष्ठ अर्थशास्त्री

बाल श्रमिकों का शोषण

2718. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों के शोषण की रोकथाम की दृष्टि से मानक मंजूरी नियम का पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) सम्भवतः आशय बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी-दरों की अदायगी से है क्योंकि मानक मजदूरी नियम नहीं है। मुख्य पत्तनों और रेलों के सम्बन्ध में, जिनके लिए बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के अधीन केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकरण है, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों से कम मजदूरी देने की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

सरीन समिति की रिपोर्ट

2719. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दूर संचार के संबंध में सरीन समिति की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने सरकार को क्या शिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति ने देश की दूरसंचार प्रणाली की कार्यक्षमता को सुधारने की दृष्टि से 437 शिफारिशें की हैं। इस समिति की रिपोर्ट और शिफारिशों के सारांश की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। समिति की 28 शिफारिशें सावधानी के साथ विचार करने के बाद, नामंजूर कर दी गई हैं जबकि 314 शिफारिशों पर अमल के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अन्य 67 शिफारिशों पर अमल का निर्णय लेने की दृष्टि से कार्रवाई हो रही है तथा बाकी रहीं 28 शिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण वर्ष 1983-84 से सम्बन्धित आवंटन और लक्ष्य

2720. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उपरोक्त वर्ष में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 में उड़ीसा के गांव में बिजली पहुंचाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1983-84 में उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली पहुंचाने से संबंधित निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) देश में 1983-84 में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु योजना आयोग द्वारा 386.58 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए तथा पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए लक्ष्यों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबंध 1 तथा 2) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-6094/83]

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान उड़ीसा में 1250 गांवों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य की तुलना में 28-2-1983 तक 651 गांवों को विद्युतीकृत किया गया।

(ङ) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए कार्यक्रम के अनुसार उड़ीसा राज्य में 1983-84 के दौरान 1210 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

बन्धुआ मजदूरों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा उन्हें पुनः बसाना

2721. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा पुनः बसाने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई हैं; और

(ख) सभी बन्धुआ मजदूरों को कब तक मुक्ति मिल जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की 31-12-1982 को कुल संख्या 1,52,330 थी, जिनमे से 1,11;769 को पुनर्वासित किया जा चुका है।

(ख) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा उनका पुनर्वास करने का काम एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे प्रभाव्य क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षणों सहित तत्काल और कारगर उपाय करें ताकि बन्धुआ श्रमिकों को, जहां कहीं वे पाये जाते हैं, शीघ्र मुक्त कराया जा सके और उनका शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाली महिलाओं के निर्वाचन परिणाम का अध्ययन

2722. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह जानकारी है कि हाल में देश के विभिन्न भागों में हुए निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाली महिलाओं के निर्वाचन परिणाम बहुत खराब रहे हैं;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि हाल के निर्वाचनों में कितनी महिलाओं ने निर्वाचन लड़े और इनमें से कितनी महिलाएं विजयी रहीं और कितनी महिलाएं निर्वाचन हार गईं; और

(ग) क्या निर्वाचनों में मतदाताओं द्वारा महिलाओं का समर्थन किए जाने के कारणों का भी अध्ययन किया गया है और निर्वाचनों में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने राज्य विधान सभाओं के हाल के निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाली महिलाओं के निर्वाचन परिणामों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि आयोग द्वारा दिया गया एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया है जिसमें उन महिलाओं की संख्या की विशिष्टियां दर्शित हैं जिन्होंने 1983 में हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा विधान सभाओं और दिल्ली महानगर परिषद् के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ा और जो विजयी रही है और उसके साथ ही उन विधान सभाओं/महानगर परिषद् के पिछले साधारण निर्वाचन के बारे में तत्समान आंकड़े दिए गए हैं। असम और मेघालय राज्यों की विधान सभाओं के हाल ही के साधारण निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन लड़ने वाली महिलाओ के बारे में विशिष्टियां आयोग के पास अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1982-83 के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाली महिलाओं के बारे में विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण

राज्य का नाम	हाल ही के साधारण निर्वाचन का वर्ष	महिलाओं की संख्या		पिछले साधारण निर्वाचन का वर्ष	महिलाओं की संख्या	
		जिन्होंने निर्वाचन लड़ा	जो विजयी रहीं		जिन्होंने निर्वाचन लड़ा	जो विजयी रहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	1983	73	12	1978	54	10
हरियाणा	1982	27	7	1977	20	4
हिमाचल प्रदेश	1982	9	3	1977	9	1
कर्नाटक	1983	35	2	1978	33	9
केरल	1982	16	4	1980	13	5
नागालैंड	1982	1	0	1977	कोई नहीं	कोई नहीं
त्रिपुरा	1983	11	4	1977	6	1
पश्चिमी बंगाल	1982	26	7	1977	29	4
दिल्ली (महानगर परिषद)	1983	20	4	1977	6	4

गुजरात तेल शोधन शाला में अतिरिक्त कुएं का निर्माण

2723. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधनशाला में 6 एम० जी० डी० क्षमता के अतिरिक्त कुएं का निर्माण करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कुंआ के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में निर्वाचन और पुनः मतदान

2724. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि हाल ही में असम में असम विधान सभा और लोक सभा के लिए निर्वाचित हुएं थे;

(ख) यदि हां, तो उन निर्वाचन क्षेत्रों का ब्योरा क्या हैं जहां निर्वाचन हुए/नहीं *हुए तथा* इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः मतदान कराए जाने का आदेश दिए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कोशल) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) निर्वाचन आयोग से प्राप्त तीन विवरण संलग्न हैं, जिनमें वे निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं (1) जहां निर्वाचन पूरे हो गए हैं (2) जहां मतदान नहीं कराया जा सका और (3) जहां मतदान स्थगित करना पड़ा था और बाद में कराया गया।

आयोग ने बताया है कि यथास्थिति, निर्वाचन पूरा न किए जाने और मतदान स्थगित किए जाने के लिए मतदान पार्टियों के न पहुंचने, संचार व्यवस्था भंग हो जाने और विधि व्यवस्था की स्थिति आदि कारण थे।

विवरण 1

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

असम—जहां निर्वाचन पूरे हो गए हैं

1. रतबाड़ी (अ०जा०)	2. पाथर कण्डी
3. करीमगंज उत्तर	4. करीमगंज दक्षिण
5. बदरपुर	6. हैलाकण्डी
7. कटलिचेरा	8. अल्गापुर
9. सिल्चर	10. सोनाई
11. धोलाई (अ०जा०)	12. उधरबोण्ड
13. लखिपुर	14. बड़खोला
15. कटिगोरा	16. हाफलोंग (अ०ज०जा०)
17. बोकाजन (अ०ज०जा०)	18. होवराघाट (अ०ज०जा०)
19. डिफु (अ०ज०जा०)	20. बैठालंगसो (अ०ज०जा०)
21. मनकछार	22. साल्मारा दक्षिण
23. धुब्री	24. गोरीपुर
25. गोलकगंज	26. बिलासिपारा पश्चिम
27. बिलासिपारा पूर्व	28. गोस्साईगांव
29. कोक्राझाड़ पश्चिम (अ०ज०जा०)	30. कोक्राझाड़ पूर्व (अ०ज०जा०)
31. सिडली (अ०ज०जा०)	32. दुधनाई (अ०ज०जा०)
33. गोलपारा पूर्व	34. गोलपारा पश्चिम
35. जलेस्वर	36. सोरभोग
37. भबानीपुर	38. पाटाछार कूछी
39. बारपेटा	40. जनिया
41. बाघबर	42. सरुखेत्री
43. चेंगा	44. बोको (अ०जा०)
45. चयगांव	46. पालसबाडी
47. जलुकबाड़ी	48. दिसपुर
49. गोहाटी पूर्व	50. गोहाटी पश्चिम
51. हाजो	52. कमलपुर

53. रंगिया	54. तमुलपुर
55. नलबाड़ी	56. बड़खेत्री
57. धरमपुर	58. बरमा (अ०ज०जा०)
59. चापागुरी (अ०ज०जा०)	60. पानेरी
61. मंगलदाई (अ०जा०)	62. दलगांव
63. उदलगुरी	64. मजबत
65. तेजपुर	66. रंगापारा
67. जगिरोड (अ०जा०)	68. मरिगांव
69. राहा (अ०जा०)	70. धिग
71. बाटाद्रोवा	72. रूपोहीहाट
73. नोगोंग	74. बरहामपुर
75. सामागुड़ी	76. कलियाबोर
77. जमुनामुख	78. होजाई
79. लुम्डिंग	80. बोकाखाट
81. सरूपठार	82. गोलाघाट
83. खुम्ताई	84. देरगांव (अ०जा०)
85. जोरहाट	86. टीटाबार
87. मरियानी	88. टेओक
89. अमगुरी	90. नाजिरा
91. महमारा	92. सोनारी
93. थोवरा	94. सिबसागर
95. बिहपुरिया	96. नाओबोइछा
97. लखिमपुर	98. धकुआखाना (अ०ज०जा०)
99. धेमाजी (अ०ज०जा०)	100. जोनाई (अ०ज०जा०)
101. मोरन	102. डिब्रूगढ़
103. लाहोवल	104. छाबुआ
105. तिनसुकिया	106. दिग्बोई
107. मरघेरिता	108. डूम-डूमा
109. सदिया	

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां निर्वाचन पूरे हो गए हैं

1. 3—स्वशासी जिला (अ०ज०जा०)
2. 4—धुब्री
3. 7—गोहाटी
4. 11—कलियाबोर
5. 12—जोरहाट

विवरण-2

(2) उन निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण जहां मतदान नहीं हो सका

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रभावित मतदान केन्द्रों की संख्या
6—बारपेटा	32—बोगईगांव	सभी
5—कोकराझाड (अ०ज०जा०)	33—बिज्नी	27
6—बारपेटा	34—अभयपुरी उत्तर	सभी
6—बारपेटा	35—अभयपुरी दक्षिण (अ०जा०)	सभी
8—मंगलदाई	65—कलाईगांव	सभी
8—मंगलदाई	66—सिपाझाड़	सभी
6—बारपेटा	*42—पाटाछारकुछी	सभी
8—मंगलदाई	*67—मंगलदाई	सभी
9—तेजपुर	71—घेकियाजुली	21
9—तेजपुर	72—बड़छल्ला	सभी
9—तेजपुर	75—सूतिया	सभी
9—तेजपुर	*76—बिस्वनाथ	सभी
9—तेजपुर	77—बेहाली	सभी
9—तेजपुर	78—गोहपुर	सभी
10—नौगोंग	81—लहरीघाट	47
14—लखिमपुर	99—मजुली (अ०ज०जा०)	सभी
13—डिब्रूगढ़	118—दुलिआजन	सभी
13—डिब्रूगढ़	119—टिंगखोंम	सभी
13—डिब्रूगढ़	120—नाहरकटिया	सभी

टिप्पण : 76—बिस्वनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो गया है।

* केवल संसदीय निर्वाचन के लिए।

विवरण-3

असम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन और असम से लोक सभा के लिए निर्वाचन
(3) उन मामलों को दर्शित करने वाला विवरण जहां स्थगित हुए मतदान बाद कराए गए

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम सं० और नाम	प्रभावित मतदान केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)
2—पाथर कण्डी	1
10—सोनाई	1
18—होवराघाट	3
24—गोरीपुर	2
36—दुधनाई (अ०ज०जा०)	18
37—गोलपारा पूर्व	8
38—गोलपारा पश्चिम	6
48—बोको (अ०जा०)	33
49—चयगांव	33
112—धकुआखाना	सभी
113—धेमाजी	121
126—सदिया	32
91—होजाई	1
98—जोरहट	1
58—तमुलपुर	70
114—जोनाई (अ०ज०जा०)	113
46—सरूखेत्री	36
26—बिलासिपारा पश्चिम	6
27—बिलासिपारा पूर्व	1
62—बरमा (अ०ज०जा०)	2
93—बोकाखाट	9
64—पानेरी	31
69—उदलगुरी (अ०ज०जा०)	20
124—मरघेरिया	20
70—मजबत	20
117—लाहोवल	8

कमजोर वर्गों/जनजातियों को न्याय का प्रशासन और धनराशि का आबंटन

2725. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रशासन प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए है; और

(ख) न्याय के प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान अनुच्छेद 275 (1) के अधीन कितनी धनराशि आबंटित की है और खर्च करने के लिए राज्यों को दी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देश के सामान्य न्यायलयों द्वारा प्रदान किया जाता है इसके अतिरिक्त, संविधान की पांचवीं अनुसूची में जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए विनियम बनाने का उपबन्ध है इनमें से कुछ में न्यायिक कल्प और राजस्व न्यायलयों के माध्यम से उनके प्रशासन का उपबन्ध है ।

(ख) सातवें वित्त आयोग ने 15 राज्यों को, 538 अतिरिक्त न्यायलय स्थापित करने और 700 ग्राम न्यायालय भवनों का निर्माण करने के लिए, 24 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है । वित्तीय वर्ष 1981-82 तक इन राज्यों को 1057.79 लाख रुपए की रकम दी जा चुकी हैं ।

उड़ीसा राज्य के बारे में रेडियो समाचार

2726. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो स्टेशनों द्वारा उड़ीसा राज्य के बारे में जो समाचार दिए जाते हैं वे देश में सर्वाधिक असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके मंत्रालय ने इस राज्य को अन्य विकसित और विकासशील राज्यों के समकक्ष लाने के लिए क्या प्राथमिकतायें और कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ग) क्या छठी योजना के शेष वर्षों के दौरान जेपुर तथा सम्बलपुर रेडियो स्टेशनों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी; नहीं । वास्तव में कवरेज कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संशाधनों की कमी तथा जिन क्षेत्रों में इस समय सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें सेवा उपलब्ध करने की सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण चालू योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान जैपोर या सम्बलपुर रेडियो स्टेशनों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों को दूर-संचार की सुविधाएं

2727. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल द्वारा दूर-संचार की दृष्टि से पिछड़ें हुए कौन-कौन से जिलों और क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) कितने ब्लाक मुख्यालयों, तहसील और सब-डिवीजनल मुख्यालयों तथा उप डाकघरों में अभी और सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की जानी शेष है उनके नाम क्या-क्या हैं ?

(ग) कौन-कौन से जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से तथा जिले में सब-डिवीजनल कार्यालयों से अभी जोड़ा जाना बाकी है;

(घ) बेहतर प्रशासनिक सम्पर्क के प्रयोजन से इन क्षेत्रों में इन न्यूनतम सुविधाओं को प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति से पहले इन क्षेत्रों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम निष्पादित हो रहे हैं और किन-किन कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरसंचार में पिछड़े माने गए जिले और क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :—

जिले	क्षेत्र
1. बालासोर	सम्पूर्ण जिले
2. बोलनगीर	
3. धेनकनाल	
4. क्योंझर	
5. कालाहांडी	
6. कोरापुट	
7. मयूरभंज	
8. फूलबनी	
9. सुन्दरगढ़	
10. पुरी	राजनगर पुलिस स्टेशन

(ख) ब्लाक तहसील और सब-डिवीजनल मुख्यालयों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण एक में दी गई है। उप डाकघरों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण दो में दी गई है।

(ग) सभी जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी से जुड़े हुए हैं। जिन सब-डिवीजनल मुख्यालयों को अभी सीधे उनके जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ा जाना है, वे निम्न प्रकार हैं:—

	सब-डिवीजनल मुख्यालय	जिला
1.	बंकी	कटक
2.	यथामल्लिक	धेनकनाल
3.	फलाहारा	धेनकनाल
4.	भंजनगर	गंजन
5.	परलासीमुंडी	गंजन
6.	नयापारा	कालाहांडी
7.	आनन्दपुर	क्योंझर
8.	गुडरपुर	कोरापुट
9.	देवगढ़	संबलपुर
10.	कुछिड़ा	संबलपुर
11.	बोनाई	सुन्दरगढ़
12.	पानपोश	सुन्दरगढ़

(घ) कोरापुट जिले में दूरसंचार सुविधाएं भारी विद्युत प्रेरण (हैवी पावर इंडक्शन) और पहाड़ी भू-भाग के कारण खम्बों पर तार लगाकर प्रदान करना संभव नहीं है। ये सुविधाएं सामग्री और आर्थिक प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए छठी योजना अवधि में रेडियो लिंक पर जुटाने की योजना है।

(ङ) अठारह एमएएक्स-III टेलीफोन एक्सचेंज और एक सौ पन्द्रह लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। पांच एमएएक्स-III टेलीफोन एक्सचेंज और दस लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। सामग्री और आर्थिक प्रतिबन्धों को ध्यान में रखकर छठी योजना अवधि के शेष वर्षों में कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

विवरण-एक

दूरसंचार :

उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों के खण्ड-मुख्यालयों, तहसील तथा उप-मण्डल मुख्यालयों, जहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाकतार घर उपलब्ध कराए जाने हैं।

जिला	खण्ड मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	उप मण्डल मुख्यालय
कोरापुट	1. पोदिया 2. दसमंथपुर 3. बंधुगांव 4. रामनगुडा 5. कुडुमुलु गुम्भा 6. कोरापुट	1. सोतु 2. मरुकुण्ड	पिछड़े जिलों में सभी उप-मण्डल मुख्यालयों पर दूरसंचार सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं।
पुरी	1. कृष्णप्रसाद	1. नौपाड़ा	

विवरण-दो

उप डाकघर		उप डाकघर	
1.	असमा नौगांव	2.	भेटनोई
3.	खरेलेस्परी पटना	4.	कारचुल्ली
5.	असका तालुक आफिस	6.	गोपनीनाथ पटना
7.	के० नामाडा	8.	भांजनगर बाजार
9.	भांजमाना	10.	भांजनगर कालेज
11.	भुजागढ़	12.	गाल्लेरी
13.	तान्नारदा	14.	बोगाडु
15.	अलिन्द कालोनी	16.	एंथापल्ली
17.	गौरपल्ली	18.	ज्योतिबीहर बुर्ला
19.	खैतराजपुर मार्किट	20.	एम० सी० बुर्ला
21.	मोतीझारन	22.	पुरुनगढ़
23.	सखीगोपीनाथ	24.	गोहिरा डैम साइट
25.	बारगढ़ कोर्ट	26.	बारगढ़ बाजार
27.	बारगढ़ आर० एस०	28.	बारपल्ली बाजार

उप डाकघर	उप डाकघर
29. बारगढ़ पंचायत कालेज	30. बेजीपुर
31. भूकटा	32. डुगुरी लाइन स्टोर
33. घेश	34. गोडातोरम
35. झारबंध	36. जमला
37. लोएरुडा	38. मंडासिला
39. मेलचामुण्डा	40. गारपोश
41. इण्डस्ट्रियल इस्टेट (जे०एस०सी०)	42. केसाईबहल
43. कुसुमी	44. लैकारा
45. लैंडा	46. ओ०एम०पी० लाइन (जे०एस०जी०)
47. पंचगांव	48. जे०एस०जी० रेलवे कालोनी
49. सारबहल	50. एस०आर० झासुमा
51. वैद्यानाथपुर	52. बेहरामपुर आर०एस०
53. बीजीपुर	54. भाटकुमारदा
55. बादाखीमुण्डी स्ट्रीट	56. बल्लीपाड़ा
57. गांधीनगर	58. गिरिसोला
59. गोडाबरीशनगर	60. हुरीदाखांडी
61. इण्डस्ट्रियल इस्टेट	62. खारदागुडा
63. पार्कस्ट्रीट	64. प्रेमनगर
65. पुरुसेट्टामपुर बस-स्टैंड	66. संकरपुर
67. श्रीरामनगर	68. जयश्री
69. कोडाला बस स्टैंड	70. कोडाला तहसील कालोनी
71. न्यू रिजर्व पुलिस लाइन	72. प्रतापपुर
73. सामण्डल	74. मिचिनिपटना
75. हारिपटल रोड, पार्लाखिमुण्डी	76. जंगम स्ट्रीट
77. खाराडा	78. नारायणपुर
79. ओदाबा	80. स्टेशन रोड पार्लाखिमुण्डी
81. सुरांगी	82. खालीकोटे कालेज
83. विद्याधारपुर	84. जैहोर इरीगेशन कालोनी

उप डाकघर	उप डाकघर
85. जैपोर सिविल कोर्ट	86. जैपोर कोर्ट
87. जैपोर कोरापुर रोड	88. खाटीगुडा
89. कोलाब नगर	90. मलकांगिरी कालोनी
91. मिरीगाधीगुडा	92. नवरंगपुर बाजार
93. अनुकाडेली	94. पंचवटी
95. सुराघापल्ली	96. उमेरकोट बाजार
97. बन्धुगांव	98. जसोबन्तापुर
99. डी०पी० कैम्प सुनाबेडा	100. कोरापुर कलेक्टोरेट
101. कोरापुर मार्किट	102. कोरापुर मार्किट
103. कोरापुट आर०एस०	104. सुनाबेड़ा सेक्टर-7
105. कल्याणसिंहपुर	106. रायागाडा गांधी नगर
107. रायागाडा आर०एस०	108. रामुनागुडा
109. रायाकरीमुण्डा	110. गोपालपुर
111. खुर्दा रोड	112. लोक सेटलमैंट
113. न्यारे	114. नवल ट्रेनिंग सेंटर
115. पालहाट	116. परनाथ कालेज
117. राजा बाजार	118. बनिगुच्छा
119. गोविन्दा	120. कुरल
121. नयागढ़ कालेज	122. पेचकुली
123. बाली साही	124. बासुदेवपुर
125. डी०ए०सी० औफिस	126. कालिकादेवी साही
127. लबनखिया चौका	128. मानिकरनिका
129. पुरी सी बीच	130. एस०सी०एस० कालेज
131. अचार्य बिक्सहार	132. बापूजी नगर
133. भाटपटना	134. बोइनागर
135. भुवनेश्वर आर०एस०	136. बिरहुन्गा
137. बी०जे०बी० नगर	138. सेन्ट्रल गोभमेंट
139. सी०आर०पी० लाइन	140. गंगानगर

उप डाकघर	उप डाकघर
141. गुदगोपीनाथ प्रसाद	142. हरचंदी साही
143. कपिलेश्वर	144. केदागौरी
145. खरवेलानगर	146. लक्ष्मीसागर
147. मधुसुदन नगर	148. नयापाली
149. पिपिलि तहसील	150. आर०आर० लबोराटोरी
151. रेन्च	152. सत्यनगर
153. सामन्तरायपुर	154. उदयनरगा
155. बीर सुरेन्द्र साइ नगर	156. अनगुल बाजार
157. हकिम पाडा	158. कुलुरिजिनघा
159. बदसीनलो	160. चित्राकोटे
161. गोविन्दपुर	162. मराठापुर
163. मरथकारगोला	164. समल बरबे
165. तालचर कालेज	166. बारहलम्मा
167. बीरनरसिन्घापुर	168. बोध कोर्ट
169. बीनसुनले	170. बमुनिगांव
171. चौकापादा	172. कोन्टेक्टर पादा
173. कोर्ट स्ट्रीट जी० उदयगिरि	174. कुरमुमिगड़
175. मदिकुण्डा	176. मास्टरपाडा
177. मालिसाही	178. पादुनिया
179. फूलबनी बाजार	180. सारसरा
181. बारसीन	182. बिसरा रोड
183. डेलि मार्केट (आर०के०एल०)	184. इण्डस्ट्रियल इस्टेड
185. झिरपानी	186. केनभेट्टा
187. कुलगांव	188. लहुनिपाडा
189. लोका कालोनी	190. राउरकेला-10
191. राउरकेला-13	192. शक्ति नगर
193. कौरी सिटिंग	194. सैक्टर-6
195. सैक्टर-7	196. सैक्टर-15

उप डाकघर	उप डाकघर
197. सैक्टर-16	198. घारूडिही
199. गोपालपुर	200. लांजीबेरना
201. रेलवे कालोनी राजगंगापुर	202. रानीबंधा
203. रिजेन्ट मार्केट	204. सुन्दरगढ़ कालेज
205. सुन्दरगढ़ कोर्ट	206. तुनमुरा
207. ग्रदा	208. भदरख कोर्ट
209. बासुदेवपुर कालेज	210. भादरक आर० एस०
211. भादरक कालेज	212. घोसर बाजार
213. काउन्सा	214. रंडियाहाट
215. रानीताल	216. सलान्दी कालोनी
217. ग्रनदुला	218. डोलिपुर
219. गोविन्दपुर कस्तोरी	220. जजपुर बाजार
221. जजपुर कालेज	222. कर्लारिंगट्टा
223. सोबरा	224. बारपरा
225. मूहनपुर	226. हंडीसाही
227. ईश्वरकुला	228. जोरिया
229. केशापुर बाजार	230. ओलावर
231. पट्टामुनठाई	232. सलेपुर कालेज
233. ठाकुरपटना	234. तिनिमुहानी
235. अरुनाब्डी बाजार	236. बजरकावती रोड
237. बेनटाकर	238. कन्टोनमेन्ट रोड
239. छवा बाजार	240. चोलियागंज
241. दो लमुडई	242. गांधी भवन
243. गोपालपुर	244. इण्डस्ट्रियल इस्टेट
245. कालियागोका	246. काजीबाजार
247. कल्यानीनगर	248. भागोडाउन
249. भारिया बाजार	250. निमसाडी चौक
251. उड़ीसा सरकार प्रेस	252. उड़ीसा सचिवालय

उप डाकघर	उप डाकघर
253. उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल	254. पटपल्ला
255. रेनाश कालेज	256. शिखरपुर
257. बक्सीबाई	258. ब्रह्मसैला
259. वाकी कालेज	260. विनोद बिहारी
261. डागरपाड़ा	262. कापला
263. काथाजोदी	264. खतबनिसाही
265. मालिकघोष बाजार	266. मुडिलि कालोनी
267. उड़ीसा हाई कोर्ट	268. पाजतन्द्रा
269. राजाबगीचा	270. सुन्दर ग्राम
271. स्वराज आश्रम	272. अथगढ़ बाजार
273. अथगढ़ कालेज	274. कमलेश्वर
275. मौदा	276. छोतरा
277. देवीदोत	278. करूसन्दापुर
279. मधुवन	280. मनिजुंगा
281. एस०वी०एम० कालेज जे०एस०जी०	282. सैक्टर-21
283. आनन्दपुर कालेज	284. भागमुन्डा
285. करंजिया	286. के०जे०आर० साइन्स कालेज
287. के०जे०आर० उत्तरपुर	288. के०जे०आर० मिनिग स्कूल
289. माधपुर	290. रेईभुलि
291. सैनिकूल	292. श्रीगिदा
293. सुन्दर शिव मन्दिर	294. उदयपुर
295. उखुण्डा	296. चन्दन भाटी
297. कालेज स्कवायर	298. दनताबन्जी आ०एस०
299. मारवाड़ी बाजार	300. पाटनागरहू रामपुर
301. सोनेपुर-रामपुर	302. तितलागढ़ बाजार
303. टिकरपाड़ा	304. भवानीपटना कालेक्टरेट
305. भवानीपटना स्टेडियम	306. भवानीपटना कालेज स्कवायर

उप डाकघर	उप डाकघर
307. भवानीपटना बहादुर बेगिचा	308. भवानीपटना नकटीगुडा
309. बोरदा	310. केलिंगा आर० एस०
311. महिचौला	312. कारला
313. पट्टनाईकमाड़ा	314. रिसिदा
315. अमरद	316. बरिपडा होस्पीटल
317. बासीपिठ्ठ	318. बेलगाडिया
319. विजय रामचन्द्रपुर	320. देउली
321. डुकुरा	322. कुम्बजमुन्कन्टा
323. नाडुआडील	324. रसगोविन्दपुर
325. सांनकेरको	326. सरत
327. तातिपुर	328. तुलसीचौड़ा
329. उदला कालेज	330. अनोलोदुवा
331. हतबत्तर	332. करंजिया कोर्ट
333. करेजियागोली	334. खेरी जोशीपुर
335. माडुलडीहा	336. रायरंगपुर बाजार
337. रायरुंगापुर आर०एस०	338. टाटूडो
339. अवना	340. चौकबरहापुर
341. माकलपुर	342. सोरोबाजार
343. सोबेरामपुर	344. उत्तरेश्वर
345. तालचेर टाउन एस०ओ०	346. जे०के० पुर एस०ओ०
347. गोहेलुंडी एस०ओ०	348. दरगाह बाजार एस०ओ०
349. नीलगिरि टाउन एस०ओ०	350. राजेन्द्र नगर एस० ओ०
351. बानादेवपिटना एस०ओ०	352. बारडाल बाजार एस० ओ०
353. बादादंदाषाही एस०ओ०	354. रघुनाथनगर एस०ओ०
355. बालंग्गा बाजार एस०ओ०	356. हिंजलीकट कालेज एस०ओ०
357. चांदबाली बाजार एस०ओ०	358. बांका बाजार एस०ओ०
359. अस्का कालेज एस०ओ०	360. प्रबोधपुर एस०ओ०
361. नया बाजार एस०ओ०	362. दक्खिनबाद एस०ओ०

उप डाकघर		उप डाकघर	
363.	धेनकनाल जुबली टाउन एस०ओ०	364.	पारलाखेमुंडी बस स्टैंड एस०ओ०
365.	मैनरोड आर०के०एल० एस०ओ०	366.	सिविल टाउनशिप पी.के.एल. एस०ओ०
367.	जगाधा एस०ओ०	368.	कुतचेरी रोड आर.के.एल. एस०ओ०
369.	फर्टिलाइजर टाउनशिप आर.के.एल. एस०ओ०	370.	सैक्टर-5 आर.के.एल. एस०ओ०
371.	सैक्टर-2 आर.के.एल. एस०ओ०	372.	सैक्टर-8 आर.के.एल. एस०ओ०
373.	दमनथोडी एस०ओ०	374.	जिन्क नगर सारगीपल्ली
375.	धनसीपुलिया एस०ओ०	376.	मुखीगुडा एस०ओ०
377.	शेरगाद एस०ओ०	378.	ब्राह्मीगम एस०ओ०
379.	बालीखंडी एस०ओ०	380.	पलियामिडा एस०ओ०
381.	बसन्तिया एस०ओ०	382.	बेलाडा एस०ओ०
383.	बमखेई एस०ओ०	384.	पन्डिया एस०ओ०
385.	असुरबन्ध एस०ओ०	386.	बरूपाडा एस०ओ०
387.	बाह्मानी सालियो एस०ओ०	388.	बेदारी एस०ओ०
389.	कानपुर एस०ओ०	390.	तालमल एस०ओ०
391.	लच्छीपेटा एस०ओ०	392.	झाडापोखरिया एस०ओ०
393.	कुशालदा एस०ओ०	394.	सीको एस०ओ०
395.	गबकुंड एस०ओ०	396.	जालडा एस०ओ०
397.	मदहबनगर एस०ओ०		

अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर

1.	बुगुडा बाडा डंडा शाही	2.	कोकाराडा
3.	लक्ष्मी बाजार	4.	सारदा बाजार
5.	झादाहुनी	6.	जुलुंडी
7.	पंचबहुटी	8.	तारासिंह

9. बाराईपल्ली	10. लपांगा
11. माल्टीगुंडीपुर	12. मानेश्वर
13. नाकटीदेखल	14. अगालपुर
15. बी-कान्तापल्ली	16. देवगांव
17. डुंगुरी	18. कुम्फारी
19. लखनपुर	20. बनाराबस्ती
21. भोपपुर	22. लम्पती बहाल
23. महुलापल्ली	24. राजपुर
25. तालपाटिया	26. हैदरासी
27. बोदाखरीदा	28. रानीपडा
29. गराबंध	30. महेन्द्रगढ़
31. काकीरीगुना	32. चिलिका नोखपडा
33. नचुनी	34. पारीकुडा
35. महोदाधी	36. मारकेन्दाश्वर साही
37. बानारानीगढ़	38. डन्डामुकुन्दपुर
39. पी०टी०सी० अंगुल	40. बाजी चौक
41. बासटिंगला	42. किरलोगा
43. गाला	44. कालियापानी
45. कणिकापडा	46. अम्रुखामानोवी
47. अयातन	48. बालीपटना
49. बंकेश्वर	50. जामपड़ा
51. झाकेश्वरपुर	52. ललितगिरी
53. नौपाडा	54. रेंगुंडापडा
55. तालचुआ	56. कन्डारपुर
57. ओ०एम०पी० लाइन	58. सुबरनापुर
59. जे०एस०जी० बाजार	60. कान्तीपाल
61. मनोहरपुर	62. बाघरा रोड
63. बहालडा	64. रिजर्व पुलिस लाइन

विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी

2728. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों के न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बंधुआ मजदूर समस्या का जटिल होते जाना

2729. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूर समस्या हल होने की बजाय दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है और यदि हां, तो इस समय देश में कुल कितने बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है; और

(ग) बंधुआ मजदूर समस्या कब तक पूरी तरह से हल हो जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी नहीं।

(ख) 11 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-12-1982 की स्थिति के मुताबिक 1,52,338 बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया गया है और उन्हें मुक्त कराया गया है। राज्य-वार स्थिति सम्बन्धी विवरण सलग्न है।

(ग) बंधित श्रम पद्धति, बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्तूबर, 1975 से सम्पूर्ण देश में कानूनी तौर पर समाप्त हो गई है, तथापि बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा फिर से बसाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा देश से बंधुआ श्रमिकों की इस बुराई को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे तुरन्त और प्रभावी कदम उठाएं, जिसमें बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण प्रारम्भ करना भी शामिल है, ताकि बंधुआ श्रमिकों को, जहां कहीं वे विद्यमान हैं, शीघ्र मुक्त कराया जा सके तथा उन्हें फिर से बसाया जा सके। समय-बद्ध कार्यक्रम के रूप में पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य-वार लक्ष्य हर साल निर्धारित किए जा रहे हैं और राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर इन लक्ष्यों को प्राप्त करें।

विवरण

राज्य	बंधुआ श्रमिकों की संख्या
	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए
आन्ध्र प्रदेश	13,458
बिहार	7,903
गुजरात	63
कर्नाटक	62,699
केरल	829
मध्य प्रदेश	1,858
उड़ीसा	21,726
राजस्थान	6,150
तमिलनाडु	28,686
उत्तर प्रदेश	8,664
महाराष्ट्र	302
योग :	1,52,338

विद्युत-उत्पादन उपकरणों को काम में लाए जाने में कमी

2730. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन उपकरणों को काम में लाए जाने में कमी हुई है;

(ख) क्या इसका एक कारण यह है कि बिजली घरों को सप्लाई किए गए कोयले की ताप-गुणता में कमी थी; और

(ग) भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोल-इन्डिया को निदेश देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्योंकि समय खुली खानों से कोयला निकालने के आधार पर कोयले का उत्पादन तो बढ़ गया है, पर कोयले की क़िस्म का स्तर गिर गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) ताप विद्युत संयंत्रों के उपयोजन जिसे संयंत्र भार अनुपात के रूप में दिखाया गया है, उसमें 1979-80 में 44.7% से

1981-82 में 46.8% तक तथा अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 तक की अवधि के लिए 49.2% तक वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों का कार्य-निष्पादन, कोयले की अनुपयुक्त और असंगत गुणवत्ता के कारण घटिया रहा है। यथापि, संयंत्र भार अनुपगत में कमी के रूप में इसके प्रभाव की मात्रा बता सकना कठिन है।

(ग) कोल इण्डिया लि० की भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन (आंकड़े मिलियन टनों में)
1977-78	64.05
1978-79	61.14
1979-80	59.30
1980-81	60.99
1981-82	63.25

कोल इण्डिया लि० भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में, जिनमें 1979-80 तक कमी आती रही थी 1980-81 से सुधार होना प्रारम्भ हो गया है। 1978-79 और 1979-80 में कमी आने के मुख्य कारण अभूतपूर्व वर्षा के कारण रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों की कोयला खानों में बाढ़ आना था जिससे भूमि-गत मशीनरी को क्षति पहुंची थी। कोयला खानों को कार्य के लिए उपयुक्त बनाने में काफी समय लगा।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अनुपस्थिति को नियंत्रित करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना, नई खानों को स्वीकृति देना, बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधा की प्रतिष्ठापना करना, कोयला खादान कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाना तथा श्रमिकों और मशीनरी की उत्पादकता में सुधार करना शामिल है।

एल० पी० जी० एजेंसियों के आबंटन में कथित अनियमिततायें

731. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 में एल० पी० जी० एजेंसियों के आबंटन की कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उन व्यक्तियों को एल० पी० जी० एजेंसियां आवंटित की गई हैं जो इनको पाने के पात्र नहीं हैं ;

(ग) वर्ष 1981 और 1982 में कुल कितनी एल० पी० जी० एजेंसियां आबंटित गईं और कितने मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं या देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार को कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 योजनाओं के प्रति तेल कम्पनियों ने 31.12.82 को कुल 587 एल० पी० जी० की एजेंसियां दी हैं। तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों/वितरकों के चयन में अरोपित अनियमितताओं के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं। जहां कहीं आवश्यक होता हैं, उपचारिक कार्रवाई के लिए इनकी जांच की जाती है।

एल० पी० जी० वितरकों, जिनके लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, की संख्या बहुत अत्रिक होने के कारण प्राप्त शिकायतों का स्वरूप उससे सम्बन्धित की गई कार्रवाई आदि के ब्यौरे देना सम्भव नहीं होगा जब तक कि उनके स्थानों का उल्लेख न हो।

पैट्रोल चालित वाहनों के लिए एल० पी० जी० को धन के रूप में प्रयुक्त करने की प्रौद्योगिकी

2732. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोलचालित कारों और जीपों में ईंधन के रूप में एल० पी० जी० का प्रयोग करने संबंधी प्रौद्योगिकी का सफलापूर्वक विकास कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नई विकासित सुधार प्रौद्योगिकी और (I) बचाये गये पेट्रोल की लागत (II) अनुरक्षण की लागत (III) वातावरण प्रदूषण को समाप्त करने आदि में इसके लाभों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने पेट्रोल के बजाए एल० पी० जी० को ईंधन के प्रयोग हेतु प्रक्रिया का वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो लागत ढांचे का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। कम्पनी ने पेट्रोल से चलने वाली एक कार और एक जीप पर आयातित परिवर्तन उपकरण की सहायता से एक प्रयोग किया गया था। इसका लक्ष्य आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित (अस्थायी) बढ़ती हुई एल० पी० जी० के कैप्टिव प्रयोग के विकल का पता लगाना था। इस सीमित प्रयोग से लागत, सुविधा आदि के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालना असामायिक होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पिछड़े पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में लोग डिसटेंस पब्लिक टेलीफोन अधिष्ठापि त करना

2733. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में (एक) पिछड़े (दो) पहाड़ी और (तीन) आदिवासी जिलों में कितने "लौंग डिसटेन्स पब्लिक टेलीफोन" लगाए गए हैं, उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) मध्य प्रदेश के राजगढ़ विदिशा, गुना, शाजापुर और सागर जिलों के कितने जिला मुख्यालयों (दो) सब-डिविजनों (तीन) तहसील मुख्यालयों (चार) उप-तहसील मुख्यालयों (और पांच) ब्लाक और 2500 की आबादी वाले स्थानों को 31 दिसम्बर, 1982 तक लौंग डिसटेन्स पब्लिक टेलीफोनों से जोड़ा गया है;

(ग) वर्ष 1983, 1984 और 1985 में नीति नियमों के अनुसार लक्ष्य कब तक पूरे हो जायेंगे ; और

(घ) मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, गुना, सागर और शाजापुर जिलों के कितने (एक) सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस के तहत पुलिस स्टेशनों (दो) पर्यटन तीर्थ यात्रा केन्द्रों और (तीन) कस्बों को निर्धारित मानदण्डों अनुसार लौंग डिसटेन्स पब्लिक टेलीफोन से जोड़ा गया है, यदि नहीं, तो लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में (एक) पिछड़े (दो) पहाड़ी और (तीन) जनजातीय जिलों और क्षेत्रों में स्थापित किए गए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) राजगढ़, विदिशा, गुना, शाजापुर और सागर जिलों में सभी (एक) जिला मुख्यालयों (दो) उप-मडलों (तीन) तहसील मुख्यालयों (चार) उप-तहसील मुख्यालयों (पांच) ब्लोक मुख्यालयों और 2500 या अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर नीति विषयक मानदण्डों के अनुसार लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए हैं ।

(घ) (एक) राजगढ़, विदिशा, गुना, सागर और शाजापुर जिलों में पुलिस उप-निरीक्षक के अधीन सभी पुलिस स्टेशनों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर प्रदान किए गए हैं; केवल गुना जिले में ऐसे पाँच पुलिस स्टेशनों में यह टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है । दो पुलिस स्टेशनों के लिए लम्बी दूरी के टेलीफोनों की मंजूरी दे दी गई है और आवश्यक भंडार प्राप्त होने पर यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी । शेष तीन पुलिस स्टेशनों के मामलों पर विचार किया रहा है ।

सांची, जो कि एक पर्यटक और तीर्थ स्थल है में भी लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े पहाड़ी और जनजातीय जिलों एवं क्षेत्रों में स्थापित किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्थापित किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सं०
	1	2
1.	झाबुआ	33
2.	मांडला	31
3.	सुरगुजा	40
4.	बस्तर	51
5.	धार	39
6.	खारगोन	52
7.	रतलाम	29
8.	बेतुल	20
9.	सिवोनी	21
10.	बालाघाट	23
11.	होशंगाबाद	24
12.	शाहडोल	20
13.	सिदी	18
14.	रायगढ़	51
15.	बिलासपुर	58
16.	रायपुर	43
17.	मोरेना	54
18.	छिदवाड़ा	40
19.	भिंड	38
20.	छतरपुर	26
21.	दामोह	18

1		2
22.	दातिया	11
23.	देवास	29
24.	गुना	10
25.	ग्वालियर	27
26.	मंदसौर	37
27.	नरसिंहपुर	17
28.	पन्ना	11
29.	रायसेन	14
30.	राजगढ़	8
31.	रेवा	28
32.	सागर	34
33.	सराना	12
34.	सीहोर	22
35.	शाजापुर	23
36.	शिवपुरी	25
37.	टीकमगढ़	26
38.	उज्जैन	12
39.	विदिशा	18
	आंशिक रूप से पिछड़े/जनजातीय/सामान्य जिले	
40.	इन्दौर	9
41.	जबलपुर	13
42.	भोपाल	2

उत्तर प्रदेश में पम्पिग सेटों को बिजली दिया जाना

2734. डा० ए० यू० आजमी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने पम्पिग सेटों को बिजली दी जा चुकी है;

(ख) इससे कितने लोगों को लाभ मिला है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई हैं तथा कुल कितने गांवों में अभी बिजली पहुंचानी शेष है तथा इन शेष गांवों में बिजली कब तक पहुंचा दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल 1979 से मार्च, 1982 के दौरान कुल लगभग 1,10,471 पम्प सेटों को ऊर्जित किया गया है, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उनकी संख्या के ब्यौरे सुलभ नहीं हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल, 1979 से मार्च, 1982 के दौरान 11,227 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। जनगणना के अनुसार 1,12,561 बसे हुए गांवों में से 31-12-82 तक 50,367 गांवों का विद्युतीकृत किया गया तथा 62,194 बचे हुए गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। अपेक्षित निधि के उपलब्ध होने पर 1994-95 तक उत्तर प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण कर दिए जाने की शत प्रतिशत संभावना है।

उच्चतम न्यायलय में लंबित उत्पाद-शुल्क सीमा-शुल्क और राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा

2735. **श्री नारायण चौबे** :

श्री चित्त बसु : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायलय में उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के अपवंचन के कुल कितने मामले लम्बित हैं और प्रत्येक मामले से संबन्धित तारीख और संबद्ध धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात पर विचार करते हुए कि इन मामलों के कारण भारी धनराशि अवरुद्ध है, इनके शीघ्र निपटारे के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयातित सोडा ऐश के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशें

2736. **श्री नारायण चौबे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) आयातित सोडा-ऐश पर सीमा और प्रतिकारी शुल्क में आवधित वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों (बी० आई० सी० पी०) ने देश में सोड़ा ऐश के स्वदेशी मूल्य के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) से (घ) स्वदेशी सोड़ा ऐश के उत्पादन लागत पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों (बी० आई० सी० पी०) की रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। ब्यूरों ने सोड़ा ऐश के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सुझाव/सिफारिशें की हैं। सरकार ने अभी इन मामलों पर निर्णय लेना है।

कोल इंडिया कम्पनी के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

2737. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री बापू साहिब परुलेकर :
श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने अपनी 24 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को उनकी मागें स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कोल माइन्स आफिसर्स एसोशिएशन आफ इंडिया ने नवम्बर, 1982 में एक नोटिस दिया था कि यदि उनकी 24 सूत्री मांगों में उल्लिखित सभी मुद्दे तय नहीं किए जाते तो वह विरोध सप्ताह मनाएंगे और उसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, फिर सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेंगे और उसके बाद अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे। एसोसिएशन की मांगे इन बातों से सम्बन्धित हैं—मजदूरी, भत्ते, आवास सुविधाएं, प्रशिक्षण नीतियों, आश्रितों की रोजगार, आदि में संशोधन। परन्तु अध्यक्ष, कोल इंडिया लि० और ऐसोसिएशन के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसोसिएशन ने क्रमिक भूख हड़ताल अथवा सामूहिक आकस्मिक अवकाश अथवा अनिश्चित कालीन हड़ताल के कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया।

उड़ीसा में 1983-84 के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

2738. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1982-83 में उड़ीसा के किन-किन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य के कुछ और डाकघरों का 1983-84 में दर्जा बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जानकारी विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का कार्य योजना के अन्तर्गत नहीं आता । अतः इसके लिए कोई पूर्वनिर्धारित लक्ष्य नहीं है । विचाराधीन विभिन्न प्रस्तावों में से केवल ऐसे डाकघरों का ही दर्जा बढ़ाया जाता है जो कार्यभार और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों ।

विवरण

1982-83 के दौरान उड़ीसा सर्किल में जिन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय डाकघर बनाया गया उनके नाम इस प्रकार हैं :—

	दर्जा बढ़ाए गए डाकघर का नाम और स्तर		डिवीजन का नाम
1.	गुड्डवेला	अति०विभा० उप-डाकघर	बोलंगीर
2.	कुरुदा	—वही—	बालासोर
3.	सेरगादा	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
4.	बमकेई	—वही—	बेहरामपुर (पूर्व)
5.	पंडिया	—वही—	—वही—
6.	गरबंधा	—वही—	—वही—
7.	गोलबंधा	अति० विभा० उप-डाकघर	—वही—
8.	बडाखरिदा	अति० विभा० उप-डाकघर	—वही—
9.	कनकरदा	—वही—	—वही— (पश्चिम)
10.	गुंथापाडा	—वही—	—वही—
11.	मुंडमराई	—वही—	—वही—
12.	असुरबंधा	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
14.	बुरुपाडा	—वही—	—वही—
14.	ब्राह्मणी गांव	—वही—	भदराक
15.	बालीखंडा	—वही—	—वही—

दर्जा बढ़ाए गए डाकघर का नाम और स्तर			डिवीजन का नाम
16.	माधवनगर	—वही—	—वही—
17.	बसंतिया	—वही—	—वही—
18.	पलियाबिंदा	—वही—	—वही—
19.	बेतादा	—वही—	—वही—
20.	भाटपटन	अति० विभा० उप-डाकघर	भुनेश्वर
21.	ब्राह्मण शैलो	अति० विभा० शाखा डाकघर	कटक सीटी
22.	जमपदा	अति० विभा० उप-डाकघर	कटक उत्तर
23.	पतकुरा	—वही—	—वही—
24.	बेदारी	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
25.	कानपुर	—वही—	कटक दक्षिण
26.	कोलार	अति० विभा० उप-डाकघर	कटक दक्षिण
27.	तलमाल	अति० विभा० शाखा डाकघर	धेनकलाल
28.	पी०टी०सी० अंगल	अति० विभा० उप-डाकघर	—वही—
29.	कासगुमुंडा	अति० विभा० उप-डाकघर	कोरापुट
30.	लच्छीपेटा	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
31.	तिरिंगी	अति० विभा० उप-डाकघर	मयूर भंज
32.	बहलदा रोड	—वही—	—वही—
33.	कुसालदा	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
34.	जोषपोखरिया	—वही—	—वही—
35.	बी० सी० पुर	अति० विभा० उप-डाकघर	—वही—
36.	जहराजिगी	—वही—	फुलबनी
37.	गंगाधरपुर	—वही—	पुरी
38.	सीको	अति० विभा० शाखा डाकघर	—वही—
39.	गाहकुण्डा	—वही—	—वही—
40.	जालदा	—वही—	सुन्दरगढ़

डाक तथा तार विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ता

2739. श्री हरिहर सोरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में डाक तथा तार विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ता मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए मंजूर किए गए भत्ते कौन-कौन से हैं;

(ग) उक्त मंजूरी से कितने डाक तथा तार कर्मचारियों को लाभ होगा; और

(घ) अतिरिक्त भत्ते किस तारीख से प्रवृत्त हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। अंशकालिक मजदूरों को नियमित कर्मचारियों के बतौर भर्ती नहीं किया जाता है। आमतौर पर प्रतिदिन सात घंटे से कम अवधि के लिए उनकी नियुक्ति नैमितिक आधार पर की जाती है और मौजूदा आदेशों के अनुसार उन्हें कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से रिग प्राप्त करने के प्रयास

2740. **श्री अनादि चरण दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में खोज कार्य के लिए भारत के सातवें रिग "सागर ज्योति" को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जापान से इसके आने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) खोज कार्य में लगे अन्य जहाजों का क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जैक-अप रिग "सागर ज्योति" के मार्च, 1983 के अन्त तक पहुँचने की संभावना है।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगाये गये अन्य अपतटीय रिंगों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रक सं०	नाम	किस्म	किराए पर/निजी	में लगाये गये
1.	सागर प्रगति	जैक-अप	निजी	पश्चिमी तट
2.	सागर गौरव	जैक-अप	निजी	—वही—
3.	सागर शक्ति	जैक-अप	निजी	—वही—

क्रम सं०	नाम	किस्म	किराए पर/निजी	में लगाए गए
4.	सागर सम्राट	जैक-अप	निजी	—वही—
5.	सागर प्रभात	जैक-अप	डीलरशिप	—वही—
6.	शेनानदोह	जैक-अप	चार्टर्ड	—वही—
7.	डब्लू टी० आदम	जैक-अप	—वही—	—वही—
8.	चिद्धेन इटजा	जैक-अप	—वही—	—वही—
9.	ग्रिफिन ऐलिगजेडर I	जैक-अप	—वही—	पूर्वी तट
10.	टिटोन-II	जैक-अप	—वही—	पश्चिमी तट
11.	गेटी सवर्ग	डीलरशिप	किराये पर	—वही—
12.	सिडको-445	—वही—	—वही—	पूर्वी तट
13.	डिक्सीलिन फिल्ड-95	अर्द्ध अवगाहन-ग्रुप	—वही—	पश्चिमी तट

थाल-वैशेट उर्वरक संयंत्र पर खर्च की गई धनराशि

2741. श्री अनादि चरण दास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाल वैशेट परियोजना के निष्पादन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) यह परियोजना पूरी तरह से कब तक चालू हो जाएगी; और

(ग) उपरोक्त अमोनिया संयंत्र से प्रतिदिन कितने टन यूरिया के उत्पादन होने का अनुमान है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) लगभग 282 करोड़ रुपये।

(ख) इस परियोजना को दो चरणों में पूरा करना है। प्रथम चरण सितम्बर, 1984 तक तथा चरण दो के दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) चरण दो के पूर्ण होने पर यूरिया संयंत्रों की स्थापित क्षमता 4,500 टन प्रतिदिन होगी।

उर्वरक एककों को हुई हानि

2742. श्री अनादि चरण दास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उर्वरक एकक घाटे पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक एककों के नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक उर्वरक एकक को प्रति वर्ष औसतन कितना घाटा हुआ; और

(घ) उन उर्वरक एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली निम्नलिखित उर्वरक कम्पनियों ने वर्ष 1981-82 में निम्नलिखित हानि उठाई है :—

क्र० सं०	उर्वरक कम्पनी का नाम	(रु० लाखों में) 1981-82 के दौरान हानि
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया	12679
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	4813
3.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	1090

(घ) सरकार ने बिजली की कटौती की समस्या में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और मामले को राज्य बिजली प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है। अधिकतर इकाईयों के लिए कैप्टिव पावर प्लांटों की अनुमति दी गई है। संयंत्र संचालन सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या निवारण योजना, अच्छे रख-रखाव आदि के जरिए डिजाइन संबंधी कमियों को दूर करके क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

सोडा ऐश पर आयात शुल्क

2743. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा ऐश पर आयात शुल्क बढ़ाने के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार सोडा ऐश के निर्माताओं को मूल्य समर्थन देने के लिए वचन बद्ध है;

(ग) यह किस प्रकार हुआ कि एक वर्ष की अवधि में अर्थात् 6 जनवरी, 1981, 13 जनवरी, 1981 और 28, फरवरी, 1982 को सोडा ऐश पर आयात शुल्क तीन बार बढ़ाया गया;

(घ) क्या आयात शुल्क बढ़ाने से पूर्व सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से परामर्श किया था; और

(ङ) यदि हां, तो सोडा ऐश उपभोक्ताओं द्वारा मूल्य में कमी के मामले में केवल बी० आई०सी०पी० से ही परामर्श किया है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ग) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी मूल्य तथा मांग की पूर्ति के लिए इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सोडा ऐश पर आयात शुल्क की दर को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ख) सोडा ऐश के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। इसलिए सोडा ऐश के उत्पादकों को मूल्य देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सोडा ऐश एक ऐसी मद है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अनुसरण में शामिल किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के औचित्य पर विचार करना सरकार का दायित्व है, इसलिए इसके उत्पादन की लागत की बी०आई०सी०पी० जैसे निकाय से जांच करवावा आवश्यक है।

सोडा-ऐश के आयात सम्बन्धी आंकड़े

2744. श्री हरिकेश बहादुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोड़ा ऐश के आयात के सम्बन्ध में जनवरी, 1981 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्री महोदय ने राज्य सभा में, 2 अगस्त, 1982 को सोड़ा ऐश विष्यक चर्चा के उत्तर में यह बात किस आधार पर कही थी कि अधिकृत सांख्यिकीय आंकड़ों के अभाव में बुलगेरिया प्रस्तुत : सोड़ा ऐश के ढेर लगाता जा रहा है;

(ग) क्या उपरोक्त संगठनों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि उत्पादकों द्वारा माल का ढेर लगाये जाने के बारे का उद्देश्य मुनाफाखोरी के लिए बाजार पर कब्जा करने के लिए सरकार को इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित करना है;

(घ) क्या देश में 90 प्रतिशत सोड़ा ऐश का उत्पादन करने वाले दो एकक, तथा मै० टाटा कैमिकल्स लि० और सोराष्ट्र कैमिकल्स लि० वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में मन्दी के कारण अपने उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि कर सकते थे; और

(ङ) जुलाई, 1982 में सोड़ा ऐश [illegible] ने कैसे अपने मूल्य बढ़ा दिए जबकि माल जमा होने के कारण मन्दी की बात कही गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ख) आयात आंकड़े महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा संकलित व प्रकाशित किए जाते हैं। आंकड़ो के सकलन और प्रकाशन में प्राय: समय लग जाता है। जनवरी, 1981 के पश्चात की अवधि के लिए सोडा-ऐश आयात के संकलित आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं थे। तथापि विशेष मामलों के लिए सरकार आयातों की दैनिक सूची और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज देख सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) उत्पादकों ने अबके मूल्यों में वृद्धि के लिए निवेशों, कच्चे माल एवं उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है।

तट पर तथा तट दूर कच्चे तेल का उत्पादन

2745. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के दौरान तट पर तथा तट दूर कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन हमारी कुल मांग की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो 1982 के दौरान कितना कच्चा तेल आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) क्या उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अगले पांच-दस वर्षों में तटपर तथा तट दूर स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1982 के दोरान दोनों तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल का कुल स्वदेशी उत्पादन करीब 19.7 मि० मी० टन (अस्थाई) था।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1982 के दौरान, खनिज तेल का शुद्ध आयात 13.1 मि० मी० टन था जिसकी लागत 3082 करोड़ रुपये थी।

(घ) दोनों तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ओ० आई० एल० द्वारा दोनों तटीय एवं अपतटीय थालों में त्वरित अन्वेषण एवं दोहन के लिए प्रत्याशित योजनाएं तैयार की गई हैं। यह योजनाएं सम्भव हाईड्रोकार्बन आरक्षणों में परिवर्तन करने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तथापि इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो सकेगी।

गुजरात में ऊर्जा संकट

2746. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात इस समय भीषण ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि राज्य सरकार को राज्य में 50 से 100 प्रतिशत तक बिजली कटौती करनी पड़ी थी जिससे वहां औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बिजली में कटौती के कारण अनेक औद्योगिक एककों को अपनी मजदूरों की जबरन छुट्टी करनी पड़ी थी;

(घ) यदि हां, तो राज्य में बिजली संकट के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या राज्य में बिजली सप्लाई में सुधार की कोई तत्काल संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गुजरात राज्य ने कुछेक यूनिटों की जबरन बन्दी के कारण गत छ: महीनों में अल्प अवधियों के लिए ऊर्जा की कमी की समस्या का सामना किया था। राज्य में विद्युत सप्लाई की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। गुजरात में इस समय ऊर्जा की प्रतिदिन की औसत आवश्यकता 30.32 मेगावाट आवर है और प्रतिदिन की उपलब्धता 32.1 मेगावाट आवर है।

(ख) गुजरात में दिसम्बर, 1982 के दौरान 60% की अधिकतम मांग कटौती लागू थी। फरवरी 1983 के दौरान 25-50% मांग कटौतियां लागू थीं। तथापि राज्य में कोई ऊर्जा कटौतियां नहीं थीं।

(ग) 50% से अधिक विद्युत कटौती की अवधि के दौरान कार्मिकों को अस्थायी छुट्टी (ले आफ) दी गई थी जोकि गत छ: महीनों के दौरान 10 दिन थी।

(घ) राज्य में विद्युत संकट का मुख्य कारण मानसून की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कृषि भार में वृद्धि हुई और जल विद्युत उत्पादन कम हुआ।

(ङ) जी, हां। मार्च, 1983 के अन्त तक विद्युत की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

गुजरात में गैस पर आधारित एक और उर्वरक संयंत्र की स्थापना

2747. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने यह अभ्यावेदन किया था कि गुजरात में हजीरा में स्थापित किए जा रहे दो उर्वरक संयंत्रों के अलावा गैस पर आधारित एक और

उर्वरक संयंत्रों के अलावा गैस पर आधारित एक और उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाए क्योंकि बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस पूर्वानुमानित मात्रा से कहीं अधिक उपलब्ध होगी;

(ख) क्या यह सच है कि चूंकि प्रस्ताव भड़ौच में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी के विस्तार के रूप में संयंत्र की स्थापना करने का है इसकी लागत नए ग्रास रूट संयंत्र की तुलना में कम होगी क्योंकि इसका कार्य एक वर्ष पूर्व पूरा होने से आधारभूत ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि परियोजना से उर्वरकों के कम आयात के जरिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) यदि हां, तो 1979 से लम्बित पड़ी परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सच है कि यदि भरोच में जी० एन० वी० एफ० सी० के विस्तार के रूप में एक नया संयंत्र स्थापित किया जाता है तो लागत प्रारम्भिक रूप से स्थापित किए जाने वाले संयंत्र से कम होगी । तथापि, सरकार ने लागत के लाभ का मूल्यांकन किया था परन्तु यह पाया गया था कि गुजरात से उर्वरकों के परिवहन के लिए दिए जाने वाले रेल भाड़े की अतिरिक्त लागत से यह लाभ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में माल की अधिकता हो जाएगी और उसे उत्तरी राज्यों में ले जाया जाएगा जहां इसका उपयोग किया जाएगा ।

(ग) यह सच है कि उर्वरकों के अधिक स्वदेशी उत्पादन के परिणामस्वरूप आयातों में कमी होती है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है । इसलिए सरकार की यह नीति है कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दें । तथापि, इस विशेष मामले में सरकार ने यह निर्णय किया कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, परन्तु गुजरात में नहीं, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर जो लागत को बहुत प्रभावित करे, अर्थात् उपयोग के क्षेत्र के समीप हो ।

(घ) गैस पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए किए गए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि तैयार उर्वरकों को लम्बी दूरी पर भेजने के स्थान पर इस क्षमता को उपयोग के क्षेत्रों में स्थापित करना अधिक मितव्ययी होगा । यह पाया गया है कि गुजरात में पहले ही स्थापित किए गए संयंत्रों से उस राज्य में 1989-90 में नाइट्रोजन युक्त क्षमता की आधिक्य हो जाएगा और उस फालतू माल को उत्तर में उपयोग के क्षेत्रों में ले जाना पड़ेगा । इसलिए सरकार ने गुजरात राज्य में गैस पर आधारित एक और उर्वरक संयंत्र की स्थापना की अनुमति नहीं दी है ।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी तामिलनाडू की पनबिजली परियोजनायें

2748. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडू सरकार द्वारा प्रस्तुत तथा केन्द्र को स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी

प्रस्तावित पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोना से अधिकतम विद्युत उत्पादन कितना होगा और उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं पर अब तक स्वीकृति दिए जाने और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी जांच एक जटिल कार्य है जिसमें जल-विज्ञान, भू-विज्ञान, सिविल डिजाइन, इलेक्ट्रिक डिजाइन आदि पहलू शामिल होते हैं। केरल और तमिलनाडू के बीच अन्तर्राष्ट्रीय पहलू शमिल होने के कारण परियोजनाओं को स्वीकृति देने में देरी हो रही है। कुछ मामलों में, परियोजना अधिकारी से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुरूप संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। यद्यपि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण योजनाओं का मूल्यांकन शीघ्र करने का प्रयास करता है, फिर भी इस प्रक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है तथा उनमें से कुछ पहलू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर होते हैं। अतः परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई सुनिश्चित समय सीमा व्यवहारी नहीं होगा।

विवरण

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
पडियार पूनापूझा	2 × 50	73.90
षणमुखनदइ	1 × 30	20.51
चोलाटीयूझा	1 × 60	21.68
अपर अमरावती	1 × 30	15.78
चिनार चितार व्यपवर्तन स्कीम	—	1.07
पिकारा-अन्तिम चरण	2 × 50	38.14
सिरवाणी माइक्रो जल विद्युत	1 × 3	2.4

उद्योग क्षेत्रों में श्रमिक अशांति

2749. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ने देश के औद्योगिक क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति और आपत्तिजनक क्रिया कलापों तथा हिंस्त्र श्रमिक अशान्ति को रोकने में सम्बन्धित प्राधिकारियों की प्रत्यक्ष असमर्थता पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या इससे कैमिकल और एलाइड प्रोडेक्ट के निर्यात के क्षेत्र में हमारे निर्यात संवर्द्धन कार्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) बार-बार होने वाली श्रमिक अशान्ति और आपत्तिजनक क्रिया कलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) दि कैमिकल्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने सूचित किया है कि 25 जनवरी, 1983 को दिल्ली में हुई बैठक में उपस्थित उनके अधिकतर सदस्यों ने, देश में बिजली व श्रमिकों की बिगड़ती हुई स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी जिनका पश्चिमी भारत में स्थिति बहुत सी बड़ी निर्यातक इकाईयों के उत्पादन व निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) सरकार देश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पर निरन्तर पूरी नजर रखे हुए है। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्पर्क सम्बन्धी प्रशासन-तंत्र; औद्योगिक विवादों को वर्तमान श्रम कानूनों के अन्तर्गत मध्यस्थता, समझौता, न्याय निर्णय और विवाचन द्वारा तय करने के लिए, प्रयास जारी रखता है। औद्योगिक विवादों को हल करने और औद्योगिक अशान्ति को दूर करने के लिए हमेशा समय पर कार्यवाही की जा रही है।

नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी

2750. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को, जो तत्काल ध्यान दिए जाने और लागू करने की संभावना व्यक्त करती है; सरकार द्वारा शुरू किया है;

(ख) कौन-कौन सी नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियां अब भी आरम्भिक और प्रयोगात्मक चरण में हैं; और

(ग) कौन सी नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियां परीक्षण और प्रदर्शन के चरण में हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सौर, पवन, जैव ऊर्जा आदि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों में अनुसंधान और विकास से देश में विभिन्न प्रकार की स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है। जिन प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर तत्काल उपयोग किया जा सकता है उनमें जैव गैस संयंत्र, जैव गैस डीजल इंजन, व ऊर्जा वन खण्ड सौर कुकर और लघु जल संयंत्र शामिल हैं। जो प्रौद्योगिकियां अभी प्रशिक्षण और प्रदर्शन की अवस्था में हैं उनमें जल तापन प्रणालियां, पवन पम्प और फोटोवेल्टक प्रणालियां (जल पम्पन

और प्रकाश आदि), सौर टिम्बर किल्न, सौर शुष्कन प्रणालियां, सौर प्रशीतन प्रणालियां, सौर तापीय पम्प, सौरस्पेस हीटिंग शीतलन प्रणालियां शामिल हैं। जो प्रोद्योगिकियां अभी प्रयोगिक अवस्था में हैं उन में जैव रूपान्तर, सौर तापीय शक्ति रूपान्तर, पवन जनरेटर हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागर ऊर्जा (महासागर तापीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा भी शामिल हैं) मैग्नेटोहाइड्रो डानोमिक्स (एम०एच०डी०), भूतापीय ऊर्जा, ईंधन सैल, संगलन, कोयला गैसीकरण, कोयला सलरी ट्रांसपोर्ट (परिवहन, कोयला; घोल), कोयला द्रीरकण आदि शामिल हैं।

सरीन समिति की सिफारिशें

2751. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सरीन समिति की सभी 434 सिफारिशों पर क्रियान्वयन हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितनी रद्द की जा चुकी हैं;

(ग) उनमें से कितनी अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) उनमें से कितनों पर अब तक क्रियान्वयन हो चुका है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सिफारिशों पर कब तक पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। तीन अनुषंगिक सिफारिशों सहित कुल सिफारिशें 437 हैं।

(ख) अब तक 28 सिफारिशें नामंजूर कर दी गई हैं।

(ग) अभी भी 28 सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) अब तक 314 सिफारिशों पर अमल करने का निर्णय लिया गया है यद्यपि अधिकांश मामलों में सिफारिशों पर पूरी तरह अमल, एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया रहेगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2752. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री राम प्यारे पनिका :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समेकित विकास कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त योजना देश के कुछ भागों में शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं और यह कहां तक सफल रही है और देश के अन्य भागों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जहां प्रयोगिक समेकित ऊर्जा परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं।

राज्यवार, बिजली का कुल उत्पादन

2753. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों की तुलना में राज्यवार, ताप, जल और परमाणु बिजली के कुल उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्रमशः पूरे देश की राज्यवार, पूरे बिहार की, उत्तरी बिहार की तथा शेष बिहार की बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1981-82 तथा 82-83 (अप्रैल, 1982 से फरवरी 1983 तक) के लिए ताप विद्युत तथा न्यूक्लीय विद्युत के कुल उत्पादन का राज्यवार/प्रणालीवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ख) वर्ष 1981-82 में विद्युत की यूनिटों में प्रति व्यक्ति खपत नीचे दी गई है :—

भारत	समस्त बिहार	उत्तरी बिहार	बिहार का शेष भाग
143.41 (अनन्तिम)	81.28	13.43	137.16

वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यवार यूनिटों में प्रतिव्यक्ति खपत को दिखाने वाला विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

राज्य/प्रणालीवार, श्रेणीवार सकल ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा।
अवधि : 1981-82 तथा 1982-83 (अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक)

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली	श्रेणी	सकल ऊर्जा उत्पादन (गेगावाट अवर)	
			1981-82	*अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक
1.	भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड	जल विद्युत	6089	6432

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली	श्रेणी	सकल ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट अवर) 1981-82	*अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक
2.	ब्यास निर्माण बोर्ड	जल विद्युत	4384	3713
3.	दिल्ली	ताप विद्युत	3643	3996
4.	जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	18	1
		जल विद्युत	768	824
		जोड़:	786	825
5.	हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	625	1190
6.	हरियाणा	ताप विद्युत	1323	1010
7.	राजस्थान	ताप विद्युत	—	6
		न्यूक्लीय विद्युत	1057	472
		जल विद्युत	658	597
		जोड़ :	1715	1074
8.	पंजाब	ताप विद्युत	1593	1777
		जल विद्युत	546	648
		जोड़ :	2139	2425
9.	उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	8728	10054
		जल विद्युत	3835	3870
		जोड़ :	12563	13924
10.	गुजरात	ताप विद्युत	9068	9395
		जल विद्युत	1139	405
		जोड़ :	10207	9800
11.	मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	6717	7151
		जल विद्युत	318	195
		जोड़ :	7035	7346
12.	महाराष्ट्र	ताप विद्युत	12500	13051
		न्यूक्लीय विद्युत	1964	1356
		जल विद्युत	6349	5236
		जोड़ :	20813	19643

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली	श्रेणी	सकल ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट अवर)	
			1981-82	*अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक
13.	आन्ध्र प्रदेश	ताप विद्युत	5093	4971
		जल विद्युत	4238	4480
		जोड़ :	9331	9451
14.	कर्नाटक	जल विद्युत	7144	7126
15.	केरल	जल विद्युत	5539	4195
16.	तमिल नाडु	ताप विद्युत	6570	7049
		जल विद्युत	4656	3321
		जोड़ :	11226	10370
17.	बिहार	ताप विद्युत	2376	2363
		जल विद्युत	175	136
		जोड़ :	2551	2499
18.	उड़ीसा	ताप विद्युत	786	926
		जल विद्युत	2373	1777
		जोड़ :	3159	2703
19.	पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत	5443	5229
		जल विद्युत	66	42
		जोड़ :	5509	5271
20.	दामोदर घाटी निगम	ताप विद्युत	5779	5342
		जल विद्युत	222	145
		जोड़ :	6001	5487
21.	सिक्किम	जल विद्युत	15	14
22.	असम	ताप विद्युत	709	830
23.	मेघालय, त्रिपुरा और नागालैण्ड	जल विद्युत	419	431
	अखिल भारत	ताप विद्युत	70346	73150
		न्यूक्लीय विद्युत	3021	1828
		जल विद्युत	49556	44777
		जोड़ :	122925	119755

*फरवरी, 83 का उत्पादन वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित है।

विवरण-दो

वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	243.89
हिमाचल प्रदेश	67.47
जम्मू और कश्मीर	82.45
पंजाब	303.61
राजस्थान	102.25
उत्तर प्रदेश	89.49
चण्डीगढ़	403.36
दिल्ली	424.24
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	252.31
मध्य प्रदेश	110.53
महाराष्ट्र	279.60
गोवा दमन और द्वियु	194.70
दादर और नगर हवेली	74.13
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	118.04
कर्नाटक	171.35
केरल	118.58
तमिल नाडु	196.31
पांडिचेरी	265.58
लक्षद्वीप	30.00
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	85.13
उड़ीसा	132.92

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
पश्चिम बंगाल	124.20
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	51.06
सिक्किम	63.26
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम	44.91
मणिपुर	6.57
मेघालय	46.78
नागालैण्ड	38.09
त्रिपुरा	16.44
अरुणाचल प्रदेश	18.87
मिजोरम	12.87
जोड़ अखिल भारत	143.41

*आंकड़े अन्तिम हैं और 1981 में की गई जन गणना के आधार पर तैयार किए गए हैं।

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति खपत में अपने कैप्टिव संयंत्रों द्वारा उत्पादन में से अनुमानित बिजली की खपत भी शामिल है।

नेपाल के साथ सहमत पन बिजली योजनाओं का प्राक्कलित उत्पादन

2754. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन बहुद्देशीय बांधों में से प्रत्येक बांध से कितनी पन बिजली के उत्पादन होने का अनुमान है, जिनके बारे में एच० एम० सी०, नेपाल के साथ समझौते हुए थे, उनके निर्धारित समय और शर्तें क्या हैं;

(ख) बारा क्षेत्र में कोसी नदी, सिसापैन में कमला और नुत्थुर में बागमती पर बने बांधों से कितनी पन बिजली के उत्पादन होने का अनुमान है और इन बांधों के लिए समझौते क्यों नहीं हुए हैं; और

(ग) उक्त बांधों के निर्माण कार्य शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) करनाली पंचेश्वर तथा राप्ती परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नेपाल की महामहिम सरकार के साथ कोई समझौता

नहीं हुआ है। तथापि इन तीन परियोजनाओं के लिए अन्वेषण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए परिकल्पित की जा रही प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 3600 मेगावाट, 2000 मेगावाट तथा 58 मेगावाट है।

(ख) बराह क्षेत्र में कोसी परियोजना और नत्थेर में बागमती परियोजना की संभावित प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 3300 मेगावाट और 140 मेगावाट होगी। सीसापानी में कमला नदी पर बहूद्देश्यीय बांध के लिए बिहार सरकार द्वारा सुझाई गई स्कीम में विद्युत उत्पादन की कोई संभावना नहीं है। परियोजनाओं के बारे में दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करना

2755. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर हिन्दी/अंग्रेजी के अनेक कार्यक्रमों को एक माह की अल्प अवधि में ही पुनरावृत्ति हो जाती है तथा कभी तो एक सप्ताह में ही कार्यक्रम को पुनः प्रसारित कर दिया जाता है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान एक सप्ताह में, एक माह में या 3 माह के भीतर कितने कार्यक्रमों को पुन; प्रसारित किया गया;

(ग) क्या भुतपूर्व मंत्री जी ने टी० वी० टैलीकास्ट क्लब में यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि किसी भी कार्यक्रमों को 3 माह के भीतर पुनः प्रसारित नहीं किया जाएगा; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है कि कार्यक्रमों को शीघ्र पुनः तथा बार-बार प्रसारित नहीं किया जाएगा तथा बढ़िया स्तर के हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किये गये दिल्ली क्लब के साथ एक कार्यक्रम में भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह कहा था कि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा कार्यक्रम तीन महीनों के भीतर दोहराया नहीं जायेगा। फरवरी, 1982 और फरवरी 1983 के बीच किसी भी कार्यक्रम को सप्ताह के भीतर नहीं दोहराया गया था। तथापि, नवें एशियाई खेलों के विशेष कवरेजों को पिछले दस सप्ताहों के दौरान दोहरारा गया था जबकि चार अन्य कार्यक्रमों को एक महीने के भीतर और दो कार्यक्रमों को तीन महीने के भीतर दोहराया गया था। इन कार्यक्रम को विशिष्ट कार्यक्रम आवश्कताओं और दर्शकों की मांगो पर दोहराया गया था।

तेल ड्रिलिंग पोत

2756. श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तेल ड्रिलिंग के लिए कितने पोत हैं;

(ख) क्या और ड्रिलिंग पोत खरीदने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो कितनी लागत पर और किन देशों से; और

(घ) क्या निर्माताओं से ये पोत खरीदने के लिए आवश्यक ठेके कर लिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) । (क) वर्तमान में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग निम्नलिखित तीन ड्रिलिंग पोतों का संचालन कर रहा है :—

(1) सागर प्रभात

(2) सेडको-445

(3) गैटिस बर्म

जबकि सागर प्रभात तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व वाला ड्रिलिंग पोत है उपर्युक्त वर्णित अन्य दो चार्टर किराए पर हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दो ड्रिलिंग पोतों की खरीद के लिए योजना बनाई गई है । खरीदने की कार्यवाही अभी तक टेंडर स्थिति पर है और इसलिए उनकी लागत तथा उन देशों के नाम जिनसे उनको खरीदनने की संभावना है बताना सम्भव नहीं है । तथापि, यह प्रस्ताव है इन दो में से एक का निर्माण देश के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में बिजली संकट

2757. श्री एन० ई० होरो : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार,को इस बात की जानकारी है कि बिहार के अनेक भागों में अभी भी बिजली की भयंकर कमी है जिससे औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को बिहार औद्योगिक और तकनींकी परामर्शदात्री संगठन (बी० आई० टी० सी० ओ०) की कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) बिहार में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन की स्थिति अच्छी है । ताथपि उपलब्धता अब भी आवश्कता से काफी कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय कानून

2758. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय कानून के विचार को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से कानून बनाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर कौन-कौन से राज्य कानून बना चुके हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक ही राज्य में भी व्याप्त भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की वजह से केन्द्रीय कानून को एक समान रूप से लागू करने में विभिन्न कठिनाइयों के कारण।

(ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में कानून बनाने के लिए परामर्श दिया गया है।

(घ) केवल केरल सरकार ने 1974 में कृषि श्रमिकों के लिए कानून बनाया और अन्य राज्य इस मामले पर विचार कर रहें हैं।

गैस सिलेण्डरों का उत्पादन

2759. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गैस सिलेंडरों के उत्पादन में वृद्धि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस सिलेन्डरों के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने गैस के प्रत्येक उपभोक्ता को गैस सिलेन्डर देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान एल० पी० जी० सिलेन्डरों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(लाख)
1981-82	13,44
1982-83	लगभग 17,00 अनुमानित

(ग) और (घ) तेल उद्योग ने विद्यमान उपभोक्ताओं को जिनको एक अतिरिक्त सिलेन्डर चाहिए सप्लाई करने का निर्णय किया है। यह उन क्षेत्रों में जहां विभिन्न प्रकार की समस्यायों के कारण रिफिल की सप्लाई करने में अत्यधिक समय लग जाता है, प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

विधि आयोग के कर्मचारियों को दिया गया वेतन

2760. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1955 में गठित विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 1980 को समाप्त हो गया था तथा उसका 14 दिसम्बर, 1981 को पुनर्गठन किया गया था;

(ख) विधि आयोग के कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे तथा क्या उन्हें बिना काम के कार्यालय में बैठने का वेतन देना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) उस समय वहां काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या और पदनाम क्या थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विधि आयोग सर्वप्रथम 1955 में गठित किया गया था और तब से इसका एक समय में तीन वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता रहा है। पिछले आयोग की अवधि 31 अगस्त, 1980 को समाप्त हो जाने पर वर्तमान विधि आयोग 14 दिसम्बर, 1981 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है।

(ख) 31 अगस्त, 1980 से 14 दिसम्बर, 1981 तक की अन्तरिम अवधि के दौरान, विधि आयोग के सचिवालय में तत्कालीन अपर सचिव/सदस्य सचिव और कुल मिलाकर 47 कर्मचारी थे जो आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के अध्ययन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक तैयारी कार्य, जैसे सामग्री एकत्र करने और अनुसंधान करने में लगे हुए थे। अतः यह कहना सही नहीं है कि कर्मचारियों को कार्यालय में बिना कार्य बैठे रहने के लिए वेतन दिया गया।

(ग) 7,18,550.75 रु०

(घ) उक्त अवधि के दौरान विधि आयोग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और पदनाम निम्नलिखित हैं :

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अपर सचिव/सदस्य-सचिव	1
2.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4
3.	अनुभाग अधिकारी	1
4.	निजी सचिव	3
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I	1
6.	सहायक (के० स० आ० से०)	2
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	3
8.	अवर श्रेणी लिपिक	4
9.	वैयक्तिक सहायक	7
10.	आशुलिपिक समूह "घ"	1
11.	स्टाफ कार चालक	1
12.	दफ्तरी	1
13.	जमादार	5
14.	चपरासी	10
15.	फराश	2
16.	सफाईवाला	1
		योग : 47

दिल्ली टेलीफोन केन्द्र संख्या 20 तथा 21 में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

2761. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन केन्द्र संख्या 20 तथा 21 में 19 जनवरी, 1965 से 1 सितम्बर, 1982 की सूची के अनुसार 4705 टेलीफोन कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। शाहदरा एक्सचेंज (लेवल 21) में 19-1-65 से 4705 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। शाहदरा (लेवल 20) में आवेदकों की अलग प्रतीक्षा सूची है।

(ख) हाल ही में लक्ष्मी नगर (शाहदरा दक्षिण) में 1200 लाइनों वाला एक्सचेंज चालू किया गया है और 1983-84 तथा 1985-86 के दौरान क्रमशः 1,000 और 15,000 लाइनों की क्षमता वाले दो नये एक्सचेंज खोलने का कार्यक्रम है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को शामिल न करना

2762. **श्री बनवारी लाल :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1/74-संस्थापना (एस०सी०टी०) दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के अनुसार यह आवश्यक है कि विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को शामिल किया जाए और यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली विभागीय पदोन्नति समिति में, जिसकी बैठक 16-9-1982 को हुई थी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी अधिकारी को शामिल किया था;

(ख) यदि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को शामिल नहीं किया था तो आरक्षण नीति का कार्यान्वयन न करने के लिए सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय/श्रम मंत्रालय अनुसूचित जातियों/जनजातियों के एक अधिकारी को शामिल करना सम्भव था और यदि हां, तो क्षेत्रीय आयुक्त दिल्ली ने समिति में इस प्रकार का कोई अधिकारी किन कारणों से शामिल नहीं किया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पहले के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27(4)(iii)/70-ऐस्ट, (एस०सी०टी०) दिनांक 2-9-70 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(1)/74-ऐस्ट, (एस०सी०टी०) दिनांक 8-4-74 में समाविष्ट सरकार के अनुदेशों में यह उल्लिखित है कि जहां तक सम्भव हो विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली इससे पहले अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को, जो उनके कार्यालय में ही काम कर रहा था; सदस्य के रूप में विभागीय पदोन्नति समिति के साथ सहयोजित करते रहे थे। लेकिन जहां तक 16-9-82 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का सम्बन्ध है, उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को सहयोजित नहीं किया जा सका था, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो अधिकारी पहले उपलब्ध था, इस बीच उनका स्थानान्तरण हो

गया था और अनुसूचित जाति का तुल्य वरिष्ठता वाला कोई अन्य अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि यदि उनके कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी उपलब्ध न हो, तो भविष्य में वे किसी अन्य कार्यालय/विभाग के इस प्रकार के किसी अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में सदस्य के रूप में सहयोजित किया करें।

तमिलनाडु में ग्रेनाइट पत्थर एकत्र करने के क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी

2763. **श्री एन० डेनिस :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में ग्रेनाइट पत्थर एकत्र करने के क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी के प्रचलन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना तमिलनाडु सरकार से मांगी गई है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अतिरिक्त एल०पी०जी० सिलेन्डर जारी करना

2764. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने हाल ही में दिल्ली में वर्तमान एल०पी०जी० उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त सिलेन्डर जारी करना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता अपने अतिरिक्त सिलेन्डर प्राप्त करेंगे; और

(ग) उसमें कितनी लागत लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए विद्यमान उपभोक्ताओं को, जमानत राशि का वर्तमान स्तर 300 रुपये प्रति सिलेन्डर गैस का मूल्य और डबल बाटल कलेक्टर (जहां आवश्यक हो) के साथ कुल लागत लगभग 375 रु० से 450 रुपये तक पड़ेगी।

कोयले की मांग के लक्ष्य तथा निवेश का आकलन

2765. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्तर पर कोयले की मांग के लक्ष्य तथा निवेश का वस्तविक आकलन किया गया है तथा यदि हां, तो क्या कोयले की आयोजना में कोई बड़ा अन्तर पाया गया है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के 16.5 करोड़ टन के लक्ष्य में कोई कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की मांग और कोयला उत्पादन के लिए उपेक्षित निवेशों का निर्धारण वर्ष प्रति वर्ष आधार पर, वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय किया जाता है। इस वार्षिक पुनरीक्षण को देखते हुए आयोजन में कोई अन्तर हो सकने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्ष 1984-85 में कोयला उत्पादन के 165 मिलियन टन लक्ष्य की अभी तक काट-छांट नहीं की गई है यद्यपि वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि उस समय जो मांग हो सकने की सम्भावना है उसे पूरा करने के लिए 165 मि० टन से कुछ कम ही उत्पादन अपेक्षित होगा।

मधुबनी और दरभंगा जिलों में पी० सी० ओ० बी० ओ० आर० तार सुविधाएं

2766. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी और दरभंगा जिलों के कौन से प्रखंड मुख्यालयों में अभी तक पी० सी० ओ०, उप डाकघर और तार सुविधाएं नहीं हैं और क्या उन्हें ये सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है और कब तक;

(ख) क्या बिसफी प्रखंड के अन्तर्गत बरहा, सिवरी और बिसफी में बी० पी० ओ० का दर्जा बढ़ाए जाने, मधुबनी जिले के खजौली के अन्तर्गत मसकिया और उमागांव के अन्तर्गत मनोहरपुर में नए पी० सी० ओ० खोलने और दरभंगा जिले में जलेई में तारघर खोलने के लिए निरन्तर मांग रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) डाक :

(एक) मधुबनी जिले के बिसफी खंड मुख्यालय में उप डाकघर नहीं है बल्कि वहां एक शाखा डाकघर है। विभागीय मानकों के अनुसार बिसफी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता।

(दो) दरभंगा जिले के घनश्यामपुर खंड मुख्यालय में कोई डाकघर नहीं है। वहां एक उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा विभागीय मानकों के अनुसार सभी शर्तें पूरी होने पर ही डाकघर खोला जाएगा।

दूरसंचार :

मधुबनी तथा दरभंगा जिले के सभी खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तार सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) डाक :

पिछले वर्ष इन सभी मामलों की जांच की गई थी :

(एक) मधुबनी जिले के बरहा, सिवरी तथा बिसफी शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का औचित्य, विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यभार तथा आय की शर्तें पूरी न होने के कारण नहीं पाया गया।

(दो) खजौली ब्लाक के मास कला तथा उमागांव ब्लाक के मनोहरपुन में नए शाखा डाकघर खोलने का औचित्य, विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निकटतम डाकघर से दूरी की शर्त पूरी न होने के कारण नहीं पाया गया।

दूरसंचार :

दरभंगा जिले के जलई नामक स्थान पर फोनाकाम आधार पर तार सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और स्वदेशी माइनिंग एंड मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लि०

2767. श्री आर० एन० राकेश :

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 3 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 और 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार :

(एक) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और उनकी यूनिटों का राष्ट्रीयकरण करने या

(दो) छः टैक्सटाइल यूनिटों और दो चीनी मिलों का स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स की सभी परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों सहित अधिग्रहण करने और

(तीन) उक्त दोनों कम्पनियों के अधिकतर बोर्डों के निदेशक तुरन्त नियुक्त करने और धनराशि का अपव्यय रोकने और कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अन्तर्गत स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के लेखाओं को निरोक्षण पुस्तिका और रिकार्ड से सरकार के अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखकर मिलों को बन्द होने से रोकने, जिससे हजारों श्रमिक प्रभावित होते हैं, मैं सरकार क्यों हिचकिचा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (एक) और (दो) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 की धारा 18कक के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 13 अप्रैल, 1978 द्वारा मै० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की छः औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध को नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पहले ही पांच वर्षों की अवधि के लिए 'प्राधिकृत संस्था' के रूप में अधिग्रहीत कर लिया गया है। दो

कम्पनियों के एककों के राष्ट्रीयकरण या उनकी परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में किसी सुझाव पर तभी विचार किया जा सकता है, अगर परिस्थितियाँ इस औचित्य को प्रमाणित करें तथा यह भी सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों नामश: मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के मामले में वस्त्रोद्योग विभाग और मैं० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में खाद्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

(तीन) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 408 पर विचार करने का प्रश्न कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में, कम्पनी विधि बोर्ड की राय है कि तथ्य और परिस्थितियां, इस प्रकार की कार्यवाही के औचित्य प्रमाणित नहीं करती है।

मुकेश टेक्सटाइल्स मिल, बम्बई में आग

2768. श्री जगपाल सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की 102 वर्ष पुरानी मुकेश टेक्सटाइल मिल में भयानक आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि उस मिल का मालिक उक्त मिल को बेचकर एक पांच तारा होटल बनाना चाहता था;

(ग) उक्त मिल में आग लगने के कारण कितनी क्षति हुई;

(घ) अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त दुर्घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने कोई समिति गठित की है; यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं; और

(च) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 13 दिसम्बर, 1982 को मुकेश टेक्सटाइल मिल्स के विविंग शैड में आग लग गई। इस आग का, जो पूरे वीविंग शैड में फैल गई थी, पता सुबह 3.30 बजे लगा और इस पर सुबह 7.30 बजे काबू पाया गया।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मिल के मालिक का इरादा इस मिल को बेचकर पांच सितारा होटल बनाने का है।

(ग) इस आग के कारण सम्पत्ति और मशीनरी को अनुमानत: एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है कि ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित कारखाना अधिनियम के विनियमन सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन न हो। राज्य सरकार के अनुसार मुकेश मिल्स में आग दुर्घटना होने पर कारखाना अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं हुआ था।

(ङ) और (च) राज्य सरकार के आपराधिक जांच-पड़ताल विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

निर्वाचनों के समय वचन देने तथा अन्य सुविधाएं देने के विरुद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निदेश

2769. **श्री बी० वी० देसाई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में मंत्रियों तथा अन्य प्राधिकारियों से कहा था कि वे निर्वाचन पूरे होने तक मतदाताओं को सड़कों का निर्माण करने, पेय जल की व्यवस्था करने तथा ऐसे ही कुछ उपाय करने का वचन न दें;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इस बारे में राज्यों को विभिन्न निदेश जारी किए थे; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों को जहां हाल ही में ही निर्वाचन हुए थे, क्या निदेश जारी किए गत थे और निर्वाचन आयोग इस बात से कहां तक संतुष्ट है कि इस प्रकार के कोई वचन नहीं दिए गए ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों के मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट रूप से नहीं लिखा था। फिर भी, आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों/मुख्य निर्वाचन आफिसरों का ध्यान इस विषय पर आयोग के समेकित अनुदेशों और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता की ओर आकर्षित करते हुए, उन्हें लिखा था। आयोग द्वारा 1982 में जारी की गई आदर्श संहिता की, जो अतारांकित प्रश्न सं० 1613 के उत्तर में 1 मार्च, 1983 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी, मद VII (VI) में कहा गया है कि "मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, निर्वाचकों को सड़क निर्माण करने......... आदि का, जो मतदाताओं को सत्ताधारी दल के हित में प्रभावित कर सकते हैं, किसी प्रकार का विश्वास नहीं दिलाना चाहिए।" आयोग को इस संहिता के अतिक्रमण के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं और उसने यह मामला संबंधित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया।

"शिवकाशी वेयर चिल्ड्रन टायल" शीर्षक समाचार

2770. **डा० ए० यू० आजमी : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार "शिवकाशी वेयर चिल्ड्रन टायल" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि कारखानों अथवा खानों अथवा दुरुह रोजगारों में बच्चों से काम लेने और उनको रोजगार देने के मामले में संविधान के उपबन्धों का खुला और बेरोकटोक उल्घंन हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों के रोजगार को निषिद्ध एवं विनियमित करने तथा कारखानों में औपचारिक शिक्षा आरम्भ करने के लिए चालू सत्र में व्यापक विधान लाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) बालक नियोजन अधिनियम, 1939 के अधीन रोजगार का विनियमन (मुख्य पत्तनों और रेलों को छोडकर) राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तमिलनाडू सरकार ने सूचित किया है कि बालकों के रोजगार से संबंधित श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। खान अधिनियम, 1952 को खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू कराया जाता है जो अधिनियम के उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। जब कभी संविधान या श्रम कानूनों के उल्लंघनों का पता लगाता है, तब आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में बाल श्रमिकों के नियोजन को पूरी तरह समाप्त करने का यद्यपि अभी समय नहीं आया है, फिर भी, बालकों के नियोजन से सम्बन्धित वर्तमान श्रम कानूनों के उपबन्धों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक संशोधन किए जा सके। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए जाएं जहां कार्य करने वाले बाल श्रमिक अधिक संख्या में हैं।

बेरोजगार/अल्प रोजगार वालों की संख्या में वृद्धि

2771. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहरों तथा गांवों में पढ़े-लिखे और अनपढ़ बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और रोजगार कार्यालयों में कितने लोगों के नाम दर्ज हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या के समय संबंधी हाल की प्रवृतियां दिखाने वाले अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के आंकड़ो से संबंधित हैं। रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या 1981 के अन्त में 178.4 लाख से बढ़कर 1982 के अन्त में 197.5 लाख हो गई। शिक्षित नौकरी चाहने वालों की संख्या 1981 के अन्त में 90.2 लाख से बढकर जून 1982 के अन्त में 90.4 लाख हो गई।

1972-73 में आयोजित किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की संख्या में से 46.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थे।

नौकरी चाहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और श्रमिक बल में परिणामी वृद्धि अर्थव्यवस्था की अवशोषी क्षमता की तुलना में अधिक है।

कच्चे तेल का आयात

2772. डा० सुब्रह्मणयम स्वामी :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल की मांग इसके उत्पादन से अधिक होने के कारण इसका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष देशवार कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ईराक और सोवियत संघ के साथ भी बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो ये देश किन शर्तों पर कच्चा तेल देने के लिए सहमत हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अस्थायी अनुमानों के अनुसार वर्ष 1982 के दौरान आयात की गई अशोधित तेल की मात्रा देश-वार नीचे दी गई है :

देश	मात्रा (मिलियन मी० टन)
ईरान×	3.9
ईराक	3.4
साऊदीअरब	6.8
संयुक्त राज्य अमीरात×	1.3
सोवियत संघ	1.7
वेनुजुएला	0.2

× बम्बई हाई तथा नाइजेरिया के अशोधित तेल के स्वैप के माध्यम से प्राप्त किया गया अशोधित तेल सम्मिलित है।

(ग) जी, हां।

(घ) सामान्य रूप में, सोवियत संघ अशोधित तेल की सप्लाई की व्यवस्था ईरान अथवा ईराक से करता है और उसके द्वारा वसूल किए गए मूल्य विगत पद्धित के अनुसार प्रति बैरल पर 5 अमरीकी सेंट के सर्विस शुल्क सहित सम्बन्धित अशंधित तेलों के सरकारी विक्रय मूल्य होते हैं।

राज्यों के कृषि फार्मों के मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं

2773. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के कृषि फार्मों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं क्या हैं;

(ख) क्या कृषि फार्मों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश और अन्य दूसरे किस्म के अवकाश सहित सवैतनिक अवकाश दिए जाते हैं;

(ग) क्या कृषि फार्मों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को बोनस दिया जाता है; और

(घ) क्या खेतिहर मजदूरों को श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो खेतिहर मजदूर को किस श्रेणी में रखा गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम, भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के नियंत्रण में 12 केन्द्रीय राज्य फार्म हैं, इन फार्मों में नियोजित कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दरों पर भुगतान किया जाता है। उन्हें इस समय दी जा रही न्यूनतम मजदूरी दरें इस प्रकार हैं :—

फार्म और राज्य का नाम	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिदिन)
अरालाम (केरल)	9.20 रु०
बहारैच (उत्तर प्रदेश)	6.50 रु०
चेन्गाम (तमिलनाडु)	7.00 रु०
हिसार (हरियाणा)	14.00 रु०
रैचूर (कर्नाटक)	5.75 रु०
जेतसार (राजस्थान)	10.00 रु०

फार्म और राज्य का नाम	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिदिन)
कोकिलबारी (असम)	8.00 रु०
लाधोवाल (पंजाब)	14.00 रु०
मिजोरम	10.00 रु०
रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	7.00 रु०
सरदारगढ़ (राजस्थान)	10.00 रु०
सूरतगढ़ (राजस्थान)	10.00 रु०

इसके अतिरिक्त इन फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(क) रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।

(ख) निशुल्क आवास।

(ग) उन फार्मों में चिकित्सा सुविधाएं जहां डाक्टर तैनात किए गए हैं।

(घ) राज्य सरकार के नियमों के अनुसार साप्ताहिक विश्राम।

निगम ने नियमित श्रमिक अर्जित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश, बोनस आदि के भी हकदार हैं।

विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के भी कई कृषि फार्म हैं। इन फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी समेत नियुक्ति आदि की शर्तों का निर्धारण राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। इन शर्तों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के पद का नवीकरण

2774. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

श्री जुल्फिकार अली खान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री सीताराम जयपुरिया के लिए स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के पद का नवीकरण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है;

(ग) क्या कम्पनी के शेयरधारियों ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रबन्ध निदेशक के पद का नवीकरण करने के उक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 269(3) और 267 का उल्लंघन किए जाने पर विचार किया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) प्रस्ताव परिक्षान्तर्गत है।

(ग) दिनांक 30-10-82 के संकल्प द्वारा निदेशक मण्डल ने नियुक्ति को, केन्द्रीय सरकार तथा साधारण बैठक में कम्पनी द्वारा अनुमोदन तथा आशोधनों के अधीन अनुमोदित किया। यह मान्य है कि वार्षिक साधारण बैठक 10-3-1983 के लिए अनुसूचित थी। यह जानकारी नहीं है कि वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया था, अथवा किन्हीं आशोधनों की राय व्यक्त की गई थी।

(घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 267 तथा 269(3) के उपबन्ध, प्रस्ताव की परीक्षा करते समय ध्यान में रक्खे जाएंगे।

टेलीफोन आप्रेटरों के प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पृथक् प्रतीक्षा-सूची

2775. श्री आर० एन० राकेश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, नई दिल्ली की मांग पर सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में टेलीफोन आप्रेटरों के लिए गैर विभागीय प्रशिक्षण का प्रशिक्षण-शुल्क कम कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रारम्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ उम्मीदवारों ने पृथक् प्रतीक्षा सूची पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था तथा बाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को सामान्य प्रतीक्षा सूची पर रख दिया गया, जिससे "एशियाड" के अवसर पर टेलीफोन आप्रेटरों के पदों के लिए हाल के प्रशिक्षित उम्मीदवार रोजगार से वंचित रह गए; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पृथक् प्रतीक्षा सूची न रखने के क्या कारण हैं, जब कि उसने अपना जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। टेलीफोन आपरेटरों के लिए गैर विभागीय प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए सामान्य से 25 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं। (डाक-तार निदेशालय के तारीख 31-12-81 के कार्यालय आदेश सं० 17-1/81-प्रशिक्षण के अनुसार)।

(ख) जी, नहीं। गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को अलग प्रतीक्षा सूची तैयार करने के बारे में कोई अनुदेश नहीं है। एशियाड के अवसर पर की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटरों पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त 'ख" को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेकार गए कार्य दिवस और उत्पादन और राजस्व की हानि

2776. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान कितने कार्य दिवस बेकार गए और उसके परिणामस्वरूप कितने मूल्य की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सका; और

(ख) इससे कितने राजस्व की हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) नष्ट हुए श्रम दिनों के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं। वर्ष 1982 के दौरान, श्रम ब्यूरो में 18-2-1983 तक प्राप्त सूचना के आधार पर, हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की अनुमानित कुल संख्या 433.8 लाख है। ये आंकड़े बम्बई में सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करते, जो दिसम्बर, 1982 के अन्त तक अनुमानतः 620.7 लाख थी। वर्ष 1982 के दौरान अनुमानतः 174.69 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की हानि हुई। बम्बई में सूती कपड़ा मिल की हड़ताल के कारण (14-10-1982 तक) अनुमानतः 750 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हुई। राजस्व में हानि से सम्बन्धित सूचना का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

30 सितम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार रोजगार की इच्छुक महिलाओं की प्रतिशतता

2777. **श्री ब्रज मोहन मोहन्ती :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1982 के अन्त में रोजगार कार्यालयों की सक्रिय पंजिकाओं में रोजगार के इच्छुक कुल व्यक्तियों में महिलाओं की प्रतिशतता कितनी थी; और रोजगार के इच्छुक कुल व्यक्तियों का राज्य तथा संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि चौथी योजना के प्रारम्भ से रोजगार कार्यालयों की सक्रिय पंजिकाओं में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और अधिसूचित रिक्तियों का मासिक औसत तथा संगठित क्षेत्र में मासिक नियुक्तियों की संख्या निरन्तर घट रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) छठी योजना के प्रारम्भ से लेकर जहां रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहां अधिसूचित की गई औसत मासिक रिक्तियों

और औसत मासिक नियुक्तियों में समनुरूप गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		30-9-1982 को चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या (लाखों में)	जोड़ में शामिल नौकरी चाहने वाली महिलाएं (लाखों में)	जोड़ की तुलना नौकरी चाहने वाली महिलाओं की प्रतिशतता (कालम 3 से 2)
1		2	3	4
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.68	2.24	13.4
2.	असम	3.82	0.47	12.3
3.	बिहार	24.73	0.85	3.4
4.	गुजरात	5.88	0.84	14.3
5.	हरियाणा	4.28	0.55	12.9
6.	हिमाचल प्रदेश	1.67	0.23	13.8
7.	जम्मू व काश्मीर	0.60	0.08	13.3
8.	कर्नाटक	6.74	1.26	18.7
9.	केरल	20.08	8.50	42.3
10.	मध्य प्रदेश	9.22	0.90	9.8
11.	महाराष्ट्र	15.16	1.80	11.9
12.	मणिपुर	1.43	0.25	17.5
13.	मेघालय	0.10	0.02	20.0
14.	नागालैण्ड	0.10	0.02	20.0
15.	उड़ीसा	4.71	0.26	5.5
16.	पंजाब	5.02	0.94	18.7

1	2	3	4
17. राजस्थान	4.02	0.32	8.0
18. सिक्किम*			
19. तमिलनाडु	13.74	3.31	24.1
20. त्रिपुरा	0.78	0.26	33.3
21. उत्तर प्रदेश	15.88	0.92	5.8
22. पश्चिम बंगाल	32.41	5.36	16.5
संघ शासित क्षेत्र			
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.02	16.7
2. अरुणाचल प्रदेश*			
3. चण्डीगढ़	0.74	0.14	18.9
4. दादर व नागर हवेली*			
5. दिल्ली	3.22	0.82	25.5
6. गोवा	0.33	0.09	27.3
7. लक्षद्वीप	0.05	0.01	20.0
8. मिजोरम	0.15	0.04	26.7
9. पाण्डिचेरी	0.44	0.08	18.2
अखिल भारत योग	192.11	30.57	15.9

नोट : 1. *इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।

2. यह आवश्यक नहीं कि सभी नौकरी चाहने वाले बेरोजगार हों।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आंकड़ों का जोड़ अखिल भारत जोड़ के साथ पूरा-पूरा मेल न खाए।

नाथपा झाकरी परियोजना

2778. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकरी परियोजना का कार्य किस चरण पर चल रहा है;

(ख) क्या इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन और खर्चे की संस्वीकृति जारी नहीं की गई है क्योंकि परियोजना के वित्त पोषण से सम्बन्धित प्रश्न और अन्य सम्बद्ध पहलुओं का समाधान किया जाना है।

दण्डकारण्य विकास परियोजना की योजनाओं में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई योजनाएं

2779. **श्री हरिहर सोरन :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य विकास परियोजना योजनाओं में निष्पादित की जा रही सिंचाई योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) वहां पर उन चालू बांध परियोजनाओं तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जाएगी; और

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर): (क) से (घ) दण्डकारण्य परियोजना की इस समय उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भागों में दो मुख्य सिंचाई योजनाएं और 9 लघु सिंचाई योजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे निम्न हैं :—

	योजना का नाम	पूर्ण होने के संभावित वर्ष	सिंचाई के लिए लिए कुल संभावित क्षेत्र	की गई प्रगति
	1	2	3	4
उड़ीसा भाग (मलकानगिरि जोन)				
1.	सतीगुड़ा बांध परियोजना	1983-84	9.065 हेक्टेयर	मुख्य कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य नहरों तथा उपनहरों का कार्य पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में है। 60% से अधिक जलमार्ग भी पूरे कर लिए गए हैं।

1		2	3	4
2.	पोटेरू सिंचाई परियोजना	1985-86	61.034 हेक्टेयर	मुख्य कार्य पूर्ण हो गया है। नहरों तथा उपनहरों का लगभग 70% कार्य पूर्ण हो गया है।

मध्य प्रदेश भाग (परलकोट जोन)

निम्न 9 लघु सिंचाई योजनाएं—कुल 1555 हेक्टेयर

1.	हनकर	मार्च, 1983	प्रगति पर
2.	पी०वी० 113		
3.	पी०वी० 77		
4.	नांगलि डांड		
5.	पी०वी० 42	जून, 1983	प्रगति पर
6.	पी०वी० 89		
7.	पी०वी० 36	और मार्च, 1985	निष्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में
8.	पी०वी० 103		
9.	पी०वी० 133		

———

12-00

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी ओर ध्यान दें, और मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने जवाब दे दिया है यह आपने अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आपसे मुझे एक उम्मीद है।

मैंने पहले भी यह मामला उठाने दिया है आपको यह मामला अनावश्यक रूप से नहीं उठाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बताना चाहता हूं ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब बताने का तो कोई प्रश्न नहीं है। मुझे पहले तथ्य देखने पड़ते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला सदन में एक तम्बाकू कम्पनी के कर वंचन के बारे में उठाया गया था और वे यह कहते हैं कि हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मैंने यह दिखाने के लिए कि उन्होंने हस्तक्षेप किया है, एक गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत किया है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह दस्तावेज देखा है। (व्यवधान) मुझे, कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैंने कोई गलत काम किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप गलत काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही यह मामला उठाने दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इस बात का क्या पता ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की सूचना आपको पहले दे चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

आप केवल यह कह रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें यह विलम्ब क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें विलम्ब की तो बात ही नहीं है। मैं कोई बिजली का करंट तो हूं नहीं जिसका एक दम पता चल जाता है। मुझे तथ्य प्राप्त करने होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय बिजली के करंट से भी अधिक तेज है। आप अधिक सक्रिय हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हमेशा आपकी मदद करना चाहता हूँ। परन्तु आप इस मामले को उठाने का अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि कहीं पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो सरकार की पोल खोलना संसदीय का काम है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने कब रोका है आपको ऐसा नहीं है। मैंने फौरन एक्शन लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सदन को बतायें कि मामला क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी मामले की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपको उन्हें मामला उठाने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह तरीका नहीं हैं। मुझे आपसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कभी भी यह परम्परा नहीं रही है। जब कभी भी कोई विशेषाधिकार का मामला उठाना है कृपया उसे बोलने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसी परम्परा का पालन करते आ रहे हैं। मैं इस मामले में टस से मस होने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको सब पता है। मुझे तो नियमों के अनुसार चलना पड़ता हैं ऐसा करना पड़ता है जिसे में नियमों के अधीन ठीक समझता हूं)

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तो इस बारे में प्रक्रिया जानना चाहता हूं। मैंने वित्त मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है और आपको मुझे सदन को यह बताने की अवश्य अनुमति देनी चाहिए कि वह मामला क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह तरीका नहीं है मुझे नियमों के अनुसार चलना पड़ता है और आपको भी नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। यह बात तो बिल्कुल सरल है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सदन को यह जानने का हक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। तब तक नहीं जब तक में संतुष्ट न हो जाऊं।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसे दो मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति नहीं देता......

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपने विशेषाधिकार के बारे में कुछ कहा हैं। परन्तु मैंने मांग की है कि मुझे सभा पटल पर एक गोपनीय पत्र रखने की अनुमति दी जाए जिससे यह पता चला हैं कि जांच में रुकावट डाली गई थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं तो इस बात से संतुष्ट हो जाऊं। मैं इस बात की जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

प्रो० मधु दण्डवते : दूसरे भाग के बारे में क्या हुआ ?

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे भी देखूंगा। जो कुछ भी सभा पटल पर रखा जाना होता है। उसके बारे में पहले मुझे स्वयं संतुष्ट होना होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसमें कुछ समय लेंगे और यह कह देंगे कि आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे। और सदन को भ्रष्टाचार और कदाचार का पता ही नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात को दबाना नहीं चाहता। मैं क्यों दबाऊं? सम्बद्ध व्यक्ति को भुगतना मैं क्यों भोगूं। मुझे तो नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। आप व्यर्थ ही...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से बात कर सकते हैं। में आपका सुझाव सुनने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : दस दिन बाद आप कहेंगे कि इस मामले की अनुमति नहीं दी जाती और सदन को इस मामले की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पांच बजे हमें दिया, हमने उसी वक्त एक्शन ले लिया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कम से कम बतला दीजिए, क्या मामला है?

प्रो० मधुदंडवते : क्या परन्तु, क्या सदन को मामले के बारे में जानने का हक नहीं है?

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत ही गम्भीर मामला है?

अध्यक्ष महोदय : जब समय आयेगा मैं सदन को बता दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। जब तक मैं सन्तुष्ट नहीं होता मैं अनुमति नहीं दूंगा...

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)*

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : बिहार में किसानों को गन्ने का मूल्य ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी पहले अनुमति दे चुका हूं। मेरी बात सुन लीजिए। वक्त जाया करना है तो आपकी इच्छा है। मैंने इस पर कालिंग अटेन्शन दिया; नियम-377 के अन्तर्गत अलाऊ किया, फिर अलाऊ कर रहा हूं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सदस्य की बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही की जायेगी ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरीके से वक्त जाया करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है । मैंने वह डिस्कस करवाया है, लेकिन यह गलत बात है । मैंने कर दिया, जो करना था ।

मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में मत शामिल न करें । यह अनुत्तरदायी पूर्ण है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) इस पर आप क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया जो कुछ करना था । मैंने पहले ही लिख दिया है । मैं पहले ही इस मामले को उठा चुका हूं । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । इससे मेरा संबंध नहीं है । ग्रह मंत्रालय की मांगें आ रहीं है । आप इसका तब उल्लेख कर सकते हैं । इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री हरिकेश बहादुर : यह तो बहुत गोलमाल है ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । यह असंगत है ।

श्री ए० नीलालोहिथा नाडार (त्रिवेन्द्रम) : केरल के लोग भूख से मर रहे हैं वहां चावल नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विचाराधीन है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और मैसर्ज बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड की वर्ष 1981-82 की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6033/83]

मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1983

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 91(अ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6034/83]

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6035/83]

लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपस्कर (संशोधन) नियम, 1982

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1010 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6036/83]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : मैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री बी० एन० गाडगिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1983, जो 16 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 86(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1983, जो 26 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 175 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र, जो 5 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 200 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6037/83]

बौंगई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बौंगई गांव का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बौंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बौंगईगांव, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बौंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बौंगईगांव, का वर्ष 1880-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6038/83]

पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, और केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर, वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावर इन्जीनिर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6039/83]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शोर न करें। अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए० के० बालन (ओट्टा पालन) : आप सुनते क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपने स्थान पर बैठें। मैंने आपसे बैठने को कहा है। आप क्या कर रहे हैं ? मैंने आपको यह कहा है कि केरल को चावल की सप्लाई का मामला मेरे विचाराधीन है। मैं इस पर बहस की अनुमति दूंगा। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शोर न करें। यह बहुत बुरी आदत है। इससे अनावश्यक रूप से अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं यह कह रहा हूं कि यह मामला मेरे विचाराधीन है, तब आप मुझसे इससे अधिक क्या चाहते हैं ?

श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : किस रूप में ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आपसे अपने ग्रुप के नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। क्या व्यवहार का यही तरीका है ? इस सदन की कार्यवाहियों का संचालन करने का यही तरीका है ? मैं कहता हूं कि यह मामला मेरे विचाराधीन है तथा मैं आश्वासन देता हूं कि इस पर विचार होगा। मैं एक दिन में यह सब काम नहीं कर सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में पानी का अभाव है...

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं क्या करूं ? यह देखने का काम राज्य सरकार का है न कि केन्द्र सरकार का। यह राज्य सरकार का विषय है। मैंने इसे कई बार स्पष्ट किया है। अब श्री गंगवार खड़े हो रहे हैं। मैं उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि हर विषय को उसकी स्थिति के अनुरूप प्राथमिकता मिलती है।

श्री हरिकेश बहादुर : पीने का पानी न मिलना बहुत गम्भीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या करने को कहते हैं ? हम एक दिन में कुछ नहीं कर सकते । ठीक है, यदि सदन की इच्छा है तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता हूं तथा आप लोगों के सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेता हूं, क्या ऐसा किया जा सकता है ? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ? क्या आपको इस तरह व्यवहार करना चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, हम लोगों की बात भी सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात तो मैं जरूर सुनता हूं, लेकिन कोई सुनने ही नहीं देता ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी बात आपसे ही सम्बन्धित है । पानी नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं, मैं करवा दूंगा । इस तरह से कोई फायदा थोड़े ही होता है ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : बिना नहाये-धोये कैसे कोई आदमी रह सकता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जितने अपके सबजैक्ट्स हैं मैं सबको बारी-बारी ले रहा हूं, सबको करवा रहा हूं, लेकिन आप रोज अगर इस तरह से कहेंगे तो फायदा क्या होगा ? आप मुझसे क्या करवाएंगे ?

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब से कहिए कि इस पर ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं डिस्कशन करवा सकता हूं, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे ज्यादा चिन्ता मुझे है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सरकार को चिन्ता नहीं है । हमारे यहां लोगों की नीलामी और कुड़की हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : फायदा क्या है इस तरह से करने का ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जो यहां इस तरह करते हैं, बाहर के लोग इसके लिए क्या कहते हैं ? हमें अब क्या करना चाहिए, कैसे गाड़ी चलेगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बता दीजिए, आपके इस तरह दंगा-फसाद करने से, शोर करने से, हाउस की प्रोसीडिंग्ज न चलने देने से आपका कोई भला होता हो तो कर लें, मैं चुप बैठा हूं, आप अपनी मर्जी करें मैं चुप हूं। इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे जो बस में था, वह मैंने कर दिया।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, क्या आप नियमों में संशोधन करेंगे तथा हमें एक निजी माइक्रोफोन प्राप्त करने की अनुमति तथा हमें अपनी शिकायतें यहां रखने का अवसर देंगे ? मैंने मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य नीति—जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीति जैसी है—पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। इससे कई लोगों की घर-गृहस्थी अस्त-व्यस्त हो गई है, लाखों महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, बड़ी परेशानी में पड़ गई हैं···(व्यवधान) वस्तुतः वर्तमान नीति से किसी का भी भला नहीं हुआ है। इसलिए, इस नीति की समीक्षा तथा संशोधन किया जाना चाहिए। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहे हैं। मैं आप पर आक्षेप नहीं लगा रही हूं। जब तक आप यह अवसर नहीं देंगे कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात एक कान से सुनूं या दोनों से ? महोदया, आप इस मुद्दे पर जोर न दें, क्योंकि यह विषय पहले ही मेरे विचाराधीन है। मैं इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने की सोच रहा था, हमें इस पर विचार करने में कोई रुकावट पड़ने वाली नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें यहां किसी भी विषय पर विचार करने से कोई रोक नहीं सकता। पर मेरे सामने यही परेशानी है कि मुझे एक दिन का समय मिला है तथा मैं एक दिन में सभी विषयों पर चर्चा नहीं करवा सकता। मुझे ये विषय एक-एक करके लेने होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हमें सदन में किसी भी विषय पर चर्चा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यही कह सकता हूं, आप इसको मेरी जिम्मेदारी समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें समय की सीमा है। विषयों-को हमें एक-एक करके लेना होता है।

अब, हमारे केरल के सदस्य मित्र चावल पर चर्चा करना चाहते हैं। आप मिट्टी के तेल पर; कुछ सदस्य चीनी आदि पर। इन सब विषयों पर एक एक करके ही चर्चा की जा सकती है। मेरी मजबूरी या कमी यही है कि मैं इन्हें एक-एक करके ही ले सकता हूं। ऐसा कोई विषय नहीं है, मैं जिस पर यहां चर्चा नहीं करवाना चाहता। यदि वे यहां सभी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, यदि आप चाहें तो इस पर पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं···(व्यवधान) सभी नेतागण यहां बैठे हुए हैं। मैंने उनके बाद अपनी मजबूरी रखी है। मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक दिन में एक ही विषय ले सकता हूं।

यह निर्णय किया गया है कि आज केवल आम बजट पर चर्चा की जाएगी। इसलिए मैं कल व आने वाले दिनों में एक-एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दे सकता हूं। इस तरह

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तीन-चार दिन में तीन-चार विषयों को लिया जा सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि इस पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और सदन में शोर मचाना चाहते हैं तो वे ऐसा करते रहें और जो मन आए कहते रहें···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान(हाजीपुर) : आपने पिछले सप्ताह कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में कालिंग अटेंशन लेने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह भी बताया था कि हमने सलाह की थी इसलिए नहीं लिया वरना कोई एतराज नहीं है। मैं कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श के अनुसार कार्रवाई कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समिति के कार्य करने को बाध्य हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपके कहने के बाबजूद एम० पी० फ्लैट्स में पानी नहीं मिलता है। इसका कोई रास्ता निकलेगा या हम अपने-अपने घर चले जाएं?

अध्यक्ष महोदय : मद्रास चले जाइए।

····(व्यवधान)····

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपके जुरिस डिक्शन की बात है।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं कह देता हूं, मिनिस्टर महोदय उनको पानी नहीं मिल रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सवाल कई सत्रों से उठ रहा है। आपने उस समय के मंत्री को आदेश दिया था।

···(व्यवधान)···

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : महोदय, मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं। हर एक यह महसूस कर रहा है कि किसानों को भुगतान किया जाना चाहिए। आप सदन की भावना को समझ गए हैं। मैंने इसी विषय पर कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसानों को भुगतान करने सम्बन्धी हमारी भावना को सरकार तक पहुंचायें। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप वाली कोई बात नहीं है। किसानों को परेशान किया जा रहा है। उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए, क्या सरकार अपनी नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी कर सकती है? मैंने यह करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कि दो मिलें एक साथ चल रही हैं। एक राज्य सरकार द्वारा संचालित है, दूसरी केन्द्र सरकार द्वारा। किसान गन्ना उगाते हैं। केन्द्र सरकार उन्हें 17.50 रु० देती है, राज्य सरकार 20 रु०।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने मुझे रोक दिया। मेरी भी यही बात थी।

अध्यक्ष महोदय : आपके पहले आ चुका था।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, वे भी यही बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया था। सारा रिकार्ड पर आ गया था जो मैंने कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मसले में पैसा दिलाने के लिए कौन-सा आदमी इस हाउस में है, जो नहीं चाहता है कि गरीब किसान जिसने काम किया है, उसको पैसा न मिले।

एक माननीय सदस्य : सरकार नहीं चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : फिजूल की बात।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : क्या करते हैं।

...(व्यवधान)....

श्री हरीश कुमार गंगवार : कुर्की हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ी सहानुभूति तो रखें। किसी की बात सुन तो लिया करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कहिए, आप। बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अर्ज किया था। उनकी बात और आपकी बात, इसलिए मैंने अर्ज किया था सबकी बात है। इसलिए तीन दफा डिसक्शन करवाया है। चौथी दफा करवाने के लिए तैयार हूं। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक करवाने के लिए तैयार हूं। मेरा, आपका, सबका धर्म है। आप सब नुमाइन्दे हैं, किसानों के। उसकी खून-पसीने की कमाई है। उसको पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए इनको बाध्य करेंगे। इन्होंने भी मेरा ख्याल है बात की है। डिसक्शन से हो सकता है। हो सकता है इनकी भी कुछ मजबूरी हो।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मजबूरी बता दें, हमारी समझ में आ जाएगा। वह भी बता दें कि इसलिए नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह भी बताएंगे। हम इनको कह सकते हैं। मेरे जो बस में हैं, मैं हर वक्त करवाने के लिए तैयार बैठा हूं। देखिए, 70 प्रतिशत जनता के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये भी करेंगे, आप भी करेंगे। मेरे पास कोई आदमी नहीं आया, न पक्ष से और न विपक्ष से, जिसने यह न कहा हो कि यह काम न करवायें। मैं पहले ही करवा रहा हूं। इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बैठा हूं तैयार, करवाने के लिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : सैंकड़ों हजारों आदमी आते हैं कि कुर्की हो गई है। यह बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि मैं पहले ही तैयार हूं। आप बिना वजह इतना करते हैं। उससे आपका नुकसान होता है। मेरा नुकसान नहीं होता है। आप इतना वक्त अच्छा-अच्छा बोलकर, बजट पर बोलते, कुछ और बातें करते।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मंत्री जी से कहलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहलवा सकता हूं। मजबूरी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मजबूरी है, तो वह भी बता दीजिए। हमें क्या ऐतराज है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : महोदय, मुझे खुशी है कि आपने केरल में उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता को समझा है। आपने चर्चा करने का वायदा किया है। इस पर चर्चा कब होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहा हूं। मुझे आपको यह भी नहीं बताना चाहिए था। मैं जानता हूं कि किन-किन विषयों पर चर्चा होनी है। इसलिए उन्हें एक-एक करके रखा जाएगा।

श्री ए० नीला लोहिथा दसन नाडार : महोदय, यह अविलम्बनीय मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार आप इसे नहीं समझते हैं। मैं इसका महत्व समझता हूं। प्रश्न समय का है। अब इन विषयों में से आप स्वयं ही यह निर्णय करते हैं कि यह मिट्टी के तेल के बारे में है यह डीजल के बारे में है इत्यादि। मुझे इनमें से एक विषय लेना है। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा, यह मेरा वादा है। मैं सदन में किसी भी चर्चा पर कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाता।

अब श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत बोलेंगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, नहीं हुआ, यहां सत्याग्रह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो सोचना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं। कुछ तो सोचना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कोई गाली नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए। चलने दीजिए। इसको अगर यहां बन्द करेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। बैठ जाइए। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो कुछ आप सोच रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : सोचने से क्या होता है। तीन बार डिसक्शन हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। वे भी नुमाइन्दे हैं और आप भी नुमाइन्दे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मेरे दिल में दर्द है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, गंगवार जी, बहुत हो गया है। अति सर्वत्र वर्जेत—अति नहीं किया करते हैं किसी बात की।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अति मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यह अति नहीं है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप व्यक्तिगत रूप से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहे हैं या आम चर्चा के आधार पर ?

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि सप्ताह में केवल एक दिन चर्चा होती है। यह नियम 184 या नियम 193 के अन्तर्गत निश्चित है। इसलिए मैं एक-एक करके ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : शान्ति से बात करने वालों को आप नहीं सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर कह दीजिए, कौन रोकता है आपको।

(व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, आप शान्ति रखने वाले को मौका नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत शान्ति से प्रतीक्षा कर रहा था···

अध्यक्ष महोदय : आप आकर बात कर लीजिए, जटिया जी, आपको कौन रोकता है, किसने रोका है। अगर कोई व्यवधान है तो आप मेरे पास आकर मुझे बतला दीजिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से निवेदन करना चाहता था, परन्तु आप ध्यान-मग्न हो गए थे, इसलिए मुझे चिन्ता हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाधिस्थ हो गया था।

श्री सत्य नारायण जटिया : समाधिस्थ होने से कैसे काम चलेगा, अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जैन-साध्वियों को आतंकित करने वाली कार्यवाही की गई है। यह बहुत चिन्ता का कारण है···

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझे बतला दीजिए, उसका कोई समाधान निकालेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आधा मिनट का समय लूंगा—उत्तर प्रदेश में बिजली का····

अध्यक्ष महोदय : बिजली पर मैंने तीन-तीन काल-एटेन्शन करवाए हैं, शार्टेज पर करवाये हैं···

श्री जयपाल सिंह कश्यप : किसानों को क्रेशर चलाने हैं, पानी की जरूरत है···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता रहा हूं। आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया, यह बहुत दुःखद, था अब आप मुझे इस पर बोलने दीजिए, यह मत कहिए कि 'अनुमति नहीं' है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कानून व व्यवस्था की क्या स्थिति है? मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है, आज अखबारों में दिल्ली में बम विस्फोट की खबर छपी है,।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा मेरे विचाधीन है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप सरकार से पूछिये ? दिल्ली में कानून व व्यवस्था की क्या हालत है ?

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड आ रही है, उसमें इसको लिया जा सकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह गंभीर मामला है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। यह क्या हो रहा है ? बम विस्फोट ! सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ... (व्यवधान) यह गंभीर मामला है । कम से कम आप तो सहयोग दीजिए, हालत क्या हो गयी है ? यदि राजधानी में ऐसा होता है तो देश के अन्य भागों का क्या हाल होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक अध्यापक हैं, यदि आप जैसे लोग ऐसा व्यवहार बर्ताव करेंगे तो....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने इसलिए आज बहुत अच्छा बर्ताव किया है । मैं चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था और जब मैंने आपको बिल्कुल शांत देखा तो मैंने यह प्रश्न उठाया ।

अध्ययक्ष महोदय : हम सभी विषयों पर बारी-बारी से विचार करेंगे ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) कोटा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्कता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : यह सच है कि राजस्थान का कोटा शहर माइक्रोवेव चैनल जो दिल्ली से बोम्बे की है उस के बीच में स्थित है जहां माइक्रोवेव टावर पर 100 वाट क्षमता के ऐन्टेना लगाकर दूरदर्शन केन्द्र कोटा में स्थापित किया जा सकता है । इस टावर लगाने का खर्चा भी मात्र 2 लाख रुपया ही है । ऐसा अनुमान है मकान वगैहर सब बनाने के केवल 5 लाख रुपये का खर्चा है । इसके लगने से कोटा तथा उसके आसपास के 50 किलोमीटर में स्थित रावतभाटा, रामगंज मंडी, बारां, कैसोरामपाल, लाखेरी, की परधि के 300 से 400 गांवों तथा कस्बों के 5 या 6 लाख से अधिक आबादी के व्यक्ति टेलीवीजन देख सकेंगे । एशियाड के समय माइक्रोवेव टावर से कई शहरों को जोड़ा गया तथा कोटा जैसे राजस्थान के औद्योगिक नगर की उपेक्षा दु.ख का विषय रही । अत: भारत सरकार इस ओर ध्यान दे ।

राजस्थान के दक्षिणी भाग के व्यक्ति भी इस परिधि में आयें अत: इन्सेट 1 बी के समय चित्तोड़गढ़, भीलवाडा उदयपुर को इस परिधि में लिया जा सकता है । चित्तोड़गढ़ इन दोनों बड़े नगरों के बीच में है । उस की पहाड़ियों पर माइक्रोवेव टावर लगाकर इस क्षेत्र की जनता को भी

टेलीवीजन देखने को मिल सकता है। अतः सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी।

12.28

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

(दो) केरल के किसानों के लाभार्थ काजू के लिए विदेशों में बाजार उपलब्ध कराने की मांग

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेली कारा) : महोदय केरल के काजू उद्योग में, काजू का स्टाक जमा होने व उसके कारण कीमतों में कमी होने से गंभीर संकट आ पड़ा है। काजू के कारखाने बंद होने से हजारों कामगार तथा उनके परिवार भूखों मर रहे हैं।

यह आकस्मिक संकट सोवियत संघ द्वारा दूसरी खरीद न करने के परिणामस्वरूप पैदा हुआ है। पिछले वर्ष सोवियत संघ ने, निर्यात किए गए कुल 29,449 टन काजू में से लगभग 21,183 टन काजू खरीदा था। यह उद्योग इस वर्ष भी सोवियत संघ द्वारा इतनी ही खरीद किए जाने की आशा कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के अन्य आयातक देशों ने कुछ समय से काफी मात्रा में आयात करना बंद कर दिया है। फिर, अन्य देशों की इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा के कारण हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अलग पड़ गए हैं।

उक्त स्थित के कारण परिष्कृत तथा कच्चे काजू की कीमत में भारी कमी हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिष्कृत काजू की कीमत 260 सेंट प्रति पौंड से घट कर 180 सेंट प्रति पौंड हो गई है, केरल में कच्चे काजू का न्यूनतम मूल्य जो कि पिछले वर्ष 8 रु० प्रति कि० ग्रा० था, 4 रु० प्रति कि० ग्रा० निश्चित करना पड़ा। इससे काजू उत्पादकों में बड़ा असंतोष फैला है।

इसलिए मेरा प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वह कामगारों तथा उनके परिवारों को भूखों मरने से बचाने तथा विदेशी मुद्रा कमाने वाले इस उद्योग को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए, सोवियत संघ को अविलंब काजू की खरीद के लिए राजी करें।

(तीन) पत्रकारों पर हमले

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न पत्रकारों पर हो रहे हमले गंभीर चिंता के विषय हैं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र के आधार को जहां पुष्ट करती है वहीं सामान्य जन के हितों की रक्षा भी करती है किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के अनेक राज्यों में पत्रकार असुरक्षित हो गए हैं जिससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार भी खतरे में पड़ गया है। अभी कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रायः पत्रकारों पर हमले होते हैं जिनमें

पुलिस के कुछ कर्मचारियों के भी हाथ होने की आशंका व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए बस्ती जिले की महुली थाने में एक पत्रकार पर हुआ आक्रमण और देवरिया जिले में एक पत्रकार की हत्या। इस प्रकार सरकारी तंत्र पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण असफल है। मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि इन घटनाओं की सी० बी० आई० द्वारा जांच करायें और सम्पूर्ण देश में पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं ताकि अपराधियों को पकड़ा और दंडित किया जा सके।

(चार) गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयां

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उत्तर बिहार की कई चीनी मिलों में ईख की पेराई बहुत बाद में आरम्भ हुई है। समस्तीपुर, लोह्ट, सकड़ो आदि मिलों ने भी पिराई बहुत देर से आरम्भ किया है। उस पर तुर्रा यह है कि कि मशीनों के आधुनिकरण के अभाव में कई मिलें हफते में कई दिन खराब हो जाने के कारण मरम्मत के लिए बन्द कर दी जाती हैं। परिणाम-स्वरूप गाड़ी पर लदा ईख तौल की प्रतीक्षा में कई दिन तक खड़ा सूखता रहता है। ईख तो सूखता ही है, गाड़ी के बैल तथा गाड़ीवान भी परेशान रहते हैं। तौल-काटे पर ईख चबाने वालों से भी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं रहता। मिलों की देर से पिराई शुरू करने और बीमार मशीनों के कारण खेत में गन्ने सूख रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस वर्ष खड़ी फसल को खेत में ही जलाने के लिए किसानों को बाध्य होना पड़े। फसल को सूखते देख किसान मिलों को ईख देने की पुर्जी पाने के लिए अलग से परेशान रहता है। उसे मुसीबत में देखकर पुर्जी बनाने वाले अधिकारी अपनी मन-मानी कर किसानों को अलग से लूट रहे हैं। इस धांधली के कारण बहुत से किसानों के खेत से इस वर्ष एक गाड़ी भी ईख नहीं कटी है। किसानों की तो दोहरी मुसीबत है। एक तो उसे फसल खेत में सूख जाने का डर रहा है, दूसरी ओर लोहट आदि कई मिलों में उसके पिछले बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। नई फसल की कीमत की तो बात क्या। यह कैसी विडम्बना है कि ईख उपजाने के लिए मिला कर्ज तो सूद के कारण बढ़ रहा है पर उसका बकाया न तो भुगतान किया जा रहा है और न उस पर उसे कोई सूद दिया जाता है। इस पर भी ईख की कीमत रिकवरी दर पक निर्धारित करने का दावा किया जा रहा है। पुरानी, बीमारी मशीनों से तथा गन्ने को सूखा कर पेरने से रिकवरी दर कैसे बढ़ेगी। अत: सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम पूरी फसल की पिराई का प्रबन्ध तो किया ही जाये। उचित कीमत का भुगतान भी शीघ्र कमाया जाये।

(पांच) झरिया कोयला क्षत्रों में भूमि के धंसने को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

प० बंगाल के आसन सोल उप-मंडल में तथा बिहार के धनबाद और झरिया में अवैज्ञानिक ढंग से खनन के कारण जमीन अन्दर धंस रही है। पहले निजी कोयला खान के मालिकों और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद केन्द्र सरकार ने खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। जमीन के अन्दर सैकड़ों खानों को खोदने के उपरान्त, सुरक्षा नियमों के अनुसार उन्होंने खान को

रेत से नहीं भरा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण आसन सोल उप-मंडल के बहुत बड़े क्षेत्र में रानीगंज, बाराकर और झरिया जैसे घनी जनसंख्या वाले जमीन दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि धंसती जा रही है। इसकी वजह से भू-जल स्तर नीचा हो रहा है, तालाब और कुएं सूख रहे हैं जिससे पीने के पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है तथा कृषि संबंधी कार्य रुक गए हैं।

इस प्रकार रानीगंज, बाराकर और झरिया शहरों के हजारों निवासी चैन से नहीं सो पाते तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के किसानों, जिसमें आसन सोल उप मंडल के अनुजाति/अनु-जनजाति के किसान भी शामिल हैं, को कोयला खान क्षेत्र में जमीन धंसने की समस्या के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्रीय सरकार तथा ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह रानीगंज, बाराकर, झरिया शहर और आसन सोल उप मंडल के लाखों ग्रामीण लोगों को भूमि के धंसन से बचाने के लिए यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए तथा उनकी सूचना इस सदन को भी दें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत पढ़ने से पहले एक बात आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पिछले तीन सत्रों से सरकार का यह रुख हो गया है···(**व्यवधान**)

सभा में नियम 377 को पढ़कर सुनाने से तो कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। जो कुछ उन्होंने लिख कर दिया है केवल वही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे कार्यवाही वृतान्त में रहने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह पढ़ना होगा। (**व्यवधान**) कृपया पढ़ें।

श्री जगपाल सिंह : हमारे 377 पर क्या एक्शन सरकार की तरफ से होता है, इसका कम से कम हम को मालूम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आए तो क्या फायदा है। अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन न हो तो क्या फायदा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कार्यवाही की जाती रही है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार द्वारा उत्तर भेजा जाता है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं. नहीं कोई उत्तर नहीं भेजा जाता ।

श्री जगपाल सिंह : मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य विभाग मंत्री इस संबंध में आश्वासन दें ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस बात को नोट कर लिया गया है । जो भी व्यक्ति सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह सम्बद्ध व्यक्तियों को इसकी सूचना देगा चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार । हम माननीय सदस्यों को इसकी सूचना भेजते रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री बूटा सिंह : मैं इसकी जांच करूंगा । जैसा कि आपने कल भी कहा था तथा आज भी कहा है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि माननीय सदस्यों को सूचना भेजी जाए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसे स्थिति बिगाड़ते हैं । एक मुद्दा उठाया गया था जिसका सरकार ने जवाब दे दिया ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जब हम नियम 377 के अन्तर्गत सभा में कोई विशेष मुद्दा उठाते है तो वह सदन का मामला बन जाता है । सरकार को सदन में ही उसका उत्तर देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपके नियमों से अवगत है । आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं । उत्तर सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है । यदि आप कोई नयी परम्परा बनाना चाहते हैं तो उसका नोटिस दीजिए । आप नियम समिति को इसका सुझाव दे सकते हैं । आप ही नियम बनाने वाले हैं । यदि आप नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप समिति को बताकर नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं । मैं कोई अश्वासन नहीं दे सकता । यह सब आप पर निर्भर करता है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने संसदीय कार्य विभाग मंत्री महोदय को सही समय पर याद दिला दिया कि जब भी हम नियम 377 के अन्तर्गत कोई मुद्दा उठाए तो उसका उत्तर हमें भेजा जाना चाहिए । अन्यथा उसका मकसद ही हल नहीं होता ।

मैं माननीय मंत्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उपयुक्त आश्वासन दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री जगपाल सिंह का भी शुक्रिया अदा करवा सकते जिन्होंने यह मुद्दा उठाया ।

(छः) गन्ना उत्पादकों को बकाया राशियों के भुगतान तथा इकबालपुर चीनी मिल के कार्यालय को सुधारने के लिए कदम उठना

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं नियम 377 के अधीन अपने जनपद सहारनपुर की दो चीनी मिलें इकबालपुर व जक्सर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ज्ञातव्य है कि ये दोनों चीनी मिलें बहुत ही खराब स्थिति में चल रही हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह तबाही के किनारे पर आ खड़े हुए हैं। इस वर्ष के चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के गन्ने का मूल्य तो देना शुरू ही नहीं किया गया है, बल्कि गत वर्ष के भी करोड़ों रुपए नहीं दिए गए हैं।

दूसरा जो सबसे खतरनाक मामला है वह यह कि दोनों फैक्ट्रियां अपनी पिराई क्षमता से काफी पीछे हैं। अभी तक सिर्फ एक तिहाई गन्ना ही पेरा जा सका है जिसके कारण तीन हिस्सा गन्ना किसानों का खेत में ही खड़ा है।

इकबालपुर की चीनी मिल की टरबाईन खराब हो चुकी है, जिसके कारण फैक्ट्री कभी भी बन्द हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों को गन्ने की बकाया रकम तुरन्त दिलाई जाए और गन्ने की खरीद व पेराई को तेज करने के लिए इन फैक्ट्रियों का गन्ना दूसरी फैक्ट्रियों को देने की व्यवस्था तुरन्त की जाए।

धन्यवाद,

(सात) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को भुगतान

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्रकाशम जिले के संगुतुरु में हुई पुलिस फाइरिंग की ओर हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप तीन किसानों की मृत्यु हो गई तथा अन्य कई किसान घायल हो गए। ये किसान तम्बाकू की कीमतों में काफी गिरावट आने तथा राज्य व केन्द्र स्तर पर सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम खरीद न करने, तथा उचित या लाभकारी मूल्य यहां तक कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य भी न देने के लिए विरोध कर रहे थे।

मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करे तथा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों पर तम्बाकू उत्पादकों को अग्रिम अदायगी करे तथा बाजार खरीद का अनुमान लगाकर उसका भंडारण कर दे।

बजट सामान्य 1983-84—सामान्य चर्चा (जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 1983-84 के बजट सामान्य पर सामान्य चर्चा करेगा। श्री पाणिग्रही।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा में पेश किए गए बजट का समर्थन करता हूँ। सूखा, व्यापार में घाटा और खाद्यान्नों के कम उत्पादन को ध्यान में रख कर यह बजट प्रस्तुत किया गया है परन्तु इसमें कुछ तो आशा नजर आती है। निगमित क्षेत्र लाभ तथा बचत का अपवंचन बचना चाह रहा था तथा वह बहुत सा अनुत्पादक व्यय कर रहा है। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने यह ध्यान रखा है कि लाभ का जो अंश बड़े व्यावसायिक घरानों द्वारा बेकार खर्च किया जाता है उससे देश में पूंजी निर्माण किया जाए तथा और आगे पूंजी निवेश किया जाए। निगमित कर ढांचे में विभिन्न प्रकार की कटौतियां होती थी जिसके परिणामस्वरूप कर प्रशासन में जटिलताएं बढ़ती जा रहीं थी, जिससे पूंजी के दुरुपयोग के अवसर बढ़ रहे थे तथा राजस्व वृद्धि में कमी हो रही थी। वर्तमान बजट प्रस्तावों इन सब कटौतियों को युक्ति संगत बनाने की व्यवस्था यदि आप उद्योग व्यापार मंडल संघ, उद्योग तथा इस देश के बड़े बड़े उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाचार पत्रों के बजट पेश होने के बाद के विचार पढ़े तो आप देखेंगे कि उन्हें पहले जो कटौतियां मिल रहीं थीं उनके पुनर्गठन का उन्होंने कड़ा विरोध किया है। कुछ समाचार पत्रों ने तो यह भी कहा है कि उन्हें मिलने वाली कटौतियों को कम करने के लिए सरकार ने जानबूझ कर ऐसा कर रही हैं। इन सब टिप्पणियों से जाहिर होता है कि बजट प्रगतिशील है। चूंकि सारा व्यावसायिक समुदाय इसके खिलाफ है इसलिए हमको इसका स्वागत करना चाहिए।

एक दूसरा उपाय है कि निगमित लाभ पर 30 प्रतिशत न्यूनतम कर लगाया जाए। व्यावसायिक घराने इस उपाय का भी जोर सोर से विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार से वह सरकार पर दबाव डालना चाह रहे हैं जिससे कि सरकार इनमें से कुछ कदम वापिस ले ले जो कि उसने विनियोग विधेयक पर विचार करते समय लिए हैं। परन्तु मुझे आशा है कि बजट में जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं सरकार उन्हें वापिस नहीं लेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में मैं बम्बई गया था तथा वहां हमने उप नगरीय रेल यातायात की समस्याओं और कठिनाइयों की जांच की। बहुत से व्यक्ति साक्ष्य देने भी आए थे। हमने खुद यह देखा कि लगभग 22 लाख दैनिक यात्री कार्यालय आते हैं तथा कार्यालय के बाद घर वापिस जाते हैं। यह देखने वाला वास्तविक दृश्य है कि यात्री किस प्रकार कार्यालय आते हैं तथा वापिस जाते हैं। समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले बहुत ने व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया है कि उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए और जब तक हम ऐसा नहीं करते, अगले 20 वर्षों में बम्बई व अन्य महानगरीय शहरों को यात्री यातायात के संबंध में काफी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान बजट प्रस्तावों में शहरी क्षेत्रों के उद्योगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है के वे अपने उद्योग ले जाएं। यह एक अच्छा उपाय है। परन्तु यह उपाय क्रियान्वित हो पाता है या नहीं यह देखने वाली बात है। हमें इसे क्रियान्वित करना चाहिए ताकि उद्योगों को अलग अलग जगह ले जाया जा सके। उद्योगों का

जमाव महानगरीय क्षेत्रों में न होकर अन्य केन्द्रों में भी उद्योगों की स्थापना हो तथा दूर दराज के क्षेत्रों का विकास हो।

दूसरी सराहनीय बात यह है कि व्यावसायिक घरानों को यात्रा, बिक्री की वृद्धि और विज्ञापनों आदि के व्यय पर जो 20 प्रतिशत की छूट मिलती है उसकी अब अनुमति नहीं दी गयी है। अभी हाल ही में मैंने एक निमंत्रण पत्र देखा। उड़ीसा के एक व्यावसायिक घराने ने 3,000—4,000 लोगों को यह निमंत्रण पत्र भेजा कि वह अपने विवाह की रजत जयन्ती मना रहे हैं। महोदय वह अपने आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि 25 वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था और यह उनके विवाह का 26 वां वर्ष है। मेरे विचार से उन्होंने हजारों-लाखों रुपए व्यय कर दिए होंगे। पर यह पता लगाना चाहिए कि कौन कौन मेहमान आए थे। वे इस प्रकार अपना अतिरिक्त लाभ खर्च कर देते हैं तथा यह पैसा नई पूंजी के निर्माण या देश में उद्योगों के विकास में नहीं लग रहा है। मेरे विचार से इसकी जांच की जानी चाहिए और ये उपाय यदि वस्तुतः क्रियान्वित किए जाएं तो इससे उद्योगों का विकास होगा। यह रही निगमित क्षेत्र के व्यावसायिक घरानों की बात। मैं माननीय मंत्री तथा साथ ही राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में ऐसे व्यय को रोकें।

महोदय एक और बात है इन दिनों समाचार पत्रों राज्य सरकारों के विज्ञापन आते हैं कि उनकी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं तथा उन्होंने विकासात्मक गतिविधियों आदि पर कितना व्यय किया है अथवा कितना व्यय करने जा रहे हैं। जब हम मुद्रा स्फीति को रोकना चाहते हैं, तो जैसा कि निजी निगमित क्षेत्र के साथ किया जा रहा है, सरकार को भी इस प्रकार के अनुत्पादक व्यय से रोकना चाहिए। राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार दोनों को ही इस प्रकार के फालतू व्यय को नहीं करना चाहिए।

बजट प्रस्तावों में एक अन्य अच्छी बात है। वह है निर्यात संवर्धन के नाम पर दिए जाने वाले खर्चा को कम करने की सुविधा को वापस लेने का निर्णय। आयात और निर्यात सलाहकार परिषद् की बैठकों में मैंने अनेक बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि निर्यात बढ़ाने के नाम पर कुछ व्यापार घरानों को जो राज सहायता और भत्ते दिए जा रहे हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। निर्यात तो बढ़ता नहीं है किन्तु उन्हें सुविधाएं सारी मिलती हैं क्योंकि वे कहते हैं कि "हम शत प्रतिशत निर्यात संवर्धन एकक हैं।" यह अच्छा है कि उनको दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को सरकार वापस ले रही है। मुझे आशा है इन्हें पूरी तरह से वापस ले लिया जायेगा ताकि हम इस सम्बन्ध में काफी बचत कर लें। हो सकता है हम निर्यात संवर्धन के नाम पर हम 500 से 600 करोड़ रुपये कुछ व्यापार घरानों को दे रहे हों किन्तु आप जानते हैं कि कितना निर्यात बढ़ रहा है और कितना आयात बढ़ रहा है। अतः मेरे विचार से यह एक काफी अच्छा कदम है।

इसके अतिरिक्त, महोदय, वेतनभोगी कर दाताओं की मानक कटौतियों की अधिकतम सीमा बढ़ाना भी एक अत्यधिक अच्छा उपबन्ध है। पूंजी निवेश के लिए उदार मूल्य ह्रास भत्ता और मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की बकाया राशि की पांच निर्धारण वर्षों में बराबर कटौती से मध्य वर्ग और वेतन भोगी कर्मचारियों को काफी लाभ पहुंचेगा।

न्यासों की व्यापार आय पर कर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव हमारे बजट प्रस्तावों में एक अन्य स्वागत योग्य प्रस्ताव है। आज कुछ धर्मार्थ न्यास कुछ व्यापार घरानों द्वारा आपके, अपने परिवारों और हो सकता अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनके द्वारा चलायी जा रही कम्पनियों के लाभों को पूरी तरह से अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

हमारे बजट का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि छठी योजना में हमारा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, के क्रियान्वयन के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस बारे में मुझे आशंका है, क्योंकि मैं अनेक गांवों में गया हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्र से कुछ अधिकारी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति को देखने के लिए जाते हैं। कई बार वे अच्छी रिपोर्ट देते हैं और कई बार कहते हैं कि कुछ कमियां हैं। जब हम 10,000 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि का निवेश करने जा रहे हैं तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें कार्यक्रम का क्रियान्वयन खण्ड स्तर से ही, आरम्भ किया जाना चाहिए और इसमें लोगों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटित धन काले धन के क्षेत्र में न लगाया जाए। हम इतना धन लगा रहे हैं और यदि इसे केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिसके लिए यह आवंटित किया गया है तो हम केवल देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को ही बढ़ायेंगे और इससे काला धन बढ़ेगा। अत: इसकी ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आपने इस ओर काफी आवंटित किया है। इससे भूमिहीन, बेघर और निर्धन कारीगरों को लाभ पहुंचेगा। इससे उन्हें सहायता मिलेगी और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी। अत:, महोदय, इसके लिए कम से कम एक बेहतर निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है। यदि इस धन का शत प्रतिशत नहीं तो 50 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो जाये तो वह एक बड़ी बात होगी।

अब मैं अपने राज्य—उड़ीसा—की समस्याओं पर आता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे कई वर्षों के प्रयत्नों के बाद और केन्द्र सरकार की सहायता से हमें दूसरा इस्पात संयंत्र मिला था। उड़ीसा में पहले यह सोचा गया था कि इसे परादीप के निकट लगाया जाये। बाद में पता चला कि इसे किसी और स्थान पर ले जाया जायेगा। हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि इसे यहां के बजाय किसी दूसरे स्थान पर लगाया जायेगा किन्तु मुझे पता लगा है कि शायद इसे छठी योजना के स्थान पर सातवीं या आठवीं योजना में ले जाया जा रहा है। पता नहीं क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : अत:, इसे चलता फिरता इस्पात संयंत्र कह सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हो सकता है। ऐसा ही विशाखापत्तनम के मामले में हुआ था। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैं सरकार पर जोर देता हूं कि यदि आप इस दूसरे इस्पात संयंत्र के लिए किसी क्षेत्र को चुनते हैं तो उस पर कायम रहिए किन्तु मैंने देखा है कि भुवनेश्वर की गलियों में एक ट्रैक्कर घूम रहा है जिस पर नीलांचल 'इस्पात निगम' का एक बोर्ड लगा है। उड़ीसा के लोगों ने देखा है कि इस्पात निगम गलियों में वाहन पर घूम रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ भी पूंजी निवेश हम करें हम यह सुनिश्चित करें कि उसका इसी प्रयोजन के लिए उपयोग हो।

अब मैं दूसरी बात लेता हूं और वह परादीप पत्तन। हमने इस पर भारी पूंजी निवेश किया है किन्तु आज कुल मिलाकर लगभग 64 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। यदि परादीप पत्तन जायें तो आप देखेंगे कि यह भगवान का दिया उपहार है। हमने इसके विकास पर अपनी दक्षता, बुद्धि और धन का इस्तेमाल किया है। यह भारत का एक प्रमुख पत्तन है किन्तु महोदय यह पत्तन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हमने इतना अधिक पूंजी निवेश इस पर किया है किन्तु इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? केन्द्रीय सरकार इसका ध्यान क्यों नहीं रख रही है। यदि आप परादीप पत्तन जायें तो आप देखेंगे कि इसमें तीन गोदियां बन सकती हैं किन्तु इसमें केवल एक गोदी है। दूसरी गोदी तक नहीं बन रही है। इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ नियंत्रण की आवश्यकता है। कुछ समय पहले जब मैंने केन्द्रीय मंत्रालय से कहा था तो उसने मुझे बताया कि नियंत्रण राज्य सरकार को दे दिया गया है और वह ही इसकी देखभाल कर रही है। मेरी समझ में यह नहीं आया क्योंकि यह एक केन्द्रीय उपक्रम है—राज्य सरकार उपक्रम नहीं। मुझे आशा है केन्द्रीय सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे पत्तन की देखभाल ठीक हो सके। महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी बड़ा जहाज परादीप पत्तन पर नहीं आता है। लाखों मीटरी टन लोह अयस्क परादीप पत्तन पर एकत्र हो रहा है किन्तु एक भी जहाज उसे ले जाने के लिए वहां नहीं आ रहा और इस कारण अनेक लोह अयस्क खानें बन्द कर दी गई हैं और 6000 श्रमिकों की छंटनी की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : परादीप पत्तन में बड़े जहाज क्यों नहीं आ रहे हैं ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : यह कहा जाता है कि कम डुबाव के कारण जहाज वहां नहीं आ रहे हैं। उदाहरणार्थ जापानी जहाज 60,000 मीटरी टन सामान ढोते हैं। ये जहाज इस पत्तन पर नहीं आ सकते हैं। महोदय, रेत पम्प पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा है। इसे रेत निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि डुबाव की गहराई बनी रहे। पिछले तीन वर्षों से यह पम्प खराब पड़ा है। उसे कौन देखेगा। यह हो रहा है इस पत्तन पर। महोदय, यह हमारे श्रेष्ठ पत्तनों में से एक है। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इन सभी कमियों की ओर और अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगी।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हाल में, जैसा कि अनेक मित्र जानते हैं, इस सभा के एक माननीय सदस्य और उड़ीसा में एक बड़े उद्योगपति, जो जनता पार्टी चला रहे हैं—उड़ीसा में सभी दल फिर से जनता पार्टी बन रहे हैं—यह माननीय सदस्य यहां एक मंत्री थे। हम जानते हैं कि किस प्रकार यह कलिंगा ट्यूब्ज कम्पनी एक अन्य व्यापारिक कम्पनी अर्थात् इण्डियन मैटल्ज एण्ड फैरो एलाएज द्वारा एक सहायक कम्पनी के रूप में अधिगृहीत की गई थी। इस इण्डियन मैटल्ज एण्ड फैरो एलाएज की 1971 में 6 करोड़ रुपये की आस्तियां थीं और अब इसकी 35 से 40 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियां हैं। यह व्यापारिक कम्पनी इन माननीय सदस्य के साथ जो आज जनता पार्टी के नेता हैं, कैसे लेन-देन रख सकती है। उन्होंने इस कलिंगा ट्यूब्ज को सहायक कम्पनी के रूप में लिया और इन्होंने यह दिखाया है कि इन्होंने बहुत कम मूल्य पर शेयर खरीदे हैं जो कि सरकार कम्पनी विधि विभाग, आयकर विभाग और अन्य सभी को और शायद भगवान को भी गुमराह करना था। क्या यह जरूरी नहीं है कि इस बात की जांच

की जाए कि किस प्रकार सौदा हुआ। मेरे विचार से आयकर विभाग ने इस पर आपत्ति की थी किन्तु फिर भी उन्होंने इसका अधिग्रहण किया। जब इण्डियन मैटल्ज एण्ड फैरो एलाएज ने कलिंगा ट्यूब्ज का अधिग्रहण किया तो उन्होंने यह दिखाया कि कलिंगा ट्यूब्ज कम्पनी घाटे में जा रही है और एक रुग्ण कम्पनी है। अतः इण्डियन मैटल्ज एण्ड फैरो एल'एज ने आयकर विभाग को लेखे प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि उन्होंने हानि उठाई है तथा इस संदिग्ध तरीके से करोड़ों रुपये का आयकर अपवंचन किया है। महोदय, मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है कि बड़े व्यापारिक घरानों को कर अपवंचन नहीं करना चाहिए किन्तु यह क्या है? यह दिन-दहाड़े पूरी तरह से कर अपवंचन है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन मामलों की जांच करायें।

अन्त में, महोदय, मैं अपने देश की बाह्य ऋण स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस सभा में सदैव यह कहा है और मैं उसे दोहराता हूँ कि महात्मा गांधी ने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। आप जानते हैं कि शक्तिशाली अमरीकियों ने अपने सभी अस्त्रों के साथ वियतनाम को नष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु एक व्यक्ति श्री होभी मिन्ह ने कहा कि यदि तुम अस्त्रों की वर्षा कर दो तो भी तुम वियतनाम को दास नहीं बना सकते। आज हमने क्या किया है। महोदय आपने दादाभाई नारोजी की महान् पुस्तक 'द ड्रेन' पढ़ी होगी। उन्होंने भारतीयों में स्वदेशी की भावना जागृत की थी और तब महात्मा गांधी ने हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सिखाया।

महोदय, ब्रिटिश लोग भारत से उस समय 5 करोड़ पाउण्ड ले गए थे। अब बाह्य ऋण स्थिति यह है कि हमने 20,000 करोड़ रुपये देने हैं और हम 2000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष प्रतिशोधन और ब्याज के रूप में भुगतान करने जा रहे हैं और शायद अगले पांच से छः वर्षों के दौरान हमारी निर्यात आय का 60 प्रतिशत इस विदेशी ऋण के परिशोधन और ब्याज के लिए जरूरत होगी। क्या यही हम आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था बना रहे हैं। क्या हम यह सोचते हैं कि आसानी से प्राप्त धन के साथ हम देश बना लेंगे? यह सम्भव नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। जब 1917 में सोवियत संघ ने अपना राज्य कायम किया था तो सभी पूंजीवादी देशों ने सोवियत संघ का बहिष्कार किया था ताकि सोवियत संघ आगे न बढ़ सके। महोदय बाहर की छः टरबाइनों के साथ उन्होंने नाझर बांध का निर्माण किया था और आज वह देश संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। चीन की भी यही स्थिति है। मैंने लाखों चीनियों को बिना किसी औजार और मशीन के 200 किलोमीटर लम्बी नहर खोदते देखा है। राष्ट्र इस तरह बना करते हैं। महोदय, यह अच्छी और गर्व की बात है कि दिल्ली में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री को अगले तीन वर्षों के लिए तटस्थ राष्ट्र आन्दोलन का अध्यक्ष चुना गया। इससे गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा उसको दिए गए सामान का पता चलता है। इससे उस शक्ति का पता चलता है। जो कि हमारे देश ने प्राप्त कर ली है। अगले दो वर्षों या तीन वर्षों में युद्ध हो सकता है लेकिन लेकिन इस समय यह यूरोप में नहीं होगा। दो महान् शक्तियां वहाँ युद्ध नहीं करेंगीं लेकिन यह ईरान में या अफगानिस्तान में या हमारी सीमाओं के नजदीक हो सकता है।

आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि मध्यपूर्व तेल उत्पादन देशों की कीमतें कम कर दी है। यह किमत 32 डालर प्रति बैरल से कम करके 27 डालर प्रति बैरल कर दी है इससे इनमें 15 प्रतिशत की कटोती कर दी गई है। शायद यह किमतें और कम होगी। इस प्रकार इसमें यह पता चलता है कि वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार गिर रही हैं। हमारे चारों और एक संकट विकसित हो रहा है और अभी हाल ही में समाप्त हुऐ गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो विकास हुआ है सारा विश्व इस विकास के लिए अगले पांच वर्षों में या दस वर्षों में भारत की तरफ देखता रहेगा। यह हमारी उपलब्धियों में से एक है कि हम अब 60 प्रतिशत अशोधित तेल का अपने देश में ही उत्पादन कर रहे हैं। केवल 40 प्रतिशत आयात किया जा रहा है कीमतें बहुत तेजी से गिर रही हैं। इसलिए हमें स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। हम इसे अपने उपभोक्ताओं को कम कीमत पर क्यों नहीं दे सकते ?

महोदय, हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे जिससे हम अपनी सीमा पर अन्तर-राष्ट्रीय युद्ध के खतरों का सामना कर सकेंगे। और इससे हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनने और विश्व की बड़ी शक्तियों में से एक बनने में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। आपका धन्यवाद।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 28 फरवरी, 1983 को जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश की आर्थिक स्थिति को जिस तरह से माननीय मत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसको संतुलित कह सकता हूँ और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

सबसे पहली बात यह है कि देश के अन्दर जिस तरह से सूखा हुआ है, उससे सारे देश के अन्दर बड़ी भारी हलचल मच गई हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए और इस तरफ ध्यान देकर उन्होंने गरीब लोगों को राहत पहुंचाई है। गांव के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। विकास के काम शुरू हुए हैं। अनाज के भंडारों द्वारा अनाज का वितरण किया गया है। इस के साथ हम समझते हैं कि देश के अन्दर बिजली के क्षेत्र मे उत्पादन होना चाहिए। बिजली के बारे में जहां तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का ताल्लुक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियां हैं उन पर पन-बिजली की योजना बनाकर देश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर किया जा सकता है। मैं यह भी समझता हू कि यदि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जहां पानी का ज्यादा कटाव और बहाव हो रहा है अगर वहां भारत सरकार पन-बिजली की योजना नहीं बनाती है, तो वह हमारा पानी बिल्कुल जाया चला जाएगा। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे देश के अन्दर पन-बिजली की योजना नहीं बनती है, तब तक सस्ती बिजली के साधन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण किया गया है, इसलिए वहां पर पन-बिजली की योजना बनाई जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 35 साल की आजादी के बाद हमको रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर एक फुट रेल लाइन नहीं बढ़ी है। कहा जाता है कि योजना आयोग में मामला गया हुआ है। योजना आयोग से वह मामला क्लीयर नहीं होता है। मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए।

रेलवे लाइन शिमला से आगे चुपाल तक बिछाई जाए, ताकि वहां पर जो आलू और सेब का उत्पादन होता है, उनको दिल्ली तक पहुँचाया जा सके। वहां ट्रक नहीं मिलता है, रास्ते खराब हैं माल भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है। मैं माँग करता हूं कि वह क्षेत्र जो कि बार्डर पर है और सैनिक की तरह काम करता है, उसकी तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो हमारे किन्नौर, लाहोर, स्पीति के इलाके हैं, जहां देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों को जाना पड़ता है, उनको वहां जाने की कोई सुविधा नहीं मिलती है। जब तक वहां रेल नहीं होगी, उनको सुविधा नहीं मिल सकती है। हमारे गरीब किसान जो आलू और सेब की पैदावार करते हैं उनको अपनी उपज को मंडी तक पहुचाने में बहुत कठिनाई होती है। हमारे यहां ढोकरा-क्वार ऐसा इलाका है जहां घोड़े और खच्चर की भी सड़क नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पर रोप-वे लगाई जाय जिससे लोग अपनी आलु और सेब की उपज को रोड़ साइड तक पहुंचा सके साथ ही उन को सबसिडी दी जानी चाहिए जिससे उन की आर्थिक दशा सुधर सके।

एक बात में विकास खण्डों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक लाख से उपर की आबादी के क्षेत्रों को विकास खण्ड में रखा जाता है, लेकिन यदि आप मैदानी क्षेत्र के इस नियम से पहाड़ी क्षेत्रों को नापेंगे तो काम नही चलेगा। इस तरह उनकी आर्थिक दशा कभी भी सुधर नहीं सकेगी। जिस तरह से आप ने 20 हजार की आबादी पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की व्यवस्था की है, मैं यह मांग करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में 20 हजार की पापुलेशन पर विकास खण्ड बनाया जाय। वर्तमान व्यवस्था से पैसे का बटवारा भी सही ढ़ंग से नहीं होता है, जहां ज्यादा आबादी वाले विकास खण्ड हैं लेकिन क्षेत्र छोटा है, वे उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहां छोटी-छोटी आबादी के क्षेत्र हैं, जिनको पूरा लाभ नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर पूरी तवज्जह दें जिस से हमारे पहाड़ी क्षेत्र को विकास खण्डों का लाभ मिल सके।

कुछ बातें मैं ट्रांस्पोर्ट महकमे के बारे में कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां के लोगों को ट्रांस्पोर्ट के मामले में ज्यादा से ज्यादा सबसिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि पैट्रोल और डीजल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। जो आपरेटर्स वे हमारे माल का बहुत ज्यादा भाड़ा चार्ज करने के लिए कहते हैं। जहां पर रूट्स नेशनलाइज किये हुए हैं उनको इस काम में बहुत नुकसान हो रहा है। इस लिए मैं चाहता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सबसिडी दी जाय तथा ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जांय।

कुछ शब्द में उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां उद्योग धन्धे ज्यादातर पंजाब के बार्डर के साथ, यू० पी० के बार्डर के साथ, हरियाणा के बार्डर के साथ लगाये जा रहे हैं जिस से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। अगर आप हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम से हमारे गरीब लोगों का फायदा हो तो यह बहुत जरूरी है कि उद्योग धन्धे हमारे पहड़ी क्षेत्रों के इन्टीरियर में लगाये जांय। जैसे इलैक्ट्रोनिक इण्डस्ट्री है - इस को पहाड़ों के अन्दर लगाया जा सकता है, इस के लिए आप सबसिडी दे सकते हैं, दूसरी सुविधायें दे सकते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं—यदि ये उद्योग पहाड़ी क्षत्रों के अन्दर लगाये जांय तो वहां कोई एजीटेशन नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है, शान्त वातावरण में काम होता है।

एक निवेदन मुझे यह करना है कि आप एजीटेशन पर पाबन्दी लगायें ताकि इण्डस्ट्रीज का काम ठीक तरह से चल सके। हमें इस बात की निगरानी भी करनी चाहिए कि पब्लिक सैक्टर के कारखानों में जो अफसर लोग काम करने आते हैं, वे बिजनैस-मैन के घरानों से आते हैं और जो उन कारखानों को कामयाब नहीं होने देते हैं। जहां जहां हमारे पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, हमें उनके लिए टारगेट मुकर्रिर करने चाहिए ताकि उन का प्रोडक्शन बढ़े। आप देखिये हमारे यहां नाहन में पब्लिक सैक्टर की एक फाउण्ड्री है जिस का चार लाख रुपया महीना का घाटा हमारी राज्य सरकार उठा रही है। वहां पर काम नहीं हो रहा है, 100 साल पुरानी फैक्टरी है, मजदूर काम नहीं करते हैं, एजीटेशन होते हैं। उनमें से कुछ लोग नेता गिरी करने लग गए हैं। जो एजीटेशन शुरू कराते हैं, उन से चन्दा लेते हैं क्योंकि काम न होते हुए भी उन लोगों को माकूल तनख्वाह मिलती है। इस लिए हम को इस तरफ भी तवज्जह देनी है। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम को लाजमी तौर पर यह देखना होगा कि मैनेजमेंट में कौन आदमी काम करे। क्या वे लोग सरमायदारों के घरों से तो नहीं हैं, जो हमारी नीतियों को फेल कर रहे हैं। इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है। वैसे हमारे जो नौजवान वित्त मंत्री जी हैं, वे हर बात को जानते हैं कि वहां क्या और कैसे होता है लेकिन उन को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा।

अभी हमारी प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि रिटायर्ड आदमी को नौकरी में न रखा जाए और जिन की रिटायरमेंट की एज है, उनको रिटायर किया जाए। मैं तो यह कहूँगा कि सरकारी नौकर 55 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाए ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके। अब तो होता क्या है कि 58 साल के बाद भी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी उम्र गलती से 2 साल ज्यादा लिखी गई थी, इस लिए दो साल हम को और नौकरी में रखा जाए। यह नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरे लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मुहय्या हो और देश के सभी लोगों को रोजगार मिले और हमारी सरकार की भी यह मंशा है लेकिन ये जो चीजें बीच में आ जाती हैं और लोग सिफारिश कर देते हैं कि इसको रख लो, यह गलत बात है। इस से सरकार का सारा ढांचा खराब हो जाता है।

हमारे यहां हिमाचल सरकार ने वनों का राष्ट्रीय करण किया है। पहले हमारे यहां एक राज्य आया था और वह 1977 से 1979 तक चला जिसने सही काम नहीं किया। मैं दो-ढाई साल से लगातार इस मामले पर बोल रहा हूं कि हमारे यहां जंगल तो नैशनलाज हो गये लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, आरा मशीन वाले हैं, जो सेवों और टिमाटर आदि के लिए लकड़ी चीर कर पेटियां बनाते हैं, उनको लकड़ी नहीं मिलती है। अब आदेश यह है कि जंगल से कोई पेड़ नहीं कटेगा लेकिन जो फल यहां आते हैं उन के लिए लकड़ी पेटियां बनाने के लिए चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो पेड़ गिर जाते हैं, उनको कारपोरेशन को देने की बजाय छोटे उद्योग करने वालों को देना चाहिए, जिससे वे पेटियां बना कर उन में सेब और दूसरे फल और सब्जियाँ यहाँ भेज सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एफ० सी० आई० जो गेहूँ देता है, वह बड़े बड़े मिलों को सप्लाई होती है और इन में बड़े बड़े अधिकारी मिले होते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना

चाहिए कि छोटे चक्की वाले हैं, उनको अगर आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर पिसाई के लिए वह गेहूं देना चाहिए। आज हो यह रहा है कि गेहूं से सूजी बनानी है, तो हिमाचल प्रदेश में एफ०सी०आई० द्वारा दिल्ली को गेहूं भेजा जाएगा और उस गेहूं से मिल वाले सूजी और मैदा बनाएंगे। यहां पर लोगों को हलवा खिलाना है, इस लिए यहां पर वह भेज दिया जाता है। इस में जो ब्लैक-मार्केटिंग होती है, उसको रोकना होगा। जो ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, वे देशद्रोही हैं और इस तरह वे हमारे देश को चूस रहे हैं।

मुझे बहुत हैरानी और अफसोस होता है जब मैं यहां पर विपक्ष के लोगों की बातें सुनता हूं। वे कहते हैं कि सरकार बगैर टैक्स के इस गाड़ी को चलाए। सरकार टैक्स न लगाए और शासन भी कुशलता से चले। टैक्स भी न लगे और लोगों की तन्खाहें भी बढ़ जाएं और उनकी तन्ख्वाहें भी बढ़ जाएं। अगर कोई योजना बनाते हैं, तो उसके लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है। बिना टैक्स लगाए खजाने में पैसा कहाँ से आएगा। यहां पर जो भाषण हुए, उन में विपक्ष के लोगों ने यह कहा कि लेखा-जोखा जो पेश किया गया वह ठीक नहीं है और पहले जो हुआ था वह ठीक था। इस तरह के भाषण कर के वे चले जाते हैं और यही उनकी चर्चा का विषय रहता है।

हमें देश को आगे ले जाना है। फौज को कायम रखना है, पुलिस को कायम रखना है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कायम रखना है और इस के लिए पैसे की जरूरत है। जो लोगों की ग्रिवान्सेज हैं, तकलीफें हैं, उन को सुन कर उनका समाधान भी करना है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमरे हिमाचल प्रदेश के अन्दर पंजाब के स्केल लागू हैं। पंजाब एक अमीर स्टेट है और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन को वहां के स्केल मिलते हैं। मैं यह मांग करता हूँ कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उन का भी वही स्केल मिलने चाहिए। और कर्मचारियों को इस मामले में विभाजित नहीं करना चाहिए। जब एक कर्मचारी को ज्यादा मिलता है और दूसरे को कम, तो वह यह सोचने लगता है कि सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के उन कर्मचारियों को जो हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं, जो काश्मीर में काम करते हैं या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में काम करते हैं और वहां के रहने वालों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वही उन को भी दी जानी चाहिए।

इस के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डाक और टेलीफोन की हिमाचल प्रदेश और पूरे हिली एरिया में पर्याप्त सुविधा नहीं है। किन्नौर जिला ऐसा है जहां कि टेलीफोन की सुविधा नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है इसलिए मैं इसकी मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि जिन बैकवर्ड एरियाज में डाकखाने और पोस्ट आफिसिज खोले जा सकते हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा डाकखाने खोलें जिससे लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें। आप जानते हैं कि वहां अबादी बहुत कम है और उनके लिए साधन भी बहुत कम हैं। इसके लिए हमने जो भी प्रपोजल्स दिये हैं, उनको आप पूरा करने की कोशिश करें जिससे की वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें।

एक बात में टेलीविजन के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्वेशचन के जवाब में यह कहा गया था कि हमारे यहां कसौली में जल्दी से जल्दी टेलीविजन का रिले सैन्टर बना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को टेलीविजन की सुविधा देने के लिए टेलीविजन के रिले स्टेशन के प्रपोजल को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में फोरेस्ट्री के रिसर्च के लिए एक हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में 65 एम०पीज० ने दस्तखत कर के आपको प्रपोजल दिया था। पता नहीं कौन-सी ताकत काम कर रही है जो इस यूनिवर्सिटी को बनने नहीं देती है। मैं यह मांग करता हूं कि यह चीज जरूरी है अगर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में फलों का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए रिसर्च भी बहुत जरूरी है और रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक तौर से ऐसा पर्वत है जहां कि बहुत बड़ी तादाद में वृक्ष लगाये जा सकते हैं। हम बार बार यह कहते रहते हैं कि हमारे यहां 60 परसेंट क्षेत्र होने चाहिए। आज वृक्ष कटते जा रहे हैं और सारा देश बर्बाद हो रहा है। अगर देश में आपको वृक्षों को बढ़ाना है तो मैं मांग करता हूं और हिमाचल प्रदेश जहां के लिए हिल्ली एरियाज के 65 एम०पीज० ने लिख कर भी दिया है कि सोलन में एक हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाय। आप इस तरफ तवज्जह दें।

हमारे यहां सेब और टमाटर का उत्पादन बहुत होता है। अगर इनके ठीक पेकिंग का का इन्तजाम न हो तो यह सड़ जाता है। पहले हमारे यहां अफीम बोया जाता था जिसको कि जहर कहा जाता है। इस अफीम को बोने की इजाजत देने के बारे में हमारी विधान सभा ने एकमत से-पक्ष और विपक्ष दोनों ने एकमत से यह पास किया कि अगर वहां के किसानों की आर्थिक दशा सुधारनी है तो वहां अफीम बोने की इजाजत देनी चाहिए। इसके बोने पर आजकल बेन है। अगर यह अफीम बोने की इजाजत मिल जाती है तो इससे किसान इस अफीम को अपने घर में रख कर कीड़ो से अपनी फसल की रक्षा कर सकेंगे। कीड़ो से बहुत सी फसल बर्बाद हो जाती है। आप कीड़े मारने की दवाइयों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं फिर भी कीड़े सब्जियों की पौध में लग कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पहले हिमाचल प्रदेश की रियासतों में अफीम बोई जाती थी उसी तरह से उन रियासतों में अफीम बोने की इजाजत होनी चाहिए।

लोग कहते हैं कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है आप सारे मुल्क के अन्दर शराब पर पाबन्दी लगा दो लेकिन बाहर के मुल्कों में भेजने के लिए तो शराब बनाई जा सकती है जैसे कि रूस में वोदका बनायी जाती है। हमारे यहां हिमाचलप्रदेश में आलू और सेब बहुत होता है। लोग तीस किलोमीटर चल कर सेब और आलू दिल्ली भेजने के लिए पहुंचाते हैं। आढ़ती बीच में बहुत सी कमीशन ले जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि हिमाचल प्रदेश में सेब और आलू का कारखाना लगाया जाए जिससे कि वहां के किसानों की आर्थिक दशा सुधार सके। आप बेशक नशाबंदी कर दो, लेकिन उसे दूसरे मुल्कों में तो भेजा जा सकता है। मैं मगन भाई बरोट का भाषण सुन रहा था। उनका भाषण सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कुछ दिन पहले वे उप वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ नही कर रही है। पिछले भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ की थी और अब मुखालिफत कर रहे हैं। इनका कोई ईमान नहीं है।

लेकिन जनता इसका सबक देगी। अभी दो साल बाद ही समय आने वाला है। यह सरकार गरीबों का उत्थान करना चाहती है। विपक्ष के लोगों की क्या योग्यता है इसको हम यहां पर ही देखते हैं। एक साथ चार-चार लोग बोलने लग जाते हैं, कोई अनुशासन नहीं है। जहां-जहां विपक्ष की सरकार बनी हुई है वहां की खबरे भी हमारे पास आ रही हैं। तमिलनाडु में हरिजनों का कत्ल किया जा रहा है वहां पर सरकार ठीक नहीं चल रही है। इसी तरह से कर्नाटक और आंध्र में भी काफी गड़बड़ी हो रही है। यहां पर हमें इन मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। विपक्ष के लोग रोजाना आसाम के इशू को लेकर खड़े हो जाते हैं। तीन बार मंत्री महोदय बतला चुके हैं कि हम देश में किसी तरह की बदअमनी नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे सहयोग की मांग की है। हम सब लोगों को एक होकर समस्यायों को सुलझाने में योगदान देना चाहिए।

अंत में एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। हमारे यहां यू० पी० का इलाका है जहां से बहुगुणा जी आते हैं नैनीताल का इलाका है, ट्राइबल एरिया है। देहरादून से जब हम ऊपर जाते हैं तो तिउनी, चकरौता और उसके साथ मेरा हल्का लगता है तिब्बत तक। वहां पर रोडू, चुपाल, जुब्बल, शलाई, रेणुका आनि ट्राइबल एरिया नहीं हैं, जबकि इनके कस्टम और इनका रहन सहन सारा ट्रायबल्स जैसा ही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस एरिया को भी ट्रायबल घोषित किया जाना चाहिए ताकि ट्रायबल सब प्लान का लाभ इस इलाके को भी मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हुं कि जहां-जहां आई० टी० आई० नहीं है वहां पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां एक कालेज सोलन में और एक शिमला में है। मैट्रिक पास करके भी बच्चे पशु चराने का काम करते हैं। उद्योग सब नीचे हैं। इसलिए इन सब सुविधाओं का फायदा वहां के निवासियो को नहीं मिल पाता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं फिर भी बी० जे० पी० के लोग तरह-तरह की चालें चलते हैं। जब वाजपेयी जी वहां गए थे तब वहां भी उन्होंने मेरे खिलाफ कहा था। बी० जे० पी० की डेफीनेशन एक आदमी ने ठीक ही बताई है कि बी० से ब्लैकमार्केट, जे० से जमाखोर, इस तरह से यह सही है कि ब्लेकमार्केटीयर और जमाखोरों की पार्टी है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध हैं कि आने वाले समय में टैक्सों की चोरी करने वालों को बक्शा न जाए। कहां-कहां से धन इकट्ठा किया जाता है इस बात की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इसके साथ जो राहतें दी गई हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

*श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू (अनकापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं वर्ष 1983-84 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आर्थिक विशेषज्ञों ने देश में 4000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए के घाटे की भविष्यवाणी की थी लेकिन माननीय मंत्री ने इसे देखा कि घाटा 1555 करोड़ रुपए से अधिक न बढ़े। इस प्रकार उन्होंने एक कुशल वित्त मंत्री के रूप में अपनी योग्यताओं का दोबारा प्रदर्शन किया है। यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है जिसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूँ।

*मूल तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

यह हमारा सामान्य अनुभव है कि जैसे ही बजट का समय पास आता है, समाज के सभी वर्गों से संबंधित सभी लोगों में बेचैनी हो जाती है। लेकिन इस समय हमारे वित्त मंत्री ने सभी को स्वीकार्य बजट प्रस्तुत करके उनके इस डर को कम कर दिया है। मुझे आशा है सभी पार्टियों से संबंधित माननीय सदस्य इसका पूरे मन से स्वागत करेंगे।

बजट में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है जिनमें आम आदमी को व्याकुलता हो। अतः गली का आदमी एक सुख की सांस ले सकता है। चीनी, कपड़ा, बल्बों, मिट्टी के तेल के स्टोवों, प्रेशर कुकरों में शुल्क में छूट दिए जाने के कारण ये सस्ते हो जाएंगे। इसलिए इस निर्णय द्वारा मध्य वर्ग सोसाइटी को लाभ प्राप्त होगा। गृहणियां प्रसन्नता अनुभव करेंगी क्योंकि उनके कन्धों के बोझ को काफी हद तक कम कर दिया गया है। इन उपायों के अलावा, वित्त मंत्री ने 15,000 से 20,000 रुपए के बीच प्रति वर्ष वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत आयकर की छूट की भी घोषणा की है। इसमें वेतन भोगी वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा। इन सभी रिआयतों से मध्य वर्ग को काफी हद तक सहायता मिलेगी। अपर्याप्त साधनों तथा सारे देश में अभूतपूर्व सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन वित्त मंत्री ने आम आदमी को कई रिआयतें दी है। हमारे वित्त मंत्री ने आम आदमी के प्रति जो सदभावना दिखाई है उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र है। यह एक शानदार उदाहरण है जिससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। माननीय वित्त मंत्री ने चौथे वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार की नीतियों और कार्य-क्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन काफी हद तक कर्मचारियों पर निर्भर करता है। यदि वे बेचैन है और असन्तुष्ट है तो इसमें यहां तक की सरकार असफल हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि इन कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखा जाए। इसलिए चौथे वेतन आयोग के गठन से उनमें व्याप्त असंतोष को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि आयोग बहुत शीघ्र कार्य करना शुरू कर देगा सभी कें संतोष के लिए अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगा।

कृषक हमारे देश का आधार है। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। देश उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि देश में कृषि में उन्नति नहीं होती। उर्वरकों और कुछ रसायनों पर शुल्क में छूट दी गई है जो कि कृषकों के लिए लाभदायक है। इसमें कोई शक नहीं कि साधारण कृषक को कुछ हद तक सहायता मिल सकती है। लेकिन उसके वास्तविक लाभ का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जबकि उसे अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त होगी। सरकार को गन्ने के लिए समर्थन कीमत की घोषणा करनी चाहिए जो कि लाभकर है, अन्यथा उत्पादन के कम होने का खतरा है। आर्थिक समीक्षा में आने वाले वर्ष में कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत की गिरावट दिखाई गई है। सरकार को उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने चाहिए।

अब मुझे औद्योगिक पहलू पर आना चाहिए। यद्यपि हमने 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है लेकिन परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं है। 1981-82 में उत्पादन वर्ष में वृद्धि 8.6 प्रतिशत थी, लेकिन इस वर्ष अर्थात् 82-83 में यह केवल 4.5 प्रतिशत है। यह देखकर सचमुच निराशा हुई है कि उत्पादन में वृद्धि होने की बजाए उत्पादकता वर्ष में वास्तव में कमी

हुई है । महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विजाग इस्पात संयंत्र के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं । 3000 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय में मैं इस वर्ष उस संयंत्र के लिए केवल 187 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । विशेषज्ञों का यह विचार है कि आने वाले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील के लिए बहुत मांग होगी । इसलिए स्टील उद्योग का विकास देश के लिए निर्णायक है । इस प्रकार एक ऐसी स्थिति में यह बिलकुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अत्यावश्यक परियोजना, विजाग इस्पात संयंत्र के लिए 187 करोड़ रुपये की अपर्याप्त राशि आवंटित की गई है । निर्माण की लागत दुगुनी हो जाएगी यदि इसमें आगे और देरी की जाती है । जब श्री प्रणव मुखर्जी इस्पात और खान मंत्री थे उन्होंने कई बार मुझे विश्वास दिलाया था कि धन की आवश्यकता के कारण निर्माण कार्य में देरी नहीं की जाएगी । इस वर्ष के लिए आवंटित धन पहले किए जा चुके व्यय को पूरा करने में मुश्किल से पर्याप्त होगा । इसलिए यह खतरा है कि निर्माण कार्य एकदम रुक जाएगा । मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आवंटन तत्काल बढ़ाया जाए । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अपने शब्दों पर कायम रहते हुए विजाग इस्पात संयंत्र के लिए धन में वृद्धि करेंगे ।

इस बजट को ध्यान देने योग्य अन्य विशेषता यह है कि बेहतर निष्पादन के लिए राज्यों को प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है । वित्त मंत्री ने इस प्रोत्साहन योजना की घोषणा करके एक रिकार्ड स्थापित किया है जिसकी लागत राजकोष पर 300 करोड़ रुपये से कम नहीं आएगी जिसमें राज्यों को समाज के कमजोर वर्गों के लिए लिए कई कल्याणकारी उपायों को अपनाने और आवंटित समय में उनको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । यह योजना धैर्यवर्धक सिद्ध होगी । इसके साथ, यह आशा की जा सकती है कि कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों को अपनाने और उनको लागू करने में राज्यों के बीच एक दूसरे में मुकाबला होगा ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । यह बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है । कई कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक विषमताओं को दूर करना है, पर अधिक धन खर्च किया जाएगा । हमारा लक्ष्य समाज में समाजवादी प्रणाली स्थापित करने का है । लेकिन केवल धन का आवंटन ही काफी नहीं है । सरकार को यह देखना चाहिए कि इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों को कड़ाई से लागू किया जाए । इसमें पूरी तरह से निरीक्षण की आवश्यकता है । मुझे आशा है सरकार इसे ध्यान में रखेगी । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले वर्ष के दौरान कई राज्यों ने बीस-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में विशेष रुचि नहीं दिखाई थी ।

इस वर्ष केन्द्रीय योजना परिव्यय 13,870 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है । यह पिछले वर्ष की परिव्यय की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है । अधिक आवंटन से दलित लोगों के लिए अधिक कल्याणकारी उपायों को अपनाना सम्भव हो गया है ।

माननीय वित्त मंत्री ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से पूंजी आकृष्ट करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है । लेकिन केवल प्रोत्साहनों की घोषणा ही काफी नहीं है । अभी हाल ही में, दुबई में रहने वाले व्यापारियों ने एक बयान जारी करके इस देश में व्याप्त नौकरशाही

पर पूरी तरह अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि वे भारत में अपना धन लगाने के लिए उत्सुक हैं लेकिन नौकरशाही को वह एक बहुत बड़ी बाधा समझ रहे हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नौकरशाही जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाएं।

कई विशेषज्ञों का यह विचार है कि देश में कराधान प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है। उन्होंने महसूस किया कि कराधान के लिए आय पर विचार करने की बजाए खपत को आधार मानकर उस पर विचार करना बेहतर है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया जाए।

आज विश्व की अर्थव्यवस्था में संकट व्याप्त है। आज विकसित देश कम विकसित देशों की सहायता करने से मना कर रहे हैं। उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच वार्तालाप और कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनका उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों को एक साथ लाना था फेल हो गए हैं। मुद्रास्फीति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विश्व के चारों ओर व्याप्त इस स्थिति का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना निश्चित है। लेकिन कई संकटों का सामना करते हुए, हमारे देश ने मुद्रास्फीति को रोकने का प्रबन्ध किया है जो कि पिछले वर्ष केवल 2.8 प्रतिशत थी। दोबारा हमारा वित्त मंत्री इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा का पात्र है।

इस वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट का उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना, अर्थव्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को मजबूत करना, बचतों को प्रोत्साहन देना और आवश्यक निदेश को बढ़ावा देना है। हमें आशा करनी चाहिए कि इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा और आने वाले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी।

महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

धन्यवाद !

***श्री थाझाई एम० करुणानिधि** (नागापट्टिनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं अपने दल डी० एम० के० की ओर से, भारत सरकार के 1983-84 के सामान्य बजट पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, बजट का सर्वत्र स्वागत किया गया है क्योंकि इसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। इस बजट में निहित राजस्व प्रस्तावों से औद्योगिक विकास, देश के निर्यातों का संवर्धन और उन्नत सिंचाई सुविधाओं से कृषि विकास सुनिश्चित हो सकेगा। सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की तत्काल उपलब्धि को नए बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था द्वारा सम्भव बनाया जा सका है।

इस बजट में कृषि के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि की

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गई है। इसके अलावा, उन राज्यों को आवंटन के लिए 125 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है जिन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण उन्नति की है। कृषि को भू-शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। प्रधान मंत्री के ग्रामीण विकास फण्ड का ग्रामीण विकास के विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। इस बजट में कृषि और बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 2500 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है। इसी प्रकार, परिवार कल्याण के लिए 336 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है।

मैं बाल कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं। परिवार कल्याण योजनाएं और बाल कल्याण योजनाएं हमारी दो आंखों के समान हैं और इनको समान महत्व दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाल कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन का आबंटन किया जाए।

1990 में अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल और सफाई दशक समाप्त होने से पहले, भारत सरकार ने यह भी वचन दिया है कि देश के सभी गाँवों में पीने का पानी मुहैया करा दिया जाएगा और सफाई की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। अब तक केवल 0.5% गांवों में ही सफाई सुविधाएं प्राप्त हैं और केवल 31% ग्रामीण जनसंख्या को पेय जल दिया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश के सभी गांवों में पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए एक अलग योजना अवश्य ही बनाई जानी चाहिए और भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

1924 का कावेरी जल समझौता 1974 में समाप्त हो गया था और तत्पश्चात् संबंधित मुख्य मंत्रियों की 9 बार बैठक हुई है परन्तु समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। इस मध्यावधि के दौरान कर्नाटक सरकार ने कावेरी की सहायक नदियों पर केन्द्रीय योजना आयोग की अनुमति के बिना तीन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर लिया था। इसके फलस्वरूप तमिलनाडु को कावेरी जल में से अपने उचित भाग से वंचित कर दिया गया है। तमिलनाडु के थंजावूर और तिरुचिरापल्ली जिले थार रेगिस्तान में परिवर्तित हो गए हैं। वहां हजारों किसान और कई लाख कृषि श्रमिक अपना व्यवसाय और आजीविका को खो बैठे हैं। उनकी दीन-हीन हालत बताई नहीं जा सकती, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बहुत से परिवारों ने आत्म-हत्या कर ली है क्योंकि वे और अधिक गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तमिलनाडु राज्य को चावल मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां कृषि नहीं हुई। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र इस मामले में हस्तक्षेप करें और तमिलनाडु के साथ न्याय करें। तमिलनाडु में अद्रमुक के मंत्री बार-बार माननीय प्रधान मंत्री पर कावेरी जल विवाद समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाते रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री भी इन मंत्रियों का समर्थन करते रहते हैं। कावेरी जल विवाद सम्बन्धी समझौते में माननीय प्रधान मंत्री को बाधा क्यों डालनी चाहिए? माननीय प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार को इस प्रकार के आरोप का खण्डन करना चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार के बीच मतभेदों के कारण राज्य के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। केन्द्र सरकार के स्तर पर कावेरी जल विवाद का समाधान शीघ्र निकाला जाना चाहिए।

केन्द्र द्वारा काला धन, जमाखोरी तस्करी इत्यादि को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु, दुर्भाग्य से, इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से नहीं उखाड़ा गया है। उदाहरणार्थ, मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में अद्रमुक के मंत्रियों और उन सहयोगियों द्वारा बजट नियतनों के 70% का दुरुपयोग किया जाता है। आज जो लोग सिनेमा की टिकटें बेचा करते थे वे इतने समृद्ध हो गए हैं कि वे फिल्में और भी रंगीन फिल्में भी ले सकते हैं। इससे आप तमिलनाडु में भ्रष्टाचार की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। यदि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय परिश्रमपूर्वक काम करें, तो अद्रमुक के कार्यकर्ताओं से 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक का काला धन प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक धन का आवंटन किया गया है। तमिलनाडु में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित सारे धन को सत्ताधारी दल द्वारा लूट लिया जाता है। के अन्तर्गत गांवों में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे धन के बारे में जांच करने और धन सही उपयोग करने के लिए कारगर उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए।

मैं इस बजट में पेय जल सम्बन्धी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का स्वागत करता हूं। तमिलनाडु सरकार ग्रामीण इलाकों में पेय जल प्रदान करने पर धन लगाने की बजाए, वह राज्य विधान सभा के उप-चुनावों पर उस धन को खर्च करती है। राज्य में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बजाए, सत्ताधारी दल के लिए उस धन को लोगों के वोट खरीदने पर खर्च किया जाता है। इसके फलस्वरूप, लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल पातीं।

महोदय, सामान्य बजट पेश करने से पहले, अधिसूचनाओं के माध्यम से मिट्टी के तेल और डीजल आदि पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति को मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई कीमत देनी पड़ेगी। किसानों को भी डीजल का अधिक मूल्य देना पड़ेगा। आज के समाचार पत्र की रिपोर्टों से पता चलता है कि अरब और खाड़ी के देशों ने भी पेट्रोल के मूल्य कम कर दिए हैं। तो फिर हमने मिट्टी के तेल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? इसी प्रकार डाक की दरें भी बजट से पहले ही बढ़ा दी गई हैं। जब कि डाक और तार विभाग लोगों को संतोषजनक सेवा नहीं दे पा रहा, तो डाक की दरें बढ़ाना उचित नहीं है। सरकार को मिट्टी के तेल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और डाक दरों में बढ़ोत्तरी में भी कमी करनी चाहिए ताकि आम जनता को लूटा न जाए।

मैं वित्त मंत्री द्वारा देश में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों की प्रशंसा करता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि औद्योगिक विकास के मामले में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। थंजावूर जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाना चाहिए। इस जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ और जिलारहित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। थंजावूर जिले में भारी उद्योग, कृषि उपस्कर बनाने वाले उद्योग और रसायन उर्वरक बनाने वाले उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए।

वेदारण्यम में, कावेरी की घाटी में तेल मिला है, परन्तु वहां अन्वेषण कार्य शीघ्रता से नहीं किया जा रहा। वहां केवल एक तेल ड्रिल है। कावेरी घाटी में भी दो और ड्रिल काम पर लगाए जाएं ताकि खुदाई के काम में तेजी लाई जाए। यहां पर एक तेल शोधक कारखाना लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव भी तैयार किए जाने चाहिए। वेदारण्यम में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। वेदारण्यम में मूल कच्ची सामग्री के रूप में नमक भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और मैं मांग करता हूं कि वहां नमक पर आधारित उद्योग लगाए जाएं।

नागपट्टिनम में एक नौसेना डाक यार्ड को स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां मुख्य पत्तन के लिए सभी संरचना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार को चाहिए कि वह नागपट्टिनम को मुख्य पत्तन घोषित करे, ताकि यहां सुलभ सुविधाओं का उपयोग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके। वहां एक हवाई अड्डा भी बनाया जाए। जिसकी वहां के लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं और यहां पर विश्व प्रसिद्ध ईसाई धर्म का केन्द्र वेलनकन्नी है जहां कि 'सेकर्ड मेरी' का मन्दिर है। इसी प्रकार, विश्व प्रसिद्ध 'नागुर डार्घा' भी यहीं है। यहां बहुत से प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर भी हैं। यहां पर सुन्दर बन्दरगाह भी है। अतः, मैं मांग करता हूं कि यहां एक गैर-सैनिक हवाई अड्डा बनाया जाए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मती गुरब्रिन्दर कौर बरार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में जो आज जनरल बजट पर बहस चल रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए, अपने कुछ सुझाव रखने के लिए और इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

1982-83 वर्ष में मुल्क के कुछ हिस्से में अकाल पड़ा। इसका रुरल सैक्टर पर ही असर नहीं हुआ, बल्कि पावर जनरेशन पर इन्डस्ट्रीज के ऊपर और जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि एक्सर्नल पेमेंट पर भी हुआ है। जब इस प्रकार से अकाल पड़ता है, ड्राउट आता है, फल्ड आते हैं, तो सरकार आराम से नहीं बैठ सकती है सरकार को उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर भी मैं वित्त मंत्री महोदय को मुबारक बाद देता हूं कि उन्होंने कीमतों को बढ़ने से रोका है। जो हमारा प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका भी ज्यादा नुकसान नहीं पड़ने दिया है। हमारा जो डवेलपमेंट है, उस पर भी फर्क नहीं पढ़ने दिया है। इससे जाहिर होता है कि हमारी इकानामि सही रास्ते पर है। संसार की स्थिति को देखते हुए, जो डोमेस्टिक प्राइस है, उसको भी संभालना बहुत जरूरी है। जब भी अपोजीशन के मैम्बर्स अपनी बात कहते हैं तो आई० एम० एफ० का हवाला जरूर देते हैं और उनकी तो आदत सी बन गई है हर चीज को कैन्डम करने की। जो प्लान आउट-ले किया गया है, उससे जाहिर होता है कि वह भी काफी बढ़ाया गया है। 1982-83 में सैन्ट्रल प्लान आउट-ले में 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन 1983-84 में 13,870 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साफ जाहिर है 26.1 परसेंट का इसमें बढ़ावा हुआ है। राज्यों और यूनियन टैरिटरीज का 1982-83 का टोटल प्लान 11.625 करोड़ रुपये है यदि इसमें सैन्टर का प्लाट आउट-ले मिला दिया जाए तो 25,498 करोड़ रुपए हो जाता है, जो कि 21.5 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट के जो

मेन-ओब्जैक्टिवज होते हैं उन को वित्त मंत्री जी ने अपने ध्यान में रखा है । जैसे—

> "निवेश को बढ़ाने और प्रोत्साहन देना, योजना परिव्ययों को बढ़ाना, साधन जुटाना, घाटे को न्यूनतम रखना और अनावश्यक व्यय को प्रोत्साहन न देना ।"

कम्पनियों के ऊपर भी आज बहुत चर्चा चल रही है, अखबारों में भी आ रहा है, लेकिन उन के खर्चे को देखा जाय तो साफ जाहिर है कि वे इतनी आमदनी होने के बावजूद, इतना खर्चा दिखा कर कोई पैसा सरकार को टैक्स की शक्ल में नहीं देते हैं । ऐसी सूरत में जब कि हर तरह से मिसयूज होता है तो सरकार को मजबूर होकर उन के ऊपर कुछ न कुछ अंकु लगाना पड़ता है । इस में कहा गया है—

> "बचत को प्रोत्साहन देना, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निवेश का वातावरण तैयार करना"

यह जो आई०एम०एफ० की बात है रोज इसका जिक्र आता है जब हम यह देखते है कि वित्त मंत्री जी सबसिडी भी फर्टिलाइजर पर देते हैं जिस से इम्पोर्ट की जो किमत है वह कम है, साथ उन के दामों को यहां पर बढ़ने से रोकने की कोशिश होती है, मार्केट में जो ओपन प्राइस है उस को रिटेन करने की कोशिश होती है, तो फिर कैसे अपोजीशन वाले इस बात पर जोर देते हैं कि आई०एम०एफ० का इस बजट पर असर रहता है ?

डिफेन्स के बारे में मैं मंत्री जी के भाषण से कुछ लाइनें कोट करना चाहती हूं । उन्होंने बड़े ब्यूटिफुल शब्दों में कहा है—

> "माननीय सदस्य इस क्षेत्र की भौगोलिक राजनैतिक स्थिति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के कारण हम पर बढ़ते हुए कार्य भार से अवगत हैं ।,,

ये बहुत से सुन्दर शब्द हैं—

> "जहां पर राष्ट्र की सुरक्षा का सम्बन्ध है वहां कोई भी बलिदान इतना बड़ा नहीं है । परन्तु हम अपने विकास संबंधी प्रयासों को ढ़ील नहीं दे सकते चाहे काम कितना अधिक भी हो जैसा कि अति विश्लेषण में है, राष्ट्र की सुरक्षा आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है ।"

कितनी खूब सूरती के साथ उन्होंने थोड़े से सैन्टेन्सैज में डिफैन्स के बारे में सब कुछ दिया है, क्योंकि आज डिफैन्स पर सब से ज्यादा खर्च हो रहा है । उन्होंने यह भी कहा है कि डिफैन्स पर इतना खर्चा करने के बावजूद भी हम को अपनी इकानमी को ठीक तरह से बना कर रखना है ।

हमारा जो प्लान आउटले है—उस से साफ जाहिर है कि हमारे जो प्राजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्ज हैं, उन को पूरा करने में मदद मिलेगी, हमारी इकानमी मजबूत होगी और बीकर सैक्शन्ज आफ दि सोसायटी को ऊपर उठने में मदद मिलेगी । इन्होंने 1983-84 के बजट में एस्टीमेटेड रिसीप्ट्स 32586 करोड़ रुपये की दिखलाई हैं, एक्सपेण्डिचर 34836 करोड़ रुपये का

दिखलाया है, इन दोनों के बीच में 2250 करोड़ रुपये का गैप है। हमारे जो पुराने टैक्सेज लगे हुए हैं अगर उन को ही रखा जाय तो घाटा 2250 करोड़ रुपये का है। इस को मीट करने के लिए जो नये टैक्स मैजर्ज लगाये गए हैं उन से 615.31 लाख रुपये का एडीशनल रेवेन्यू मिलेगा जो सैन्टर का है और स्टेट्स का 100.74 करोड़ रुपये का होगा। इस तरह से बजटरी डेफिसिट 1555 करोड़ रुपये रह जाता है। जिससे साफ जाहिर है कि देश की इकानमी पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ने वाला नहीं है।

इन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह कही है कि जो पार्लियामेन्ट्री कमेटीज होती हैं, उन की बहुत सी रिकमेण्डेशन्ज आती है इन्होंने उन रिकमेण्डेशन्ज को भी ध्यान में रखा है। इसी तरह से इन्होंने इकानामिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज कमीशन की रिकमेण्डेशन्ज का भी ध्यान रखा है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि यह जरूरी नहीं कि हम उन की हर रिकमेण्डेशन को माने। इस के पेज 45 पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है—

मैं वित्त मंत्री के भाषण के पृष्ट संख्या 45 से उधृत करती हूं—

"महत्वपूर्ण मामलों पर बहुत सी सिफारिशों में से जैसे शहरी सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक न्यायाधिकरण जैसी सिफारिशों पर प्रत्यक्ष कर संशोधन, विधेयक पर कार्यवाही की जाएगी, और इस संशोधन को तैयार करने का काम शीघ्र शुरु किया जाएगा"

इस लिए मैं इस पत्र का स्वागत करती हूं अक्सर असर जो बढ़ता रहा है वह जमीन पर ही होता रहा है लैंड रिफार्म्स और अर्बन प्रोपर्टीज के बारे में कुछ करने के लिए न सिर्फ सैन्टर ने बल्कि स्टेटों की सरकारों ने कानून बनाएं लेकिन इस का कोई बहुत ज्याद्धा अच्छा रिजल्ट नहीं निकला अब जो यह किया गया है, मेरा ख्याल है कि इससे कुछ फायदा होगा।

डिफेन्स पर में पहले बोल चुकी हूं। इस के लिए प्रोविजन बहुत अच्छा रखा है। तकरीबन 5971 करोड़ रुपये 1983-84 के लिए रखे हैं जबकि 1982-83 में 5350 करोड़ रुपये थे।

मंत्री जी ने जो फोर्थ पे कमीशन बनाने का फैसला किया है, उस के लिए मैं इनको मुबारकबाद देती हूं। इस से जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज हैं, उनको बहुत इमदाद मिलेगी। इन्होंने जो यह कहा है कि एम्पलाइज को भी कन्सल्ट किया जाएगा, इस से हमारे जो एम्पलाइज हैं, उनको पूरा सैटिसफैक्शन होगा और मैं उम्मीद करती हूं कि वे ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। डियरनैस एलाऊन्स के लिए भी इन्होंने 300 करोड़ रुपये रखे हैं और दूसरे बहुत से रिलिफ दिये हैं। 1-4-83 से इन्होंने पेंशनर्स के रेट्स बढ़ा दिये हैं और अब लो-पेड़ पेंशनर को 160 रुपये मिनीमम और फैमीली पेंशन 150 रुपये रखी है। मेरा एक सुझाव यह है कि जो प्रोवीडेंट फंड आप लेते हैं, उसमें इन-बिल्ट इंश्योरेंस का प्रोवीजन इस में कम्पलसरी कर देवें' तो उन को बहुत फायदा होगा। फैमीली में छोटे-छोटे बच्चे रह जाते हैं और जो विधवांए होती हैं उन को इससे काफी मदद मिलेगी, अगर यह सब के लिए कम्पलसरी कर दिया जाए।

यह जो प्रोवीडेंट फंड में एम्पलाइज पैसा देते हैं, उसक इन्ट्रेस्ट आप ने बढ़ा दिया है और 1 परसेंट ज्यादा कर दिया है लेकिन इन-बिल्ट इंश्योरेंस के लिए जो मैंने सुझाव दिया है उस को आप मान लेगें, तो मैं आप की आभारी हूंगी।

आपने यह देखा होगा कि अगर थोड़ा सा भी ड्राउट किसी जगह आ जाता है, तो एग्रीकल्चर में उस का फर्क तो पड़ता है लेकिन मुल्क की बाकी एकोनामी में भी बड़ा फर्क आ जाता है। मुझे खुशी है कि आप ने एग्रीकल्चर को बड़ी प्रायरटी दी है और एनुअल आउटले 19 परसेंट बढ़ाया है। इनटेग्रेटेड रूरल डैवलपमेंट के लिए प्रोवीजन को भी बढ़ाया है।

मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर फंड फार रूरल डैवलपमेंट के बारे में जो बात कही गई हैं, उसके ऊपर कल के इन्डियन एक्सप्रेस में पालकीवाला का एक आर्टीकिल आया है और उस में उन्होंने अपनी तकलीफ का इजहार किया है।

मैं 14 मार्च, 1983 के इंडियन एक्सप्रेस में से श्री पालकीवाला की टिप्पणियां उद्धृत करती हूं—

> "आज के बाद न तो कोई कंपनी या अन्य कर दाता ग्रामीण विकास पर कटौती योग्य व्यय नहीं कर सकता परन्तु वह इसके लिए एक नए शुरू की जाने वाली प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास निधि में चन्दा दे सकता है। यह वास्तव में राजनैतिक चन्दों की पूरी कर की छूट के साथ दूसरे तरीके से कानूनी बनाना है और जो कि राष्ट्र के मूल्य पर है।"

पता नहीं उन्होंने यह सब कैसे लिख दिया ? यह भी मालूम नहीं है इसका आधार क्या है—

> "जबकि कम्पनी अधिनियम की धारा 243 के द्वारा (सिद्धान्त रूप से) राजनैतिक चन्दे देने से निषेध किया गया है। कानून में परिवर्तन के कारण ग्रामीण विकास को धक्का पहुँचेगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं निराशाजनक बनी रहेंगी।"

यह उनका ख्याल हो सकता है लेकिन सारे मुल्क की जो फाइनेंस है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मेनेज करते हैं। हमारे मुल्क की 70 करोड़ के करीब आबादी है और करीब 46 हजार लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं। वे अगर यह सोच लें कि उनके ऊपर ही सारा रूरल डवलपमेंट डिपेंड करता है तो यह ठीक नहीं है। पता नहीं, उन्होंने यह कैसे सोच लिया।

आगे जा कर तो उन्होंने बड़ा फिजूल लफ्ज लिखा है। यह जो प्राइम मिनिस्टर का फण्ड है यह तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का होगा, वह किसी एक इन्सान का तो नहीं होगा। इस फण्ड में दिये जाने वाले पैसे को तो पूरा इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलना ही चाहिए।

मैं आपके इस कदम को भी वेलकम करती हूं। आपने इस कदम से जमींदारों और किसानों के ऊपर जो बहुत मुसीबत थी उससे उनको राहत दिलायी है। उनका बहुत-सा पैसा वकीलों के घरों में जाता था। आपने एस्टेट ड्यूटी आन एग्रीकल्चरल लैण्ड पर से खत्म की है। यह बहुत

बढ़िया बात की है। किसी मेरे भाई ने यह कहा था कि यह नहीं होना चाहिए, इससे बड़े-बड़े जमींदार फायदा उठायेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि लैण्ड रिफार्म्स बिल के बाद बड़े-बड़े जमींदार कहां रह गए हैं। अब कितनी जमीनें लोगों के पास हैं। बहुत से हमारे किसान भाई तो अनपढ़ हैं। वे जो कमाई करते हैं उनका ज्यादातर पैसा तो वकीलों की जेबों में जाता है।

आपने फर्टिलाइजर की कीमतें कम की हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट की जो कीमतें आपने कम की हैं, इससे, मेरा ख्याल है कि आगे जा कर पैदावार और बढ़ेगी।

आज एक क्वेश्चन फर्टिलाइजर की कीमत के बारे में हुआ था जिस पर एक भाई ने कहा था कि जनता राज में यूनिट की कीमत 70 रुपये कर दी गयी थी। उस पर हमारे मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि अगर लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो कम कीमत से भी क्या होगा। उत्पादन तो नहीं होगा। अब इन्होंने मदद की है। मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात जानती हूं। उनमें यह बड़ी खूबी है कि जो भी उन्हें नयी चीज बतायी जाए उसको वे अच्छी तरह से अपनाते हैं। खाली पंजाब और हरियाणा से 60 परसेंट अनाज आता है। फर्टिलाइजर की जो सब्सीडी आपने रखी है, वह 798 करोड़ रुपये की रखी है। 700 करोड़ डोमेस्टिज फर्टिलाइजर पर और 98 करोड़ इम्पोर्टिड फर्टिलाइजर पर। 1982-83 में आपने 648 करोड़ रुपये की रखी थी—550 करोड़ रुपये डोमेस्टिक फर्टिलाइजर के लिए और 98 करोड़ रुपये इम्पोर्टिड फर्टिलाइजर के लिए। यह 98 करोड़ रुपये पहले भी था और अब भी।

आपने एल्टराईन सायल पर भी आपने छूट दी है, यह बहुत अच्छा किया है। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन जमीन तो उतनी ही रहेगी। हमको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर एल्कलाईन सायल के लिए जो आपने छूट दी है इससे जिप्सम के अन्दर असर पड़ेगा। बहुत से हमारे काश्तकार जमीन निकालेंगे।

बाकी आपने इरीगेशन के लिए कम्बरसम इंजिन और स्प्रेअर पर, इंजिन के लिए एगजेम्प्शन दी है, यह भी बहुत अच्छा है। आपने कमर्शियल बैंक्स का शार्टटर्म लोन के ऊपर एक परसेंट रेट आफ इन्ट्रैस्ट कम किया है यह सबसे ज्यादा अच्छी बात है। असेंशल फूड आर्टिकल्स, आयल सीड्स, वेजीटेबल्स की कोआप्रेटिव्ज को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी छोटी बात यह है कि आपने टिन्ड फूड के कन्टेनर पर भी ड्यूटी कम की है। अगर हमको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना है तो चार-पांच प्वाइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए—

(1) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना।

(2) उर्वरकों का प्रयोग।

(3) अधिक उत्पादन देने वाले बीज।

(4) उधार ऋण सुविधाओं का विस्तार।

(5) प्रमुख फसलों के लिए उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य देना।

आपने अपने बजट में पांचों चीजों का ख्याल रखा है। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन जो है···

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

ये जो कीमतें तय करते हैं इनकी तरफ विशेष तवज्जह देने की जरूरत है। किसान भी अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कई जगह एक्सपेरीमेंट के तौर पर बता दिया जाता है कि एक एकड़ से एक लाख रुपए की आमदनी हुई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इससे लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि एग्रीकल्चर से बड़ी इनकम आती होगी। यह बात ठीक है कि ये लोग खुशहाल हैं लेकिन इंडस्ट्रीज की तरह ब्लैक मार्केट का पैसा इनके पास नहीं है। जब कीमतें गिर जाती हैं तो उसका सामना किसान को ही करना पड़ता है और अगली फसल के लिए पैसा भी उसे अपने पास से ही लगाना होता है। इसलिए इस बात को ख्याल में रखा जाना चाहिए।

नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 125 करोड़ रुपया रखा गया है। इससे स्माल और मार्जिनल किसान को भूमि सुधार करने में फायदा होगा। इसका परिणाम अंततः नेशनल पूल में जाएगा और जब अनाज अधिक पैदा होगा तो मुल्क की हालत सुधरेगी और लोगों को रोटी मिलेगी। इससे सब सन्तुष्ट होंगे। 608 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। हमको वह समय याद है जब मिडल मैन किसानों से सूद दर सूद ब्याज लेते थे। इससे उनको राहत मिलेगी। जनता राज में कीमतें कम थीं, इसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यहां पर बयान दिया था। जब वे मुखसर पहुंचे तो वहां पर कपास इस तरह से बिछी हुई थी जिस तरह से बर्फ पड़ी हो। उस वक्त जनवरी का महीना था। प्रधान मंत्री ने स्वयं यहां पर स्टेटमेंट दिया था। उस वक्त इस तरह की हालत थी और आज यही लोग ऊंची आवाजों में कहते हैं कि यह कीमत होनी चाहिए। मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि 5 परसेंट ग्रोथ हुआ है और कीमतें भी बढ़ती रही हैं। किसान आज खुश है।

दो मेजर स्कीम्स आयल सीड्स डेवलपमेंट एण्ड ड्राई लैण्ड फार्मिंग पर ध्यान दिया गया है, यह भी बहुत अच्छा काम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, पापूलेशन पर कन्ट्रोल होना चाहिए। इस बारे में मैं बाद में कहूंगी मेरी प्रार्थना है कि ड्राई फार्मिंग लैण्ड और अल्केलाइन सायल लैण्ड को सुधारा जाना चाहिए। अभी मैं कुछ इलाकों में गई थी। वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर डीप ट्यूबवैल लगाकर ज्यादा पैदावार की जानी चाहिए।

116 करोड़ रुपया फ्लड कन्ट्रोल और इरीगेशन के लिए सेंट्रल प्लान में रखा गया है और 2404 करोड़ प्लान आफ स्टेट्स एण्ड यूनियन टेरीटरीज में रखा गया है। इससे बहुत लाभ होगा।

अब मैं ड्रिंकिंग वाटर पर आती हूं। जब विपक्षी लोग बात करते हैं तो हमें हैरानी होती है। ये कहते हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई है। मैं आप बीती बताना चाहती हूँ। अंग्रेजों के जमाने की बात है। कुएं नहीं होते थे। तालाबों में ड्रिंकिंग वाटर होता था, जिसको पीने से बोन्स वगैरह पर असर पड़ता था। उस पानी में से पहले कीड़े निकाले जाते थे, उसमें फिटकरी मिलाई जाती थी, इसके बाद उबाला जाता था तब वह पीने के उपयोग में लाया जाता था। आज जब ये लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई है तो बड़ी हैरानी होती है। अब आपने 48000 विलेजेज को कवर करने की इसमें कोशिश की है इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। राजस्थान के बारे में भी कल कहा गया था। बहुत दूर-दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ को दूर किया जाना चाहिए। हाऊस वाइव्ज को आपने कुछ चीजों पर रियायत दी है और सस्ता किया है जैसे—शुगर, प्रैशर कुकर, इलैक्ट्रीक बल्ब्स, फूड प्रोड्क्ट्स इन मैटल कंटेनर, स्कीम्ड मिल्क पाऊडर इन पैक्स, कासमेटिक्स, टायलेट प्रिपरेशन्स, रेफरीजरेशन और एअर कंडीशनींग आर्टिकल्ज आदि। इसके बाद मैं एक बात जरूर कहूँगी कि केरोसीन ऑयल की तंगी बहुत है और उसका असर औरतों पर पड़ता है। केरल में कुछ लोग बोट्स चलाते हैं, वे केरोसीन की बजाय डीजल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केरोसीन नहीं मिलता जबकि डीजल एक्सपेन्सिव है। डीलर्स को भी केरोसीन ऑयल महंगा मिलता है, इसलिए महंगा लेकर वे सस्ता तो नहीं बेचेंगे जिसका नतीजा यह होता है कि उनको शार्टेज दिखानी पड़ती हैं। कुछ औरतें मेरे पास आई और कहने लगी कि कुछ करिए। मैंने उनसे कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब से तकरार करेंगे, लेकिन वे भी क्या करें। केरोसीन आयल का इस्तेमाल अरबन पूअर ज्यादा करता है। उनके परिवार की जो औरतें हैं उनको छोटी-छोटी लकड़ी इकट्ठी करने का मौका मिल जाता है और रेलवे स्टेशन पर जो कोयला मिलता है उसको भी वे ले जाती हैं। कपास की जो छट्टियां होती हैं उनको भी वे इस्तेमाल करती हैं। हमें उम्मीद है फाइनेंस मिनिस्टर साहब केरोसीन ऑयल के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे।

आपने जो न्यू 20 प्वाइंट प्रोग्राम रखा है, उससे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि उससे सारा ही कवर हो जाता है। उसमें वीकर सैक्शन आफ दी सोसाइटी, लो-पेड सेलरी पीपर भी आ जाते हैं। गांवों में जो बेघर लोग हैं उनको घर भी मिलते हैं। आपको इस बारे में ज्यादा पता है। इसमें फारेस्टरी भी आ जाती है। आपने सेन्ट्रल प्लान आउट-ले में 300 करोड़ रुपया सब स्टेट्स को ग्रान्ट देने के लिए रखा है। जो भी स्टेट इन प्रोग्रामों में से बढ़िया परफारमेन्स दिखायेगी और जिसका भी स्पेसीफाइड प्रोग्राम अच्छा होगा तो 300 करोड़ रुपया आप ग्रान्ट के रूप में बांटेंगे। यह उनके लिए अच्छी चीज है। उसके साथ आपने इलैक्ट्रीसिटी को भी रखा है जिसको कि हमें बेहद जरूरत है। आपने सेन्ट्रल सेक्टर प्लान में 2,747 करोड़ रुपया रखा हैं, और जैसा कि आप कह रहे थे कि 26.8 परसेन्ट इन्क्रीज हुआ है। स्टेट्स और यूनियन टैरीटरीज के लिए 7,332 करोड़ है। अगर टोटल प्राविजन इसका जमा करें तो 10 हजार करोड़ से ऊपर चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर का जो 20 प्वाइंड प्रोग्राम था, उसको बदलकर और जो काम पूरा हो चुका था उसको निकालकर न्यू 20 प्वाइंट प्रोग्राम बनाया गया है सबसे बढ़िया बात यह है कि एनर्जी सेक्टर में आपने क्रूड आंयल प्रोडक्शन 21 मिलियन टन रखा है और 1983-84 में 26 मिलियन टन हो जायेगा। कोई भी पब्लिक सेक्टस ऐसा नहीं होगा, जहां पावर कट नहीं होता है। जितनी पावर उनको चाहिए वह मिलनी चाहिए। पावर न मिलने की वजह से वे लास

दिखाते हैं इसलिए मुल्क में पावर की बेहद जरूरत है। आपने सेन्ट्रल प्लान में 31, 50 परसेन्ट बढ़ावा दिया है जिसके लिए में धन्यवाद देती हूं। बाकी अटालिक ऐनर्जी, कोल को आपको देखना है। साथ ही हाइड्रो इलैक्ट्रिक को भी देखना है। हमारे पंजाब में भटिन्डा में थर्मल प्लान्ट है वहां पर सारे साल तीनों चिमनियां नहीं चलती हैं जिसकी वजह से पंजाब के किसानों और इंडस्ट्री को पूरी पावर नहीं मिलती जिसका बुरा असर प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसलिए सारे मुल्क के लिए पावर जैनरेशन बहुत जरूरी है। तारापुर ऐटसिक ऐनर्जी प्लान्ट है। उसी तरह के आप 1, 2 प्लान्ट्स और सूत्रों को भी दे रहे हैं। पंजाब ने भी मांग की थी। मुझे उम्मीद है कि पंजाब का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि यह सरहद पर सुना है, छोटा है और इंटरनेशनल बौर्डर लगता है। आपने "जय जवान, जय किसान" का नारा सुना होगा। इस दोनो बातों में पंजाब कभी पीछे नहीं रहा है, इसलिए पंजाब का स्पेशल ध्यान आपको रखना चाहिए। नान-रैंजीडेंट इंडियन के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है वह अच्छा है। इससे फोरैन ऐक्सचेंज आती है। आपने काफी कंसेशन्स भी दिये हैं और खासकर जो सहूलियतें दी हैं जो इंडियन औरिजिन के हैं और बाहर सैटित हुए हैं अगर वह गिफ्ट के तौर पर अपने रिश्तेदारों को अपेट्स भेजेंगे तो उस पर आपने गिफ्ट टैक्स नहीं लगाया है। एक बात बहुत अच्छी है वे अपना पैसा फोरैन एक्सचेंज में सरकारी भारतीय लिमिटेड कम्पनियों में शेयर और डिबेचर, यू० टी० आई० की यूनिटें केन्द्रीय सरकार निक्षेपों आदि लगा सकते हैं और इनके ऊपर जो 20 परसेन्ट फ्लैट रैट लगाया है इन्कम टैक्स का प्लस सरचार्ज 2, 5 परसेन्ट, इससे उनको सहूलियत होगी और इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत होगी। आपने लौंग टर्न कैपिटल गेन पर फ्लैट रेट लगा दिया है और कैपिटल गेन में आपने कहा है कि अगर कोई 6 महीने में इन्वेस्ट कर ले तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है नान-रेजीडेंट इन्डियन्स ज्यादा से ज्यादा पैसा फौरेन ऐक्सचेज में हिन्दुस्तान को भेजेंगे इससे उनको भी फायदा होगा।

आपने जो 6 ईयर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 12 परसेन्ट से बढ़ाकर 13 परसेन्ट कर दिया है यह भी अच्छा है इसी तरह से फेमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तौर हिन्दुस्तान में कोई तरक्की नहीं हो सकती है। चाइना ने तो वन फौर वन फेमिली कर दिया है, और हमारा जो स्लोगन था "हम दो हमारे दो" देखना है कि आज आप उस पर पहूंचे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर पोपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेवलमेंट का कोई फायदा लोगों को नहीं मिल सकेगा। इसलिए बढ़ती हुई आबादी को रोकना जरूरी है। अगर मैं कहूं दो के बाद तीसरा बच्चा हो तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए, तो गलत नहीं होगा क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सरकार की तरफ से फ्री है, उनकी हैल्थ का ख्याल सरकार रखती है, इंटेगसेटेड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो अगर टैक्स लगेगा तो फिर जरा सोच कर ही लोग बच्चा पैदा करेंगे।

सोशल वेलफीयर के अन्दर जो आपने ब्लाक बनाये हैं, 620 के करीब पहले थे अतः 200 और सोचे हैं जिनके अन्दर सारे मुल्क को बांट देंगे और इनके अन्दर जो औरतों के प्रोग्राम है उनको रोजगार मिलेगा।

चीजें तो बहुत कहनी थी, लेकिन आपने घंटी बजा दी इसलिए इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री के प्रोपोजल्स को खुली सपोर्ट करती हूं। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री प्रणब मुखर्जी को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया है जिसे न केवल इस सदन ने ही स्वीकार किया है बल्कि सम्पूर्ण देश ने स्वीकार किया है।

यह बजट केवल लेखों का विवरण ही नहीं है जिसमें सरकार की आय और व्यय का ब्योरा दिया जाता है बल्कि यह सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ताकि सरकार, संसद् और प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित किए गए राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। हम सब इस बात को जानते हैं कि राष्ट्र का तीव्र विकास मुख्य लक्ष्य रहा है जिसके प्रति हम सब वचनबद्ध हैं, देश की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्र, संसद् और विशेष रूप से सदन का नेता भी इसके लिए कृत संकल्प हैं। इसके लिए निवेश और योजना परिव्यय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले आगामी वर्ष में योजना परिव्यय में 26% की वृद्धि की गई है। इसके फलस्वरूप वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय योजना परिव्यय बढ़कर 13,870 होने का अनुमान है।

महोदय, मैं विज्ञान का छात्र हूं, अर्थशास्त्र का नहीं। विज्ञान पढ़कर राजनीति में आने वाले छात्र का काम करने और देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। मैं अपने भाषण को संक्षिप्त रखूंगा, जहां तक इसके सापेक्ष महत्व का सम्बन्ध है, मेरा राष्ट्रीय विकास और इस बजट के प्रति काफी स्पष्ट दृष्टिकोण है और जैसा कि मैंने बताया है कि यह बजट देश की विकास योजनाओं के सापेक्ष महत्व, लक्ष्य और उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है।

केवल योजना परिव्यय में स्वयं वृद्धि होना पर्याप्त नहीं है। इस राशि को उन परियोजनाओं और योजनाओं पर सही तरीके से खर्च किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं और जिससे तेजी से आर्थिक विकास होता है। अब, आर्थिक विकास कैसे होगा? आर्थिक विकास का प्रथम तत्व क्या है? यह प्रथम साधन ऊर्जा है—बजट में आपने 36% केन्द्रीय योजना परिव्यय का प्रावधान किया है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। महोदय, ऊर्जा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। अतः, यह उचित ही है कि ऊर्जा के विकास को प्राथमिकता दी गई है और केन्द्रीय योजना-परिव्यय का 36 प्रतिशत ऊर्जा के लिए रखा गया है। इसके साथ-साथ अन्य उपाय भी किए गए हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें ऊर्जा की बचत करने के उपायों पर 100% मूल्यह्रास का उपबन्ध भी किया गया है। हमें आशा है कि इससे ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी योजना परिव्यय में ऊर्जा बचत को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

बहुत समय से हमें यह बताया जा रहा है कि कार्यक्रम बनाने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उनको सही प्रकार से क्रियान्वित न किया जाए। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि हमारी योजनाओं की सफलता के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान वित्त मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि भारत के वित्तीय इतिहास में पहली बार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु विशेष उपाय किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकारों के लिए 300 करोड़ रु०

की राशि अलग से निर्धारित की गई है। यह देश के इतिहास में निश्चित रूप से एक नया अध्याय होगा।

देश के दीर्घकालीन विकास के लिए बचत व निवेश में वृद्धि जरूरी है। यह बजट इस दृष्टि से भी उपयोगी है। इस बचत को प्रोत्साहन देने तथा खपत विशेषतः प्रदर्शनकारी खपत को निरुत्साहित करने का प्रयास किया गया है। बचत के विनिर्दिष्ट रूपों यथा जीवन बीमा पालिसियों, भविष्य निधि आदि में कुल आय का 30 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को हटाकर 100 प्रतिशत कर तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों को इसके अन्तर्गत लाकर बचत में वृद्धि की जाएगी। कर-अपवंचन तथा करों की चोरी देश के लिए अभिशाप बन गई है। कर सम्बन्धी कानूनों जिनसे ऐसी अहितकर प्रवृत्तियां पनपती हैं, की त्रुटियां दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इससे अतिरिक्त राजस्व तो प्राप्त होगा ही, साथ ही अपना चरित्र सुधारने तथा ईमानदार कर-दाताओं को प्रोत्साहित करने का बेहतर माहौल तैयार हो सकेगा। कम्पनियों को दी जाने वाली विभिन्न रियायतों को उनकी आय का 70 प्रतिशत तक देने की घोषणा कर बजट ने इस दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरे शब्दों में, कम्पनियों को अपनी आय का न्यूनतम 30 प्रतिशत भाग कर के रूप में देना होगा। इस दिशा में एक अन्य कदम एक ही प्रबन्ध के अधीन आने वाली कम्पनियों पर धन कर लगाना तथा धार्मिक तथा धर्मार्थ न्यासों की व्यवसायगत आय पर कर लगाना हैं। कृषि के विकास के लिए दी जाने वाली रियायत के लिए भी वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। आपने कृषि के क्षेत्र में कई रियायतें प्रदान की हैं। उर्वरकों पर लगने वालाकर कम कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में आय-कर से अधिकांशतः तथा धन-कर से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। वित्त मंत्री ने कृषि भूमि पर से सम्पदा-शुल्क हटाने के अपने आशय की भी घोषणा की है।

महोदय, अमोनियम सल्फेट तथा कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट नामक दो शेष उर्वरकों के मामले में उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह सर्वविदित होगा कि यह कोई छोटा-मोटा कदम नहीं—बहुत बड़ा व साहसिक कदम है। आपने अमोनियम सल्फेट तथा कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट में रियायत प्रदान की गई है। यह एक ठोस कदम है और मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं।

आपका ध्यान पानी के संरक्षण से सम्बन्धित आंकड़ों की ओर दिलाया गया है। आगामी बीस, तीस या चालीस वर्षों में पानी दुर्लभ वस्तु बनकर रह जाएगी। महोदय, आप एक प्रतिष्ठित कृषक हैं। मैंने देखा है कि पंजाब व हरियाणा में छिड़काव करके सिंचाई करने का तरीका काफी लोकप्रिय हो रहा है। इससे ऊर्जा की काफी बचत होगी तथा इससे कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रणब जी, आपने इस क्षेत्र में कुछ रियायतें दी हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इसमें असावधानीवश गलती भी हुई है। पैरा 145 में आपने कहा है कि सिंचाई छिड़काव करने वाले उपकरण में प्रयुक्त एल्युमिनियम पाइप—जिन पर इस समय 16% मूल-शुल्क लगाया जाता है, पर भी पूरी छूट दी जाएगी। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें जो असावधानीवश गलती हुई है, वह भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। वह यह है कि विभिन्न प्रक्रिया निर्माण के कच्चे माल पर शुल्क जो कि पाइप शुल्क चरण में बराबर हो जाया करता था अभी भी बना हुआ है। अब पाइपों पर शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई है। इससे एल्युमिनियम

पाइप पर शुल्क में समानता नहीं रहेगी तथा इससे उस विनिर्माता को ही लाभ पहुंचेगा। जो कि बहिष्कार प्रक्रम द्वारा इन छिड़काव करने वाले उपकरणों का निर्माण करते हैं, ई० आर. डब्ल्यू० प्रक्रम को इससे भारी नुकसान होगा। इस सम्बन्ध में आपको अभ्यावेदन दिया गया है। कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वित्त विधेयक पर उत्तर देते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

अब महोदय जब हम किसी राष्ट्र के बजट पर विचार करते हैं, निसंदेह ही यह एक वर्ष का बजट हो, यदि एक वर्ष को 5 से गुणा करें तो यह एक योजना का रूप ले लेता है। इसलिए हमें अपनी योजना के उद्देश्य जानने आवश्यक हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के आलेख में योजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। यदि आप अनुमति दें तो, मैं छठी योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं को दोहराना चाहता हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा। ये हैं :—

"(एक) अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर में उल्लेखनीय वृद्धि, संसाधनों तथा उन्नत उत्पादकता के उपयोग में कार्यकुशलता बढ़ाना;

(दो) आर्थिक तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता हेतु तेजी से आधुनिकीकरण करना;

(तीन) गरीबी तथा बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी करना;

(चार) ऊर्जा के उपयोग में संरक्षण तथा कार्यकुशलता पर समुचित जोर देकर ऊर्जा के देशी संसाधनों का तेजी से विकास करना;

(पांच) आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अक्षम लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका कार्यक्षेत्र इस तरह से निश्चित किया जाए कि देश के सभी भागों में राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य स्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जाए, जनसाधारण का जीवन-स्तर में सुधार करना;

(छः) सार्वजनिक नीतियों तथा सेवाओं के पुनर्वितरणकारी आधार को गरीबों के पक्ष में मजबूत कर आय तथा धन की असमानताओं को कम करना;

(सात) विकास क्षेत्र तथा तकनीकी लाभों के विस्तार में क्षेत्रीय असमानताओं में उत्तरोत्तर कमी करना;

(आठ) स्वेच्छा से छोटा परिवार रखकर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने की नीतियों को बढ़ावा देना।

महोदय, मैं सभी विशेषताओं को नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे योजनाबद्ध विकास हेतु पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के ये मुख्य आधारभूत घटक हैं। मुझे आशा है, सम्पूर्ण सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि यही राष्ट्र द्वारा स्वीकार्य सर्वोत्तम नीति है जिसके द्वारा हम अपना लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।

इस सदन में प्रायः चर्चा करते हुए हमारा यह कर्त्तव्य बनता है कि लोगों को अपनी योजना

से अवगत कराएं। मुझे खुशी है कि 97,500 करोड़ रुपये की राशि में से 5,695 करोड़ रु० कृषि, 5363 करोड़ रु० ग्रामीण विकास 1430 करोड़ रु० विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम; 12,160 करोड़ रु० सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण तथा 26,595 करोड़ रु० ऊर्जा के क्षेत्र में आबंटित की गई है। इससे यह जाहिर है कि विशिष्ट क्षेत्र में—जो कि किसानों तथा लाखों लोगों के लिए लाभप्रद है—योजना तंत्र हमारी आशाओं के अनुरूप काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के दौरान हमारे महान वैज्ञानिक डा० स्वामीनाथन की उक्ति को मैं पढ़ता हूं, जिन्होंने हमारी योजना व इसके उद्देश्य के बारे में बड़ी उपयुक्त बात कही थी :—

"हमारे संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण भारी जनसंख्या तथा सूर्य की विपुल रोशनी है। इन दोनों संसाधनों के संयोजन से ही हम गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन तथा मुद्रास्फीति की समस्याओं को सोद्देश्यपूर्ण समाधान खोज सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब हम ऊर्जा, आय तथा रोजगार जुटाने सम्बन्धी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रभावी प्रयोग करना सीख लें।"

हालांकि ये शब्द कुछ तकनीकी हैं पर प्रकाश संश्लेषण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दीर्घा में बैठे लोगों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भारत की मानव संसाधनों की वास्तविक सम्पदा है। अतः मानव संसाधन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संयोजन करना होगा, जिसके लिए पर्याप्त बजट रखा जाना चाहिए। कुछ सेमिनार आयोजित कर यह कार्य बखूबी किया जा सकता है।

मैंने कल श्री मैत्रेय का भाषण बड़े धैर्य और शान्ति से सुना। यह सच है, वह भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स०) के सदस्य हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है, पर भूमि सुधार के सम्बन्ध में बात करते हुए उन्होंने यह कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 1981 में खाद्य तथा कृषि संगठन के 21वें सत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय मंच प्रस्तुत भाषण शृंखला में हमारी प्रधान मंत्री ने मुख्य रूप से सम्बोधित किया था। खाद्य तथा कृषि संगठन के 21वें सत्र में 9 नवम्बर, 1981 को उन्होंने अपने प्रमुख भाषण में इस मुद्दे पर जोर दिया था। इसे कार्यवाही-वृतांत में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा :—

"भूमि सुधार तथा ग्रामीण विकास के परस्पर संबंध से हम काफी समय से परिचित हैं।

पुरानी सामंती व्यवस्था तथा औपनिवेशक शासन ने सामाजिक विकास में अवरोध पैदा किया, जिससे हम कई दशकों तक प्रगति करने से वंचित रह गए।

स्वाधीनता हासिल होते ही, भूमि सुधार को प्राथमिकता दी गई।

अतीत में भू-स्वामित्व तथा लगान संबंधी अधिकार गरीब तथा कमजोर लोगों के विरुद्ध थे भूमि-स्वामित्व और पशुओं के स्वामित्व को अमीर वर्ग से गरीब वर्ग के नाम करना बड़ा मुश्किल काम रहा है। हमने भारत के अधिकांश भागों में भू-स्वामित्व की

अधिकांश सीमा निर्धारित कर तथा पट्टे देकर, महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि यह अभी संतोषजनक नहीं है।

इन सबसे बढ़कर, हमने, भूमि को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन समझने के स्थान पर प्रतिष्ठा का प्रतीक तथा सुरक्षा का स्रोत समझने के पुराने विचारों को बदलने में सफलता प्राप्त की है।"

उन्होंने श्री सुनील मैत्रा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का बहुत सही उत्तर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत में ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी नवम्बर, 1981 में जोर दिया। उन्होंने ईमानदारीपूर्वक जो कुछ कहा हमें वह स्वीकार करना चाहिए, कुछ समस्याएं हैं। हमने देखा है कि भारत हाल ही में सम्पन्न हुए निर्गुट सम्मेलन में एक नेता के रूप में उभरा है। मैं इसे बार-बार नहीं दोहराना चाहता, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष, बढ़ते हुए तनाव आदि का सभी देशों के विकास पर सीधा असर पड़ता है।

उन्होंने आगे कहा :—

"भूख की समस्या का हल राष्ट्रों के भीतर तथा राष्ट्रों के मध्य सजग संस्थागत सुधार द्वारा ही किया जा सकता है, न कि प्रौद्योगिकी में सुधार करके या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाकर।"

उसने आगे कहा इससे यह पता चलता है कि स्थिति किस प्रकार इतनी भयानक, इतनी कठिन बन गई है। मैं बताता हूं :—

"सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों ने कहा है कि यदि लगभग 1.3 बिलियन डालर के वर्तमान दैनिक विश्व व्यय को इसी स्तर पर रोक दिया जाए, तो भूख को समाप्त करने के लिए आसानी से धन मिल सकता है।

नए अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों पर किए गए व्यय से 20 करोड़ वृक्ष लगाए जा सकते हैं, 10 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है, विकसित देशों में 5 करोड़ कम-विकसित बच्चों को भोजन दिया जा सकता है, 10 लाख टन उर्वरक खरीदी जा सकती है, 10 लाख छोटे बायो-गैस संयंत्र लगाए जा सकते हैं, 64,000

स्वास्थ्य केन्द्र हैं या 34 लाख प्राथमिक स्कूल बनाए जा सकते हैं।"

प्रक्षेपास्त्रों को बनाने की बजाए, यदि हम निर्धन देशों को आर्थिक विकास में सहायता करे तो विश्व में स्थिति पूरी तरह भिन्न होगी।

बजट केवल मात्र वित्तीय उपाय नहीं है। बजट के कई घटक हैं जैसे :—

बजट विवरण

वित्त विधेयक

अनुदानों की मांगें

राज्यों को हस्तांतरित किए गए संसाधन

योजना परिव्यय

निष्पादन बजट

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

रेलवे कार्यकरण की गतिशीलता

आर्थिक समीक्षा

विनियोग विधेयक, आदि

यह सब मिलकर बजट बनता है। मैं देखता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में हमारी स्थिति अच्छी और मजबूत है। बजट में सरकार की इच्छा, इसके इरादे और परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। निश्चित लक्ष्य की तरफ यह एक ईमानदार और सच्चा प्रयत्न है—समजावादी समाज बनाने तथा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से गरीबी हटाने का लक्ष्य है। एक देश को नेतृत्व की आवश्यकता होती है और जहां तक अपने देश का सम्बन्ध है, नेतृत्व पहले ही मौजूद है। कम से कम दो तिहाई विश्व ने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया है—नेतृत्व युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति और सह-अस्तित्व के लिए।

महोदय, नेतृत्व के लिए कौन-कौन सी बात होनी चाहिए? नेतृत्व के गुण क्या हैं? नेतृत्व के लिए दूरदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशाल हृदयता, आत्म-विश्वास और सर्वसम्मति जैसे गुण होने चाहिए। ये सभी गुण एक व्यक्ति में पाए जाते हैं और वह है श्रीमती इन्दिरा गांधी। आपका धन्यवाद।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें दो राय नहीं हैं कि बहुत भारी मुश्किलात के बावजूद इन्होंने एक ऐसा बजट बनाने की कोशिश की है, जिससे विकास के कामों में कोई रुकावट भी न आए और कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का काम भी होता रहे और साथ ही साथ महंगाई भी न बढ़े। जहां तक उन के बजट बनाने का सवाल है, इसमें दो राय नहीं हैं कि इन तीनों दृष्टियों से उन को काफी सफलता मिली है लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जिन पर वित्त मंत्री जब कोई बजट बनाता है, तो वे उस के काबू के बाहर की चीजें होती हैं जैसे अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, फसलें कम हों या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में निसमैनेजमेंट हो। इस प्रकार के जो फैक्टर्स आ जाते हैं, तो अच्छा बजट होने के बावजूद एकबैलेंस्ड बजट होने के बावजूद भी महंगाई रुक नहीं सकती लेकिन इन कठिनाईयों के बावजूद भी मुझे पूरी आशा है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट बनाया है, उसका आने वाले साल पर अच्छा असर पड़ेगा और लोगों की परेशानियां अधिक नहीं बढ़ेंगी।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनका इस बजट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अच्छा और बेहतर बनाना होगा। जब तक हम पब्लिक

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगें, अच्छा नहीं बनाएंगें, महंगाई रोकी नहीं जा सकती खासकर उन वस्तुओं की जो दैनिक आवश्यकता के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य ऐसे हैं, जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। आज वहां पर उचित मूल्य की दुकानों पर फेयर प्राइस शाप्स पर गेहूं नहीं हैं, चावल नहीं है, चीनी नहीं है और मिट्टी का तेल नहीं है। इसका नुकसान यह हुआ है कि खुले बजार में इन चीजों के दाम काफी बढ़े हैं। बनारस, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मंडी है। बनारस में आज गेहूं का भाव 350 रुपये क्विंटल पहुँच चुका है। जब बनारस में 350 रुपये क्विंटल गेंहूं का दाम पहुंच चुका है तो उत्तर प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में, विशेष कर गांवों में गेंहूं की कीमत कितनी बढ़ चुकी होगी इसका अन्दाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।

इसी तरह से मिट्टी के तेल की हालत है। हालांकि सरकार ने लोगों को दिये जाने वाले 70 प्रतिशत मिट्टी के तेल की कीमत नहीं बढ़ायी है, लेकिन आज गांवों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक न होने के कारण मिट्टी का तेल डीजल के भाव पर बिक रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की बात जानता हूँ। वहां तीन और साढ़े तीन रुपये लीटर के बीच मिट्टी का तेल मिल रहा है और इस कीमत पर भी वह उपलब्ध नहीं है। इसका कारण केवल यह है कि वहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है।

मैंने केरल के बारे में सुना है कि वहां का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां के सिस्टम में क्या अच्छाई है, इसकी में तफसील में तो नहीं गया हूं लेकिन अगर अच्छा है तो उस प्रकार का सिस्टम दूसरे राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जा सकता ? जब मैं इस माननीय सदन का सदस्य नहीं था तो मैं समाचार पत्रों में पढ़ा करता था। उस समय के मंत्री श्री मोहन धारिया का यह बयान पढ़ा करता था कि इस देश में माडरन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया जाये जिसके जरिये से जिन्दगी की रोजाना की आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुँचायी जाएं। लेकिन मुझे दुःख है कि श्री मोहन धारिया जी के कोशिश करने के बावजूद भी या शायद उनको मौका ही नहीं मिला, यह काम नहीं हुआ। मुझे दुःख इस बात का है कि हम लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को मैं मजबूत बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

सभापति जी, जब तक पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, वित्त मंत्री कितना भी अच्छा बजट बना लें, कीमतों में कमी नहीं आने वाली है, कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सकता है।

दूसरी बात आप से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ईस वर्ष भयंकर काल की स्थिति है और साथ ही साथ देश के बड़े इलाके में भयंकर बाढ़ की स्थिति भी रही है। मैं जिस उत्तर प्रदेश के जिले और कांस्टीच्युन्सी से आता हूं वह बाढ़ और सूखे दोनों की चपेट में हैं और उसका शिकार हैं। आधे इलाके में बाढ़ और आधे इलाके में सूखा। मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री ने साढ़े सात सौ करोड़ रुपया विभिन्न राज्यों को सूखा राहत कार्यों के लिए दिया है लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि इस राज्य को कोई हिस्सा नहीं दिया गया, उत्तरप्रदेश को सूखा राहत के लिए कुछ नहीं दिया गया।

सभापति जी मैं चाहूंगा की माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुन कर इस पर ध्यान दें। आपने पूरे देश में सूखा राहत के लिए साढ़े सात सौ करोड़ रुपया बांटा लेकिन उसमें से उत्तरप्रदेश को एक पैसा नहीं दिया गया। हालांकि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सब से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में सूखे से प्रभावित हुए और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सूखे से प्रभावित रहा। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश को राहत कार्य के लिए पैसा क्यों नहीं दिया गया ? मैं चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें तो इन बातों की जानकारी दें। अभी देर नहीं हुई है अभी भी वहां पर सहायता पहुंचाई जा सकती हैं वहां पर सूखे से राहत कार्य के लिए पैसा देना बहुत आवश्यक है।

एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम 1980 में जब बेंकटरमन जी वित्त मंत्री थे तब चलाया गया था। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बहुत उपलब्धियां हुई हैं और काफी लाभ हुआ है। बहुत से राज्यों ने इससे काफी फायदा उठाया है। इस बारे में जहां तक केन्द्रीय सरकार की मंशा का सवाल है वह प्रोग्राम काफी अच्छा नजर आता है लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ राज्य सरकारों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को अमल में नहीं ला रही है। मेरा अपना अनुभव है कि एन आई ई पी का पैसा रेगुलर वर्क में डायवर्ट किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप नहरों के माइनर बनाना, ट्यूबवैल के लिए नालियां बनाना पेड़ लगाना या दफ्तर' डाकबंगले, इंवेस्टीगेशन बंगलों आदि की मरम्मत करना ये सारे काम तो राज्य सरकार के रेगुलर वर्क में होंगे। यह उनका कर्त्तव्य है। एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत लोगों को एडेड काम दिया जाना चाहिए। इस तरह का काम नहीं हो रहा है। नतीजा यह है कि एन० आर० ई० पी० का पैसा रेगुलर वर्क में डायवर्ट में हो रहा है इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर मानेटरिंग होनी चाहिए। कोई इस तरह की एजेंसी होनी चाहिए जो इस बात को देखे।

अब मैं बीस सूत्री कार्यक्रम पर आ रहा हूं। इस कार्यक्रम के जरिए गरीब लोगों को कमजोर लोगों को फायदा पहूंचाया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं हैं। मेरा सुझाव यह है कि यह कार्यक्रम जिस ढंग से, जिस सख्ती से अमल में लाया जाना चाहिए, उस तरह से राज्य सरकारें उसको अमल में नहीं ला रही है। कुछ बाधाएं उनके सामने हैं जिन पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए इस कार्यक्रम के तहत जो जमीन सीलिंग या चकबंदी में निकली है वह हरिजन या कमजोर लोगों को बांटी गई है लेकिन उनको अभी तक कब्जा नहीं मिल रह है। उसके ऊपर जोरदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर सरकार की तरफ से उन हरिजन आदिवासियों और गरीबों को जमीनों पर कब्जा दिलवा दिया जाता है तो वे लोग अदालत में जाकर स्टे आर्डर ले आते हैं। इस तरह से जिस गरीब आदमी को थोड़ी सी जमीन मिली है वह कचहरियों के चक्कर लगाकर परेशान है उनको जमीन मिल सके इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए।

ऐसे लोग, जिन्होंने ऐसी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, वे अदालतों में न जाएं। बीस सूत्री कार्यक्रम का एक और प्रमुख अंग है, बुनकरों, दस्तकारों, हैन्डलूम वर्कर्स को बैंकों के जरिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए। हमारी मंशा तो ठीक है, लेकिन बैंक कितना कर्जा दे रहे हैं इस बात पर भी सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। आज जो जरूरतमन्द है, वे बैंक का चक्कर काट कर वापस चले जाते हैं और उनको पैसा नहीं मिल पाता हैं। अगर उनको पांच हजार

रुपये की जरूरत है तो दो हजार ही थमा दिया जाता हैं। ओवर फाइनेंसिंग बहुत डेन्जरस है लेकिन अन्डर फाइनेंसिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर पांच हजार में से साढ़े तीन या चार हजार देते हैं तो 1500 रुपए का इन्तजाम बाहर से भी किया जा सकता है। इस बात पर भी फाईनेंस मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। इस बात की भी मानिटरींग होनी चाहिए कि गांव में जो छोटे वर्ग के लोग हैं या जो किसान दूधारू पशु खरीदते है या जो हैन्डलूम वर्कर्स हैं, उनको बैंकों द्वारा सुविधाएं मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर सरकार और वित्त मंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री बाजुबन आर० खारलुखी (शिलांग) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं सोचता हूं कि आपको पता है कि मैं मेघालय से संसद् का एक नया सदस्य हूं। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आज का मेरा भाषण, मेरे मामले में पूर्ण निष्पक्षता में, सदन में एक प्रथम भाषण माना जाए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि क्योंकि यह मेरा पहला भाषण होगा, मेरे लिए अधिक समय लेना सम्भव नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत उत्सुक है। इस कारण, मैं बजट का स्वागत करता हूं। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि बजट न केवल सदन द्वारा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आर्थिक उद्धार के लिए आशा के एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

मुझे यहां यह बताने की अनुमति दी जानी चाहिए कि बजट का आशय चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो फिर भी इसमें कहीं न कहीं कुछ विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो कुछ बताया है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें उन्होंने यह संकेत किया है कि केन्द्रीय सरकार चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त करने के औचित्य की जांच करने की कोशिश करेगी। मैं अवश्य कहूंगा कि यह निसन्देह बहुत ही स्वागत की बात है और मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री द्वारा यह आश्वासन झूठा साबित नहीं होगा। अन्यथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा विश्वास और भरोसा मिट जाएगा।

मैंने अपने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। लेकिन मुझे खेद है कि अब तक किसी एक सदस्य ने भी कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों की आवश्यकताओं के बारे में नहीं बोला है। मैं पिछले 16 वर्षों से अध्यापन व्यवसाय से सम्बद्ध रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि हम, अध्यापकों को बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पड़ता है और यहां तक कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का भी त्याग करना पड़ा। समय-समय पर, कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों को राष्ट्र का निर्माता माना गया है। लेकिन आप एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण करने की कैसे आशा कर सकते हैं जब कि वह खाली पेट जीवित रह रहा है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि कालेज और विश्वविद्यालय

अध्यापकों के उचित शिकायतों और न्यायसंगत मांगों पर विचार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ।

लगभग दो सप्ताह पहले, मैंने एक पत्रिका, दी डेली रिकार्डर, पढ़ी थी । यदि आप उस पत्रिका को पढ़ें तो आपको अधिक अच्छे वेतनमानों के लिए प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय अध्यापकों की तस्वीरें दिखाई देंगी । जब वे प्रदर्शन करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि वे सरकार में विश्वास और भरोसा खो चुके हैं, लेकिन वे केवल अपनी शिकायतों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । मुझे यह बताने की अनुमति दी जाए कि जब कहीं अध्यापक प्रदर्शन करते हैं, वे सारे देश के विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसलिए, मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों की न्यायसंगत मांगों पर ध्यान दें और देखें कि उनके वेतनमान कोई और देरी किए बिना संशोधित किए जाएं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री बाजुबन आर० खारलुखी : आपका धन्यवाद । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में, माननीय वित्त मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया :—

> "उन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है जिनसे गरीबों को सीधा लाभ मिलता है ।"

इस वक्तव्य में स्वयं यह सिद्ध हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार समाज के अधिक गरीब वर्गों, जोकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए वास्तव में बहुत उत्सुक है । मैं सोचता हूं हम सभी सहमत हैं कि आज तक वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के योग्य नहीं हो सके और इस कारण सरकार का ध्यान गम्भीरता से दिलाया गया है । इस विशेष सम्बन्ध में, मैं, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ रहने वाले, मेघालय के अपने जनजाति के लोगों की समस्याओं को सदन के नोटिस में लाना चाहूँगा । महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1971 में हमें भारी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं, जब बहुत से लोगों को सरहद पार करने पर विवश होना पड़ा था और मेघालय राज्य के दक्षिण भागों में शरण लेनी पड़ी थी । निसंदेह, हमने इन बदकिस्मत लोगों के साथ उनके दु:ख के क्षणों में हाथ बंटाया लेकिन मैं सिर्फ यह दिखाने के लिए यह बात कह रहा हूं कि यदि सरहद के इस पार की भूमि पर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो मेघालय के सीमावर्ती लोगों को बुनियादी तौर पर दुख उठाने पड़ते हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेघालय में सीमावर्ती लोगों के रहने की परिस्थितियों को देखना एक दर्दनाक दृश्य है । ऐसी भी परिस्थितियां आईं जब उन्हें आवश्यक वस्तुओं और पदार्थों को वापस अपने घरों में ले जाना पड़ा क्योंकि उन वस्तुओं को वहां खरीदने वाला कोई नहीं था और इस कारण उन्हें वापस अपने घर खाली हाथों जाने पर मजबूर होना पड़ा, यहां तक कि उनके घरों में उत्सुकता से इन्तजार कर रहे अपने प्रियजनों के लिए बिना किसी मिठाई के जाना पड़ा । यहां तक कि आज तक भी, जो लोग मेघालय के अन्तर्राष्ट्रीय

सीमाओं के साथ रहते हैं उन्हें प्रतिदिन पेट भर भोजन के बिना सोने पर विवश होना पड़ता है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करूंगा कि मंत्रालय राज्य के साथ निष्पक्ष बर्ताव किया जाए और इस सम्बन्ध में उचित ध्यान दिया जाए जिससे हमारे लोगों के रहने की परिस्थितियों में सुधार हो सके। इस समय मुझे और ज्यादा नहीं कहना है, इन कुछ शब्दों के साथ महोदय, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं वित्त मंत्री को सन्तुलित बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं, सन्तुलित का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले वह 716 करोड़ रुपये की काफी बड़ी राशि जुटाने योग्य हो सकती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार कमजोर वर्गों, जिनमें जनजाति के लोग शामिल हैं, हमारी ग्रामीण जनता, जिनमें से अधिकांश अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, की उन्नति और उन्हें ऊपर उठाने में वचनबद्ध हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी करना, समाज के सभी वर्गों की शिकायतों को दूर करना और समय-समय पर प्राथमिकताओं की भी समीक्षा करना यह एक विशाल कार्य है। यहां यह बताना गलत नहीं होगा कि लोकतांत्रिक समाज में, अर्थव्यवस्था को काफी कठिन परिश्रम और विभिन्न तरीकों को प्रयोग में लाने से स्थिर रखा जा सकता है और इसमें थोड़े समय के लिए किसी परिवर्तन से देश पीछे चला जाता है और दोबारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने में काफी समय लग जाता है।

मैं वर्तमान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि तीन वर्ष के जनता और अनधिकृत लोकदल शासन के बाद अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था पिछले तीन वर्षों के प्रयत्नों से सुधर गई। आलोचकों ने बजट की रूटीन और नीरस, कम प्रोत्साहन देने वाला तथा प्रत्यक्ष करों अर्थात् सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सामंजस्य करके संसाधन जुटाने वाला बताया है। परन्तु देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उसमें और किया ही क्या जा सकता था। मुझे उस पेन्टर की कहानी की याद आती है जिसने एक खूबसूरत चित्र बनाया और उसे देखने के लिए लगा दिया तथा आलोचकों से यह निवेदन किया कि यदि उन्हें कोई दोष दीखे तो उस पर काला निशान लगा दें। इसका नतीजा यह हुआ कि वह चित्र थोड़े समय में ही पूरा का पूरा काला हो गया। पेन्टर बहुत दुखी हुआ। एक मित्र की सलाह पर उसने उसी चित्र को दोबारा ठीक करके लगा दिया तथा साथ में यह नोट लिखा कि आलोचकों से अनुरोध है कि जो कमी वे देखें उसे वहीं ठीक कर दें। इस बार किसी ने किसी भी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया। यही बात वर्तमान बजट के बारे में भी कही जा सकती है।

1983-84 की केन्द्रीय योजना में उद्योग, खनिज, ऊर्जा और परिवहन पर परिव्यय में भारी वृद्धि करके उसमें 26% की वृद्धि की गई है। वृद्धि की दर में स्थिरता को ध्यान में रखकर ग्रामीण निर्धन वर्ग की दशा सुधारने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण विकास जिसमें यह सभी चीजें शामिल हैं जैसे—समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना, कृषकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, किसानों के औजारों व कृषि के उपकरणों पर लगने वाले शुल्कों में राहत देना। उर्वरकों में 450 करोड़ रु० की राजसहायता देना तथा खाद्यान्नों पर 200 करोड़ रु० की राजसहायता देना, चीनी पर उत्पाद

शुल्क कम करना यह सभी काम समाज के निर्धन व कमजोर वर्गों की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। सरकार ने 87 जिलों को पिछड़े इलाके बताया है, जहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जो कि सही दिशा में उठाया गया कदम है।

संसद् में पेश किए गए बजट प्रस्तावों में व्यय की आलोचना नहीं की जाती परन्तु संसाधनों को जुटाने की आलोचना की जाती है। इन प्रस्तावों में भी यह देखने में आया है कि यथासम्भव सन्तुलन रखा गया है। यदि देश में 32 मिलियन टन सीमेंट का और 35 एम० डब्ल्यू० विद्युत का उत्पादन करना है तो हमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी अधिक निवेश करना होगा जिसके बिना आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती।

परन्तु इतनी पूंजी कहां से आएगी ? आज सरकारी क्षेत्र में काफी निवेश किया गया है जिससे कुछ शुद्ध लाभ कमाया है परन्तु इसके कार्यकरण में अभी काफी सुधार किया जाना बाकी है। उन निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जो बिल्कुल भी अर्थसक्षम नहीं है, की भी देश के हित को ध्यान में रखकर पुनरीक्षा की जानी चाहिए। मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं परन्तु यह तभी किया जना चाहिए जब एकक अर्थसक्षम हो। केवल कर्मचारियों के संरक्षण के लिए तो उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में सरकार को नया उद्योग लगाकर उन कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहिए जिससे कि राजकोष पर दवाब न पड़े।

वित्त मंत्री द्वारा संसाधनों के जुटाए जाने पर यदि ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कर की प्राप्ति कुल करों का 75 प्रतिशत है और फिर भी बजट के इस हिस्से पर जहां आय और व्यय पर कर लगा है अधिक ध्यान दिया जाता है।

प्रत्यक्ष करों में निगम करों से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वह है जो कि सुधारात्मक है। निगमित क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय कोष में कोई योगदान किए बिना भी सबसे अधिक लाभांश अदा करता है उसे अपने लाभ पर कम से कम 30 प्रतिशत कर अदा करना होगा।

इसका एक और प्रस्ताव यह है कि जो कम्पनियां उत्पाद शुल्क अदा करने, भविष्य निधि में नियोक्ताओं का योगदान देने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि से सम्बन्धित अपने सांविधिक दायित्व को नहीं निभाती हैं परन्तु अपने कर योग्य लाभों में से यह काट लेती हैं उनके खिलाफ इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार एक ओर तो सरकार का अपना हक नहीं मिलता और दूसरी ओर ये कम्पनियां भुगतान से भी बचती हैं। कुछ विश्वस्त अनुमानों के अनुसार यह राशि 1500 करोड़ रु० से भी अधिक है। यह सच है कि सरकार को लिए जाने वाले भुगतान से कुछ समय तक बचने के लिए कम्पनियां कानूनी कार्यवाही करती हैं परन्तु कभी-कभी तो यह अवधि कई वर्षों तक बढ़ जाती है। यह प्रसन्नता की बात है कि अब इन कम्पनियों को कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप रोकादेश मिलने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए, वित्त मंत्री का यह प्रस्ताव प्रशंसनीय है कि जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि करदाता द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा-प्रणाली के बावजूद कर योग्य लाभ की गणना करने से उसी वर्ष में सांविधिक छूट दी जाएगी और उसी सीमा तक होगी जिस सीमा तक उसका भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रस्ताव से दो लाभ होंगे एक तो कर से बचने की जो कानूनी कमी है वह दूर हो जाएगी दूसरे ईमानदार करदाता को कुछ राहत मिलेगी। इस प्रकार इस प्रस्ताव से दोहरा लाभ है।

कुल कर योग्य आय में से आयकर में छूट की गणना के उद्देश्य से ब्याज और लाभांश में से 6000 रु० के मुकाबले 7000 रु० का दावा करने की सुविधा प्रदान करना सही कदम है, इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेष प्रकार की बचतों जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि के सम्बन्ध में कुल आय का 30 प्रतिशत की सीमा हटाने तथा पूंजीगत सीमा बनाए रखने तथा बचत में राष्ट्रीय बचत पत्र छ: और सात को भी शामिल करने के निर्णय में काफी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पॉलिएस्टर फाइबर और फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क अधिक कर देने से आयात पर कुछ नियंत्रण लगेगा जिससे कि देश की अधिष्ठापित क्षमता को कुछ बढ़ावा मिलेगा। मैं वित्त मंत्री का ध्यान अनजाने में हुई एक चूक या कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि बजट प्रस्तावों में पॉलिएस्टर फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर और विस्कोस लो तथा हाई परफॉर्मेन्स/हाई टैनेसिटी/हाई वैट माड्यूल्स फाइबर और पालिनोसिक स्टेपल फाइबर एवं लो पर आयात शुल्क (आधारभूत तथा अतिरिक्त दोनों) बढ़ा दिया गया है परन्तु सेल्यूलोस एसिटेड फिलमैंट यार्न पर आयात शुल्क जो अब 5 प्रतिशत है वह अभी तक उतना ही है।

भारत लौटने वाले यात्रियों के सामान पर लगने वाले आयात शुल्क की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। व्यापारी और धनी नागरिक जो घूमने या व्यापार के काम से विदेश जाते हैं वे निशुल्क सीमा के भीतर आने वाला बिजली का सामान ला सकते हैं जैसे टू-इन-वन आदि। जहां तक अन्य बिजली का सामान जैसे वीसी आर और प्लेयर्स का सम्बन्ध है धनी व्यक्ति तो पूरी छूट से इनका निर्यात कर सकते हैं। केवल यही नहीं वरन उनके लिए आधारभूत शुल्क भी घटा दिया गया है जिसके फलस्वरूप मेरे विचार से हमारे अपने इलैक्ट्रोनिक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के भाग ख के शुरू में कहा है कि हमारे जैसी सोसाइटी कन्सपिक्युअस खपत की कोई जगह नहीं है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या निगमित स्तर पर। उनका यह विचार मेरी समझ में नहीं आया है।

भारत से बाहर निर्यात के लिए भेजी जाने वाली वस्तुओं में ड्रॉबैक का दावा करने का प्रस्ताव भी बहुत अच्छा तथा दृढ़ कदम है। निर्यात संवर्द्धन की ओर जो सरकार का दृष्टिकोण हैं कि किसी कीमत पर भी राजस्व बचाया जाए जो कभी-कभी बहुत कड़ाई से लागू किया जाता है यह उस दृष्टिकोण से हट कर है।

महोदय, विशिष्ट दरों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगना है उसकी मात्रा तो निर्धारित होती है परन्तु निर्धारिती के लिए उस पर देय शुल्क की गणना करना बहुत कठिन हो जाता है। यद्यपि निर्धारिती को यह मालूम है कि उसे कितना कर अदा करना है, कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भी मालूम है कि उसे कितना कर अदा करना है। शुल्क की निर्धारित दरों में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे शुल्क एक बराबर नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर यदि कपड़े पर प्रति मीटर के आधार पर शुल्क लगाया जाए, जैसा कि पहले होता था, तो महंगे और सस्ते कपड़े पर एक-सा शुल्क लगेगा जिससे बड़े निर्माताओं और संगठित क्षेत्र को लाभ होगा परन्तु छोटे निर्माताओं और कुटीर उद्योग को हानि होगी। इस प्रकार यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाने से शुल्क एक बराबर लगता है अर्थात् सामान की कीमत के अनुपात से लगता है। यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाने के स्थान पर अग्रिम—विशिष्ट दर के आधार पर शुल्क लगाना कुछ

वस्तुओं जैसे सिगरेट पर अच्छा है। परन्तु मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि आजकल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी अधिसूचना द्वारा लगाया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब प्रति वर्ष अधिसूचनाओं विशेषकर छूट सम्बन्धी अधिसूचनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर 1975 के दौरान 230, 1976 के दौरान 276 और 1977 के दौरान 350 अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। पिछले वर्ष 1982 में 230 अधिसूचनाएं जारी की गई थीं तथा 1 मार्च, 1983 को लगभग 68 अधिसूचनाएं जारी की गई थीं जिसमें से अधिकतर संसद् द्वारा निर्धारित शुल्क की दरों को कम करने के उद्देश्य से जारी की गई थीं। इस समय लगभग 700 अधिसूचनाएं प्रभावी हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए यह असम्भव है कि वह सभी अधिसूचनाओं से पूरी तरह वाकिफ हों तथा उन सभी की विभिन्न शर्तों और प्रावधानों को पूरी तरह समझते हों। उदाहरणतया दिनांक 1-3-83 को जारी अधिसूचना सं० 80/83-सी०ई० को ले जिसका केवल विवरण ही तीन पृष्ठ का है। इससे इन अधिसूचनाओं की देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से व्याख्या की जाती है जिसके कारण मुकदमे चलते हैं तथा अधिक चालाक निर्धारिती कर अदा करने से बच जाते हैं।

बजट प्रस्तावों में अस्पताल के फर्नीचर को कर मुक्त रखा गया है। मेरा निवेदन है कि इसे मद सं० 68 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और फिर पूरी छूट दी जानी चाहिए।

संघ शासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने अण्डमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्रों के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया है जिसकी बहुत आवश्यकता है। देश के अन्य स्थानों में लागू मानदण्ड वहां लागू नहीं होते। अरुणाचल प्रदेश में जो लोकतन्त्रीय व्यवस्था है तथा जो अण्डमान-निकोबार में भी लागू होनी चाहिए, उसे स्वीकार नहीं किया गया तथा जो सरकारी कर्मचारी ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में काम करते हैं वे चाहते हैं कि भर्ती की जगह तथा निवास-स्थान चाहे कोई भी हो, सभी को अण्डमान स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिए, इस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में मुझे यह बताते हुए अफसोस होता है कि अण्डमान-निकोबार जैसे पिछड़े क्षेत्र में लकड़ी की परत तथा पेंसिल की पट्टी बनाने वालों को इस उत्पाद पर पूरा शुल्क अदा करना पड़ता है जब कि देश के अन्य भागों में ऐसे उत्पाद के निर्माताओं को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होने प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास निधि के प्रस्ताव को इसमें शामिल किया देश की ग्रामीण जनता के विकास और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक अछूता प्रस्ताव है।

साथ ही साथ मैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की घोषणा किए जाने, जिसकी अत्यधिक आवश्कता थी, के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

एक बार फिर मैं यह अनुरोध करता हूं कि कुछेक आवश्यक समितियां सारे देश में, सभी स्थानों पर एक ही भाव से सप्लाई की जाएं ताकि समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिल सके। यह उचित दर की दुकानों के द्वारा सप्लाई की जाएं।

इन शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आज मुझे इस बात का गर्व है कि जब से आप सभापति के पद पर बैठे हैं आज पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला है । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि जिस देश में 70 लाख बाण्डेड लेबर हो, जो देश सब से कम कैलोरीज खर्च करता हो, अगर आप पाकिस्तान और लंका के मुकाबले में देखें तो हमारे यहां केवल 1990 कैलोरीज खर्च होती है, जिस मुल्क में 30 लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हों, और हजारों, लाखों और करोड़ों लोग बेकार हैं और 40 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं लेकिन एक बात मालूम होनी चाहिए कि सरकार किस लिए बजट बनाती है । सरकार इसलिए बजट बनाती है कि सरकारी कर्मचारी बढ़ते रहें, उनका खर्च बढ़ता रहे और इन लोगों का खर्च भी हम लोग वहन करते रहे हैं । अभी रिसेन्टली फरवरी, 1983 में एक आर्टीकिल 'कामर्स' मैगजीन में निकला है मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ :—

> "आखिरकार प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है कि बेकार सरकारी खर्च हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है । बजट से कुछ ही सप्ताह पहले प्रधान मंत्री ने विदेश यात्रा, मंत्रियों के स्थान पर चौबीस घंटे सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात करने तथा विभिन्न भारतीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा उसी देश में बाहर के विभिन्न कार्यालय खोलने पर होने वाले बेकार खर्च में कमी करने के निर्देश जारी किए । आप भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए संकट में है क्योंकि संसार भर में सबसे गरीब देश की राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अफसरशाही और नेताओं द्वारा खर्च किया जाता है । केन्द्र और राज्यों का सरकारी खर्च लगभग46000 करोड़ सालाना है जो कि हमारी 1,45,000 करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय का तीसरा भाग है ।"

सारी आमदनी का एक-तिहाई हिस्सा 'सेवाओं' पर खर्च होता है और उस का परिणाम क्या निकला, यह भी उसमें बताया गया है । इसका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्दर जो फर्स्ट इयर के प्लान में हमने टार्गेट्स फिक्स किए थे और सैकेन्ड इयर में जितने टार्गेट्स फिक्स किए थे, उनको एचीव करने के लिए जो रुपया खर्च हुआ, उससे वे पूरे नहीं हुए । इसके बारे में भी यह कहा गया है :—

> "स्पष्ट ही है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य ठीक समय पर प्राप्त कर लिए जाते तो राष्ट्रीय आय बढ़ कर 120082 करोड़ रु० हो जाती। इसका यह अभिप्राय होगा कि 1980-81 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1537 के स्थान पर 3398 रु० होती ।"

पंचवर्षीय योजना के बाद सारी धनराशि जो खर्च हो गई है, उसका उपयोग यह हुआ, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका नतीजा क्या होगा ? अगर हम अपनी तन्ख्वाहें बढ़ाते रहें, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ता रहे और महंगाई बढ़ती रहे, तो इसका असर क्या होगा । इसमें जो दिया हुआ है, वह मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं :—

> "वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं के थोक भाव सूचनांक में 1.8 प्रतिशत की आम

वृद्धि हुई। तथापि, इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर दो कारण असर डालते हैं पहला है मूल वस्तुओं के भाव बहुत जल्दी-जल्दी बढ़े हैं—चावल में 12.4%, गेहूं 14.01% वनस्पति 10.0%, दूध 9.?%, सब्जियां 9.3% तिलहन 6.6% और मीट 6.2% और दूसरा है औद्योगिक मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचनांक संख्या नवंबर 1982 में समाप्त होने वाले वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। इससे रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई है। सभी यह जानते हैं, कि जबभी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।"

इससे देश में महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ने से खरीदने की शक्ति कम रही, गरीब आदमी में खरीदने की ताकत नहीं है। गांवों में इतने विकलांग क्यों हैं। जिनको जितनी कैलोरीज मिलनी चाहिएं थीं उतनी मिली नहीं, जो फूड मिलना चाहिए, वह मिला नहीं, तो लोग विकलांग होगें ही। आज 35 के अन्दर भी पीने के पानी की समस्या ने एक भयंकर रूप धारण किया हुआ है। आज असम में ही नहीं, उड़ीसा में नहीं बल्कि और जगहों पर भी ऐसे हजारों गांव हैं, जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आज लाखों, अरबों रुपया खर्च हो चुका है। रुपया दो बोरी पर खर्च हुआ। एक बोरी कहीं चली गई और एक बोरी काम में लाई गई।

भ्रष्टाचार, करप्शन जीवन में बढ़ चुका है। जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन की जो प्रतिष्ठा वह सब कम हो रही है। इसी कारण करेक्टर नहीं बन रहा है। इसी कारण इतनी योजनाओं के बाद हमारी उपलब्धि नहीं है। यह पैसा कहा गया, कुछ पता नहीं। उस पैसे की कोई उपलब्धि नहीं। इसके कारण हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे काम अच्छे हैं। हमने सात सौ करोड़ रुपया एफ० सी० आई० को दिया, लेकिन उसने ट्रांसमीशन में कितने लासेज किये, इसका उत्तर भी यहां आया था।

हमारे यहां बिजली की सबसे कमी है। सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घाटे में है। दिल्ली का डेस्यू भी घाटे में हैं। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स मारगेज रखे हुए हैं। यह हमारे मित्र कह रहे थे। क्या हालत है आज हमारी? बिजली बोर्डों पर हमने कितना एक्सपेंडीचर किया।

"अफसर शाही न केवल बेकार और अक्षम है, अपितु भ्रष्टाचार पूर्ण है। यह ठीक है कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो योग्य और ईमानदार हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर बेईमानी के लिए बदनाम हैं....।"

हम कितना एक्सपेंडीचर अपने कर्मचारियों पर कर रहे हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि 95 परसेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि अगर कर्मचारी दो घंटा भी काम करें तो देश उंचा जाएगा। इन लोगों ने कहा है :—

हाल ही में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि राजस्व की वसूली जीरो रही।

हमारा एक्सपेंडीचर बढ़ रहा और रेवेन्यू घट रहा है। हम साल ब साल अपना पूरा रेवेन्यू वसूल नही कर सकते हैं। उनको वसूल करने की हमारे मंत्री महोदय की हिम्मत नहीं है। अगर इसके

बारे में स्टडी किया जाए तो आपको मालूम होगा कि कितना कम रेवेन्यू वसूल हो रहा है। मैं आपके सामने फिगर देना चाहता हूं कि आप कितना रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं लेकिन कितना कर रहे हैं।

यह मैंने आनन्द फ्लोर आफ द हाउस क्वेश्चन किया था जिसका कि एक सवाल के बाद डेटा इकट्ठा कर के दिया गया।

उत्पाद शुल्क चोरी के 1000 से अधिक मामलों का पता लगा :1979 में 512, 1980 में 724, 1981 में 1700 आदि-आदि। कुल वसूल की जाने वाली राशी 85 करोड़ रुपये है। जबकि केवल एक करोड़ रु० की वसूली हुई है।

बड़े बड़े लोग टैक्स ही नहीं देते, टैक्स देना उनकी शान के खिलाफ है। वे टैक्स क्यों दें? टैक्स देना गरीबों का काम है, उनका काम नहीं है।

यदि अभी हाल ही में 28 फरवरी, 1983 के इण्डिया टुडे में प्रकाशित हुआ है :—

"सच्चाई कुछ और है। काफी वर्षों से कर न देने वाली कंपनियों की सूची बढ़ती जा रही है। इस में देश की काफी पैसा कमाने वाली तथा तेजी से बढ़ रहे उद्योग शामिल हैं। पिछले साल निजी क्षेत्र की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 ने बिल्कुल भी कर नहीं दिया तथा सातवीं ने बहुत कम कर दिया देश की 100 प्रमुख कंपनियों में से 38 ने कोई कर नहीं दिया। तथा जो दिया भी गया वह बहुत कम था।"

आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। "समरी असेसमेंट" यह नया घोटाला है। हम लोगों ने रिपोर्ट दी थी :—

संक्षिप्त ट्रायल। वर्ग क और ख कृपया नियमों में संशोधन करें।

आज टैक्स की चोरी हो रही है। आप टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं। क्या मंत्री जी आज बता सकेंगे कि कितने रेड हुए हैं और उनमें कितनी पूंजी पकड़ी गई है और कितनों को सजा हुई है। जब रेड होता हैं तो केस इनकमटैक्स आफिस में चला जाता है और दो-चार महीने बाद जांच होती है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 14000 करोड़ रुपया काले धन के रूप में बढ़ रहा है। काले धन पर आधारित आर्थिक स्थिति को आप जैसे चलाएंगे। सरकार ने झा कमेटी मुकरर कर दी। उसने 14-15 रिपोर्टस दे दी है क्या उन पर इंप्लामेंटेशन हुआ हैं? कितनी खर्चों में कटौती की गई है। कितने लोग दफ्तरों में काम करते हैं। एक डिप्टी मिनिस्टर साहब जब जीवन बीमा निगम के दफ्तर में गए तो लोग टेबल पर पैर रखे बैठे थे। शिवशंकर जी भी आफिस में गए थे इन्होंने पूछा कि लोग कहां गए हैं तो कहा गया कि अभी आ रहे हैं। चुपचाप वापिस आ गए।

श्री सुन्दर सिंह : चाय पीने गए होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : चाय नहीं ये सारे मुल्क को ही पी जाएंगे। यह ब्यूरोक्रेसी देश को

कहां ले जाएगी । महंगाई बढ़ जाती हैं तो महंगाई भत्ता बढ़ जाता है लेकिन कहां गया आपका मिनिमम वेजेज एक्ट ? संविधान में जो लिखा है कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा, संविधान की शपथ लेकर हम यहां बैठे हैं क्या आर्थिक विषमता कम हो रही है । एक तरफ ऊंचे गुंबज बन रहे हैं और दूसरी तरफ रहने के लिए मकान नहीं हैं । कौन मना करता है आपको लैण्ड सीलिंग ला लागू करने से आप पंजाब में रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं । आज तक हिन्दुस्तान में लैंड रेवेन्यू ला लागू नहीं हुआ है और जमीन कुछ लोगों के ही पास रह गई है । अरबन सीलिंग एक्ट पास किया गया उस वक्त प्रकाश चन्द्र सेठी मिनिस्टर थे । 1976 के अन्दर यह एक्ट पास किया गया लेकिन लागू नहीं हुआ । वसंत विहार और डिफेंस कालोनियों में लोगों के बड़े-बड़े मकान हैं । आज समाजवादी समाज की व्यवस्था में हमको सोचना होगा कि हमें क्या करना है । बजट का मतलब यह नहीं है की जोड़ बाकी का हिसाब कर दे और इतना रुपया आ गया इतना टैक्स बढा दें, यह नहीं है 20 परसेंट कटिंग की बात कही गई । अगर गलत खर्चा किया गया है तो सारी कटौती क्यों नहीं की जाती । इंसेटिव क्या है ? आज पुंजीपति बढ रहा है आंकड़े कह रहे है, गवर्नमेंट कह रही है । समाजवादी समाज की संरचना में लिखा गया है कि हम ऐसा मुल्क बनएंगे जिसमें ऊंच-नीच नहीं होगी, आर्थिक विषमता नहीं होगी । लेकिन यह सब कैसे होगा ?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स और वैल्थ टैक्स से कितनी आमदनी होती है और कितनी रिकवरी होती हैं । आयकर केसेज के डिस्पोजल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा ।

	डिस्पोजल के लिए	परसेन्ट
1977-78	5581	72
1978-79	5236	58
1979-80	5789	65
1980-81	6891	63
1981-82	7208	63

इसी प्रकार इन्कम टैक्स से जो आमदनी हुइ वह 1972-73 में 1187 करोड़ और 1981-82 में 3419 करोड़ । आपके जो थर्मल पावर हाऊसेज हैं उनका परसन्टेज तो बहुत ही कम है । भगवान ही जानता हैं कि राजस्थान में एटोमिक पावर हाऊस कहां पर है ? वहां सरकार को 29 लाख का खर्चा करना पड़ता है । इसी प्रकार गिफ्ट टैक्स के अन्दर जो डिस्पोजल हुआ 1977 से 82 तक 75 परसेन्ट, 79, 70, 61 और 56 परसेन्ट । हाईकोर्ट में भी केसेज पेन्डिग है । सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर लिए हुए हैं । इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम करेगा । यह बजट तो अच्छा है लेकिन बजट को इम्पलीमेंट कैसे किया जाएगा । मैं समझता हूं जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक हमारे जो लक्ष्य है वह हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सबसे पहले में अपने इलाके की बात करना चाहूंगा । श्री हरगोविन्दपुर व्यास ब्रिज के बारे में कहा गया है कि सरकार ने इस को शुरू करने के लिए

मान लिया है । लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए । जालन्धर जिले में नवा शहर तहसील में एक गांव राव है अगर वहां से पतलावाला तक बीच में नाला होने की वजह से पुल बन जाए तो 40-50 मील का जो फासला है वह कम हो जाएगा जिससे लुधियाना और बरनाला जाने में आसानी हो जायेगी । यह भी गुरदासपुर जिले में है भस्तो ब्रिज, जो मेरी पुरानी कांस्टीट्यूऐंसी है वहां पर 100 गांव बरसात में कट जाते हैं और 60 मील से ऊपर हो कर लखनपुर से होकर लोग आते हैं । इसलिए यह ब्रिज जरूर बनना चाहिए । वहां के लोग गरीब है । इस ब्रिज के बन जाने से गरीबी दूर हो जाएगी और बरसात में तकलीफ नहीं होगी तथा सीधा रास्ता करीब 70 मील का कम हो जाता है । इसलिए इस पुल को जरूर बनना चाहिए ।

मेरी राय में यह बैलेस्ट बजट है । माननीय डागा जी ने जो बातें कही हैं उनको नहीं कहनी चाहिए थीं इन्होंने तो कमाल कर दिया है । यह कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है । बड़ी बातें हुई हैं, भाखड़ा डैम बना, और बड़ी बड़ी चीजें बनीं हैं । आपने तो अपोजीशन का काम कर दिया है । उन्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है । घर का भेदी लंका ढाये । सरकार की जो कमियां हैं उनको जरूर बताओ ताकि वह अपने आप को ठीक कर सकें ।

आप कहते हैं बेरोजगारी बहुत है । कहां है बेरोजगारी ? लोग मौजें करते घूमते फिरते हैं । क्या ऊपर जो लोग बैठे हैं सब निकम्मे ही आदमी आये हैं ? क्या यह सब बेकार हैं ऐसा आदर्श होना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय वे गैलरी में बैठे लोगों को कुछ नहीं कह सकते ।

श्री सुन्दर सिंह : हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं । यह गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और 100 रु० वाला चुरुट पीते हैं । गरीबों का काम करना है ।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है :—

"जो एक टुकड़ा भोजन हम खाते हैं, वह भी दूसरे के मुंह से छीन लिया गया ।

इस ढंग का समाजवाद आएगा । यह महात्मा गांधी का देश है । मैं महात्मा गांधी की बात आपको बताना चाहता हूं । चाइना में लोगों को काम दिया है, उन्होंने मशीनों को नहीं दिया । जो बढ़ जाता था काम, जिसको आदमी नहीं कर सकता था उसे मशीन को दिया । इन्होंने शुरू से ही मशीनें शुरू कर दी है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि ट्रैक्टर ले लिया जो कि काफी महंगा है, और ट्रैक्टर लेकर जमीन आबाद कर दी । लेकिन जो गांव में रहने वाले बेकार आदमी हैं उनके लिए क्या सोचा ? मशीन के मुताल्लिक महात्मा गांधी क्या कहते थे ?

"बेजान मशीनों को, भारत के 700,000 गांवों में रहने वाले जिन्दा लोगों से नहीं बदलना चाहिए मशीन का सही उपयोग मनुष्य की सहायता करने और उसके काम को आसान बनाने के लिए हैं । मशीनरी का वर्तमान उपयोग यही है कि इससे कुछेक लोगों के हाथों में पैसा इकट्ठा चाहे ।

इससे करोड़ो लोगों की रोजी-रोटी छिन जाती है ।" एम० के० गांधी ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि मशीनरी उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, जब जिन्दा लोग उस काम को नहीं कर सकते हों । आप-आप इतना कर रहे हैं कि कमाल की बात है । सारे ट्रेक्टर दे दिये हैं, वह आदमी कहां जायेंगे ?

आप कहते हैं कि किसान को रैमुनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए, इस तरह से कैसे मिलेगी ? उधर आप रैमुनरेटिव प्राइस देते हैं और इधर कीमतें बढ़ जाती हैं । दोनों बातें आप क्यों करते हैं ? आपको गरीबों के लिए सोचना चाहिए । सब लोग एक्सप्लाइड करते हैं । इधर मूल्य किसानों को ज्यादा मिलना चाहिए ताकि किसनों को फ़ायदा हो और साथ ही आप यह कहते हैं कि उनको सस्ती मिलनी चाहिए यह कैसे हो सकता है । इस तरह इन किसानों और मजदूरों को धोखा देना है ।

हिन्दुस्तान गरीबों का मुल्क है । अमीर तो चन्द आदमी हैं । गरीब ही हमको वोट देते हैं और गरीब ही मर रहे हैं और चन्द लोग सब कुछ खा रहें हैं । यह कोई हिसाब है ? यह सोचना चाहिए कि जो गरीब हैं, जो गरीब हैं वो मर रहे हैं, जैसा डागा साहब ने भी कहा है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए ।

बजट हमारा ठीक है, बैलेन्स्ड है, सारा सिलसिला ठीक है, वह तो पार्टी की बात है, लेकिन गरीब के लिए कुछ करना चाहिये । वह तो कहते हैं कि यह शानदार बजट है, लेकिन इसमें हमें क्या मिला है ? यह आपने बड़ी कृपा की है कि एक आदमी बना दिया है श्री बूटा सिंह ने बड़ी मेहनत से काम किया है, बूटा सिंह को फूड मिनिस्टर बना दिया है । श्रीमती इंदिरा जी का शुक्रिया । महात्मा गांधी ने सोसाइटी से कम लिया था और ज्यादा वापिस दिया था अंग्रेजों को । इसलिए वह इन्सानी तौर से सबसे ज्यादा उठ गए और अंग्रेजों को हिन्दुस्तान को आजादी देनी पड़ी । इसी तरह गरीब आदमी सोसाइटी से कम लेता है और ज्यादा वापिस करता है । इसलिए गरीब लोग कल के हाकिम है ।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि :—

"मुझे गरीब में भगवान देखने होंगे । उनकी सेवा ही मेरी मुक्ति होगी ।

गरीब, दुखी हमारी मुक्ति का उपाय है ताकि हम दुखी, विक्षिप्त, कोढी और अपराधियों में भगवान के दर्शन कर सकें । मैं बहुत ही स्पष्ट बात कह रहा हूं । और इसे दोहराए देता हूँ :

"हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इस रूप में भगवान की आराधना कर सकते हैं ।" स्वामी विवेकानन्द

जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ करेंगे तो अच्छा होगा । इंदिरा जी कोशिश करती हैं, बड़े-बड़े कार्यक्रम बनाती हैं, उनका पूरा खानदान काम करना चाहता था। मैंने जो जमीन ली, वह पं० जवाहरलाल नेहरू की मदद से ली है लेकिन अब कोई नहीं देता । आप गरीब का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसके लिये कुछ करते नहीं हैं ।

बी० जे० पी० के जो वाजपेयी जी हैं, उसके मायने यही हैं कि कैसे ब्लैक मार्केटिंग करें? इसी पर वह कायम हैं और कोई काम उनका नहीं है। दिल्ली में जो इलैक्शन हुए, उन्होंने मंहगाई कर दी। इन्होंने समझा कि हम इलैक्शन में दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे लेकिन लोगों ने उनको बदल दिया। वह इसलिए नहीं आ सके कि उन्होंने जो मंहगाई की थी, उससे लोग परेशान थे।

जहां तक फेमिली प्लानिंग का सवाल है, फेमिली प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। आप विलायत में जाकर देखें, वहां पर लोगों ने क्या प्लानिंग की है। एक बच्चा भी ज्यादा नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन यहां पर तो जो इस प्रोग्राम को चलाने वाला था वह तो रहा नहीं। अब तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यह होना चाहिए।

जहां तक हाउस साइट्स देने की बात है, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में श्री गिरधारीलाल डोगरा ने एक रूल बनाया गया था कि अगर रिहायश के लिए प्लाट्स की जरूरत हो या कहीं पर चारों तरफ जमीदार की जमीन हो और जाने का रास्ता न हो तो उसके लिए भी 15 गुना मुआविजा देकर उस जमीन को एक्वायर कर लिया जाए। जब जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया है तो आप यहां पर भी उसको क्यों नहीं करते हैं? यहां पर भी आप वैसा ही कर सकते हैं।

इसी तरह से जो हमारी बैंक्स हैं उनसे हरिजनों को क्या मिला है? गरीबों को तो यह बैंक्स अपने नजदीक भी नहीं आने देती हैं। मिनिस्टर साहब को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज बैंक से आपको पांच हजार रुपया लेना हो तो उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है वरना आपका काम नहीं हो पायेगा। हमारे डागा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अहलकार लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते हैं, कोई भी आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करता है। पहले जमाने में जीवन के हर क्षेत्र में लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे और उसको पूरा निभाते थे लेकिन आज तो कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। अखलाक भी नहीं रह गया है। सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, सभी पार्टीज को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश का जो सपना है वह पूरा हो सके। जब गरीबों को रोटी मिलेगी तब यह सपना पूरा होगा। आज बड़े-बड़े लोगों ने जमीनें हथिया रखी हैं, वह जमीनें उनसे लेकर गरीबों, हरिजनों को देनी होंगी। आज तो जमीन भी उसी के पास होती है जिसके पास लाठी है। हमने पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलकर पंजाब और हरियाणा की जमीनें ली थीं। आज वहां पर कोई भी आदमी कत्ल नहीं किया जाता है लेकिन आप यू० पी० और बिहार में जाकर देख लें कि कितने कत्ल होते हैं। उनमें भी अगर जान होती तो ऐसी बात कभी नहीं हो सकती थी।

यह आपका जो बजट है, बहुत अच्छा बजट है, धनियों का बजट है, लेकिन आपको वह आपको यह सोचना होगा कि गरीब आदमी को काम कैसे देना है। गरीबों के लिए काम का इन्तजाम करना होगा। सारे वेले घूमते हैं। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है। हमें अपोजीशन से कोई खतरा नहीं है। वे बेचारे तो अपने आप में ही परेशान हैं। हमें तो अपने आपको ठीक करना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—सदा प्रसन्न रहो और यह विश्वास रखो कि भगवान ने हमें अच्छे कार्य करने के लिए चुना है और हमें उन्हें करना है।

हमेशा तैयार रहो। शुद्ध, पवित्र बनो। प्यार के लिए प्यार करो। गरीब, दुखी, पतित को प्यार करो। ईश्वर आपकी रक्षा करेगा—स्वामी विवेकानन्द

इस तरह से काम करो, तो ठीक रहेगा। यदि इस तरह से करोगे तो आखिर में गरीब लोगों के समझ में आ जाएगा। इन्दिरा जी बड़े अच्छे-अच्छे पैगाम देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन फोलो-अप कोई नहीं करता है। तो इन्दिरा जी क्यों करेंगी। इन लोगों को करना चाहिए। मिनिस्टरों को जाकर कराना चाहिए। आन-दि-स्पाट कराना चाहिए। टेलीफोन का तो भट्ठा बैठा हुआ है। गृह मंत्री बयान दे देते हैं। पंजाब में जो बोलता है, उसको बम मार देते हैं। मैं पंजाब के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, ऐसा न हो कि मुझे ही मार दो। आप कह सकते हैं, स्पैरो साहब कह सकते हैं। लॉ-एण्ड-आर्डर बड़ा कमाल का है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का डटकर सपोर्ट करता हूं।

श्री मेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करना चाहता हूं। एक लोकतांत्रिक देश में बजट की भावना केवल आय और व्यय के ब्यौरे की नहीं है, नहीं परियोजनाओं पर पूंजी निवेश के लिए किए गए प्रावधानों की रूपरेखा है, बल्कि बजट एक अत्यन्त मूल्यवान दस्तावेज है, जो देश और विश्व को यह बताता है कि देश किस दिशा में अग्रसर है और हमने अपनी उपलब्धियों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

इस सत्र में हमने तीन दस्तावेज जारी किए। पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगला आर्थिक सर्वेक्षण और तीसरा यह बजट है।

देश के समक्ष सच्चा और वस्तुपरक ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। सरकार ने लोगों से कुछ भी नहीं छिपाया है। जब भी हमें कोई घाटा हुआ जब भी हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, हमने लोगों को वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी। यह एक ऐसी सरकार है जो देश को सच्चा ब्योरा देने में विश्वास रखती है।

देश एक अत्यन्त गम्भीर संकट से गुजर रहा है। 20 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। यह अभूतपूर्व सूखा है। सके साथ ही विश्व भर में मंदी है।

इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि तेल उत्पादक और निर्यातक देशों ने अपने तेल की कीमतों में कमी की है। इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह किस कारण हुआ। यह विश्व अर्थ-व्यवस्था में मंदी का एक हिस्सा है। भारत, जो कि एक विकासशील देश है, इसी संकट से गुजर रहा है।

हमारे वित्त मंत्री जो इस संकट के समय में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। विश्व में बहुत से लोग इस बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति को ही लें। विकसित देशों, जो अपने संसाधनों का अपने हक में प्रयोग कर सकते हैं, वे देश जिनका व्यापार संतुलन उनके हक में है, वे देश जहां पर उपलब्ध विशेषज्ञता और अन्य सम्भावनाएं हमारे देश से अधिक हैं, उनकी स्थिति आज क्या है। वहां बेरोजगारी बढ रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर है, किन्तु भारत में हम मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत के आसपास

सीमित कर सके हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हम इस देश के दलितों और गरीबों को काफी राहत दे रहे हैं क्योंकि इससे मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है, इससे कालाबाजारियों और जमाखोरों की सट्टा सम्बन्धी गतिविधियों पर रोक लगती है तथा इससे हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हमें इस देश में आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था मिल सके। यद्यपि यह घाटे का बजट है, और बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इसकी आलोचना आरम्भ हो गई थी कि सरकार ने, डाक दरों में वृद्धि करके, पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि करके, रेलवे के किरायों और माल भाड़े में वृद्धि करके सरकार ने कुछ अन्य तरीकों से पहले ही करों की उगाही कर ली है, हमें इस बजट की अन्य तथ्यों और आंकड़ों के साथ तुलना करनी चाहिए। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है? कृषि क्षेत्र के लिए कितना आबंटन किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बात पहली बार कही जा सकती है कि यह इस देश के कृषकों का बजट है। यह इसलिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अधिक आबंटन किया गया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे देश ने कृषि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी है। जब तक हमारे किसान, और किसानों से मेरा तात्पर्य उन किसानों से नहीं है जिनके पास भूमि के मालिकाना हक हैं, किन्तु गांव के तमाम लोग जिनमें किसान, कामगार और कृषि मजदूर शामिल हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। मैं समझता हूं वित्त मंत्री ने पहली बार अधिक व्यवहारिक और साक्षेप महत्व की दृष्टि से महसूस किया है, इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। न्यास बनाने के सम्बन्ध में, जिसके द्वारा धोकेबाज लोग कर से बचते आ रहे थे तथा आभूषण व्यापारियों के सम्बन्ध में जो पिछले 30 वर्षों से कर से छूट पा रहे थे, माननीय वित्त मंत्री ने उन्हें अपने विरुद्ध परिवर्तन द्वारा कर-जाल में फंसा लिया है। वित्त मंत्री पहली बार उन त्रुटियों को दूर करने में सफल हुए हैं जिसके द्वारा लोग, काले धन से ऐसे काम करते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है और राष्ट्र को नुकसान होता है। अब उन्हें कर जाल में लाया गया है। यह सब ठीक है। किन्तु इसके साथ ही अब भी कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है। काला बाजार जारी है और अब भी अर्थव्यवस्था में काफी काला धन है और यह समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है जो देश की प्रगति के मार्ग में रुकावटें पैदा कर रहा है। यह समस्या हर जगह है और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। उसे रोकने के लिए वित्त मंत्री ने शानदार काम किया है और इसके साथ ही इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

बैंकिंग संस्थानों के सम्बन्ध में काफी आशाएं जगाई गई हैं और पूरी की जा रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे कोई भूमिका नहीं निभा रहे। यह आशा की जाती है कि जहां पर भ्रष्टाचार लगभग कल्पनातीत हो बैंकों को ईमानदार होना चाहिए, किन्तु हमारे लिए खेद की बात है कि बैंकिंग संस्थानों में भी घूंस, भ्रष्टाचार और गबन काफी सीमा तक घुस गए हैं।

इसलिए, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, यद्यपि बैंक इसे पसन्द नहीं करेंगे। आपको बैंकों के कार्यनिष्पादन की देखभाल, संवीक्षा और जांच-पड़ताल में निम्नतम स्तर तक लोगों को भागीदार बनाना चाहिए। बैंकों में जो व्यक्ति इस समय पदों पर हैं शायद वे यह समझते हैं कि कम उत्तरदायी हैं या उनके गलत काम का पता चलने का डर नहीं है या उनके द्वारा नीति का पालन

न करने का लोगों को कम पता चलेगा। इसीलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक सुझाव दूंगा कि हम किसी विशेष जिले में बैंकों के लिए जिला सलाहकार समितियां या क्षेत्रीय बैंकों के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियां क्यों नहीं गठित कर देते ? इस तरीके से, लोग जिले के अग्रणी बैंकों और अन्य बैंकों के कार्यकरण और उनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन में शामिल होंगे।

इसका यह मतलब नहीं कि हमारी नीति में कमियां हैं, इसका यह मतलब भी नहीं कि हम दिशाविहीन हैं। जैसा कि मैंने बताया, कि जिले के सभी बैंकों की एक जिला सलाहकार समिति होनी चाहिए और किसी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक क्षेत्रीय सलाहकार समिति होनी चाहिए। इन सलाहकार समितियों में बैंकों के अधिकारी, सरकार द्वारा नामित व्यक्ति और जनता के प्रतिनिधि होने चाहिएं ताकि निचले स्तर तक के लोगों में भागीदारी की भावना हो और बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी जा सके और लोगों की शिकायतों की जांच की जा सके और उनका समाधान किया जा सके। जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे। सरकार द्वारा उठाए गए सभी कल्याणकारी कार्यों में जनता का प्रतिनिधित्व जरूरी है। बैंक लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों रहें। जब हमारे पास सरकारी तंत्र के कार्यनिष्पादन की देख-रेख के लिए जिला समन्वय समितियां हैं या सिविल सप्लाई और उचित दर की दुकानों तथा अन्य बातों के लिए जिला सप्लाई समितियां हैं, तो फिर बैंकों को अलग-थलग लोगों के प्रति उदासीन क्यों रहने दिया जाए ? उनके दिमाग में अभी पुराने विचार हैं, उनको पुरानी मानसिकता विरासत में मिली है, परन्तु अब उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक किसान जिसके पास एक ही बकरी है वह भी एक लखपति के साथ प्रबन्धक के पास जा सकता है। अब वह अवधारण बदल गई है, और उन्हें इस बात का अहसास करवाया जाना चाहिए।

स्रोत बढ़ाने के सम्बन्ध में, यह सच है कि जनता की कठिनाइयों को हम ध्यान में रखते हुए हम इस उद्देश्य के लिए बहुत से साधनों को जुटाने का प्रयास करते हैं और यह सोचते हैं कि इन उपायों से गरीब और ग्राम जनता को राहत पहुंचेगी। उदाहरणार्थ, सही योजना बनाने से, हम बेहतर कार्यचालन के लिए अपने साधन बढ़ाते हैं। हमारी योजना अच्छी है, और हमने मूलभूत ढांचा बना दिया है, हमने सड़कें बना दी हैं, हमने अधिकतम सम्भव क्षेत्र में बिजली सुलभ करवा दी है, हमने नहरें निकाली हैं और हम ये सब कार्य बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। परन्तु इतना सब कुछ करने के बाद भी, यदि एक गांव जिसका विद्युतीकरण कर दिया गया है, वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बल्ब ही नहीं खरीद सकता, तो फिर उसको बिजली का क्या फायदा है ? यदि कोई व्यक्ति पहनने के लिए जूते नहीं खरीद पाता, उसको अच्छी सड़क का क्या फायदा है ? वास्तव में, यदि वह उस सड़क पर नंगे पांव चलता है तो सड़क से उसे तकलीफ होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया जब देश में मूलभूत सुविधाएं देने के बाद, हमें लोगों के व्यक्तिगत उत्थान की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों के उत्थान के लिए घोर प्रयास करना चाहिए और सरकार ऐसा कर रही है परन्तु यह सब जोरदार ढंग से किया जाना चाहिए।

मैं गुजरात राज्य से आया और वहां प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना बोर्ड हैं, प्रत्येक

जिले को प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ रुपया मिलता है और हम इसका वितरण ग्रामीण स्तर और जिला स्तर पर करते हैं। कभी-कभी लोगों द्वारा भी 25 से 50% तक का अंशदान किया जाता है। परन्तु इसका वहां बहुत असर हुआ है। यदि हम वहां जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां प्रत्येक गांव में प्रगति हुई है, चाहे वह प्रगति स्कूल की इमारत, पेय जल के छोटे कुओं, छोटे पानी के तालाब या किसी सम्पर्क सड़क के रूप में ही क्यों न हुई हो। वहां विकास कार्य भी चल रहा है। जब तक देश भर में हम निम्न स्तर से योजना शुरू नहीं करते, और उन लोगों की सहायता नहीं करते जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, मुझे आशंका है कि बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर बहुत अधिक धन खर्च करने के बावजूद भी, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को तत्कालिक आवश्यक सहायता नहीं पहुंच पाएगी।

वे लोग इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वे उतनी कलोरी ले सकें जितनी कि हम आशा करते हैं, उन्हें लेनी चाहिए क्योंकि वे इतना खर्च सहन नहीं कर सकते और हम भी उन्हें राहत नहीं दे सकते। इसलिए, महोदय, वित्तीय आबंटनों के बारे में देश भर में यह भावना पैदा की जा रही है कि केन्द्र द्वारा विशेष तरीके से अमुक राज्य के साथ पक्षपात किया जा रहा है अथवा नहीं।

आपने वित्त आयोग नियुक्त किया है। अब आठवां वित्त आयोग काम कर रहा है परन्तु अब साधनों को जुटाना और उनका विविधिकरण बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए ताकि निम्न स्तर तक के कार्यनिष्पादन में सुधार हो। हमारी स्थिति की ओर ध्यान दें। देश में बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं हैं। आपके आर्थिक सर्वेक्षण से पता लगता है कि खेती योग्य समान क्षेत्र का कितना उपयोग हो रहा है? हम 100% कमान क्षेत्र को ध्यान में रखकर परियोजना बनाते हैं। हो सकता है कि कमान क्षेत्र के उपयोग के लिए या किसी परियोजना के लिए जलाशय में पानी सुलभ न हो। इसलिए, इस क्षेत्र की सिंचाई नहीं की जा सकती। कमान क्षेत्र अवधारणा में देश के खेती योग्य कमान क्षेत्र का 40% से अधिक क्षेत्र नहीं आता क्योंकि समस्त क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं है। निस्संदेह, विश्व बैंक नहरों और सड़कों का आधुनिकीकरण करने के लिए हमें मदद देता है। परन्तु, महोदय, यह उचित नहीं है कि आज भी हम रूढ़िवादी ढंग से विकास की अमुक लीक पर चलते रहें, क्योंकि आज उन गांवों का उत्थान करने की जरूरत है जिन गांवों में भूमिहीनों को वितरित करने के लिए फालतू भूमि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, भूमिहीन लोगों को अन्य साधनों पर निर्भर रहना होगा। दूध के लिए उन्हें पशु पालने होंगे और कुटीर उद्योग आरम्भ करने होंगे। तब जिला डेरियां स्थापित की जायेंगी। इसके बाद पशुओं की नस्ल सुधारने की बात आएगी। जिस प्रकार हम सड़कें बनाते हैं और नहरों का निर्माण करते हैं, वैसे ही दूध का उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की नस्ल सुधारने की भी जरूरत है। इसलिए, मैं यह कहूंगा कि दूध पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जायें। इसके लिए चाहे तो विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से या किसी अन्य संस्था से ऋण लिया जाना चाहिए और भारत सरकार को उनकी ओर बराबर ध्यान देना होगा।

परन्तु, महोदय, जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं उनके अलावा विभिन्न राज्यों की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको पिछले दस वर्षों से स्वीकृति नहीं मिली है। उदाहरणार्थ, गुजरात में फिलामेंट नाईलोन यार्न परियोजना पिछले दस वर्षों से लम्बित हैं और परियोजना की

लागत 20% तक बढ़ गई है। उस समय इसकी लागत 50 करोड़ रुपये थी और अब यह 75 करोड़ रु० होगी। सरकार को किसी भी परियोजना को या तो स्वीकृति देनी चाहिए या उसे अस्वीकृत करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करता हूं कि परियोजनाओं के सम्बन्ध में हमेशा 'हां' का सकारात्मक उत्तर होना चाहिए क्योंकि भद्रपुरुष के लिए 'नहीं' शब्द अच्छा नहीं है। निस्संदेह केन्द्र के पास बहुत सी परियोजनाएं हो सकती हैं और उन्हें प्राथमिकता देने का प्रश्न भी हो सकता है। समय और लागत में वृद्धि को देखते हुए, निर्णय न लेने की भावना जो पैदा की जा रही है, वह बुरी है। इसलिए, महोदय, अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रत्येक लम्बित मामले पर व्यवहारिक रूप से तत्काल निर्णय लिया जाए।

मैं एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा से जुड़ा हुआ है और उस क्षेत्र का कुछ भाग सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से भी यह पिछड़ा हुआ है। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि जब कि गुजरात सरकार ने उचित जांच करने के बाद कुछ जिलों को कम 'उद्योग रहित' जिले घोषित करने का प्रस्ताव भेज दिया है, परन्तु उन्होंने बनासकांठा को छोड़ दिया है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 'बनासकांठा को 'उद्योग रहित' जिला घोषित करें ताकि इस जिले को कुछ केन्द्रीय सहायता मिल सके। हमें ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।

सूखे की स्थिति से निपटने के संबंध में, जब तक हम नर्मदा परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर लेते, तब तक देश का बहुत बड़ा भाग सूखे से पीड़ित रहेगा, और देश में खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम होगा। यह इतनी बड़ी परियोजना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए इस संबंध में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकार इस परियोजना को पूरा करने में समर्थ हो, राज्य सरकार को अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है। केन्द्र द्वारा कच्चे तेल की रायल्टी बढ़ाकर यह धनराशि दी जा सकती है।

यद्यपि वित्त मंत्री गुजरात के हैं, मैं उनसे किसी प्रकार की विशेष प्राथमिकता की अपेक्षा नहीं करता परन्तु उनसे इतना अनुरोध जरूर करता हूँ कि वे इस समस्या पर विचार करें ताकि यह परियोजना जल्दी पूरी हो सके। ऐसा करना प्रधान मंत्री की नीति के अनुसार होगा क्योंकि उन्होंने सिंचाई को भी 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया है।

इन शब्दों के साथ, मैं यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं जनरल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस संबंध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जो बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा बजट है, संतुलित बजट है और आज की परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। मैंने बजट का काफी अध्ययन

किया है। मैंने पाया है कि इस देश में जो सूखे की स्थिति है, जो विश्वव्यापी मंदी है और विश्व में जो मुद्रास्फीति का दौर है उसको देखते हुए वित्त मंत्री जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लिया है।

सूखे की स्थिति में बहुत कष्ट होता है। खासकर राजस्थान में पिछले 4-5 साल से सूखे की स्थिति चल रही है। सूखे के लिए जो मार्जिन मनी दी जाती है उससे हमारी घोर उपेक्षा हो रही है। फ्लड के मामले में हम 75 परसेंट सबसिडी देते हैं परन्तु फेमिन के मामले में ऐसा नहीं किया जाता। मैं कहना चाहता हूं कि जब फ्लड के लिए यह सुविधा है तो फेमिन के लिए क्यों नहीं है? फ्लड में तो यह होता है कि फ्लड के बाद रबी की क्राप अच्छी होती है और अगर फ्लड हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में आए तो वह वरदान के रूप में साबित होता है। भरतपुर में इस तरह का फ्लड आता है। बाढ़ में रबी की क्राप अच्छी होती है और वरदान के रूप में साबित होती है। अकाल का भयंकर प्रभाव पड़ता है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इकोनामी और पशुधन नष्ट हो जाते हैं इसलिए इस बारे में आपको सोचना चाहिए। आठवां फाइनेंस कमीशन बैठा है, उसको भी मैंने रिप्रेजन्टेशन दिया है। यह मापदण्ड बनना चाहिए कि जिस प्रकार फ्लड में मदद की जाती है उसी प्रकार फैमिन में भी की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी नार्थ-इस्टर्न एरिया में पैदा हुई है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमने इन एरियाज को घोर उपेक्षा की है। हमने उन क्षेत्रों को विकसित नहीं किया। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो हमारे रेगिस्तानी और सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी भी घोर उपेक्षा कि जा रही है। पिछले चार-पांच सालों से भयंकर अकाल की स्थिति है। पचास करोड़ रुपए की मदद में से सिर्फ 11.78 करोड़ की मदद की जाती है। एम्पलायमेन्ट जनरेशन के लिए जो मदद मांगी गई है, वह बिलकुल सही है। स्टडी कमेटी (अध्यक्ष दल) ने भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी है। लेकिन जिस प्रकार नार्म्स बने हुए हैं उनसे ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है। हमें एम्पलायमेन्ट के लिए पांच रुपए प्रति व्यक्ति मिलते हैं जबकि आज वेजेस 9 रुपए प्रति दिन हो गए हैं। लेकिन जब सामग्री के लिए पांच रुपए मांगते हैं तो 1.67 रुपए मंजूर किए जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि केन्द्र सरकार से मदद न मिलने के कारण राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। इसकी वजह से कई प्रकार की स्थिति पैदा होती है जैसे-मजदूरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पशुओं को बचाने के लिए अधिक खर्च होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं हो पाती है हमारे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए गंगा नगर या राजस्थान नगर जा रहे हैं या कहीं और इलाकों में जा रहे हैं। आपको यह देखना चाहिए कि किन क्षेत्रों में स्थिति अच्छी नहीं है, वहां आपको मदद करनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में हर साल अकाल पड़ता है और जो अविकसित क्षेत्र हैं, अगर आपको गाडगिल फार्मूला भी चेंज करना पड़े तो उसको भी चेंज कर दीजिए। इस फार्मूले के अनुसार बैकवर्ड एरियाज को दस परसेन्ट दिया जाता है, उसको बढ़ाकर 30-40 परसेंट कीजिए। दिल्ली एरियाज के लिए पांचवीं योजना में 170 करोड़ था जो छठी योजना 540 करोड़ कर दिया परन्तु डेजर्ट का कोई प्लान नहीं है। डी०पी०ए०पी का जो प्रोग्राम था वह भी आपने समाप्त कर दिया है। एम०एस० स्वामीनाथन की सिफारिश से एन०डी०सी० के निर्णय को कैसे चेंज किया जा सकता है। जहां भयंकर सूखा पड़ता है वहां पर

आपने डी०पी०ए०पी० का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इसको रेगीस्तानी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं करता है। अगर आप इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और दूसरे कार्यक्रम के साथ मिलाते हैं तो उसकी राशि को बढ़ाइये। डैजर्ट एरिया से संबंधित कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिये। बल्कि मेरा तो निवेदन है कि उसके लिए सब-प्लान बनाया जाय जैसे शैड्यूल्ड ट्राइब एरिया का प्लान बनाया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह सुझाव वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हमने सुझाव दे दिया है और हम वित्त मंत्री को भी सुझाव दे रहे हैं ताकि वे भी वित्त आयोग को सिफारिश कर सकें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : रावी और व्यास के पानी के बटवारे के बारे में डिसप्यूट चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कितना भी हम विकास करें, अभी भी हम वर्षा पर निर्भर करते हैं। देश तभी प्रगति कर सकता है जब इरीगेशन पोटेंशियल को बढ़ायें। सिंचाई की सुविधा अभी भी 20 परसेंट एरिया में है, 80 परसेंट एरिया अभी भी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमें इस इस एरिया को बढ़ाना है। लेकिन इसमें बहुत धीमी प्रगति है। हमारे प्रोजैक्टस धीमी गति से चल रहे हैं। आप प्रथम योजना से छठी योजना के किसी भी प्रोजैक्ट को देखें जिसको पूरा होने में पांच वर्ष लगने चाहिये उसमें 7 वर्ष लगे हैं। हमने जो टारगेट फिक्स किये थे अगर उनको फुलफिल करते तो हमारी नैशनल इन्कम 2 लाख 24 हजार 286 करोड़ हो जाती। लेकिन वह केवल 1 लाख 4 हजार 201 करोड़ ही है। कहने का मतलब है कि 50 परसेंट ही टारगेट पूरे हुए हैं। अगर टारगेट पूरे होते तो पर कैपिटा इन्कम 1980-81 में 3,398 रु० हो जाती जो कि केवल 1,547 रु० ही हुई है। योजनाओं के बारे में हमने ध्यान नहीं रखा है, विशेष तौर से सिंचाई के मामले में राजस्थान नहर की बहुत उपेक्षा हुई है। पंजाब क्लेम कर रहा है कि रावी-व्यास का पानी कतई भी रेगिस्तानी क्षेत्र में न जाये। राजस्थान नहर जैसलमेर एरिया में जाती है, बाड़मेर जिले में भी जाने का स्कोप है। रावी व्यास के पानी के बटवारे के प्रश्न को लेकर अगर 86 लाख एकड़ फीट पानी में से एक भी बूंद कम की जाती है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए सारा राजस्थान संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर पंजाब अपने अधिकारों के लिए कटिबद्ध हैं तो हम भी अपने अधिकारों के लिए कटिबद्ध हैं, पंजाब में अभी भी काफी प्रोडक्शन है। लेकिन हमारे यहां तो पीने का पानी भी नहीं मिलता, सिंचाई की बात तो दूर रही। राजस्थान नहर से पीने के लिए पानी भी न मिले और पंजाब में ही अगर हमको पानी न दिया जाय तो हम इसको कभी भी टौलरेट नहीं कर सकते।

जो प्राथमिकताएं देनी चाहिए वह हमारी सरकार नहीं देती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री के सामने मैंने प्रश्न रखा था। हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र देखें। हमारा क्षेत्र केरल प्रान्त से डबल इन-एरिया है और हरियाणा से ड्योढ़े से भी अधिक है, लेकिन वहां पर 50 प्रतिशत लोगों को रेडियो की आवाज भी सुनाई नहीं देती। वहां दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, सूरत गढ़, बीकानेर कहीं की भी आवाज नहीं पहुँचती। वह सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान के रेडियो लाहौर और कराची की आवाज वहां जोर से पहुंचती है। वह लोग हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं जिसका असर बहुत खराब पड़ता है।

1965 में युद्ध के समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर थीं, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि रेडियो की फैसेलिटी देंगे। चौथे और पांचवे फाइव इयर प्लान में मावीजन था लेकिन वह तमाम मिनिमम-नीड प्रोग्राम भी रद्द कर दिया गया है। मैं विशेषतौर से वित्तमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसके लिए फाइनेन्शियल कांस्ट्रेन्ट क्यों रख रहे हैं? यह सुरक्षा का प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रश्न है। आज के जमाने में हम अपना रेडियो भी न सुन सकें, उससे वंचित रहे जब कि यहां टेलीवीजन और कलर्ड टेलीवीजन का युग चल रहा है। अगर हम रेडियो भी न सुन सकें तो यह क्या बात है? मैंने बहुत बार यह प्रश्न यहां पर रखा है लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर आवश्यक मांग की पूर्ति भी आप नहीं करेंगे तो इस स्थिति को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपको कुछ मापदंड रखना चाहिए, कुछ प्राथमिकताएं रखनी चाहिएं और उनकी पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिये।

पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने ज्यादा तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमारे राजस्थान और केन्द्र में भी काम कर रहे हैं उनके दिमाग अभी तक कमिटेड नहीं हैं डेमोक्रेसी के प्रति, सोशलिज्म के प्रति। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकारीकरण तो हो गया है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। इसलिये इस बारे के सोचने, सुधार करने और परिवर्तन की आवश्कता है।

अभी अपने क्षेत्र में मैं गया था। किरासिन तेल की जो पालिसी अभी एडाप्ट की गई है, उसके बारे में बताया जाता है कि यह वीकर सैक्शन के फायदे के लिए की है, इससे 70 परसेंट वीकर सैक्शन को लाभ होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे किसी वीकर सैक्शन को लाभ नहीं हो रहा है। यह सब कुछ टाउन में है, रईस से रईस को और गरीब से गरीब को यहीं तेल मिल रहा है। लेकिन गांवों में लोगों को सस्ता किरासन नहीं मिल रहा है। टाउन में जो तेल नहीं लेना चाहते उनके तेल को ब्लैक में बेच देते हैं। आपकी पर्स यहां ब्लैक कर देते हैं। इससे पार्टी की इमेज भी घटी है। आपको सोचना चाहिए कि जो आप लोग निर्णय ले लेते हैं, हाउस में डिस्कशन नहीं करते, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है।

आज जो पोस्टेज में वृद्धि हुई है उसका कोई अन्तर नहीं पड़ा है। रेलवे में किराये और भाड़े में जो वृद्धि हुई है, उसका भी विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि जितने रोडवेज के किराये हैं वह रेलवेज से डबल हैं। उसके बारे में आपने सही कदम उठाया है, लेकिन जो किरासिन तेल के बारे में कदम उठाया है दोहरी नीति का यह कहां सफल हो सकता है? शुगर तो मार्केट में मिल सकती है, लेकिन किरासिन तेल मार्केट में बिल्कुल ओपन नहीं मिल सकता है।

राशन कार्ड का सिस्टम है, लेकिन उसमें एक तरफ परमिट सिस्टम कर दिया है और एक तरफ राशन कार्ड सिस्टम है। शुगर की दोहरी नीति में तो फ्री शुगर मिल जाती है, लेकिन किरासिन में फ्री तेल नहीं है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

आप उन्नति करना चाहते हैं। 80 परसेंट इंडायरेक्ट टैक्सेज हैं और 20 परसेन्ट डायरेक्ट टैक्सेज हैं। लेकिन इनडाइरेक्ट टैक्सेज जैसे-जैसे बढ़ते हैं, सारी जनता पर उनका असर होता है।

डाइरेक्ट टैक्स बढ़ाने की हम कोशिश नहीं करते है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से धनवान है जिन पर आप टैक्स लगा सकते हैं। गैर-कृषि क्षेत्र के लिए आपने जो 15,000 तक टैक्स के लिए माफ कर रखा है उसके स्थान पर आप कृषि क्षेत्र में 50,000 निर्धारित कर दीजिए या एक लाख कर दीजिए लेकिन उसके ऊपर तो आपको टैक्स लेना चाहिए। केवल पांच परसेन्ट बड़े एग्रीकल्चरिस्ट ही इससेप्रभावित हो सकेंगे, शेष 95 प्रतिशत अप्रभावित रहेंगे। आपको वहां भी टैक्स वसूल करना चाहिए। मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिए। इनके अलावा उन्हें नान-टैक्स रेवेन्यू पर ज्यादा जोर देना चाहिए।

हमारे राजस्थान में मिनरल प्रास्पेक्ट्स बहुत हैं जिनके बारे में व्यास जी बात करते रहते हैं। वहां पर लिग्नाइट का अपार भण्डार है। जिंक का भण्डार है, चूने और तांबे का भंडार है, माइका का भंडार है। मेरे क्षेत्र बाड़मेर में लिग्नाइट निकला है जिसका डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हो रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर में राक-फासफेट निकला है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में मिनरल प्रोस्पेक्टस बहुत है। उनके सम्बंध में रिसर्च पर पूरी शक्ति लगाकर और एक्सप्लोरेशन करके वहां पर मिनरल-बेस्ट इण्डस्ट्रीज कायम की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ, माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र प्रगति करे, विकास करे और उन्नति करे और उसमें हमको भी सही और उचित हिस्सा मिले।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जिससे कि विपक्ष का पूर्णत: मोह-भंग हो गया है और वे इस हद तक कह रहे हैं कि बजट इस बात को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है कि लोक सभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाये जायेंगे। (व्यवधान) महोदय, जब कि वित्त मंत्री ने गृहणियों के खाना बनाने के सामान से लेकर बल्बों तथा चीनी की आपूर्ति सहित बचतों का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। किन्तु मध्य वर्ग तथा पददलित लोगों के समर्थकों ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जहां पर कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई छूटों के स्थान पर उन्होंने कर लगा दिया है जिससे कि समाज के मध्यम वर्ग तथा कमजोर वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें चुप रहना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के बजट का फायदा लेते हुए, जहां कि केन्द्रीय सरकार ने लाभ देने के कदम उठाए हैं···

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, क्या हम यहां पर पश्चिम बंगाल के बजट पर बहस कर रहे हैं? उन्होंने इसकी चर्चा क्यों की······(व्यवधान)। आप इसे कभी नहीं भूलेंगे।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वे बाधा क्यों डाल रहे हैं? कृपया उन्हें चुप करवाइये। (व्यवधान)। आप चुप रहें जी।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) महोदय, कृपया उन्हें बतायें कि हम इन सब बातों की चर्चा कर सकते हैं और यदि पश्चिम बंगाल के बारे में उसने यह कहा कि वे श्रम विरोधी हैं तो वे अपने दल को वहां आन्दोलन चलाने के लिए कहें। वहां वे चुप हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोलूंगा। तब आप चुप रहें और जो कुछ मैं बोलूं उसे सुनें।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : श्री संतोष मोहन देव, उनका कहना है कि जब कभी भी केन्द्र से कोई बात खुलेगी तो वे उसका फायदा उठायेंगे।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस बजट में, इस देश के पददलित लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इन मदों के लिए मांग अनुदान बढ़ाकर विशेष आबंटन किया गया है। ये कार्यक्रम न केवल पददलितों की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए है बल्कि इससे उन्हें रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय : इससे पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिलेगा।

श्री संतोष मोहन देव : हमें पश्चिम बंगाल को भूल जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वे केन्द्रीय सरकार से 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि लेते हैं और वे इसे 32-सूत्री कार्यक्रम में परिवर्तित करके लोगों को बांट देते हैं। और कहते हैं कि यह सी० पी० आई० (एम०) का पैसा है। किन्तु वे पैसा यहां से लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री अजित कुमार साहा : वह आपके दल का पैसा नहीं होता। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बोलते रहें।

श्री संतोष मोहन देव : मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते समय उन्होंने वेतनभोगी लोगों का भी ख्याल रखा है और उन्हें आयकर में छूट दी है। मैं उन्हें विशेष स्कीमों तथा पूर्वोत्तर जोनल परिषद् जो मेरे क्षेत्र में है के लिए आबंटन करने पर बधाई देता हूं।

मैं बजट प्रस्तावों के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से वक्ताओं ने, हमारे पक्ष में भी और विपक्ष में भी, इस विषय पर भाषण दिया है। मैं केवल वित्त मंत्री का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार को हमारी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

प्रधान मंत्री ने हमें पूर्वी क्षेत्र का वित्त मंत्री दिया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें गुजरात जाना पड़ा। किन्तु मैं आशा करता हूं कि वे पूर्वी क्षेत्र को

बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग संगठन भी संगठित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र—लघु व बड़े तथा साथ ही पददलित लोगों के लिए—धनराशि बैंक संगठन में आती है। मैं सरकार की कठिनाइयों को समझता हूं। मैं वित्त मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देंगे तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक ढांचे का पुनर्गठन करेंगे ताकि मिजोरम, काछार, त्रिपुरा और मनीपुर बैंकों से और अधिक लाभ उठा सकें। मैं यह मांग करता हूं कि काछार में या तो यूनाइटेड बैंक का अथवा स्टेट बैंक का एक अतिरिक्त कार्यालय खोला जाए ताकि सरकार की नीतियां तथा विभिन्न स्कीमें लोगों तक बैंकों के माध्यम से पहुंच सकें। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 4 से 5 वर्षों में असम में अशान्ति है। दुर्भाग्यवश अगर असम में बैंक उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, हमारी बहुत सी स्कीमें गोहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ही पड़ी रहती हैं तथा विकास कार्य में काफी रुकावट होती है। वित्त मंत्री से मैं हार्दिक अनुरोध करूंगा कि वह इस विशेष मुद्दे पर ध्यान दें।

उर्वरकों पर कर को कम करके किसानों के सीमांत तथा कमजोर वर्ग को प्रोत्साहन देने हेतु मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस समय असम में अशांति के फलस्वरूप किसानों को काफी दुखी होना पड़ रहा है। इस आन्दोलन का कोप लोगों के कमजोर वर्गों तथा कृषकों पर पड़ रहा है। असम में वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं यह अनुरोध करूंगा कि असम में सभी बैंकों को यह अनुदेश दिए जाएं कि वे ऋण देने, कृषकों को 4000 से 5000 रु० का थोड़ा ऋण देने में विशेष ख्याल रखें ताकि वे अपनी वर्तमान कठिनाइयां दूर कर सकें। मुझे यह विश्वास है कि वित्त मंत्री असम को मेरे से ज्यादा जानते हैं और उन्होंने इसकी ओर हमेशा विशेष ध्यान दिया है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण हमेशा उपलब्ध रहता है। इससे मैं सहमत हूं। किन्तु एक साधारण किसान के लिए, यह बहुत कठिन काम है कि वह शहरी क्षेत्रों में स्थित बैंकों तक पहुंच सके। अतः उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक खोलकर काफी अच्छा कार्य किया है। उन क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों को यह अनुदेश दिए जायें कि वे अपने दलों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहें ताकि लोगों की आवश्यकताओं का पता लगा सकें तथा लोगों तक मदद पहुंच सके।

एक माननीय सदस्य ने रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यकलापों के बारे में उल्लेख है। मैंने भी अपने विभिन्न भाषणों में सदन में सीमांत क्षेत्रों, विशेषकर काछार और करावाई पहाड़ियों के लोगों की अप्रसन्नता के बारे में उल्लेख किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि आप मेरे क्षेत्र में जायें तो आपको टेलीविजन देखने को मिलेगा किन्तु यह टी०वी० कार्यक्रम दूरदर्शन से अथवा भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता। यह बंगलादेश का होता है। यदि आप किसी स्कूली बच्चे को पूछें कि भारत का राष्ट्रपति कौन है तो वह उत्तर देगा जियाउर रहमान क्योंकि वे उनका कार्यक्रम देखते हैं। मैं सरकार की कठिनाइयों को केवल समझ सकता हूं। किन्तु उन्हें यह देखने के लिए भी कदम उठाना चाहिए कि भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम लोगों के कमजोर वर्गों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचे। लोगों को दिल्ली अथवा कलकत्ता अथवा गोहाटी में बैठे लोगों को ये देखने दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यह भी एक ऐसा प्रचार माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। हाल ही में दिल्ली में निर्गुट राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप तथा चुनावों के बाद निर्गुट कार्यक्रम प्रसारित तथा प्रदर्शित किया गया था। मैं गोहाटी में था। आन्दोलन तथा आन्दोलनकारियों के प्रचार के बावजूद कि गुट निरपेक्ष कार्यक्रम को नहीं देखना चाहिए, सभी घरों के लोगों ने—चाहे

वे असमी अथवा बंगाली अथवा अन्य कोई थे —ने अपने पर्दे गिरा दिए। लाइटें बुझा दीं तथा गुट निरपेक्ष सम्मेलन कार्यक्रम देखा। इससे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लोगों को यह देखने का अवसर मिला कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या हैं और इसके बारे में सम्पूर्ण जगत को भी पता लगा। उन्हें यह भी पता लगा कि विश्व के अन्य देशों के प्रति हमारा देश कैसा है। इससे हमारे लोगों में निश्चय ही राष्ट्रीय एकता के प्रति जागृति पैदा होगी। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इस ओर उपयुक्त ध्यान दिया जाए।

16.57

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं वित्त मंत्री को वेतन आयोग की घोषणा करने पर बधाई देता हूं। किन्तु मुझे यह देखकर खेद होता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कर्मचारियों को वेतन आयोग स्वीकार न करने के लिए उकसाते हैं। यूनियनों के एक वर्ग द्वारा इस प्रकार का प्रचार देश के हितों के लिए बहुत विस्फोटक है। **(व्यवधान)** मैं कुछ नहीं जानता। पददलित लोगों पर आपका एकाधिकार है। आप सब कुछ जानते हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जी हां, मैं वेतन आयोग के बारे में जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मेरे जिले के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने हमारे दल को मतदान दिया। उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है। **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा है कि आप दोनों ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव : वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गए थे···

श्री नारायण चौबे : आप अपने मंत्री से पूछें कि क्या 'इंटक' वेतन आयोग का समर्थन करती है? **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : वह मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें संरक्षण देता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा योजना एक अच्छी योजना है और मेरे क्षेत्र में तथा असम में चारों तरफ मैंने देखा है कि डाकघर बचत योजना और राष्ट्रीय बचत योजना पिछले पांच वर्षों से सर्वोपरि है। किन्तु हम यह मांग करते रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार वहां पर एक कार्यालय खोले क्योंकि गोहाटी तथा शिलांग में आन्दोलनों के कारण ये स्कीमें अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं की जाती इसलिए लोग काफी चिंतित हैं। मैं इसे आराम के लिए नहीं चाहता हूं। हम पीड़ित हैं।

जब कि सरकार ने शिक्षा बजट का काफी ध्यान रखा है तथा उचित धनराशि का भी प्रावधान किया है, मैं सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र में काछार में एक विश्वविद्यालय खोलने की सम्भावना पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। काछार के लोग तथा छात्र आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। दुर्भाग्यवश, यद्यपि हमारे बालक तथा बालिकाएं वर्ष के 365 दिन ही स्कूल तथा कालेज जाते हैं, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित रखा गया जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हमारे पास उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जब देश के किसी अन्य भाग में आन्दोलन हो, और जब वे उस आन्दोलन में भाग न ले रहे हों तो उन्हें इन सुविधाओं से वंचित क्यों किया गया? उनका शैक्षिक वर्ष बेकार क्यों किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की घोषणा की है। उन्होंने मिजोरम में भी विश्वविद्यालय सुविधाएं प्रदान की हैं। हमारे बालकों और बालिकाओं को भी विश्वविद्यालय सुविधाएं देनी चाहिए।

प्रधान मंत्री अथवा वित्त मंत्री जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य होगा। इस क्षेत्र से बंगाली होने के नाते मैं यह कहता हूं कि हम अंग्रेजी, बंगाली, असमी और हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करते हैं। हम यह नहीं कहते, "आप हमारी शिक्षा का माध्यम बंगाली रखें।" यद्यपि बंगाली काछार की एक क्षेत्रीय भाषा है, हम अंग्रेजी, बंगाली, असमी और हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करेंगे। किन्तु हम चाहते हैं कि हमारे लड़कों और लड़कियों को अवसर दिया जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : काछार में विश्वविद्यालय होना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के लोग मेरे जिले में जाकर छात्रों को उकसाते हैं कि, "चुनावों के बाद आपको क्या मिला? आप भी आन्दोलन शुरू करें।" किन्तु हमारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने उनकी बातें अस्वीकार कर दीं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री, जो मेरे जिले और राज्य को जानते हैं, इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

आम बजट पर बोलने के लिए दिए गए अवसर हेतु मैं आपका आभारी हूं।

श्री सतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो बजट पेश किया गया है, उसको देखने के बाद यही पता लगता है कि मंत्री जी ने सभी तरफ ध्यान रखा है और खासकर गरीबों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए, उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बजट अभी तक सदन में नहीं आया था क्योंकि विरोधी पक्ष के लोगों ने जो इस पर कमेन्ट किया है, उसमें तालमेल नहीं था और वे इसके बारे में ज्यादा कमेन्ट नहीं कर सके। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है और आम लोगों के लिए हितकर है लेकिन कुछ बातें मैं इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा और मंत्री जी उन पर ध्यान दें।

अभी तक जो आय कर लगने का तरीका रहा है, उसके माध्यम से ब्लैक मनी, जिसको काला धन कहते हैं, ज्यादा होती जा रही है और आज प्रत्येक बड़ा बिजनैसमेन दो तरह के हिसाब-किताब रखता है, दो तरह के रजिस्टर रखता है। एक रजिस्टर वह अधिकारियों के

सामने प्रस्तुत करता है और दूसरे को छिपा कर रखता है जो कि उनके असली कारोबार का है और मैं समझता हूं कि जितना भी रेड हुआ है, उसमें वही रजिस्टर पकड़े गये हैं। तो इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि किस ढंग से ऐसे उपाय किये जाएं, जिनसे चोरी का जो यह तरीका हो गया है, जिसको सभी लोग जितने बिजनैस करने वाले हैं या जिनकी आय ज्यादा है, वह बंद हो। होता यह है कि चोरी की प्रवृति बढ़ती चली जाती है और सभी लोग उसी लाइन पर चले जाते हैं। इसका असर यह हुआ कि सरकार को जितना पैसा आना चाहिए सही रूप में वह नहीं आता है। जिस हिसाब से सरकार को आयकर मिलना चाहिए, उस हिसाब से कोई भी बिजनैसमेन आय कर नहीं देता है ऐसी स्थिति में जो पैसा बचता है, वह काला धन हो जाता है और इस काले धन के माध्यम से वे अपना पैसा इस देश में जमा न करके दूसरे देशों की करेन्सी में उसे बदलकर, वहां जमा करते हैं। क्योंकि उनको यहां की सरकार पर विश्वास नहीं है और दूसरी जगह पर अपने पैसे रखना वे सुरक्षित समझते हैं। इसलिए इस समस्या पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए। जो बड़े बड़े बिजनसमेन या मिडिल क्लास के बिजनसमेन कालाधन बनाते हैं, इनको रोका जाना चाहिए। इह पर गंभीरता से पुनः विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें सुधार आने की कोई सम्भावना नहीं है। मैं खासकर इस तरफ मंत्री जी का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि आज मध्यम क्लास के लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं। गरीब लोग तो दिक्कत में हैं ही। इनका कोई बजट नहीं बनता। जो बड़े बड़े आदमी हैं उनका भी अपना कोई बजट नहीं होता क्योंकि उनके पास काले पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मध्यम क्लास के लोगों को जितनी आमदनी होती है, उसमें ही उनको सारा बजट बनाना पड़ता है। जब मंहगाई बढ़ जाती है या कोई और केलेमिटी आ जाती है तो सारा भार मध्यम क्लास के लोगों के ऊपर पड़ता है। जो सरकार टैक्स लगाती है उसका भार भी ज्यादा मध्यम क्लास के लोगों पर पड़ता है, इस विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से गरीब लोगों को तो ऊपर लाएं और यह भी करें जिससे कि मध्यम क्लास के लोगों की कमर न टूटे, उनकी परेशानी न बढ़े। इसलिए आपको गरीब लोगों और मध्यम क्लास के लोगों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

हमारे देश में जो योजनाएं बनती हैं मैं समझता हूं कि अब ऐसा तरीका चल गया है कि योजना बनाने के समय अपने मुल्क के कुछ खास-खास लोग प्रारूप तैयार करते हैं। जो योजनाएं सही तौर पर बननी चाहिएं, वे उससे ज्यादा रकम की बनाकर चलते हैं। उसके बाद भी बार-बार उस योजना की राशि बढ़ाने की बात होती है। मैं पी० ए० सी० में था जो योजना 54 करोड़ रुपए की बनी थी, उस पर 400 करोड़ रुपये खर्च हो गये फिर भी आधा काम हुआ है। जैसे कि हमारी सलाल परियोजना है। इन परियोजनाओं बारे में हमें कुछ तो हिसाब रखना चाहिए। यह न हो किसी योजना को सरकार से पैसा लेकर बढ़ते जाएं। इस तरह से इस पैसे का सारा भार जनता पर बढ़ता जाता है। जो योजनाएं बनाई जाएं उनकी ऐसे लोगों से जांच करवानी चानिए जो कि उनमें इन्ट्रेस्टेड न हों जिससे कि यह पता चल सके कि वे परफेक्ट हैं या नहीं। जब योजना परफेक्ट हो तभी उस पर अमल होना चाहिए। ऐसी योजनाएं हमारे देश में सैकड़ों चल रहीं हैं। इस तरह से जो योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं उनसे हमारे ऊपर भार बढ़ता जा रहा हैं।

जितना पैसा हम योजनाओं पर खर्च करते हैं, उससे अधिक पैसा हमें उनके रखरखाव पर खर्च करना पड़ता है। कहीं-कहीं तो मेन योजना पर खर्च की गयी राशि से डेढ़ गुनी राशि रखरखाव पर खर्च कर दी जाती है, उसके रखरखाव का काम करने वाले लोगों पर खर्च कर दी जाती है। इसलिए इन बातों पर भी हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए।

हमारी योजनाओं में पैसे का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, उसका फायदा कुछ मुट्ठीभर लोगों की जेबों में जाता है। वह पैसा भी काले धन के रूप में रखा जाता है। इस तरह से योजना का पैसा लेकर और योजना को गलत ढंग से जो बनाकर देते हैं उसका बहुत ही खराब असर होता है।

अब मैं कुछ बिजली के सम्बंध में कहना चाहूंगा। कुछ राज्यों को छोड़कर, करीब-करीब समूचे मुल्क में जितना पैसा हम बिजली की योजनाओं पर खर्च किये हैं, थरमल पावर हाउस पर, हाइडल पावर हाउस पर, और उसमें उस पैसे को भी जोड़ दिया जाए जो कि उनके रख-रखाव पर खर्च किया है तो बिजली के उत्पादन पर बहुत ज्यादा कीमत बैठती है। इसके बावजूद भी बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर किसी ने पम्पसेट लगाया है तो आप उस पर लेवी लगा देते हो कि महीने में इतना पैसा देना होगा। बिजली उसे मिलती नहीं, लेवी उसे अलग देनी पड़ती है तो वह बिजली की लाइन कटवा देता है और पम्पिग सेट बेकार हो जाता है। इसलिए मेरी राय है कि, देश में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले और एक नेशनल ग्रिड बनाए। जिस जगह बिजली की जरूरत है वहां पर बिजली की सप्लाई की जाए। बिजली के बिना देश का कोई हिस्सा तरक्की नहीं कर सकता इसलिए इस ओर सेंटर को विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं बिहार के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करोड़ो रुपये का ऐसा सामान रख दिया गया है जिसका इंजीनियर्स को भी पता नहीं है कि यह कहा लगाया जाना है सिर्फ कमीशन बनाने के लिए ऐसा किया गया है। यह अनावश्यक भार बोर्ड पर डाला गया है जिसका प्रभाव विद्युत उत्पादन पर पड़ा है। बिहार में 6000 कर्मचारी बहाल कर दिए गये हैं। यह जनता के ऊपर अनाश्वयक भार डाला गया है। अगर इसको नेशनल इंपोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सेंटर इसको अपने हाथ में नहीं लेगा तो हालत में सुधार नहीं होगा। नेशनल ग्रिड बनने से एक लाभ और होगा। जहां दूर-दूर तक थर्मल पावर स्टेशन बनते हैं वहां पर कोयला पहुंचने में कई दिक्कतें आती हैं। कभी कहा जाता है बोगियां नहीं मिली, कभी कहा जाता है कि ट्रकों से कोयला लाया जा रहा है। इससे यह होगा कि जहां कोयले का उत्पादन होता है वहां पर थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाए और फिर वायर के द्वारा जहां-जहां बिजली की आवश्कता है वहां-वहां बिजली सप्लाई कर दी जाएगी। इस तरह से नेशनल ग्रिड बनाकर एक जगह से मानेटरिंग होनी चाहिए। जिस जगह ज्यादा जरूरत है वहां पर सप्लाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो जो विद्युत के बारे इंबेलेंसेज है वह दूर नहीं हो सकेगा।

बैंकों द्वारा ग्रामीण बैंकों द्वारा जब गरीब आदमी की मदद की जाती है तो उससे गारंटी मांगी जाती है। जो फूस के घर में रहता है वह गारंटी कहां से लाएगा और जो अमीर आदमी उसको गरीब बने रहने देना चाहता हैं वह उसकी गारंटी कैसे देगा। इस लिए जो गरीब आदमी हैं

उनसे गारंटी मत मांगीए। गांव का प्रधान सिर्फ यह लिख दे कि यह आदमी यहां रहता है, इतना ही काफी होना चाहिए। आइडिएंटीफिकेशन होना चाहिए, गारंटी नहीं मांगी जानी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई तो आपकी इस योजना का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 5000 रुपये तक गारंटी नहीं मांगी जानी चाहिए, इस तरह के निर्देश बैंकों को दिए जाने चाहिएं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सबसे उपर ब्याज की दण्डनीय दरें (पेनल रेट्स)।

श्री सतीश कुमार सिंह : जी हां, इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जो सबसिडी आप दे रहे हैं वह ठीक है। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ काफी ध्यान दिया है। मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे राजस्थान के भाई बोल रहे थे। में बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। सारे देश के लोग जानते हैं कि बिहार में खनिज रिसोर्सेस हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

समूचे हिन्दुस्तान में बिहार की पर-केपिटा इन्कम बहुत ही कम है, इस बारे में आप क्यों नहीं सोचते है ? इसका मतलब यह है कि आप उसके अनुसार योजना नहीं बनाते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में कोयला 60 परसेंट माइका—60 परसेंट, और कांपर, मैंगनीज, चाइना-क्ले आदि जितने भी मिनेरल्स हैं उन सबका बहुत बड़ा भन्डार है फिर भी उस प्रोविन्स की तरक्की नहीं हो रही है। उसकी हालत खराब ही होती चली जा रही है। वहां से सारी चीजें निकाल कर दूसरी जगह ले जाते हैं जिससे दूसरी जगह पर तो फायदा हो जाता है लेकिन बिहार के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि वहां कैसे तरक्की हो सकती है और कैसे आप हालत को सुधार सकते हैं। बिहार में कोयले की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और ज्यादा से ज्यादा कोयला निकाला है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो स्टेट का टैक्स होता था जो कि टनेज पर दिया जाता था, जिस समय पांच रुपए टन कोयला था, उस समय जो टैक्स स्टेट को दिया जाता था, वह बहुत कम बढ़ाया गया है। जबकि वही कोयला आप 110 रुपए टन पर बेचते हैं, उससे स्टेट की आमदनी नहीं बढ़ती है। इसलिए उसी प्रोपोरशन में जिसमें कि आप कीमत बढ़ा रहे हैं, उससे स्टेट को भी रेवेन्यू बढ़ा कर मिलनी चाहिए। स्टेट रायल्टी जो है उसको कीमत के प्रोपोरशन में बढ़ाना चाहिए। अभी वह टनेज के प्रोपोरशन में है, इससे स्टेट को फायदा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं। कोसी और गंगा नदी के बीच में मेरा खगरिया क्षेत्र है। वहां खेती ही एक साधन है जिससे लोगों का गुजारा होता है। बाढ़ और सुखाड़ का भी वां काफी प्रभाव रहता है। इस लिए वहां कोई ऐसी इन्डस्ट्री लगनी चाहिए जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो ताकि वहां के लोगों को कुछ रोजगार मिल सके और जब मुसीबत आए तो भरण पोषण हो सके। वहां पर "कास" होता है जो की घास की तरह ही है, उससे पेपर बन सकता है इसलिए वहां पब्लिक सैक्टर में पेपर मिल लगनी चाहिए। वहां "भेज" भी बहुत ज्यादा होता है उससे स्टार्च की फैक्टरी भी लग सकती है। वहां अभी तक किसी तरह की फैक्टरी नहीं है।

मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांवों को कम से कम पक्की सड़क से जोड़ा जाए। एन०आर०इ०पी० का पैसा हम और चीजों में खर्च कर रहे हैं। जो सड़क बनायी जाए उसका कनैक्शन मेन रोड़ से होना चाहिए ताकि आवागमन की सहूलियत हो सके और किसान अपना उपजाया हुआ सामान सही रूप से ला सके तभी कुछ तरक्की हो सकती है। बहुत सी जगहों पर तो लाने ले जाने का साधन नहीं होने से अपनी चीज को सस्ते दामों पर बेच देना पड़ता है। इसलिए समूचे देश में जितने गांव हैं उनको पक्की सड़कों से कनैक्ट किया जाए।

एक और हमारे यहां समस्या है और वह यह है कि नेशनल हाईवे 31 जो असम की तरफ जाता है सुरक्षा की दृष्टि से तथा ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसकी हालत बहुत खराब है। अगर उसकी ठीक से मरम्मत नहीं करायी गई तो कुछ दिन बाद उस पर गाड़ियां नहीं चल पायेंगी जिसके कारण नोर्थ से जो कनैक्शन है वह अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस ढंग का बजट इन्होंने पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कर फर्नान्डीस। उनके बाद श्री पीयूष तिरकी का नम्बर है।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

***श्री ओस्कर फर्नान्डीस** (उडिपी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने युवा वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को इस सदन में वर्ष 1983-84 का बहुत ही उत्तम बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दूंगा। मैं भारतीय मंत्री श्री जनार्धन पुजारी को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बैंकिंग व बीमा को एक नया रूप प्रदान किया है और उनके द्वारा इस कार्य को सम्भालने के बाद इन विभागों में अच्छी प्रगति हुई है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद समाज के कमजोर वर्गों को काफी हद तक लाभ प्राप्त हुआ है। कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और उनका जीवन स्तर भी काफी हद तक ऊपर उठा है। इस महान उपलब्धि के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है।

ग्रामीण जनता की प्रगति के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से सरकार की दो महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं। पिछले वर्ष इन कार्यक्रमों द्वारा काफी प्रगति हुई है और आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों से और भी अधिक प्रगति होने की आशा है।

पांचवी पंच वर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गई सम्पूर्ण राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में यह निराशाजनक है। इसके अनेकों कारण हैं और हम इसके लिए

*मूल कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

केन्द्रीय सरकार को दोस भी नहीं दे सकते। इस संदर्भ में राज्य सरकारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही राज्य सरकारें कमजोर वर्गों का पता लगाने में पहल करती हैं तो बैंकिंग संस्थायें उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं। यदि राज्य सरकारें कमजोर वर्गों का पता नहीं लगातीं तो बैंकिंग संस्थायें गरीब लोगों को अपनी सहायता नहीं पहुंचा सकतीं। इन परिस्थितियों में, बैंकिंग संस्थाओं को निर्धन लोगों का पता लगाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी पड़ेगी।

बैंकिंग संस्थाओं को 1500 करोड़ रुपये तथा 3000 करोड़ रुपये के नियतन का पूरा पूरा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इन बैंकों के काम करने के ढंग को देखें तो यह दिखाई देता है कि लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इनकी काम करने की शैली बहुत ही महंगी है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक बैंक खोलने की सोच रहे हैं और यदि तीव्रता से किया जाए तभी हम ग्रामीण लोगों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक विभेदी ब्याज दर पर ऋण देकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। परन्तु ग्रामीण लोगों की सहायता करने वाले सहकारी क्षेत्र के बैंक विभेदी ब्याज दर पर ऋण नहीं प्रदान करते। यदि इसमें हानि होने की कोई सम्भावना हो, तो लाभ प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए। सहकारी क्षेत्र से बैंकों को लाभ के आधार पर या केन्द्रीय सरकार से राज-सहायता प्राप्त करके विभेदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

अब मैं अपने तटवर्ती क्षेत्र की विशेष रूप से मछुआरों की कठिनाइयों की चर्चा करूंगा। वहां भयानक सूखा पड़ा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करें और उनके द्वारा ऋणों की वापसी के कार्यक्रम को फिर से बनायें। यदि मछली पकड़ने वाले ट्रालरों तथा यन्त्रीकृत नौकाओं के लिए ऋण दिया गया है तो उनकी वापसी 5 से 7 वर्षों में की जानी चाहिए। इसी प्रकार दण्डात्मक ब्याज दर में भी रियायत दी जानी चाहिए। मछली पकड़ने से सम्बन्धित और भी अनेक उद्योग हैं, जैसे परिष्करण एकक, डिब्बाबन्दी एकक, बर्फ संयत्र आदि। यदि इन एककों को औद्योगिक बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता मिले तो उनकी वापसी का कार्यक्रम पुनः बनाया जाना चाहिए और दण्डात्मक ब्याज दर की वसूली को रोका जाना चाहिए। हम मछली पकड़ने के लिए यन्त्रीकृत नौकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के मामले में हमारे देश का छठा स्थान है। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व है। यदि हम इस उद्योग को और सहायता प्रदान करें तो हम अपने देश के विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र के निर्धन तथा बेरोजगार लोगों को ज्यादा रोजगार प्रदान करा सकते हैं। इस उद्योग में ज्यादा लोग कम लागत पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार और विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार इस उद्योग में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मछली पकड़ने का उद्योग भारी संकट में हैं। डीजल की कीमत बढ़ गई है। इसलिए इस उद्योग को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए। बाजार मूल्य भी अनुकूल नहीं हैं। इसलिए मछली उद्योग तथा कृषि उद्योग को राज सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्यथा, मुझे डर है कि यह मछली उद्योग कहीं नष्ट न हो जाये। आज डीजल और मिट्टी के तेल के भाव बहुत बढ़ गये हैं। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि यदि हमने अपनी आंखें नहीं खोलीं और तत्काल उपाय नहीं किए तो हमारा निर्यात भी बुरी तरह से कुर प्रभावित हो जायेगा।

वित्तीय संस्थायें एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे मंत्री महोदय ने बहुत रुचि ली है। बीमा क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई है। मंत्री महोदय ने अपनी नीतियों को हमारे समक्ष रख दिया है। जीवन बीमा निगम को पांच प्रभागों में विभाजित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय को सावधान करना चाहता हूं। हम मंत्री महोदय की नीतियों का स्वागत तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस विभाजन के भयंकर परिणामों के बारे में भी सोच-समझ लेना चाहिए। इसमें बहुत से उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारीगण नहीं होने चाहिए। वर्तमान एक निगम जब 5 निगमों में बंट जायेगा तो स्वभाविक है कि 5 चेयरमैन भी होंगे, 5 बोर्ड होंगे और 5 ही प्रबन्ध निदेशक होंगे। उच्च स्तर के और भी अधिकारीगण होंगे। मेरी राय में भाई इसमें निम्नस्तर के कर्मचारियों की ओर नियुक्ति की जाए तो इसका बेहतर विकास हो सकेगा। यदि इस विभाजन से लोगों को फायदा हो तो उसे जरूर करना चाहिए। आज जीवनकाल में काफी वृद्धि हो चुकी है। मनुष्य का जीवन काल बढ़ गया है। लेकिन प्रीमियम की दरों में कोई कमी नहीं आई है। पहले यदि कोई मनुष्य 50 वर्ष की आयु का हो जाता था तो लोग उससे कहते थे कि अब उसका अन्तिम समय चल रहा है, लेकिन आज यदि मनुष्य 75 या 100 वर्ष का भी हो जाये तो भी, उसे उसके जीवन का अन्तिम समय नहीं कहा जा सकता। यदि हम इस पर विचार करें कि यह सब आर्थिक सम्पन्नता के कारण हुआ है तो इसका लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो बीमा की पालिसी लेते हैं। यदि प्रीमियम की दरें ऊंची होती हैं तो कम ही लोग इन पालिसियों को खरीद देते हैं। यदि प्रीमियम की दरें कम होंगी तो अधिकाधिक लोग इन पालिसियों को खरीदेंगे। जीवन बीमा निगम यह कह सकता है कि यह उन्हें लाभ का एक अंश देता है। निगम यह भी कह सकता है कि वह पालिसी पूर्ण होने पर बोनस भी देगा। लेकिन यदि आप बीमे की ओर अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो प्रीमियम की दरें कम होनी ही चाहिए। मान लो, मैंने 100 रुपये प्रीमियम की एक पालिसी ली हुई है। यदि यही पालिसी 70 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध है तो यह स्वभाविक है कि अधिक लोग इस पालिसी को खरीदेंगे क्योंकि प्रीमियम की दर कम हो गई। यदि आप लोगों से कहें कि हम उन्हें सारा खर्च निकाल कर लाभ का एक अंश उपलब्ध करा रहे हैं तो वे इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे।

मैं पालिसी सर्विसिंग योजना के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पालिसी सर्विसिंग का कार्य तेजी से नहीं होना क्योंकि एक ही निगम है अर्थात् जीवन बीमा निगम। जमा की गई राशि का समायोजन ठीक से नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसकी पालिसी के वहां स्थानांतरण होने में 2-3 वर्ष से भी अधिक लग जाते हैं। इस बीच वह किश्तें अदा करता रहता है लेकिन उनका समायोजन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि पालिसी धारण की मृत्यु के बाद जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर भेजा गया कि उसकी पालिसी समाप्त कर दी गई है और उसे बीमे की रकम नहीं मिल सकती। यदि पालिसी बीच में ही समाप्त कर दी जाती है तो उसे फिर से चालू करवाने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना होता है। इसी प्रकार बेतन दायरा पालिसियों में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेरा सुझाव है कि यदि निगम को कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाए तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी लेकिन मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं कि ऊपर का प्रशासन अधिसंख्य नहीं होना चाहिए।

सरकार ने दोहरी मूल्य नीति स्वीकार की है। कमजोर वर्ग के लोगों को सभी वस्तुएं खुले बाजार में नहीं मिल सकतीं। इसलिए, आवश्यक वस्तुओं, जैसे मिट्टी का तेल, चावल, कपड़ा, चीनी के राहत मूल्य होना गरीबों के लिए वास्तव में अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत वितरण प्रणाली होनी चाहिए। तभी कमजोर वर्गों, ग्रामीण जनता और आदिवासी जनता को अधिकतम लाभ मिल सकता है। इन आवश्यक मदों को पाने के लिए उन्हें शहरों में जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

मिट्टी के तेल की बिक्री के बारे में भ्रम है। पता नहीं ऐसी स्थिति कैसे आई है। खुले बाजार में भाव ऊंचे हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि राशन की दुकानों पर बिकने वाला मिट्टी का तेल रंगीन होना चाहिए।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहूंगा। एक तेल शोधक कारखाना लगाने की सरकार की नीति वास्तव में सराहनीय है। इस संबंध में निर्णय भी किया जा चुका है। वहां 60 लाख टन क्षमता का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उसकी स्थापना कब होगी। क्या हमारा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यह सम्भव होगा? कर्नाटक की जनता इस संबंध में बहुत उत्सुक है। उनकी इच्छा की पूर्ति की जानी चाहिए। मंगलौर बहुत तेजी से एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यदि यहां तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाए तो यह सम्भव होगा कि तेल उत्पादों की सप्लाई समुद्र तट से देश के सुदूर क्षेत्रों में की जा सकेगी। श्री वीरेन्द्र पाटिल सभा में हैं। उन्होंने भी इस तेल शोधक कारखाने के बारे में निर्णय किया था। अतः इसे शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

मंगलौर में एक ताप-संयंत्र स्थापित किया जाना है। हमारे राज्य कर्नाटक में कई जल-परियोजनाएं हैं। लेकिन यदि वर्षा न हो तो सारे उद्योग ठप्प पड़ जाएंगे। लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मंगलौर में एक ताप संयंत्र शीघ्र स्थापित किया जाए।

बहुत पहले समय से ही मंगलौर तथा कोचीन से कराची के लिए नौवहन सेवा थी। लेकिन अब वह सेवा समाप्त कर दी गई है और लोग मुसीबत में हैं। सरकार रो-रो-शिप सेवा के बारे में सोच रही है। यदि यह परियोजना शुरू हो जाए तो यह वास्तव में जनता को एक महान देन होगी।

मंगलौर एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। इसलिए वहां दूरसंचार का पर्याप्त विकास होना चाहिए। सारे दक्षिण केनरा को एक यूनिट मानकर स्वचालित दूरसंचार की व्यवस्था होनी चाहिए। कहा गया है कि उडिप्पी में 2000 लाइन का इलैक्ट्रानिक सर्किट स्थापित किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस काम को यथासम्भव शीघ्र शुरू किया जाए।

मंगलौर और उडिप्पी बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र हैं इसलिए इन केन्द्रों में टेलीविजन सुविधा भी होनी चाहिए। इस पर अधिक खर्च नहीं आएगा। एक या दो लाख रुपये से यह काम हो सकता है। सारा दक्षिण केनरा एक बड़ा शिक्षण केन्द्र है अतः टेलिवीजन की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराना बहुत उपयोगी होगा।

दक्षिण केनरा जिले में विशेषकर पश्चिमी घाटों में कुछ नदियां और झरने हैं। लोगों के लिए दूर स्थित भागों में जाने-आने के लिए परिवहन की सुविधा बहुत अनिवार्य है। उत्पाद की ढुलाई के लिए और छात्रों को शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए पश्चिमी घाट योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इस योजना के लिए पर्याप्त निधियां नियत करनी होंगी। बड़े पुल तथा पैदल पुल बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

सारे देश में मंगलौर-बम्बई रेल लाइन का महत्वपूर्ण लिंक छूटा हुआ है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में इस पर बल दिया गया है कि इस महत्वपूर्ण छूटे हुए लिंक को बहुत जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी इस समिति ने इस लाइन को महत्वपूर्ण समझा है। अब मंगलौर बहुत बड़ा केन्द्र हो गया है। इसलिए बम्बई और मंगलौर के बीच यह लाइन शीघ्र बिछाई जानी चाहिए।

हमारे तटीय क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव हो रहा है। कितने ही परिवारों के घर उजड़ गए हैं उनके पशु तथा अन्य सम्पत्ति नष्ट हो गई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बरबादी से बचने के लिए समुद्र के किनारे दीवार बनानी चाहिए।

आज कर्नाटक के लोग अप्रत्याशित सूखा की स्थिति में हैं। लोग अपने गांवों को छोड़ रहे हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अधिक सहायता दे और सूखा के राहत कार्यक्रम के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराए।

अब मैं मंगलौर विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। अनेक वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक भी इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि स्वीकार नहीं की है। विश्वविद्यालय आयोग की अपनी शर्तें हैं और इसलिए ये विश्वविद्यालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सम्पूर्ण क्षेत्र उच्च शिक्षा से वंचित है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने पद का उपभोग करते हुए इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय आयोग से धनराशि उपलब्ध करायें। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 1983-84 के सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को समर्थन देने में अपने आपको बिल्कुल असमर्थ पा रहा हूं, इसलिए कि यह बजट आम जनता को फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। 35 वर्षों की आजादी के दौरान पांच फाइव-ईयर-प्लान पूरे हो चुके हैं और छठा भी खत्म होने वाला है, लेकिन इस बजट के बाद भी हमारी आम जनता की जो तकलीफें हैं, जिनको प्राइमरी नीड्स कहा जाता है, जैसे खाने-पीने की चीजें, रहने के स्थान की बातें, शिक्षा-दीक्षा की बातें, प्राइमरी मनुष्य को मनुष्य के समान रहने का जो अधिकार हने दिया है, वे अधिकार इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उल्टे अब 50 परसट से ऊपर गरीबी रेखा के नीचे हमारी आम जनता है। हमारे यहां बहुत बड़े कल-कारखाने बने हैं और दूसरे काम हुए हैं। इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो लाभ जा रहा है, वह किनके पास जा रहा है, यह इस

बजट में गौर नहीं किया गया है। यहां पर जो डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं और जितने भी तरक्की के साधन जुटाए जा रहे हैं, उन तरक्की के साधनों को आम जनता तक पहुंचाने में यह सरकार अभी तक असमर्थ रही रही है।

आप जरा गौर करें। बहुत दिनों से और ब्रिटिशर्स के जमाने से जो चाय बागान बनें हैं, उन चाय बागानों से 40 करोड़ रुपये फोरेन एक्सचेंज के हर वर्ष सरकार अपनी पाकेट में ले लेती है लेकिन कभी भी यह गौर नहीं किना गया कि जिन मजदूरों के खुन-पसीने से हमारे यहां यह 40 करोड़ रुपये फोरेन एक्सचेंज आ रहा है और जो देश की उन्नति के लिए लगाया जा रहा है, उन लोगों की उन्नति के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है। उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूली शिक्षा देने की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हुई है। उनके रहने के लिए घर-बार नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, वे भी नहीं हो पाई हैं। उनके लिए वहां पर कोई भी उन्नति का काम नहीं हो पा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे लोहे के कारखाने हों, चाहे चाय बागान के कारखाने हों और चाहे दूसरे कारखाने हों, उनमें जो मजदूर काम करते हैं और जिनके जरिये से देश की सम्पत्ति बनती है, जो देश की सम्पत्ति उन गरीबों के हाथों से, उनके खून-पसीने से बनती है, उन लोगों के सुधार के लिए, उनको दूसरे लोगों के समान लाने के लिए अभी तक इस सरकार ने कोई चेष्टा नहीं की है और ऐसा नजर नहीं आता है कि कोई चेष्टा करके उनको यह सरकार ऊपर ले आ सकेगी।

जितने भी टैक्स लगाये गए हैं, इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स जो कुछ भी बनाते हैं, उन पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, ऐसे कायदे बनाये गये हैं कि असल में कन्ज्यूमर्स पर ही उनका सारे का सारा बोझ पड़ेगा। इसलिए आज जो गरीब है, वह और भी ज्यादा गरीब हो जायेगा। जो आज एक रोटी के लिए मोहताज है, उसको एक दिन का उपवास और करना पड़ेगा।

यहां पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत रुपया किया गया है किन्तु एग्रीकलल्चरिस्ट कौन है ? ये समझते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट वह है, जो जमींदार है, जिसके पास बड़ा फार्म है। उनके लिए ही एग्रीकल्चर की सारी व्यवस्था की गई है क्योंकि वही ट्रैक्टर खरीद सकता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोडेड लेबर बना सकता है। उस वास्ते यह व्यवस्था की गई है। मेरा सुझाव यह है कि एग्रीकल्चर को आप मिक्स-अप न करें, तो अच्छा होगा। अगर देश की आर्थिक दशा को सुधारना है, तो पशुपालन के लिए एक अलग से पशुपालन विभाग बनाया जाए। आप सल लोगों को जमीन नहीं दे सकते हैं लेकिन पशुपालन के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है और उससे फायदा भी बहुत जल्दी हो सकता है। एक कृषक को अगर 10 मुर्गीयां दे दी जाएं, तो 6-7 महीने में ही वह अंडे देने लगती है, जो रेकरिंग होते हैं। पशुपालन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं और इसी तरह से गायों के लिए भी कर सकते हैं क्योंमि पशुधन भारत के लिए बहुत जरूरी है और पशुधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उचित कदम जरूर उठाने चाहिए, नहीं तो आपकी एकोनामी जो पहले ही फेल कर चुकी है, वह और ज्यादा फैल करेगी और जल्दी फैल करेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर जो वेटेरीनरी डाक्टर काम कर रहे हैं, उनको

लोग समझते हैं कि यह पशुओं का डाक्टर है और इसमें अक्ल नहीं है। मेरा कहना यह है कि इन डाक्टरों को भी उचित स्केल ग्राफ दे दिया जाना चाहिए। उनके ज्यादा से ज्यादा पशुओं का इलाज होना चाहिए। यह दुःख की बात है कि हम मनुष्य का इलाज नहीं कर सकते। सभी को ठीक से इलाज नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस देश की इकोनोमी को बचाना है तो आपको पशुधन को भी बचाना चाहिए और उसके लिए हरेक ब्लाक में इसका प्रचार होना चाहिए। गांव-गांव में दूरदराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, इससे उनको मदद हो सकेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृषि के लिए जो अनुदान रखा गया है उसका 50 परसेंट पशुधन को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। अगर यह होता तो हम लोग कुछ अंश में आगे बढ़ सकते हैं।

केटल ब्रीडिंग पर टैक्स लगाया हैं। यह सारे टैक्स किसके ऊपर लगते हैं। ये गरीब लोगों के ऊपर लगते हैं। इस केटल ब्रीडिंग पर कितने लोग एक परिवार के लगते हैं। दिल्ली की फेमिली गांव में नहीं जाती है। हमारे यहां हेल्थ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, एजूकेशन मिनिस्टर हैं। एक-एक आदमी कितना काम संभाल सकता है। सरकार को अगर पांच आदमियों का काम कराना है तो उसे पांच आदमी रखने होते हैं। इस बजट से मेन पावर यूटिलाइजेशन के लिए कोई स्कीम नहीं है। हमारे यहां 70 करोड़ आदमी हैं। वे सब काम करना चाहते हैं। वे भीख मांगना नहीं चाहते। अगर आप इन लोगों को काम नहीं दे सकेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे बन सकती है।

अब शिक्षा, दीक्षा की बात आती है। जो सरकारी कर्मचारी है, वे जहां भी जाएं, उनके लिए सेन्ट्रल स्कूल हैं। उनमें उनके बच्चे पढ़ें-लिखेंगे। बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे भी बड़े-बड़े आदमी ही बनेंगे। आम जनता की शिक्षा, दीक्षा को आपको देखना है। उनके लिए तो कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं पर स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं, अगर शिक्षक हैं तो मकान नहीं है। अगर कहीं हैं भी तो उस स्कूल से पढ़कर जो बच्चा निकलेगा, वह किस दर्जे पर आ सकता है। आपने शिक्षा, दीक्षा पर भी बटवारा किया हुआ है। गरीब के लिए नाममात्र के स्कूल बना दिये हैं ताकि गरीब के बच्चे गरीब ही बने रहे। आखिर वे बच्चे भी इसी हिन्दुस्तान में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में जन्में हैं। उनकी शिक्षा, दीक्षा भी समान रूप से होनी चाहिए। इसकी कोई व्यवस्था आपने नहीं की है।

शिक्षा, दीक्षा के अलावा बीमार पड़ने पर गरीब लोगों की कोई मदद नहीं होती है। बड़े बड़े लोगों को अच्छा-अच्छा इलाज मिल जाता है। दिल्ली में गरीब लोग अगर कोई एम० पी० की चिट्ठी लेकर जाता है तो उसको कुछ इलाज मिल जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुझसे चिट्ठी लेकर जाते हैं। मैं तो दिल्ली का एम० पी० नहीं हूं फिर भी यहां के लोग मुझसे चिट्ठी लेकर जाते हैं।

न्याय की बात को लीजिए। गरीब आदमी के लिए न्याय भी सुलभ नहीं है। जिसके पास रुपये हैं वे सब कुछ कर सकते हैं। बड़े आदमी अगर सिर भी काट दें तो भी बेकसूर साबित हो सकते हैं लेकिन गरीब बिचारो बेकसूर भी जस्टिस नहीं पा सकता। यह जस्टिस इतना महंगा है कि गरीब आदमी की इस तक पहुँच ही नहीं है। प्रजातांत्रिक देश में ही यह सब को न मिले तो गरीब क्या करें। हैल्थ के बारे में तो यह है कि यह तो भगवान के जिम्मे है। अगर भगवान की मर्जी है तो बच जाएगा। जो रुपये वाले हैं उनका इलाज बाहर भेजकर भी करवाया जाता है

जिनके वोट लेकर हम आते है उनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सरकारी अफसरों को राष्ट्रपति ने आज निमंत्रण दिया है। मिनिस्टर भी बुलाते रहते है। हमको यहां पर आम जनता को देखना पड़ता है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें तन्ख्वाह नहीं मिलती है। अगर बिमार पड़ गए तो अपने खर्चे से उनका इलाज करवाना पड़ता है। यह जो 5 मेंबर की फैमली बनाई गई है इसके लिए घर नहीं मिल सकता। सरकार ने कहा है कि समाजवादी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाएंगे। इसके लिए सरकार को कुछ जिम्मा तो लेना चाहिए था। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को किराए पर घर बना कर दिए जाते हैं इसी प्रकार सारे देश में लोगों को किराए पर घर बनाकर दिए जा सकते थे। ग्रामीण अंचलों में इस तरह के मकान बनाकर किराए पर दे सकते थे। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता। देश में प्रत्येक बच्चे के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था तो यह सरकार कर सकती थी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबके लिए स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एक जैसी व्यवस्था यह सरकार कर सकती थी। लेकिन इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इस बजट से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुछ थोड़े से आदमियों को फायदा पहुँचाया जा सकता है। अभी इलेक्शन आएंगे तो कैपिटलिस्टों और इंडस्ट्रियलिस्टों के आगे हाथ पसारेंगे। इस लिए यह सोचा गया है कि उनको कितना लाभ पहुँचाया जाए। कितने लाइसेंस उनको दिए जाएं जिससे उनसे रुपया वसूल किया जाए। लेकिन आम जनता के सुधार के लिए इस बजट में कोई गुंजाइस नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

———

कार्य मंत्रणा समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण व आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह): मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

———

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 मार्च, 1983/25 फाल्गुन, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

खोसला प्रिन्टिर्स, नांगलोई, (दिल्ली-41)